चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 17

शुक्रवार, 18 अगस्त, 2006
27 श्रावण, 1928 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
## (हिन्दी संस्करण)

**आठवां सत्र**
**(चौदहवीं लोक सभा)**

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....
Dated.....

**(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)**

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
मूल्य : अस्सी रुपये

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| श्री एम. वी. राजशेखरन | 346-347, 361-364 |
| श्री प्रसन्न आचार्य | 352-355 |
| श्री भर्तृहरि महताब | 355-356 |
| श्री विक्रम केशरी देव | 357-359 |
| श्री धर्मेन्द्र प्रधान | 359-360 |
| सदस्यों द्वारा निवेदन | 367-380, 482-484 |
| (एक) गुजरात में हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में | 367-371 |
| (दो) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में | 371-372 |
| (तीन) हज तीर्थ यात्रियों को और सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में | 373-375 |
| (चार) "लिब्राहन जांच आयोग" की रिपोर्ट सभा पटल पर शीघ्र रखे जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में | 376-380 |
| (पांच) भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में | 482-484 |
| छावनी विधेयक, 2006 | 383-432 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री संतोष गंगवार | 383-387 |
| श्री शैलेन्द्र कुमार | 388-390 |
| श्री नवीन जिन्दल | 390-392 |
| प्रो. रासा सिंह रावत | 392-396 |
| श्री तरित बरण तोपदार | 396-397 |
| प्रो. चन्द्र कुमार | 398-400 |
| श्रीमती सुमित्रा महाजन | 400-403 |
| श्री राम कृपाल यादव | 404-406 |
| मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी | 407-412 |
| श्री वीरेन्द्र कुमार | 412-413 |
| श्री प्रणब मुखर्जी | 414-423 |
| खंड 2 से 360 और खंड 1 | 423-431 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 431-432 |

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प** | 432-480 |
| देश के सभी भागों के संतुलित और समान विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में | |
| श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश | 432-436 |
| श्री कैलाश मेघवाल | 436-442 |
| श्री प्रसन्न आचार्य | 442-449 |
| श्री किरिप चालिहा | 449-455 |
| श्री कीरेन रिजीजू | 455-460 |
| श्रीमती परमजीत कौर गुलशन | 460-462 |
| श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्यक | 462-465 |
| डा. करण सिंह यादव | 465-468 |
| डा. एच. टी. संगलिअना | 468-470 |
| श्रीमती अर्चना नायक | 470-472 |
| श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी | 472-474 |
| श्री पी. एस. गढ़वी | 475-477 |
| श्री कपिल सिब्बल | 478 |
| श्री मणि चारेनामै | 478-479 |
| **विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति** | 475 |
| **अनुबंध-I** | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका | 499-500 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका | 500-504 |
| **अनुबंध-II** | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका | 505-506 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका | 505-508 |

## लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी. डी. टी. आचारी

## लोक सभा

**शुक्रवार, 18 अगस्त, 2006/27 श्रावण, 1928 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

*(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)*

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, आज एक चैनल पर बहुत ही गंभीर बात दिखाई गई।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस इश्यू को 12 बजे उठाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ढींडसा साहब, मुझे आपका नोटिस मिला है। आपका बहुत अहम मुद्दा है। आप इस इश्यू को 12 बजे उठाइए। मैं 12 बजे सबसे पहले आपको ही बोलने के लिए बुलाऊंगा।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 321, श्री सुग्रीव सिंह।

*[अनुवाद]*

**प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण**

+

*321. **श्री सुग्रीव सिंह :**

**श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक ऋण देने की नीति के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005–06 के दौरान प्राथमिकता और गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्ष के दौरान प्राथमिकता और गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कितनी ऋण राशि को एनपीए में परिवर्तित किया गया है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने एनपीए की वसूली करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा एनपीए की वसूली करने का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 31 मार्च, 2005 के 47,696 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2006 को 41,378 करोड़ रुपये रह गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2005 के 5.6 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2006 को 3.7 प्रतिशत रह गई हैं।

(ख) और (ग) मार्च 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता और गैर–प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया अग्रिम और ऐसे अग्रिमों से संबद्ध अनुपयोज्य आस्तियां निम्नानुसार हैं :

(रुपये करोड़ में)

| | कृषि | लघु उद्योग | अन्य प्राथमिकता क्षेत्र | कुल प्राथमिकता क्षेत्र | गैर–प्राथमिकता क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग | घ (क+ख+ग) | ङ | च (घ+ङ) |
| बकाया अग्रिम | 1,40,895 | 82,210 | 1,73,946 | 3,97,051 | 6,75,833 | 10,72,884 |
| सकल अनुपयोज्य आस्तियां | 6,203 | 6,917 | 9,253 | 22,374 | 19,004 | 41,378 |

आंकडे अनंतिम

(घ) राज्यों में प्रभावी और सही भूमि रिकार्ड प्रणाली की कमी, अनुपयोज्य आस्ति खातों में अपर्याप्त प्रतिभूति उपलब्धता, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी)/न्यायालय में लंबित मामलों में कार्यवाही में लगने वाला समय, अनुपयोज्य आस्ति खातों में धीमी वसूली के कुछ कारण हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस जारी करके अपनी अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली, एकबारगी समझौता निपटान, लोक अदालतों के माध्यम से वसूली, आदि के लिए सम्मिलित प्रयास करते हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2005–06 के दौरान अनुपयोज्य आस्ति खातों से 10,590 करोड़ रुपये की कुल नकद वसूलियां की हैं।

**श्री सुग्रीव सिंह** : मैं जानना चाहूंगा कि क्या गैर–प्राथमिकता क्षेत्र में रुग्णता व्याप्त है और वैश्वीकरण तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण वर्ष के दौरान जिन्हें ऋण दिया गया है ऐसे उधारकर्ताओं की संख्या घटी है। कृपया सरकार द्वारा तुलन–पत्र में गैर–निष्पादनकारी आस्तियां कम करने तथा गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्र को राहत या रियायत देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी दें।

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि इस प्रश्न का जोर किस क्षेत्र पर है। गैर–प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने से मना नहीं किया जा रहा है। कृषि, कमजोर वर्ग, किसान और स्वरोजगार को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और शेष सभी गैर–प्राथमिकता क्षेत्र हैं। गैर–प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण से वंचित नहीं रखा जा रहा है। वस्तुतः गैर–खाद्य ऋण इस क्षेत्र में लगातार तीसरे वर्ष 30 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ रहा है। अतएव जब तक माननीय सदस्य यह नहीं बताते कि उनके मन में क्या है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की बात वह कर रहे हैं जिसे ऋण से वंचित रखा जा रहा है, या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र द्वारा समस्याओं का सामना किया जा रहा है, तब तक मेरे लिए इस प्रकार की सामान्य प्रकृति के प्रश्न का उत्तर देना कठिन होगा। यदि वह बता सकें कि उनके मस्तिष्क में क्या है, किस क्षेत्र या किस खास उद्योग को ऋण नहीं दिया गया है तो उसका उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी।

**श्री सुग्रीव सिंह** : मैं इस संबंध में एक पत्र लिखूंगा। गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली नहीं हो पाने के संबंध में, बैंक अन्य कंपनियों में मूल बकाया के 50 प्रतिशत से भी कम पर अपने एनपीए बेच रहे हैं। बैंकों के लिए उच्च प्रतिशत पर बेचने की बहुत कम संभावना है चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल कुछ ही कंपनियों को अनुमति दी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी और कंपनियों को अनुमति देगी ताकि इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसी कंपनियों को अपना एनपीए बेचते समय एनपीए के बदले उच्च दर प्राप्त करके बैंक के हितों की रक्षा हो सके?

**श्री पी. चिदम्बरम** : मेरे विचार से माननीय सदस्य एआरसीआईएल के बारे में बोल रहे हैं, जो पहली आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसे आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया गया है। यह एक नई पहल है। यह एक शुरुआत है। मेरे विचार से शायद एक और कंपनी को लाइसेंस दिया गया है, किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। समय के साथ और कंपनियां आएंगी जो आस्ति पुनर्निर्माण व्यवसाय में हैं। मैं इससे सहमत हूं कि केवल एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है तो एकाधिकार जैसी स्थिति होगी। किन्तु समय के साथ और कंपनियां होंगी और बैंकों के पास इन कंपनियों को अपने एनपीए बेचने में विकल्प रहेगा। किन्तु चूंकि यह हाल ही में शुरू हुआ है, आपको इस प्रकार की नई कंपनियों को अस्तित्व में आने के लिए समय देना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री जीवाभाई ए. पटेल** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिन

प्राइवेट कंपनियों को लोन दिया है, उनकी अदायगी अभी तक नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में बैंक के अधिकारियों की भूमिका पर कोई जांच कराई है? यदि जांच कराई है, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

*[अनुवाद]*

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, किसी अन्य व्यवसाय की भांति उधार लेना और देना भी व्यवसाय है। कुछ ऋण अशोध्य होंगे और कुछ कर्जदार चूककर्ता होंगे। कर्जदार चूककर्ता क्यों होते हैं इसके अनेक कारण हैं। निश्चय ही जब कभी दुराशय या मिलीभगत या अवैधता का मामला पाया जाता है तो आपराधिक कानून का सहारा लिया जाता है। अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बहुत कठोर विनियम निर्धारित किए गए हैं कि एक आस्ति को गैर–निष्पादनकारी आस्ति (एनपीए) कैसे मानें; एनपीए के लिए कैसे प्रावधान करें; और इसके एनपीए वर्गीकृत किए जाने के बाद भी दूसरी वसूली कैसे करें। यद्यपि आस्तियों को एनपीए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाता है किन्तु ऐसे वर्गीकृत एनपीए से भी वसूली की जाती है।

उदाहरण के लिए, वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 में, चार वर्षों के लिए वास्तविक नकद वसूली क्रमशः 6,245 करोड़ रुपये, 6,927 करोड़ रुपये, 8,560 करोड़ रुपये और 10,590 करोड़ रुपये रही है। अतएव, यह कहना सही नहीं होगा कि कोई वसूली नहीं की गई है। इन प्रावधानों को आरबीआई विनियमों के अनुसार बनाया गया है। अस्तु, बैंक अधिकारी वसूली करते हैं।

**श्री अमिताभ नन्दी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एनपीए को खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की है? क्या सेबी और आरबीआई जैसे विनियामक प्राधिकरणों ने इसे स्वीकृति दी है? इन विदेशी संस्थागत निवेशकों के नाम क्या हैं? उनकी बाजार में विश्वसनीयता क्या है?

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान में जो सुझाव दिया गया है, मेरे विचार से एआरसीआईएल को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। मुझे पता लगाना होगा यदि किसी संभावित निवेशक को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी गई है। मैं पता लगाऊंगा यदि किसी और ने आवेदन किया है अथवा लाइसेंस दिया गया है और तब मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दूंगा चूंकि अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आलोक कुमार मेहता–उपस्थित नही।

श्रीमती के. रानी।

**श्रीमती के. रानी** : महोदय, कुछ समय पूर्व आरबीआई ने कहा था कि बैंकों ने अपने तुलन–पत्रों से एनपीए को निपटाने में अच्छी–खासी प्रगति की है। उत्पादक क्षेत्रों को संसाधनों के आवंटन में बैंकों के ऋण जोखिमों, आस्ति गुणवत्ता और कार्यकुशलता का आकलन करने हेतु एनपीए के स्तर को महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है।

ऐसी मान्यता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसानों और लघु उद्योग इकाइयों से छोटी राशियों की वसूली में सख्त हैं जबकि बड़े उधारकर्ताओं के साथ नर्म हैं। चाहे जो हो सभी एनपीए को अच्छा–खासा नीचे लाने में रुचि रखते हैं। वित्त मंत्रालय बैंकों के लिए क्या प्रस्ताव सोच रहा है जिससे वे अपने एनपीए को घटाने के लिए ठोस कार्रवाई करें?

**श्री पी. चिदम्बरम** : महोदय, गत दो वर्षों में सकल एनपीए और निबल एनपीए को न्यून करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य–निष्पादन उदाहरणीय रहा है। बैंकों की स्थिति सुधारने हेतु मैं सभी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं।

उत्तर में ही कहा गया है कि 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए 47,696 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 41,378 करोड़ रुपये हो गई है। संख्याओं के आधार पर भी, सकल एनपीएस भी कम हो गई है। बकाया अग्रिम का प्रतिशत 5.6 से घटकर 3.7 प्रतिशत हो गया है। कई–कई वर्षों में यह न्यूनतम है और निबल एनपीए अब मात्र लगभग 1.3 प्रतिशत है। मेरे विचार से बैंकों ने गत दो–तीन वर्षों में एनपीए को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि और प्रयास किए जाने चाहिए, मैं इस समय बैंक प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों को एनपीए कम करने के इस प्रयास में भागीदार होने के लिए बधाई देता हूं।

**श्री रूपचंद पाल** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या व्यापक स्तर पर ऋणों के दुरुपयोग तथा ऋणों के अन्यत्र उपयोग के मद्देनजर ऋण राशि के अन्तिम उपयोग की निगरानी तथा निरीक्षण हेतु बैंकिंग प्रणाली में कोई प्रावधान है?

**श्री पी. चिदम्बरम** : बैंकिंग प्रणाली में ऐसा प्रावधान है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसे ही संक्षिप्तता और प्रासंगिकता कहते हैं।

**स्व-सहायता ग्रुपों को सहायता**

***322. श्री रूपचन्द मुर्मु :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत इस समय राज्यवार कितने स्व-सहायता ग्रुप काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश स्व-सहायता ग्रुप वर्ष 1999 में एसजीएसवाई के बनने के बाद से ही सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इन स्व-सहायता ग्रुपों की सहायता हेतु कुल कितनी राशि की जरूरत है; और

(ङ) उक्त ग्रुपों को सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) :** (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के प्रारंभ होने (अर्थात 1.4.1999) से लेकर 14 अगस्त, 2006 तक बनाए गए, आर्थिक सहायता के लिए पात्र और आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है।

(ख) 14 अगस्त, 2006 की स्थिति के अनुसार, एसजीएसवाई के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए पात्र बन गए कुल 624104 स्व-सहायता समूहों में से 327488 स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। शेष 296616 स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया चल रही है। इन 296616 स्व-सहायता समूहों में से, सबसे अधिक (231594) स्व-सहायता समूह आन्ध्र प्रदेश राज्य में हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार इन स्व-सहायता समूहों को एसजीएसवाई के अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं अर्थात आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना (एपीआरपीआरपी) और आन्ध्र प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना (एपीडीपीआईपी) के माध्यम से कवर कर रही है।

(ग) एसजीएसवाई के अन्तर्गत सहायता न दिए जाने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि यह एक प्रक्रियोन्मुख कार्यक्रम है, इसलिए इसे स्व-सहायता समूहों को संगठित और स्थापित करने, उनके कौशल का विकास करने, बैंक ऋण जुटाने आदि में समय लगा। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कुछ राज्यों ने उन्हें आवंटित निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है। राज्य सरकारों द्वारा निधियों का कम उपयोग करने की वजह से पहले के वर्षों में कार्यक्रम के आवंटन में कमी हुई थी, किन्तु बाद के वर्षों में आवंटन बढ़ने लगे हैं। अभी तक अधिकांश राज्यों को उनकी जरूरतों के हिसाब से निधियां प्राप्त हो गई हैं। तथापि, अब जब कि योजना अपनी जड़ जमा चुकी है, पात्र स्व-सहायता समूहों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की जरूरत होगी।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी पात्र स्व-सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के जरिए निधियों की आवश्यकता का आकलन कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए, शेष पात्र स्व-सहायता समूहों को कवर करने के लिए निधियों की आवश्यकता 4400 करोड़ रुपये बताई गई है। अतिरिक्त धनराशि के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है। मंत्रालय की यह परिकल्पना है कि जैसे ही स्व-सहायता समूह पात्र बन जाएंगे उन्हें अपेक्षित सहायता मुहैया करा दी जाएगी।

**अनुबंध**

*योजना की शुरूआत (1.4.1999) से लेकर 2006-07 तक एसजीएसवाई की वास्तविक प्रगति (14.8.2006 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बनाए गए स्व-सहायता समूह की संख्या | ग्रेड-I पास कर चुके स्व-सहायता समूहों की संख्या | ग्रेड-II पास कर चुके तथा आर्थिक सहायता के लिए पात्र स्व-सहायता समूहों की संख्या | आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 461181 | 413591 | 277489 | 45895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 361 | 155 | 82 | 212 |
| 3. | असम | 126019 | 69501 | 29975 | 21088 |
| 4. | बिहार | 97316 | 40270 | 17668 | 20963 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 50124 | 19701 | 5654 | 4687 |
| 6. | गोवा | 664 | 374 | 167 | 228 |
| 7. | गुजरात | 89846 | 25437 | 7549 | 4922 |
| 8. | हरियाणा | 10729 | 7081 | 4527 | 4191 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 5476 | 4799 | 4029 | 3958 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 7111 | 3775 | 1011 | 2902 |
| 11. | झारखंड | 31161 | 17198 | 5425 | 10507 |
| 12. | कर्नाटक | 38804 | 23144 | 18082 | 17604 |
| 13. | केरल | 56963 | 40488 | 14601 | 7385 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 247056 | 87243 | 30920 | 26545 |
| 15. | महाराष्ट्र | 126288 | 79054 | 37642 | 24477 |
| 16. | मणिपुर | 705 | 139 | 36 | 17 |
| 17. | मेघालय | 4727 | 2540 | 880 | 777 |
| 18. | मिजोरम | 1406 | 1024 | 798 | 1253 |
| 19. | नागालैंड | 2436 | 945 | 978 | 2009 |
| 20. | उड़ीसा | 153765 | 79735 | 29556 | 18950 |
| 21. | पंजाब | 4158 | 2478 | 1427 | 1593 |
| 22. | राजस्थान | 26413 | 14208 | 4206 | 3168 |
| 23. | सिक्किम | 1149 | 694 | 248 | 275 |
| 24. | तमिलनाडु | 246907 | 148002 | 37572 | 26086 |
| 25. | त्रिपुरा | 17933 | 7141 | 2018 | 6145 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 331606 | 163362 | 64513 | 57541 |
| 27. | उत्तरांचल | 19400 | 12517 | 6725 | 5494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | पश्चिम बंगाल | 153936 | 100152 | 19781 | 8118 |
| 29. | अडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 348 | 218 | 104 | 141 |
| 30. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | लक्षद्वीप | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 33. | पांडिचेरी | 1230 | 1051 | 441 | 356 |
| | कुल | 2315238 | 1366019 | 624104 | 327488 |

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द मुर्मू :** महोदय, स्व–सहायता समूह विभिन्न प्रकार के सामानों का उत्पादन कर रहे हैं, परन्तु उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी पैकेजिंग प्रणाली अन्य कंपनियों की पैकेजिंग की तरह आकर्षक नहीं है। मेरे अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या केन्द्र सरकार के पास स्व–सहायता समूहों के उत्पादों को खरीदने तथा इनकी आकर्षक पैकेजिंग करके उन्हे बेचने की कोई योजना है। मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप दूसरा भाग बाद में पूछ सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न किया है कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यगण रंग–बिरंगा आकर्षक और बहुत उपयोगी सामान बनाते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग का सुव्यवस्थित प्रबंध नहीं है। इसीलिए हमने सर्वप्रथम यहां दिल्ली के प्रगति मैदान में 50 दुकानों के लिए स्वीकृति दी है, जिसका उद्घाटन आगामी 14 नवम्बर को होगा। उसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सामानों की बिक्री का प्रबंध होगा। साथ ही दिल्ली में अपोलो के निकट एक एकड़ जमीन की व्यवस्था भी की है, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा हर राज्य में प्रति वर्ष सरस मेले आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में प्रगति मैदान में स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवम्बर को वह मेला 15 दिन के लिए शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली हाट में भी सरस मेला लगाया जाता है। हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि राज्यों में जो बड़े शहर हैं या जिला मुख्यालय के शहर हैं, वहां भी इसके लिए जमीन दी जाए। वहां दुकानें बनाने के लिए खर्चा केन्द्र सरकार देगी, जिसमें अनवरत और सस्टेनेबेल मार्केटिंग का प्रबंध हो। इस काम के लिए हम पाच लाख रुपये प्रत्येक जिले को देते हैं, जिससे वहा सैल्फ हैल्प ग्रुप्स द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री का प्रबंध हो। इसलिए मार्केटिंग बहुत अनिवार्य विषय है और गरीबी हटाने के लिए यह प्रोडक्टिव सैल्फ इम्पलायमेंट प्रोग्राम है, जो कि देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह एक अच्छी योजना हमने स्वीकृत की है इसलिए मार्केटिंग पर हमारा पूरा जोर है। ग्लोबलाइजेशन और मल्टी नेशनल कम्पनीज के कांटेस्ट में गरीब आदमी कैसे टिकेगा, यह देखते हुए सरकार उसकी सहायता के लिए आगे आई है। हमने इसके लिए राज्य सरकारों से भी प्रार्थना की है कि वे भी आगे आएं। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो रूरल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, गरीबों द्वारा निर्मित जो सामान तैयार किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की हम उचित व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में हमारे दूतावासों से भी खबर आई है कि गरीब आदमी जो सामान बनाते हैं, जैसे बस्तर के आदिवासी मैटल का सामान बनाते हैं, उस सामान को देश–विदेश के बाजारों में बेचने का भी प्रबंध किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** महोदय, प्रश्न स. 322 और 323 एक समान हैं और इनमें काफी अन्तर नहीं है। इन्हें एक साथ मिलाया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे अवलोकन करने दें।

**श्री रूपचन्द मुर्मू :** महोदय, स्व–सहायता समूह किसानों से धान खरीदने के लिए तैयार हैं और वे चावल का उत्पादन करने के लिए भी तैयार हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, क्या सरकार के

पास मध्याह्न भोजन परियोजना हेतु स्व–सहायता समूहों से चावल खरीदने की कोई योजना है?

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, हरेक राज्य में वहां की सरकारें स्वयं सहायता समूहों का अनेक कार्यों में इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए धान खरीदने में भी उनकी सहायता ली जाती है। इसके अलावा सुलभ शौचालय के लिए, टोटल सैनिटेशन कम्पेन में भी उनकी सहायता ली जा सकती है। इस तरह से अनेक कार्यों में उनका सहयोग काफी उपयोगी है। राज्य सरकारें जिलावाइज इन स्वयं सहायता समूहों का इस्तेमाल करें, हम पूरी मदद करने को तैयार हैं।

**श्री रूपचन्द मुर्मू** : मिड–डे मील के प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जवाब दे दिया है। यह चर्चा का समय नहीं है।

**डा. अरविन्द शर्मा** : अध्यक्ष जी, एसजीएसवाई स्कीम के अन्तर्गत जो एसएचजी काम कर रहे हैं उसमें गरीब परिवारों को सहायता और रोजगार मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना में वे और सुधार करेंगे, क्या लोन की मात्रा और बढ़ाएंगे और क्या सब्सिडी को भी और बढ़ाएंगे? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस योजना में और सुधार हो, इसके लिए वे क्या कर रहे हैं? जिन बैंकों से लोन मिलता है वे बैंक आवश्यक कागज पूरे होने के बावजूद भी इन गरीब परिवारों के युवाओं को तंग करते हैं और बड़ी देरी से लोन डिस्पर्स करते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी, आप ऐसा कोई प्रबंध करें जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी उन परिवारों को लोन मिले और वे अपना काम शुरू कर सकें।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : माननीय सदस्य ने सही बात पर जोर दिया है कि यह गरीबी हटाने वाली और बेरोजगारी हटाने वाली स्व–रोजगार की बड़ी अच्छी योजना है और इसमें बैंकों की बड़ी अहम भूमिका है। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिला और ब्लाक लेवल पर उसकी कोआर्डिनेशन कमेटी बैंकों के साथ है। उसकी मानिटिरिंग माहवार करते हैं कि किसी भी बैंक में अगर पैटीशन किसी गरीब की पड़ी है तो उसका निष्पादन जल्दी से हो जाए। मानिटिरिंग होने से इसमें सुधार हुआ है और अब जो शिकायत माननीय सदस्य ने की है, उसकी गुंजाइश नहीं है। बैंकों के लोग भी अब सहयोग करने लगे हैं।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी से जो मूल प्रश्न पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि इसमें आर्थिक मदद कितने एमाउंट की है, लेकिन उस पर उत्तर नहीं आया है। देखने में आया है कि वर्ष 1999 से जितने एसएचजी तैयार हुए हैं उनमें से 12 से लेकर 15 प्रतिशत एसएचजी को फाइनेंशियली अपग्रेड किया गया है, यह अपग्रेडेशन पूरा कब होगा? जो ग्रेड–2 हो चुका है उसमें भी आप 15 प्रतिशत तक पहुंचे हैं, ये सारे अच्छे प्रोजैक्ट्स हैं लेकिन इसके जो फाइनेंशियल एसपैक्ट्स हैं, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे बताएं कि वे उसमें कुछ करेंगे? सिर्फ बैंकों से ही नहीं, उसमें मार्किटिंग की प्रॉब्लम आ रही हैं, इसलिए उसमें सहकारिता क्षेत्र को जोड़ते हुए, क्या कोई कोआर्डिनेशन, अपनी तरफ से करने की प्लानिंग आप कर रहे हैं?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, माननीय सदस्य ने शायद उत्तर देखने का कष्ट नहीं किया है। उत्तर में कहा गया है कि "चालू वित्त वर्ष के लिए शेष पात्र स्व–सहायता समूहों को कवर करने के लिए निधियों की आवश्यकता 4400 करोड़ रुपये बताई गई है।" उसके लिए हमने सप्लीमेंटरी बजट की मांग की है और योजना आयोग ने उस पर सहमति दी है और कहा है कि सप्लीमेंटरी बजट में इसका प्रबंध किया जाएगा। आगे 11वीं योजना में हमने टार्गेट किया है कि प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में, कम से कम एक स्व–सहायता समूह का सदस्य अवश्य हो जाए। उसके लिए 11वीं योजना हमारी करीब 35 हजार करोड़ की होनी चाहिए। उसके लिए योजना आयोग ने अपने ग्रुप में जो डिस्कशन और निर्णय का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उसे डाल दिया गया है और यह गरीबी हटाने का सबसे भारी जरिया है। देश में बेरोजगारी और गरीबी दो कलंक हैं और जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी, तब तक गरीबी भी नहीं हटेगी। बेरोजगारी हटाने के लिए प्रोडक्टिव सैल्फ एम्प्लाएमेंट पर जोर देने की जरूरत है। प्रत्येक परिवार में अतिरिक्त आमदनी हो जाए तो वह गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। इसके लिए बड़ा जोर दिया जा रहा है, उसमें इसका प्रबंध है और स्व–सहायता समूह के लोगों की पूरी सहायता करने की व्यवस्था कर दी गई है।

**श्री राम कृपाल यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों को आपने निधि आवंटित की हैं और वे समय–सीमा के अन्दर उन निधियों को खर्च नहीं कर पाए हैं। आपने कहा कि हम मार्किट उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों में व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जो गरीबों द्वारा उत्पादित सामग्री है और जो आपकी मूल भावना है कि हम बेरोजगारी और गरीबी दूर

करेंगे, उस भावना के अनुरूप मार्किट उपलब्ध हो, केवल दुकानें खोलने से मार्किट उपलब्ध नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको उसी तरह से, जिस तरह से बड़ी कंपनियां उत्तम किस्म का उत्पादन करती हैं, उनको उस सीमा तक लाने के लिए आप कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, राज्यवार और वर्षवार खर्च का तथा किस राज्य ने कितना खर्च किया, उसका विवरण माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने मार्केटिंग का जो सवाल उठाया है, वह सही है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में मल्टीनेशनल कम्पनिज इतना प्रचार पर खर्च करती हैं, गरीब आदमी अपने सामान का कैसे उस प्रकार का प्रचार करेगा। इसलिए उसके मार्केटिंग में, उसकी डिजाइनिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग आदि सभी का प्रबन्ध किया जाएगा। जिससे अच्छी क्वालिटी का सामान जो गरीब आदमी बनाता है, जिसकी मांग है, लेकिन प्रचार के अभाव में गरीब आदमी का सामान बिक नहीं पाता है, उसकी मार्केटिंग पर जोर दे रहे हैं। मार्केटिंग के जितने आयाम हैं, उनमें सरकार उनकी सहायता करे, लोग सहायता करें, जिससे कम्पीटिशन के युग में गरीब आदमी का भी सामान बिक सके और उसकी आमदनी बढ़ सके।

*[अनुवाद]*

**डा. पी. पी. कोया** : महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे देश में स्व-सहायता समूह प्रणाली वर्ष 1999 से अस्तित्व में है।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय को इस बात पर काफी गर्व है। मुझे भी इस पर गर्व है। यह ऐसे कार्यक्रमों में से एक है जो निर्धनतम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि तीन लाख से कुछ अधिक परियोजनाओं को पहले ही सहायता दी जा चुकी है तथा तीन लाख से कुछ कम परियोजनाओं को सहायता दिया जाना अभी भी शेष है। शुरू हो चुकी कुछ परियोजनाएं बंद हो रही हैं क्योंकि उन्हें बाजार उपलब्ध नहीं है। उत्पाद चाहे गरीब व्यक्ति द्वारा पैदा किया गया हो अथवा धनी व्यक्ति द्वारा, मेरे लिए वह रुचिकर होना चाहिए।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत क्या सरकार के पास उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई तरीका या तंत्र मौजूद है?

**अध्यक्ष महोदय** : आप गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, हर जिले में डीआरडीए है। डीआरडीए का काम है कि उनके इलाके में जो स्व-रोजगार करते हैं, जो सामान बनाते हैं, उसकी कैसे बिक्री हो, गुणवत्ता में कैसे सुधार हो। उस पर हमारी नजर है कि उनकी क्वालिटी भी ठीक रहे और प्रचार-प्रसार भी हो तथा मार्केटिंग के सभी आयाम हों, जिससे गरीब आदमी का सामान बिक सके और उसकी आमदनी बढ़ सके।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए थोड़ा उदार हूं।

**श्रीमती जयाप्रदा** : मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद।

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस योजना की रियेलिटी में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उतनी आसानी से वे लोग अपनी जीविका नहीं कमा पा रहे हैं। हर प्रदेश में, जहां भी आप देख लीजिए चाहे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बहुत से लोग जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, खास तौर से मेरे क्षेत्र रामपुर में 800 ग्रुप इसमें हैं। लगभग 40000 लोग इस पर निर्भर हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब ग्रुप्स बनते हैं, तब 'ए' ग्रेड या सैकेंड ग्रेड के ग्रुप्स बनाते हैं। जब तक 'ए' ग्रेड नहीं बनते हैं, तब तक वे लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं और जब तक उनका ग्रेड सैकेंड ग्रेड तक पहुंचेगा तब तक उनका लोन सैंक्शन नहीं होगा और इस प्रकार एक साल का समय बीत जाता है। मेरा अनुरोध है कि उनको 'ए' ग्रेड पहुंचने से पहले अगर लोन सैंक्शन हो जाए ताकि एक साल की जीविका बचाने की उनकी सुविधा हो जाएगी।

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयाप्रदा** : मैं यह मांग करना चाहती हूं कि उसकी गम्भीरता को देखते हुए आठ सौ ग्रुप्स जो हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री जी, कृपया उनकी बात सुनें परन्तु उनका उत्तर न दें।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयाप्रदा** : सहायता के तौर पर एक पैकेज की घोषणा की जाए। इससे उनको फायदा होगा और केन्द्र द्वारा राज्यों की भी सहायता की जा सकेगी। सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स बनने के बाद बाई–बैकिंग का आश्वासन नहीं दिया जाता है। मेरे क्षेत्र रामपुर में छोटी–छोटी लड़कियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रोडक्ट अच्छा बनवाएं जिससे उन्हें पैसा मिल सके।

**श्रीमती जयाप्रदा** : वे प्रोडक्ट स्वयं बना कर बेचने की स्थिति में नहीं होती हैं। वे मार्किटिंग नहीं कर पा रही हैं। इस कारण सरकार की तरफ से आश्वासन मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)* उनको सहायता के तौर पर फाइनैंशियल असिस्टैंस दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप एश्योरैंस देंगे?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि ग्रुप्स 6 महीने में ग्रेड वन में आ जाते हैं। ग्रेड वन के बाद जब रिवॉल्विंग फंड जमा हो जाएगा तो ग्रेड टू में आने के बाद वे ग्रुप्स लोन के हकदार हो जाते हैं। मानिटरिंग की बात बार–बार कही जाती है और इसका बड़ा भारी जोर है। सरकार हर तरह की सहायता करने को तैयार है जिससे उन गरीब लोगों का उत्पादित सामान बिके लेकिन हम इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहते हैं। स्वयं सहायता समूह से चीजों की खरीद की जाए और राज्य सरकारें भी खरीद करें। मैं इसके बारे में विशेष रूप से माननीय सदस्या से सहयोग की अपेक्षा करता हूं।...*(व्यवधान)* इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया है। उत्पादित सामान की मार्किटिंग का भी प्रावधान है।...*(व्यवधान)*

**श्रीमती जयाप्रदा** : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती थी कि...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, और अधिक बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुझे खेद है।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। नहीं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसके बारे में मंत्री जी के पास जाकर डिसकस करें। वह आपको चाय भी पिलाएंगे।

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने मिनिस्टर साहब से पहले भी कहा था कि जितनी भी सैंट्रल स्कीम्स हैं, उनके बारे में जहां जिस पार्टी की सरकार हैं, उनके एमपीज को पूछा जाता है लेकिन ऑपोजिशन के एमपीज को कोई नहीं पूछता है। इसलिए ऐसी इनस्ट्रक्शन दी जाएं कि जितनी भी आपको

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को लागू करने में एमपीज के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों या किसी भी पक्ष के हों। हमने सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करने की राज्य सरकारों को सलाह दी है। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी योजनाओं में माननीय सदस्यों की अध्यक्षता, चेयरमैन...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल श्री अनंत गुढ़े का प्रश्न कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपको अपने स्थान ग्रहण करने चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं खड़ा हूं, इसलिए आप बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री जी से पता करूंगा, परन्तु ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। यहां ऐसी स्थिति पैदा करके आप अपने उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जब तक कि वह आपकी बात न मानें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब मुझे मदद करने का मौका दें।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु आपने कभी भी इसे मेरी जानकारी में नहीं लाया है। कोई भी इसे मेरी जानकारी में नहीं लाया है। अब आपने मेरी जानकारी में लाया है, मैं इसे देखूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं बूढ़ा आदमी हूं। बात भूल जाता हूं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री अनंत गुढ़े को बोलने के लिए कहा है। इसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गुढ़े** : अध्यक्ष महोदय, सहायता समूह के सामानों की बिक्री के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा सदन में हो रही है। क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ी समस्या अपने माल को बेचने की है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में एक मेला लगने वाला है। हर जिले में कुछ पैसा देकर इनकी प्रदर्शनी लगाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी भी योजना है कि जो जिला परिषद और पंचायत समिति के कार्यालय हैं या जहां शासन की जमीनें हैं, ऐसी जगहों पर जिन्हें कर्जा दिया गया है, जो स्वयं सहायता समूह पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने माल की बिक्री करने के लिए वहां दुकानें दी जाएं? मेरी मांग है कि सारे राज्यों में जहां–जहां भी इस तरह की जगहें उपलब्ध हैं, वहां–वहां इन स्वयं सहायता समूहों के लिए कुछ अनुपात में दुकानें देने के आदेश दिए जाएं, ताकि वहां दुकानें शुरू हो सकें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात आप कह चुके हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गुढ़े** : हालांकि कुछ जगहों पर ऐसी दुकानें बना भी रहे हैं। अच्छे स्वयं सहायता समूहों ने इसके लिए मांग की है, लेकिन फिर भी उन्हें बिक्री करने के लिए ऐसी दुकानें नहीं मिलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बारे में पूरी जानकारी लेकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हें वहां दुकानें मिल सकें?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी राज्य सरकारों का इसमें काफी उत्तरदायित्व है।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, हम इस बात की पूरी जानकारी रख रहे हैं। 12 राज्यों ने अपनी राजधानी और जिला मुख्यालयों में इसका प्रबंध किया है। हम अमरावती गए थे, वहां बचतगत सम्मेलन हुआ था। वहां भी हमने राज्य सरकार से मांग की थी कि इसके वास्ते जमीन दी जाए और उसमें दुकानें बनाई जाएं। माननीय सदस्य वहां हमसे मिले भी थे। वहां स्वयं सहायता समूह के लोगों का बड़ा भारी बचतगत सम्मेलन हुआ था। मार्केटिंग में तो माननीय सदस्य की रुचि है, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की भी रुचि रहनी चाहिए और परस्पर सहयोग से मार्केटिंग का अच्छा प्रबंध

होना चाहिए। हम सभी इस बात से सहमत हैं और सहयोग के लिए तैयार हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. आर. सेन्थिल–उपस्थित नहीं हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं महसूस कर रहा हूं कि आप इसके लिए काफी जिद कर रहे हैं। यदि प्रश्न संगत नहीं होगा तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : नाम देने से हम क्या करेंगे। अभी आठ सदस्यों को बुलाया है और कितने सदस्यों को बुलाएंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न के कितने अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस सभा पर 34 दलों का प्रतिनिधित्व है। क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए 34 अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जा सकती है।

*...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : स्वतन्त्रता के पश्चात्, गरीबी उन्मूलन और रोजगार मुहैया कराने हेतु यह सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। बड़े कारोबारियों हेतु काफी धन मुहैया कराया जा रहा है। हम उद्योग हेतु करोड़ों रुपये मुहैया करा रहे हैं। स्व–सहायता समूहों की मांगों को पूरा करने हेतु, हमने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से 4400 करोड़ रुपये मुहैया कराने का अनुरोध किया है। यदि आप गैर–निष्पादनकारी आस्तियों को देखें तो पाएंगे कि स्व–सहायता समूहों द्वारा पुनर्भुगतान 98 से 95 प्रतिशत है परन्तु फिर भी भारत सरकार धन मुहैया नहीं करा रही है।*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : हम बड़ी गैर–निष्पादनकारी कंपनियों हेतु धन मुहैया करा रहे हैं।*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, आपको प्रश्न पूछना होगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री किन्जरपु येरननायडु** : यह एक काफी महत्वपूर्ण योजना है। स्व–सहायता समूह द्वारा पुनर्भुगतान 95 प्रतिशत तक हो रहा है। ऐसी स्थिति में, क्या सरकार लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों की मांग पूरा करने हेतु 4400 करोड़ रुपये प्रदान करेगी? स्व–सहायता समूहों को धन मुहैया कराने में सरकार को क्या समस्या है?

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि इस समय तक मात्र एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि देश के बड़े लोगों ने बैंकों से लोन लेकर डेढ़ लाख करोड़ रुपये के नॉन–परफार्मिंग असैट्स दिए हैं, लेकिन गरीब आदमियों के सैल्फ हैल्प ग्रुप्स द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं, उनकी 95 से 98 प्रतिशत रिकवरी है। नॉन–परफार्मिंग असैट्स कोई गरीब आदमी नहीं बनाते हैं, जो सम्पन्न लोग हैं, वे लोग ज्यादा हेरा–फेरी करते हैं। इसलिए हम जोर देकर कहते हैं कि गरीब आदमियों को बैंकों से पूरी सहायता मिले। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स की कोई पैटीशन लम्बित न रहे, उनके खाते जल्दी खुल जाएं और सूद के मामले में भी उनके साथ उचित व्यवहार हो। माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें 4400 करोड़ रुपये की मांग की गई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि योजना आयोग ने इसमें सहमति देते हुए कहा है कि सप्लीमैंटरी बजट में इसका प्रावधान होगा।

**एसजीएसवाई के अन्तर्गत लंबित परियोजनाएं**

+

***323. श्री श्रीचन्द कृपलानी :**

**श्री कृष्णा मुरारी मोघे :**

**क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत इस समय चलाई जा रही विशेष परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार

द्वारा एसजीएसवाई के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों/परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई/किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) :** (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) से (च) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अप्रैल, 1999 में शुरू होने से अब तक भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 221 विशेष परियोजनाओं को स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत राज्यवार मंजूर की गई विशेष परियोजनाओं की संख्या अनुबंध–I में दर्शाई गई है।

योजना के प्रारंभ होने से लेकर 31.3.2006 तक और चालू वर्ष (2006–07) के दौरान विभिन्न राज्यों से एसजीएसवाई के अन्तर्गत प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों की राज्यवार संख्या अनुबंध–II में दी गई है। पिछले तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 और 2005–06) तथा चालू वर्ष (2006–07) के दौरान एसजीएसवाई के अन्तर्गत स्वीकृत/अनुमोदित विशेष परियोजनाओं की राज्यवार संख्या अनुबंध–III में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान एसजीएसवाई के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई केन्द्रीय अंश की राशि के ब्यौरे अनुबंध–IV में दिए गए हैं। योजना की शुरूआत से अब तक सरकार को 665 प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से अब तक 221 परियोजनाओं को स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है, 365 परियोजना प्रस्ताव विभिन्न कारणों अर्थात एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के दिशा–निर्देशों का पालन न किया जाना, परियोजनाओं की अव्यवहार्यता, बीपीएल लाभार्थियों पर कम ध्यान देना आदि की वजह से संबंधित राज्य सरकारों या अन्य प्रायोजक एजेंसियों को लौटा दिए गए हैं और 79 परियोजना प्रस्ताव कार्रवाई की अलग–अलग अवस्थाओं में सरकार के पास पड़े हैं, जिनमें तकनीकी एजेंसियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजे गए प्रस्ताव, परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव, जिन्हें परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) को अभी भेजा जाना है, आदि भी शामिल हैं।

राज्य सरकारों से बहुत अधिक संख्या में एसजीएसवाई के अन्तर्गत विशेष परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हुए हैं। चूंकि ये बड़ी ग्रामीण जीविकोपार्जक परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 15 करोड़ रुपये तक हो सकती है, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की सबसे पहले मुख्य रूप से बीपीएल लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिए जाने, परियोजनाओं की व्यवहार्यता और स्थायित्व, राज्य सरकारों द्वारा परियोजना लागत के 25 प्रतिशत सदृश अंश की वचनबद्धता, ऋण घटक को शामिल किए जाने आदि के संबंध में एसजीएसवाई के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किए जाने की छान–बीन की जाती है। इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाली परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों को लौटा दी जाती हैं। राज्य सरकारें ऐसे प्रस्तावों को संशोधित, पुनर्गठित कर फिर से प्रस्तुत करती रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों/एजेंसियों के पास उनकी तकनीकी टिप्पणियों के लिए भी भेजा जाता है। जो परियोजना प्रस्ताव, दिशा–निर्देशों के बुनियादी मानदंडों के अनुरूप होते हैं, उनका दो अंतर–मंत्रालय समितियों द्वारा छान–बीन और अनुमोदन की दृष्टि से पुनः मूल्यांकन किया जाता है। परियोजनाओं की सबसे पहले संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई) की अध्यक्षता वाली परियोजना जांच समिति (पीएससी) द्वारा जांच एवं छान–बीन की जाती है। आंतरिक वित्त प्रभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होते हैं। पीएससी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर अन्तिम रूप से विचार–विमर्श एवं अनुमोदन सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग और संयुक्त सचिव (एसजीएसवाई) सदस्य के रूप में होते हैं। परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रायोजक राज्य सरकारों द्वारा उनमें संशोधन और दो–स्तरीय अंतर–मंत्रालय समितियों द्वारा उनका मूल्यांकन एवं अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि इन प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं स्वीकृति/अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रस्तावों के निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करने, प्रस्तावों की आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजनाओं का बीपीएल पर संकेंद्रित होने जैसे विभिन्न घटकों पर आधारित होती है, इसलिए इन परियोजना प्रस्तावों के अंतिम अनुमोदन के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*अनुबंध-I*

*योजना की शुरूआत अर्थात 1.4.1999 से लेकर अब तक स्वीकृत विशेष परियोजनाओं की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 23 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4 |
| 3. | असम | 11 |
| 4. | बिहार | 7 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 5 |
| 6. | गोवा | 1 |
| 7. | गुजरात | 10 |
| 8. | हरियाणा | 1 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 9 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 4 |
| 11. | झारखंड | 3 |
| 12. | कर्नाटक | 6 |
| 13. | केरल | 8 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 22 |
| 15. | महाराष्ट्र | 11 |
| 16. | मणिपुर | 5 |
| 17. | मेघालय | 2 |
| 18. | मिजोरम | 5 |
| 19. | नागालैंड | 5 |
| 20. | उड़ीसा | 2 |
| 21. | पंजाब | 5 |
| 22. | राजस्थान | 21 |
| 23. | तमिलनाडु | 8 |
| 24. | त्रिपुरा | 5 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 5 |
| 26. | उत्तरांचल | 12 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 4 |
| 28. | बहु राज्यीय परियोजनाएं | 17 |
| | कुल | 221 |

*अनुबंध-II*

*योजना की शुरूआत अर्थात अप्रैल, 1999 से लेकर अब तक प्राप्त एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा (10.8.2006 की स्थिति के अनुसार)*

| राज्य | 31.3.06 से पहले प्राप्त परियोजनाएं | चालू वर्ष 2006–07 में प्राप्त परियोजनाएं | कुल प्राप्त परियोजनाएं | अनुमोदित | लंबित* | लौटाई गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 51 | 3 | 54 | 24 | 3 | 27 |
| अरुणाचल प्रदेश | 13 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| असम | 28 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| बिहार | 20 | 7 | 27 | 7 | 4 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 16 | 1 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| गोवा | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| गुजरात | 22 | 1 | 23 | 12 | 3 | 8 |
| हरियाणा | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| हिमाचल प्रदेश | 15 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 |
| जम्मू और कश्मीर | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
| झारखंड | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| कर्नाटक | 32 | 9 | 41 | 6 | 5 | 30 |
| केरल | 18 | 1 | 19 | 8 | 3 | 8 |
| महाराष्ट्र | 32 | 9 | 41 | 11 | 18 | 12 |
| मणिपुर | 29 | 3 | 32 | 5 | 3 | 24 |
| मेघालय | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| मिजोरम | 11 | 2 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| मध्य प्रदेश | 52 | 3 | 55 | 22 | 11 | 22 |
| एमपीईडीए | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| नागालैंड | 22 | 3 | 25 | 5 | 1 | 19 |
| उड़ीसा | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 |
| पंजाब | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| राजस्थान | 50 | 1 | 51 | 21 | 1 | 29 |
| सिक्किम | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| तमिलनाडु | 30 | 2 | 32 | 8 | 2 | 22 |
| त्रिपुरा | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 | 10 |
| उत्तर प्रदेश | 24 | 2 | 26 | 5 | 5 | 16 |
| उत्तरांचल | 22 | 6 | 28 | 12 | 4 | 12 |
| पश्चिम बंगाल | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| विविध राज्य | 19 | 6 | 25 | 13 | 1 | 11 |
| कुल | 592 | 73 | 665 | 221 | 79 | 365 |

*कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं वाली, अन्य विभागों को भेजी गई, रद्द की गई आदि सभी परियोजनाएं शामिल हैं।

*अनुबंध-III*

*विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंजूर की गई विशेष परियोजनाओं की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | वर्ष | | | | कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | असम | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | बिहार | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6. | गोवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | गुजरात | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | कर्नाटक | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 13. | केरल | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 15. | महाराष्ट्र | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 16. | मणिपुर | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | मेघालय | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | नागालैंड | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 20. | उड़ीसा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 23. | तमिलनाडु | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26. | उत्तरांचल | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28. | विविध राज्य | 0 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| | कुल | 39 | 26 | 13 | 25 | 103 |

*अनुबंध-IV*

*एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के तहत राज्यों को वर्षवार रिलीज की गई निधियां*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 770.35 | 623.86 | 362.41 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 |
| 3. | असम | 965.10 | 22.13 | 329.91 | 337.50 |
| 4. | बिहार | 682.40 | 764.10 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 358.50 | 358.50 | 379.73 | 0.00 |
| 6. | गोवा | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 799.25 | 448.80 | 690.00 | 0.00 |
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 292.60 | 655.37 | 345.42 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 73.05 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | झारखंड | 0.00 | 90.00 | 270.90 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 295.64 | 97.59 | 163.04 | 356.82 |
| 13. | केरल | 199.74 | 405.60 | 880.00 | 0.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1960.38 | 396.67 | 756.83 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | महाराष्ट्र | 543.82 | 273.09 | 0.00 | 18.27 |
| 16. | मणिपुर | 126.12 | 116.32 | 221.70 | 28.99 |
| 17. | मेघालय | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 170.62 | 347.54 | 144.87 |
| 19. | नागालैंड | 126.00 | 236.60 | 539.72 | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 0.00 | 109.17 | 270.00 | 91.00 |
| 21. | पंजाब | 83.25 | 26.80 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | राजस्थान | 1838.72 | 568.88 | 1469.61 | 246.76 |
| 23. | तमिलनाडु | 560.90 | 99.00 | 1319.11 | 0.00 |
| 24. | त्रिपुरा | 51.03 | 102.53 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 604.40 | 0.00 | 60.00 | 516.24 |
| 26. | उत्तरांचल | 777.14 | 203.44 | 370.98 | 0.00 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 28.32 | 283.47 | 866.05 | 0.00 |
| 28. | विविध राज्य | 0.00 | 1021.68 | 70.68 | 110.86 |
| | कुल | 11173.66 | 6897.45 | 10149.56 | 2196.75 |

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में माननीय मंत्री जी बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह के कमेंट करना ठीक नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष जी, वह राज्य सरकारों और सांसदों का भी सहयोग लेना चाहते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको भी ध्यान होगा कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ हुई थी और उस योजना से बीपीएल परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं बनाई गई हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अपना प्रश्न पूछिए।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे कि योजना के प्रारम्भ होने के बाद से 665 प्रस्ताव सरकार को मिले थे जिनमें से 221 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और 79 प्रस्ताव लम्बित हैं और 365 प्रस्ताव लौटा दिए गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान, जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान की यह योजना काफी समय से लम्बित है। 51 परियोजनाएं राजस्थान ने भेजी थीं और उनमें से 29 योजनाओं को वापस लौटा दिया गया। अभी आपने जवाब दिया है और उसमें लिखा है कि राजस्थान की एक परियोजना बाकी है जबकि मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से. *..(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछिए अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आपका प्रश्न क्या है?

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : जबकि मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार सात योजनाएं अभी बाकी हैं जिनमें चित्तौड़गढ़ की डेयरी परियोजना, ग्रामीण हाट परियोजना इत्यादि।...*(व्यवधान)* इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

**अध्यक्ष महोदय** : एक मिनट का प्रश्न था और आपने दस मिनट ले लिए।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने देखा होगा कि इसमें हरेक राज्य का टेबल बनाकर दिया हुआ है। 51 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। देश भर में आंध्र प्रदेश की 24 और तीसरे पर राजस्थान की 21 परियोजनाओं को मंजूर किया हुआ है जबकि एक लम्बित है, उसको प्रोसैस किया जा रहा है। 29 परियोजनाओं को विभाग ने वापस लौटा दिया है। कुछ तकनीकी बातों की कमी बताई गई है। चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है, उसमें सभी विभागों के पर्सोनेल सदस्य रहते हैं और जब कुछ कमियां रहती हैं तो राज्य सरकारों के पास उनमें सुधार करने के लिए वापस लौटा दिया जाता है ताकि उनमें सुधार करके जब वे परियोजनाएं वापस आएंगी तो दुबारा स्क्रीनिंग कमेटी में फिर उन पर विचार होगा और फिर उनको मंजूरी दी जाएगी।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : सर, अभी आपने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की कम योजनाएं लौटाई गई हैं। लेकिन मेरे पास जो आकड़े हैं, जो राशि अभी तक दी गई है, अगर आप हिसाब देखेंगे तो पाएंगे कि वर्ष 2003–04 में 1838 लाख रुपये दिए गए और वर्ष 2004–05 में 568 लाख रुपये, वर्ष 2005–06 में 1469 लाख रुपये और वर्ष 2006–07 में 246 लाख रुपये राजस्थान को दिए गए। राजस्थान से काफी छोटा राज्य असम है लेकिन असम को आपने 336 लाख रुपये दिए हैं और हिमाचल प्रदेश को 345 लाख रुपये दिए हैं इस तरह से आप राजस्थान के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जो सात परियोजनाएं काफी समय से लम्बित पड़ी हुई हैं और उन योजनाओं का काफी पैसा बाकी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन पैसों को आप कब तक दे देंगे और उन योजनाओं को भी कब तक स्वीकृत कर देंगे?

**प्रो. रासा सिंह रावत** : सर, राजस्थान का काफी पैसा बाकी है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष जी, सन् 2006–07 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जो पांच महीने अभी तक बीते हैं, अभी तक 2 करोड़ 46 लाख रुपये दिए गए हैं और वर्ष 2005–06 में 14 करोड़ रुपये दिए हैं, यह आप नहीं देख रहे हैं और न ही पढ़ रहे हैं। इसलिए कोई भी योजना जैसे ही शर्तें पूरी होती हैं, उनको तुरन्त रिलीज करने का प्रावधान है, बल्कि हम राज्य सरकारों को ताकीद करते रहते हैं कि आप शर्तों को पूरा करें और पैसा ले जाएं। चूंकि लम्बित परियोजनाएं होने से उसका दाम बढ़ता है और काम भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम बराबर निगरानी रख रहे हैं। माननीय सदस्य को हम सारी सूचना दे रहे हैं और वह देखें कि राज्य सरकारों के द्वारा जो कमियां हैं, उनकी आपूर्ति करा दें और तुरन्त पैसा ले जाएं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा हेतु नोटिस दें। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री अधीर चौधरी** : महोदय, आईआरडीपी और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने के पश्चात् वर्ष 1999 में एसजीएसवाई शुरू किया गया था। यह मूलतः एक ऋण आधारित राजसहायता कार्यक्रम है जहां ऋण को एक महत्वपूर्ण घटक और राजसहायता को एक शक्तिदायक तत्व माना जाता है।

*[हिन्दी]*

मंत्री जी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोशिश कर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, हम देख रहे हैं कि 1999 से लेकर आज तक केवल चार प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1999 से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है क्योंकि वर्ष 2006–07 के लिए पश्चिम बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। जहां तक राशि के यूटिलाइजेशन का सवाल है, पश्चिमी बंगाल में इस प्रोग्राम के लिए पैसे का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, वह इस तरह है :

*[अनुवाद]*

इस निधि का पन्द्रह प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु निर्धारित किया गया है। इस पहलू का आकलन किया जाना है। मेरा पहला प्रश्न यह है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मात्र एक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

**श्री अधीर चौधरी** : वर्ष 1999 में इस कार्यक्रम को शुरू किए जाने के समय से पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी निधि आवंटित की गई है तथा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल से कुल 16 परियोजनाएं आई थीं जिनमें पांच स्वीकृत की गईं, दो पैंडिंग हैं जिनकी प्रोसैसिंग हो रही है और 9 को सुधार के लिए लौटा दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने राज्य के लिए आवंटित राशि के बारे में जानना चाहा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि वर्ष 2003–04 में 28 लाख रुपये, 2004–05 में 2 करोड़ 83 लाख रुपये, 2005–06 में 8 करोड़ 66 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2006–07 में अभी तक राशि रिलीज नहीं की गई है लेकिन जल्द ही रिलीज की जाएगी।..*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक अपनी बात जारी नहीं रख सकते।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रंजीत रंजन** : अध्यक्ष महोदय, एसजीएसवाई की जो लम्बित योजनाएं हैं, उन्हें सरकार ने रोजगार गारंटी योजना में मर्ज कर दिया है। मेरे क्षेत्र में एसजीएसवाई की 1050 योजनाएं लम्बित हैं जिनके लिए 14 करोड़ रुपये का काम करना बाकी है। सरकार ने 8 करोड़ रुपया इन योजनाओं के लिए बजट में रखा है। मैंने कल ही जिला पदाधिकारी से बात की है और मुझे मालूम हुआ है कि उन्हें इस बात का कोई आदेश नहीं मिला है कि इन लम्बित योजनाओं को जिन्हें रोजगार गारंटी योजना में मर्ज कर दिया गया है, करना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन लम्बित योजनाओं का काम कब तक पूरा होगा?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न एसजीएसवाई से संबंधित है लेकिन माननीय सदस्या एसजीआरवाई के बारे में जानना चाहती हैं। मैं माननीय सदस्या को बतलाना चाहूंगा कि एसजीएसवाई अलग योजना है और एसजीआरवाई अलग योजना है। एसजीएसवाई सैल्फ एम्प्लायमेंट का प्रोग्राम है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप माननीय सदस्या को सूचना भिजवा दें।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि एसजीआरवाई सैल्फ एम्प्लायमेंट का प्रोग्राम है जिसमें कोई स्कीम या फूड फॉर वर्क की स्कीम अधूरी रह गई हो तो उसे पूरा करने का निर्देश है यानी कोई भी योजना अधूरी न रहे, अगर है तो उसे पूरा किया जाए और 2 फरवरी, 2006 से एम्प्लायमेंट गारंटी कानून लागू करने के साथ ही उसे पूरा किया जाए। जिन जिलों में एम्प्लायमेंट गारंटी योजना लागू हो गई है, उनमें एसजीआरवाई और फूड फॉर वर्क स्कीम को शामिल कर दिया गया है। इसलिए उन अधूरी पड़ी योजनाओं को एम्प्लायमेंट गारंटी कानून के साथ पूरा करने का निर्देश है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर चार अनुबंधों के साथ वर्षवार रिलीज किए गए पैसे को विस्तार से ब्यौरे के साथ बताया है। प्रश्न के उत्तर के अनुसार वर्ष 2005–06 और वर्ष 2006–07 में बिहार के लिए शून्य पैसा दिया गया है। इसके अलावा विगत तीन वर्षों में मंजूर की गई योजनाओं में विशेष परियोजनाओं के लिए जो राज्यवार ब्यौरा दिया हुआ है, उसमें भी बिहार के लिए वर्ष 2005–06 और वर्ष 2006–07 के लिए शून्य राशि है। इसी प्रकार से योजनाओं की शुरूआत वर्ष 1999 से लेकर आज तक प्राप्त एसजीएसवाई योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। उस ब्यौरे के मुताबिक कुल 27 योजनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से 16 लौटा दी गईं और 7 को सरकार ने अनुमोदित किया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इन्होंने सारा दे तो दिया है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में मंत्री जी

बिहार गए थे और इनका एक बयान अखबारों में छपा है। इन्होंने राज्य सरकार को यह धमकी दी थी कि हम केन्द्र से एक पैसे की राशि नहीं देंगे और जो ये परियोजनाएं देखने को मिल रही हैं, लगता है कि इन्होंने जो बयान दिया था, उसके अनुरूप उन परियोजनाओं को ये लौटा रहे हैं और बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बिहार में भले ही इनकी राज्य सरकार जनता ने पलट दी हो, लेकिन बिहार आपकी जन धरती है, इसलिए भेदभाव को भूलकर जो परियोजनाएं आपने लौटाई हैं, उनको स्वीकृत करने की दिशा में आप कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि राज्य सरकार को हमने धमकी दी और यह कहना 16 आने गलत है कि कोई भेदभाव किया जा रहा है। मैं मुंहजबानी इनको हिसाब बताता हूं। जब एनडीए का राज था तो 700 करोड़ रुपये सालाना बिहार को ग्रामीण विकास में मिले और 300 करोड़ रुपये सालाना कटौती हुई। जब यूपीए का राज आया तो 2100 करोड़ रुपये हम सालाना दे रहे हैं और रुपये में इनको डुबो दिया है। अब ये जो सवाल उठा है स्पेशल प्रोजैक्ट्स का, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को स्पेशल प्रोजैक्ट्स की ए, बी, सी, डी की भी जानकारी नहीं है। स्पेशल प्रोजैक्ट्स जिला से बनते हैं और राज्य सरकार की मार्फत हमारे यहां आते हैं। बिहार से कोई प्रोजैक्ट बनता ही नहीं, आता ही नहीं। लाख ताकीद करने पर बनाकर भेजा लेकिन वह भी अनुकूल नहीं था, तो फिर से हमने इसमें सुधार करने के लिए कहा है। इसीलिए माननीय सदस्य जो सुशासन की बात कर रहे हैं, वहां क्या कुशासन है, वह जानेंगे।...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उस समय इन्हीं की सत्ता थी, जिस समय की यह गड़बड़ी है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल माननीय मंत्री जी का जवाब ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : माननीय सदस्य राज्य सरकार को प्रेरित करें कि केन्द्र सरकार जो रुपये देकर ग्रामोन्मुखी, गरीबोन्मुखी और पिछड़ा क्षेत्रोन्मुखी रीजनल डिसपैरिटी दूर करने के लिए काम करें, जबकि 16 हजार करोड़ रुपये बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में हैं। 12वें वित्त आयोग में 7973 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार कर सकती है। इसीलिए केन्द्र सरकार के पास ये 5500 करोड़ रुपये का बजट लाए थे और 8500 करोड़ रुपये योजना आयोग ने मंजूर किए। अखबारों ने छापा कि झोला लेकर आए थे और बोरा लेकर गए। इसीलिए बिहार की गरीब जनता के लिए भी केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार को पूरी सहायता कर रही है। माननीय सदस्य ढपोरशंखी बयान न करें, सरजमीन पर उचित काम करें।...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : महोदय, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं या *...

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : ये क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**डा. के. एस. मनोज** : महोदय, मैं माननीय मंत्री को उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सुझाव एवं सिफारिशें प्राप्ति के लिए संसद सदस्यों को नियमित रूप से पत्र लिखने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

स्व–सहायता समूहों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की कमियों में से एक...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह एसजीएसवाई से संबंधित है।

**डा. के. एस. मनोज** : महोदय, यहां विविधीकरण और मूल्यवर्धन की कमी है। विविधीकरण और मूल्यवर्धन में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। स्व–सहायता समूहों की धनराशि जुटाने में कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एसजीएसवाई योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु कुछ धन आवंटित किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आप प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु कुछ प्रावधान कर रहे हैं?

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : स्किल डैवलपमैंट का आइटम भी

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसमें है। उसमें आलरेडी परसेंटेज तय है कि इतना स्किल डैवलपमैंट पर खर्च हो, डिमांड के मुताबिक क्वालिटी वाली ट्रेनिंग हो जिससे उनको रोजगार मिल सके, उसका प्रबंध उसमें है। माननीय सदस्य उसको देखने का काम करें।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, ग्रामीण पंचायतों में चाहे वह एसजीएसवाई हो या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो या जो भी योजनाएं हैं, उसमें आपने जिला निगरानी समितियां गठित की हैं। इधर पूरे देश में इन सभी योजनाओं की देख–रेख करने के लिए जैसे शिक्षा मित्र हैं, वैसे ही आपने पंचायत मित्र गठित करने के लिए आदेश दिया है और उसके साथ ही साथ आपने तकनिशियन भी नियुक्त करने के लिए आदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी, निगरानी समिति है, उसके जो सम्मानित अध्यक्ष, माननीय सांसदगण हैं, क्या उनकी देख–रेख में आप ये चयन प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि जो तकनिशियन और पंचायत मित्र हैं उन्हें आप दो हजार से ढाई हजार मानदेय देने जा रहे हैं। जिला निगरानी समिति के जो अध्यक्ष, माननीय सांसदगण हैं, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, क्या उनकी देख–रेख में आप ये चयन प्रक्रिया करेंगे?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, वह चयन प्रक्रिया ठीक है या गलत, इसकी निगरानी करने का अधिकार आलरेडी माननीय सदस्य, अध्यक्ष और कमेटी को है ही। उसमें जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उसकी निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक है या नहीं, क्या गड़बडी एवं हेराफेरी है, इन सभी की छानबीन करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटी को है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। व्यवधान डालने की आदत छोड़नी पड़ेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र के 32 प्रपोजल्स 31 मार्च, 2006 तक गए हैं और सन् 2006–07 में नौ प्रपोजल गए हैं, मतलब टोटल 41 प्रपोजल्स, स्पेशल प्रोजैक्ट के, मंत्री जी के डिपार्टमैंट में चले गए हैं। जब हम लोग कोई स्पेशल प्रोजैक्ट बनाते हैं, वह डीआरडीए के माध्यम से बनाते हैं, उसके बाद सीओ, कलेक्टर की कमेटी होती है, वे उसे सैंक्शन करते हैं। उसके बाद फिर डीपीडीसी में सैंक्शन करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर बाद में डायरेक्टर के पास जाता है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद क्लियरेंस हो जाता है। उसके बाद में फिर स्क्रीनिंग कमेटी और ज्वाइंट सैकेट्री के पास जाता है और फिर उसे स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल करती है। उसके बाद जो फाइनल कमेटी होती है, वह सैकेट्री लेवल पर होती है। ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट का गारमेंट का जो प्रपोजल है, उसमें चार हजार महिलाओं को रेडीमेड गारमेंट का काम मिलने वाला है। यह प्रपोजल अभी फाइनल स्टेज पर है, लेकिन हमें मालूम पड़ा है कि वह रिजेक्ट होने वाला है। जब स्क्रीनिंग कमेटी ने उसे फाइनल कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के सैक्रेट्री ने बताया कि हम लोग भी उन्हें राशि देने वाले हैं, इतना एश्योरेंस होने के बाद भी अगर ऐसे होगा तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसका संबंध व्यक्तिगत परियोजनाओं से है। यह पूरक प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है। प्रश्न काल इस प्रयोजन के लिए नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे** : आप बहुत डायनमिक मंत्री हैं।...*(व्यवधान)* आपने ग्रामीण विकास में अच्छा निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप ठीक कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री चंद्रकांत खैरे** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, क्या वहां आप प्रपोजल मंजूर करेंगे?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय खैरे जी जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर बिना जानकारी के कैसे बताया जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य ने सारी प्रक्रिया का वर्णन किया कि स्क्रीनिंग कमेटी होती है।...*(व्यवधान)* सब छानबीन करके जो निश्चय होगा, वह होगा। अभी हमने उसकी स्पेसिफिक जानकारी नहीं ली है और हम स्पेसिफिक जानकारी लेते भी नहीं, चूंकि इसे कमेटी करती है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि ये दोनों प्रश्न ग्रामीण विकास पर आधारित हैं, मैंने कई पूरक प्रश्नों की अनुमति दी है ताकि विभिन्न दल अपने प्रश्न रख सकें। कृपया सहयोग कीजिए। चूंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसलिए मैं इन पर चर्चा करना चाहता हूं। अब अंतिम पूरक प्रश्न श्री ब्रजेश पाठक जी पूछेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजेश पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास पर सदन में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है और जब-जब यह सवाल आता है तो सभी माननीय सदस्य एकमत होकर यह बात उठाते हैं कि हिन्दुस्तान के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी इच्छा बहुत अच्छी है, उनका मन और लगन बहुत अच्छा है। लेकिन पूरे हिन्दुस्तान की राज्य सरकारें सांसदों की बात कतई नहीं सुनती हैं और न ही उनका कोई सुझाव मानती हैं। निगरानी समितियां बनी हैं, लेकिन उनकी बैठकें नहीं हुई हैं और अगर हुई हैं तो उनका जो निर्णय हैं, उन्हें लागू कराने की क्षमता न अध्यक्ष में है और न ही मंत्री जी में है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सदन में मंत्री जी जो ताकत दिखाते हैं कि ग्रामीण विकास बहुत ही जोरदार मंत्रालय है और ग्रामीण विकास पर गरीबी दूर करने के लिए बहुत अच्छी इच्छा रखते हैं, क्या ये राज्य सरकारों को भी ऐसा कोई निर्देश दे पाने में सक्षम हैं?

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न एसजीएसवाई से संबंधित नहीं है, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में पूछा है इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 600 जिले हैं, उनमें 374 जिलों में कई बार बैठकें हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी का राज्य है, उस पार्टी के एम.पी. भी इस प्रकार का रोना रोते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से माननीय सदस्य जो रुचि लेते हैं, उसे परस्यू करते हैं और बैठक कराने में रुचि लेते हैं, वहां बैठकें होती हैं। कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है कि सांसद रुचि लें और बैठक न हो और सांसदों की उपेक्षा हो।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छा प्रतिवेदन दिया है और अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई भी राज्य सरकार इसकी अनदेखी करे, ढिलाई बरते और बैठक आहूत न करे, तो उससे हम फिर से आग्रह करेंगे कि जिला मानीटरिंग कमेटी की मानीटरिंग को सक्षम बनाए और उसे पूरी ताकत दे तथा माननीय सदस्यों का सहयोग ले जिससे ग्रामीण विकास योजना चल सके, सही ढंग से काम करे और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।

अध्यक्ष महोदय, नैशनल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम का यह मैंडेट है कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस, मानीटरिंग, पीपुल्स पार्टीसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटेबिलिटी हो। प्रोग्राम का उद्देश्य है कि इन चार सूत्रों पर ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू किया जाए, लेकिन माननीय सदस्यों के सहयोग के बिना यह नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए जिससे निगरानी हो, सही कार्य हो और बैठकें हो सकें। मैं माननीय सदस्य, श्री बृजेश पाठक से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसमें रुचि लें और पार्टीसिपेट करें।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी के इतने स्पष्ट उत्तर के बाद किसी माननीय सदस्य की ओर से कोई प्रश्न आना ही नहीं चाहिए।

*[अनुवाद]*

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना**

+

***324. श्री के. फ्रांसिस जार्ज :**

**डा. राम लखन सिंह :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने टर्नकी आधार पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में इस योजना के क्रियान्वयन का कार्य धीमी गति से हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) स्वीकृति आदेशों के मुताबिक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित की गई शर्तों में एक शर्त यह है कि "सामग्री एवं सेवा

प्रापण संबंधी आरईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना टर्नकी आधार पर कार्यान्वित होगी।" तदनुसार, राज्य यूटिलिटियों समेत राज्यों ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के साथ त्रिपक्षीय अथवा चारपक्षीय करार निष्पन्न किया है। 27 राज्यों ने इस प्रकार के करार किए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2005–06 के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य के रूप में 10000 गांव निर्धारित थे जिसमें से 9819 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। वर्ष 2006–07 में 14.8.2006 तक 5590 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ङ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं राज्यों को प्रदान की गई हैं।
- आरईसी ने परियोजनाओं को तैयार करने के दिशा–निर्देश और टर्न–की आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में सामग्री व सेवाओं के प्रापण हेतु प्रापण दिशा–निर्देश व बोली पद्धति जारी की है तथा प्रतिनिधियों के चयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं। आरईसी ने परियोजना कार्यान्वयन/निष्पादन में अपनाए जाने वाले उपस्कर/सामग्री और निर्माण मानकों के विद्यमान आरईसी तकनीकी विनिर्देशनों को भी अद्यतन किया है।
- राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति को मानीटर करने के लिए जिला समितियां गठित करने की सलाह प्रदान की गई है।
- राज्य सरकारों और राज्य यूटिलिटियों के साथ सचिव (विद्युत) और आरईसी द्वारा निरन्तर आवधिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल की गई अत्यन्त महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम हेतु पहल करने में अपने भूतपूर्व आदरणीय सहयोगी स्वर्गीय श्री पी.एम. सईद द्वारा किए गए प्रयासों का आभार के साथ स्मरण करता हूं। मैं वर्तमान मंत्री को ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में गत वर्ष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी बधाइयां देता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछें। ज्यादा समय नहीं बचा है।

*...(व्यवधान)*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : महोदय, मैं दो मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ये योजना के क्रियान्वयन के संबंध में केरल जैसे राज्यों के समक्ष आ रही व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित है।

एक समस्या योजना के आद्योपांत आधारित निविदा से संबंधित है। दूसरा संवितरण की विक्रय–अधिकार प्रणाली से संबंधित है। केरल के मामले में, जब निविदा की गई थी तब निविदा अतिरेक 69 से 76 प्रतिशत तक पहुंचा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सारा ब्यौरा नहीं देना है। यह प्रक्रिया नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : महोदय, मैं बस यह चाहता हूं कि मंत्री जी कठिनाई को समझें।

इसका तात्पर्य है कि क्रियान्वयक अभिकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए जा रहे अनुदान का 90 प्रतिशत जो कि 152 करोड़ रुपये होता है, राज्य अथवा ग्रामीण जनसंख्या के लाभ के बजाय ठेकेदारों को मिलता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय सामान्य निविदा प्रक्रिया की अनुमति देने पर विचार करेगा और क्या वह संवितरण की विक्रय अधिकार प्रणाली को समाप्त करेगा।

**श्री सुशील कुमार शिंदे** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे यही प्रश्न पहले भी पूछा था। मैंने यह जवाब दिया था कि मैं इस समस्या पर गौर करूंगा। इतना ही नहीं, मुझे केरल सरकार के मंत्री से भी पत्र प्राप्त हुआ है। मैंने उनको, संसद सदस्य और मंत्री को 21 तारीख की बैठक के लिए आमंत्रित किया है।

परन्तु मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि आद्योपांत आधारित निविदा को अंतिम रूप दिया गया है क्योंकि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि केरल सरकार, विशेषकर–उनके विद्युत विभाग ने कहा है कि फिर से निविदा की गई थी और इसमें लगभग 60 लाख की लागत आई थी। जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मामले में, यह

लागत क्रमशः 1.77 लाख रुपये, 3.42 लाख रुपये और 3 लाख रुपये है। इन अन्य दक्षिणी राज्यों की लागत की तुलना में 60 लाख की लागत बहुत अधिक है। यदि राज्य विद्युत विभाग ऐसा करने में अक्षम है, तो हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और पावर ग्रिड ऐसा करने में समर्थ होंगे जैसा कि वे उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे राज्यों में ऐसा कर रहे हैं। यदि सरकार चाहती है, तो हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और ग्रिड यह कार्य करने में समर्थ होंगे और इस संबंध में धन की बचत करेंगे।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : इस प्रकार की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं—जैसा कि श्री टींडसा द्वारा अनुरोध किया गया है—और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित करने हेतु पहल करेंगे, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने हेतु प्रत्येक जिले में स्थानीय संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व देते हुए किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब समय समाप्त हो गया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री सुशील कुमार सिंदे** : जिला समितियां पहले से ही विद्यमान हैं और राज्य ने इस पर उत्कृष्ट कार्य किया है। मैं राज्य द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करता हूं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

### त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट)

*325. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने त्वरित न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्टों) की स्थापना की गई और इनमें से कितने न्यायालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 2004–05, 2005–06 और चालू वर्ष के दौरान इन न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए और इनके द्वारा कितने निपटाए गए;

(ग) क्या कुछ त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कार्य ही नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि ये न्यायालय कार्य करना आरम्भ कर दें?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज)** : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग ने 1734 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। 31.3.2005 तक राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित 1711 त्वरित निपटान न्यायालयों में से उस तारीख को 1562 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे थे। 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सभी राज्यों में, त्वरित निपटान न्यायालयों के आरंभ से, उन्हें सौंपे गए कुल 17,88,048 मामलों में से उनके द्वारा 10,19,038 मामलों का निपटारा कर दिया गया था और 7,69,010 मामले लम्बित हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। 2004–05, 2005–06 और चालू वर्ष के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों में दाखिल और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्यवार और वर्षवार संख्या के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) 31.3.2005 को कार्यरत 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों में से विभिन्न राज्यों में कुछ त्वरित निपटान न्यायालय वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय अंतरण मामला संख्या 22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ) में त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकरण की मानीटरी कर रहा है और उसने अपने तारीख 21.11.2005 के आदेश में सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को यह निदेश दिया है कि वे इस संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए कितने त्वरित निपटान न्यायालयों को जारी रखना अपेक्षित है। अतः यह मामला न्यायाधीन है।

*विवरण-I*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | 31.3.2005 को त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 86 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3 |
| 3. | असम | 20 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | बिहार | 150 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 31 |
| 6. | गोवा | 5 |
| 7. | गुजरात | 166 |
| 8. | हरियाणा | 16 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 9 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 |
| 11. | झारखंड | 89 |
| 12. | कर्नाटक | 93 |
| 13. | केरल | 31 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 66 |
| 15. | महाराष्ट्र | 187 |
| 16. | मणिपुर | 2 |
| 17. | मेघालय | 3 |
| 18. | मिजोरम | 3 |
| 19. | नागालैंड | 2 |
| 20. | उड़ीसा | 41 |
| 21. | पंजाब | 18 |
| 22. | राजस्थान | 83 |
| 23. | सिक्किम | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 49 |
| 25. | त्रिपुरा | 3 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 242 |
| 27. | उत्तरांचल | 45 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 119 |
| | कुल | 1562 |

*विवरण-II*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | अंतरिम मामलों की संख्या | मामलों की संख्या | लंबित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 127784 | 89904 | 37880 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2069 | 594 | 1475 |
| 3. | असम | 20887 | 14050 | 6837 |
| 4. | बिहार | 78495 | 29178 | 49317 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 41939 | 32762 | 9177 |
| 6. | गोवा | 4371 | 2181 | 2190 |
| 7. | गुजरात | 280048 | 47823 | 232225 |
| 8. | हरियाणा | 17169 | 11409 | 5760 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 5263 | 2546 | 2717 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 53373 | 34981 | 18392 |
| 12. | कर्नाटक | 29377 | 19629 | 9748 |
| 13. | केरल | 52386 | 37522 | 14864 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 58962 | 40242 | 18720 |
| 15. | महाराष्ट्र | 261903 | 160415 | 101488 |
| 16. | मणिपुर | 1351 | 985 | 366 |
| 17. | मेघालय | 573 | 287 | 286 |
| 18. | मिजोरम | 1261 | 723 | 538 |
| 19. | नागालैंड | 650 | 287 | 363 |
| 20. | उड़ीसा | 31864 | 23303 | 8561 |
| 21. | पंजाब | 24089 | 14184 | 9905 |
| 22. | राजस्थान | 55621 | 34448 | 21173 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | तमिलनाडु | 232820 | 203038 | 29782 |
| 25. | त्रिपुरा | 3100 | 2858 | 242 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 323019 | 163313 | 159706 |
| 27. | उत्तरांचल | 53370 | 36793 | 16577 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 26304 | 15583 | 10721 |
| | योग | 1788048 | 1019038 | 769010 |

*[अनुवाद]*

**"रीयल इस्टेट" में विदेशी निवेश**

*326. **श्री के. एस. राव :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "रीयल इस्टेट" को विदेशी निवेश के लिए खोले जाने के बाद इस क्षेत्र में कितने विदेशी निवेशकों ने निवेश किया और इनमें से प्रत्येक द्वारा कितनी राशि निवेश की गई;

(ख) "रीयल इस्टेट" क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए मानदण्ड/दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) "रीयल इस्टेट" कारोबार में छोटे विदेशी निवेशकों के लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बड़ी कंपनियों सहित विदेशी निवेश को विनियमित करने तथा देश में "रीयल इस्टेट" के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए "रीयल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट" अथवा "रीयल इस्टेट म्यूचुअल फंडों" की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) से (ङ) आवास, रियल इस्टेट तथा शहरी अवस्थापना में जनवरी, 2004 से अप्रैल 2006 तक प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 594.33 करोड़ रुपये है। जिन देशों से यह निवेश प्राप्त हुआ है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन, नए रोजगार अवसर पैदा करने, उपलब्ध आवासीय स्टाक और निर्मित अवस्थापना में वृद्धि के लिए निवेश के रूप में रीयल इस्टेट में निवेश को प्रेरित करने की दृष्टि से सरकार ने प्रैस नोट 2 (क्रमांक 2005) के तहत टाउनशिप, आवास, निर्मित अवस्थापना तथा निर्माण–विकास परियोजनाओं के लिए ऑटोमेटिक माध्यम से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है, जिसमें इसे केवल एकीकृत टाउनशिप विकास तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि अन्य के अलावा आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजनात्मक सुविधाएं तथा क्षेत्रीय स्तर की अवस्थापना भी शामिल होगी।

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*विवरण*

*उन देशों के नाम जिनसे वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ*

| क्र.सं. | देश | क्र.सं. | देश |
|---|---|---|---|
| 1. | आस्ट्रिया | 14. | नार्वे |
| 2. | कनाडा | 15. | रूस |
| 3. | केमन द्वीप | 16 | सिंगापुर |
| 4. | चीन | 17. | साउथ अफ्रीका |
| 5. | साइप्रस | 18. | स्पेन |
| 6. | डेनमार्क | 19. | स्विटजरलैंड |
| 7. | जर्मनी | 20. | थाईलैंड |
| 8. | हांगकांग | 21. | यूनाइटिड किंगडम |
| 9. | इटली | 22. | संयुक्त राज्य अमरीका |
| 10. | लीचेन्सन | 23. | वेन्जुएला |
| 11. | कुवैत | 24. | ब्रिटिश वर्जीनिया |
| 12. | मलेशिया | 25. | मस्कट |
| 13. | मारिशस | 26. | वियतनाम |

**राज्यों पर बकाया ऋण**

*327. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी :**

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य पर केन्द्र का ब्याज सहित वर्षवार कितना ऋण बकाया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितना ऋण/अग्रिम धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में वित्त प्रबंधन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) पिछले तीन वर्षों के ब्याज सहित बकाया केन्द्रीय ऋणों (वित्त मंत्रालय) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को मुहैया कराए गए ऋण/अग्रिम धनराशि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग की सामान्य ऋण राहत स्कीम और बारहवें वित्त आयोग की ऋण माफी स्कीम के तहत संघ सरकार द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप, भारत सरकार ने "राज्य ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (2005–06 से 2009–10)" नामक स्कीम तैयार एवं लागू की है। इस स्कीम के तहत, 31.3.2004 तक अनुबंधित पिछले केन्द्रीय ऋणों (वित्त मंत्रालय) और 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों को समेकित किया जाएगा और उनकी अदायगी 7.5 प्रतिशत की घटी ब्याज दर पर 20 समान वार्षिक किस्तों में करने हेतु पुनः निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सुझाए गए प्रमुख प्रावधानों के साथ–साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू करें। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण को बट्टे–खाते डालना समेकित केन्द्रीय ऋण पर 2005–05 से 2009–10 तक देय पुनर्भुगतान की राशि हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार राज्यों के राजस्व घाटे में कमी से संबद्ध है।

राज्य सरकारों के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, यह भी अपेक्षित है कि वे अपने राजस्व को बढ़ाने और वर्ष 2008–09 तक अपने राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए अपने खर्चों पर लगाम लगाने तथा अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सुधारों की रूपरेखा तैयार करके अपने निजी राजकोषीय सुधार संबंधी कार्यक्रम तैयार करें।

***विवरण-I***

*पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य पर बकाया ब्याज सहित केन्द्रीय ऋण (वित्त मंत्रालय)*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | 3.31.2004 | 3.31.2005 | 3.31.2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18384.19 | 15889.69 | 15647.80 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 428.53 | 468.80 | 449.43 |
| 3. | असम | 3000.99 | 2336.46 | 2273.25 |
| 4. | बिहार | 10180.53 | 8984.82 | 8572.37 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2743.01 | 2298.48 | 2217.73 |
| 6. | गोवा | 787.23 | 750.27 | 723.70 |
| 7. | गुजरात | 14074.56 | 11269.93 | 11385.88 |
| 8. | हरियाणा | 3622.85 | 2206.60 | 2127.28 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1777.01 | 1034.62 | 1010.19 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 2696.83 | 2215.29 | 2091.14 |
| 11. | झारखंड | 3057.40 | 2893.51 | 2741.91 |
| 12. | कर्नाटक | 10555.16 | 8697.94 | 8960.12 |
| 13. | केरल | 5517.09 | 5298.11 | 5302.60 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 8974.30 | 8877.76 | 8761.39 |
| 15. | महाराष्ट्र | 16165.80 | 8253.54 | 8346.75 |
| 16. | मणिपुर | 787.81 | 1437.67 | 1398.48 |
| 17. | मेघालय | 356.65 | 359.29 | 343.83 |
| 18. | मिजोरम | 292.99 | 330.22 | 320.98 |
| 19. | नागालैंड | 359.25 | 373.53 | 355.61 |
| 20. | उड़ीसा | 8954.64 | 9047.76 | 8614.73 |
| 21. | पंजाब | 9127.21 | 77182.20 | 7042.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 9602.06 | 7627.98 | 7648.86 |
| 23. | सिक्किम | 210.08 | 205.99 | 196.27 |
| 24. | तमिलनाडु | 9170.64 | 6290.23 | 6439.30 |
| 25. | त्रिपुरा | 555.86 | 524.64 | 500.74 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 27484.13 | 24094.69 | 23262.17 |
| 27. | उत्तरांचल | 246.27 | 404.39 | 386.76 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 19044.42 | 15807.80 | 15183.01 |
| | कुल | 188157.52 | 155162.21 | 152304.74 |

उपर्युक्त वर्षों के दौरान बकाया ब्याज उसी वित्तीय वर्ष में ही वसूल कर लिया गया है।

*विवरण-II*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को मुहैया कराए गए ऋण/अग्रिम (अर्थोपाय अग्रिम सहित) धनराशि*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | 2003–04 में जारी की गई | 2004–05 में जारी की गई | 2005–06 में जारी की गई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3107.7930 | 1828.0760 | 506.8902 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 98.1921 | 65.7103 | 200.7038 |
| 3. | असम | 338.5794 | 428.2621 | 47.9103 |
| 4. | बिहार | 1158.7088 | 1290.8892 | 0.0000 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 434.9295 | 433.2576 | 23.3389 |
| 6. | गोवा | 60.9525 | 82.4236 | 0.0000 |
| 7. | गुजरात | 2160.5124 | 1778.6858 | 686.1910 |
| 8. | हरियाणा | 327.6535 | 273.2937 | 24.1799 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 283.8440 | 228.8282 | 24.0792 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 414.7486 | 314.6008 | 3.7487 |
| 11. | झारखंड | 469.1453 | 508.3230 | 1.4389 |
| 12. | कर्नाटक | 1942.9027 | 1531.4497 | 658.7924 |
| 13. | केरल | 962.8872 | 1472.3829 | 590.4171 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1714.1184 | 1866.5621 | 287.1044 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1068.7392 | 1454.1325 | 469.5360 |
| 16. | मणिपुर | 420.6038 | 1017.8625 | 0.2917 |
| 17. | मेघालय | 75.2719 | 110.4246 | 1.4814 |
| 18. | मिजोरम | 70.9992 | 58.7045 | 5.1984 |
| 19. | नागालैंड | 59.4646 | 156.1406 | 100.5756 |
| 20. | उड़ीसा | 1537.0114 | 1409.7858 | –15.8840 |
| 21. | पंजाब | 539.7559 | 542.4435 | 22.1919 |
| 22. | राजस्थान | 1623.6827 | 1453.9224 | 365.9349 |
| 23. | सिक्किम | 37.6839 | 38.8094 | 0.7144 |
| 24. | तमिलनाडु | 1008.2337 | 1024.6613 | 437.9709 |
| 25. | त्रिपुरा | 79.3909 | 79.6815 | 0.3406 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 3058.6991 | 2820.5159 | 297.8830 |
| 27. | उत्तरांचल | 233.7210 | 138.7906 | 3.4819 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 1358.0468 | 1631.9458 | 578.9615 |
| | कुल | 24646.2715 | 24040.5659 | 5323.4730 |

*विवरण-III*

*ग्यारहवें वित्त आयोग (ईएफसी) और बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के तहत राज्यों को दी गई ऋण राहत राशि*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | ईएफसी के तहत सामान्य ऋण राहत | 31.7.2006 की स्थिति के अनुसार टीएफसी (डीसीआरएफ)* के तहत ऋण माफी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 77.52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.72 | |
| 3. | बिहार | 65.28 | |
| 4. | छत्तीसगढ़ | | 93.26 |
| 5. | गुजरात | | 315.89 |
| 6. | हरियाणा | 74.48 | 96.97 |
| 7. | कर्नाटक | 4.83 | 358.33 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 37.28 | 363.06 |
| 9. | मणिपुर | 2.47 | |
| 10. | उड़ीसा | | 381.90 |
| 11. | पंजाब | 132.12 | |
| 12. | राजस्थान | 29.8 | 308.70 |
| 13. | तमिलनाडु | 137.14 | 263.28 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | | 1063.71 |
| | कुल | 562.64 | 3244.80 |

*ऋण समेकन एवं राहत सुविधा।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु**
**ऋण का आवंटन**

*328. **श्री राकेश सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि महानगरीय शहरों को आवंटित ऋण की तुलना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित ऋण की धनराशि कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कुल ऋण धनराशि में से एक निश्चित धनराशि निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) से (घ) वर्ष 2005–06 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कुल कृषि ऋण 1,67,775 करोड़ रुपये (अनंतिम) था, जो वर्ष 2004–05 में संवितरित 1,25,309 करोड़ रुपये की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, विदेशी बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को कृषि क्षेत्र के लिए अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के न्यूनतम 18 प्रतिशत को दिया जाना सुनिश्चित करना आवश्यक है। मार्च 2004, 2005 एवं 2006 (अनंतिम) के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल बकाया कृषि अग्रिम क्रमशः 86,186.77 करोड़ रुपये, 1,12,474.95 करोड़ रुपये एवं 1,54,900. 12 करोड़ रुपये हैं जो कि निवल बैंक ऋण का क्रमशः 15.41 प्रतिशत, 15.65 प्रतिशत तथा 15.22 प्रतिशत है।

अक्सर बैंकों का परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तथा उनके कार्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में ऋणों के प्रवाह का स्पष्ट रूप से सीमांकन करना संभव नहीं है।

**कम लागत वाले आवास**

*329. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** :

**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को कम लागत वाली आवासीय योजनाओं में राज्यों की सहायता करने हेतु उन्हें इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह को लक्षित करके बनाई गई सभी आवासीय योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगी और उन पर निगरानी रखेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) चुनिंदा 63 शहरों में शहरी गरीबों को आश्रय, बुनियादी सेवाएं और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं मुहैया करने हेतु परियोजनाओं के जरिए स्लमों के एकीकृत विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के भाग के रूप में शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं संबंधी उपमिशन 3.12. 2005 को शुरू किया गया है। शेष शहरों/नगरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के साथ–साथ शेष शहरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम को मिलाया गया है। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय अंश जारी किया जाता है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्लम वासियों शहरी गरीबों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/अल्प आय वर्ग श्रेणियों के लिए किफायती आवास अनुमन्य घटक है। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम, दोनों मांग आधारित स्कीमें हैं जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करना और निर्दिष्ट शहरी सुधारों को कार्यान्वित करने की वचनबद्धता वाले करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।

*[अनुवाद]*

**स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना**

*330. **श्री रघुनाथ झा :***

***श्री एम. अंजनकुमार यादव :***

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के वांछित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्यवार कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की गई है/प्रशिक्षित किया गया है,

(ग) उक्त अवधि के दौरान एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के रोजगारोन्मुख शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना करके तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद स्व रोजगार मुहैया कराना है। दसवीं योजना अवधि के दौरान व्यक्तिगत/ग्रुप लघु उद्योग स्थापित करने के लिए चार लाख शहरी गरीबों को सहायता प्रदान करने तथा 5 लाख शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने का संचयी वास्तविक लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर नियत किया गया है। प्रत्येक वर्ष इसके तहत व्यक्तिगत/ग्रुप लघु उद्यम स्थापित करने में 80,000 शहरी गरीबों को सहायता प्रदान की जाती है तथा 1,00,000 शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ये लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तय किए जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित इन लक्ष्यों की तुलना में राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय धनराशियों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों की जनसंख्या के अनुपात में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया अनन्तिम आवंटन संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

*विवरण-I*

*स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004–05 | | | | 2005–06 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लघु उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान किए गए शहरी गरीबों की सं. | | प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की संख्या | | लघु उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान किए गए शहरी गरीबों की सं. | | प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की संख्या | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7270 | 17704 | 9088 | 5631 | 7270 | 2020 | 9088 | 3957 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 21 | 40 | 27 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 |
| 3. | असम | 275 | 1150 | 343 | 4638 | 275 | 2825 | 343 | 2230 |
| 4. | बिहार | 4401 | 0 | 5501 | 0 | 4401 | 34087 | 5501 | 4233 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2619 | 1903 | 3274 | 4559 | 2619 | 568 | 3274 | 2027 |
| 6. | गोवा | 70 | 53 | 88 | 345 | 70 | 22 | 88 | 0 |
| 7. | गुजरात | 3354 | 4307 | 4193 | 5958 | 3354 | 2028 | 4193 | 1565 |
| 8. | हरियाणा | 644 | 2362 | 805 | 4171 | 644 | 2553 | 805 | 3078 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 35 | 302 | 43 | 839 | 35 | 89 | 43 | 450 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 59 | 1265 | 73 | 1748 | 59 | 822 | 73 | 987 |
| 11. | झारखंड | 1466 | 0 | 1833 | 0 | 1466 | 0 | 1833 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 5313 | 4572 | 6641 | 2709 | 5313 | 3451 | 6641 | 3451 |
| 13. | केरल | 2397 | 3007 | 2996 | 4736 | 2397 | 1982 | 2996 | 2541 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7080 | 8704 | 8850 | 7524 | 7080 | 817 | 8850 | 5078 |
| 15. | महाराष्ट्र | 12285 | 19114 | 15356 | 14518 | 12285 | 9579 | 15356 | 18382 |
| 16. | मणिपुर | 79 | 0 | 99 | 2506 | 79 | 0 | 99 | 0 |
| 17. | मेघालय | 41 | 0 | 51 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 54 | 1175 | 67 | 379 | 54 | 156 | 67 | 2126 |
| 19. | नागालैंड | 33 | 265 | 42 | 250 | 33 | 131 | 42 | 154 |
| 20. | उड़ीसा | 3033 | 3967 | 3792 | 2273 | 3033 | 1179 | 3792 | 1063 |
| 21. | पंजाब | 512 | 527 | 640 | 1440 | 512 | 17 | 640 | 1236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 3198 | 4660 | 3998 | 1957 | 3198 | 3260 | 3998 | 5555 |
| 23. | सिक्किम | 5 | 76 | 6 | 176 | 5 | 104 | 6 | 170 |
| 24. | तमिलनाडु | 5967 | 2356 | 7459 | 5016 | 5967 | 1412 | 7459 | 4756 |
| 25. | त्रिपुरा | 59 | 544 | 73 | 4783 | 59 | 878 | 73 | 3081 |
| 26. | उत्तरांचल | 705 | 153 | 881 | 1212 | 705 | 0 | 881 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 13373 | 6919 | 16716 | 29031 | 13373 | 6345 | 16716 | 5253 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3986 | 4033 | 4983 | 2361 | 3986 | 4030 | 4983 | 20222 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 29 | 4 | 36 | 0 | 29 | 16 | 36 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 54 | 72 | 67 | 961 | 54 | 35 | 67 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 4 | 10 | 4 | 98 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 32. | दमन और द्वीप | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 1364 | 214 | 1705 | 220 | 1364 | 170 | 1705 | 300 |
| 34. | पांडिचेरी | 211 | 1108 | 264 | 1792 | 211 | 1122 | 264 | 2152 |
| | कुल | 80002 | 90566 | 100001 | 111831 | 80002 | 79688 | 100001 | 94067 |

*विवरण-II*

*पिछले 2 वर्षों अर्थात 2004–05 और 2005–06 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय धनराशि*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2004–05 | | 2005–06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी केन्द्रीय धनराशि | इस वर्ष के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित केन्द्रीय धनराशि व्यय* | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी केन्द्रीय धनराशि | इस वर्ष के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित केन्द्रीय धनराशि व्यय* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11.16 | 3.20 | 15.26 | 2.90 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.08 | 0.26 | 0.00 | 1.25 |
| 3. | असम | 2.45 | 4.06 | 0.00 | 5.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 4.68 | 4.68 | 6.82 | 0.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1.19 | 1.15 | 4.06 | 1.47 |
| 6. | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | गुजरात | 1.64 | 2.83 | 0.00 | 5.72 |
| 8. | हरियाणा | 6.68 | 4.33 | 6.81 | 6.74 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.02 | 0.39 | 0.45 | 0.34 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 1.28 | 0.72 | 0.09 | 0.48 |
| 11. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | कर्नाटक | 11.65 | 7.97 | 8.23 | 7.56 |
| 13. | केरल | 5.55 | 1.29 | 6.81 | 0.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 9.31 | 8.86 | 15.97 | 11.97 |
| 15. | महाराष्ट्र | 15.09 | 18.36 | 25.53 | 2.70 |
| 16. | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.34 |
| 17. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | मिजोरम | 4.91 | 0.94 | 3.52 | 0.00 |
| 19. | नागालैंड | 0.34 | 0.34 | 1.95 | 0.00 |
| 20. | उड़ीसा | 0.49 | 1.62 | 4.70 | 2.12 |
| 21. | पंजाब | 0.00 | 1.07 | 0.40 | 0.37 |
| 22. | राजस्थान | 2.56 | 2.18 | 4.95 | 2.02 |
| 23. | सिक्किम | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.34 |
| 24. | तमिलनाडु | 5.12 | 3.77 | 9.24 | 2.03 |
| 25. | त्रिपुरा | 3.52 | 4.35 | 0.00 | 1.10 |
| 26. | उत्तरांचल | 1.60 | 0.11 | 3.09 | 0.16 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 26.23 | 28.11 | 30.71 | 31.55 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 4.24 | 7.68 | 6.17 | 7.55 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.40 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0.29 | 0.50 | 0.00 | 0.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | दिल्ली | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.21 |
| 34. | पांडिचेरी | 1.91 | 2.35 | 0.00 | 1.19 |
| | कुल | | | | 96.26 |

*इसमें पूर्व धनराशि से किया गया व्यय भी शामिल है क्योंकि यह स्कीम एक चालू स्कीम है तथा अव्ययित धनराशि अगले वर्ष में आगे लाई जाती है।

*विवरण-III*

*वर्ष 2006-07 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार आवंटित की गई अनंतिम केन्द्रीय धनराशि*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आवंटन (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 19.39 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.93 |
| 3. | असम | 12.34 |
| 4. | बिहार | 11.74 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6.98 |
| 6. | गोवा | 0.19 |
| 7. | गुजरात | 8.95 |
| 8. | हरियाणा | 1.72 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.09 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0.16 |
| 11. | झारखंड | 3.91 |
| 12. | कर्नाटक | 14.17 |
| 13. | केरल | 6.39 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 18.88 |
| 15. | महाराष्ट्र | 32.76 |
| 16. | मणिपुर | 3.42 |
| 17. | मेघालय | 1.76 |
| 18. | मिजोरम | 2.33 |
| 19. | नागालैंड | 1.45 |
| 20. | उड़ीसा | 8.09 |
| 21. | पंजाब | 1.37 |
| 22. | राजस्थान | 8.53 |
| 23. | सिक्किम | 0.21 |
| 24. | तमिलनाडु | 15.92 |
| 25. | त्रिपुरा | 2.54 |
| 26. | उत्तरांचल | 1.88 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 35.66 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 10.63 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.56 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1.05 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0.07 |
| 32. | दमन और द्वीव | 0.12 |
| 33. | दिल्ली | 1.65 |
| 34. | पांडिचेरी | 0.26 |
| | कुल | 236.11 |

*[हिन्दी]*

**चालू विकास परियोजनाओं पर एनआरईजीए का प्रभाव**

*331. **श्री टेक लाल महतो** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) लागू किए जाने के कारण ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित चल रही विकासात्मक योजनाओं की भावी स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी योजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से उनकी कोई समीक्षा की है जिन पर पहले ही करोड़ों रुपया व्यय हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो जुलाई, 2006 तक प्रत्येक योजना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)** : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) के 150 जिलों सहित योजना आयोग द्वारा अभिज्ञात देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में 2 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पांच वर्ष की अवधि के भीतर देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अभिज्ञात जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मिला दिया गया है। शेष जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कवर किए जाते ही संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को धीरे-धीरे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मिला दिया जाएगा। अन्य मौजूदा योजनाओं अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान को चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना जारी रखा जाएगा।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रत्येक योजना की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति के कार्य-निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन करवाने के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ताओं और जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं की वृहत्तर भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की निगरानी, समीक्षा तथा प्रभाव मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा, राज्यों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं--(i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना (ii) पारदर्शिता (iii) जनभागीदारी (iv) जवाबदेही--ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) कड़ी निगरानी एवं सतर्कता।

(ग) प्रमुख योजनाओं के संबंध में वर्ष 2006-07 के लिए किया गया केन्द्रीय आवंटन और जुलाई, 2006 तक की गई रिलीज तथा वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*वर्ष 2006-07 के दौरान मंत्रालय के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धि*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम | केन्द्रीय | | उपयोग* | वास्तविक | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | रिलीज | | उपलब्धि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | एसजीआरवाई | 290634.31 | 132624.20 | 17043.61 | 230.56 | लाख श्रम दिवस |
| 2. | एनआरईजीए | 1130000.00 | 438642.07 | 137534.39 | 74.58 | लाख श्रम दिवस |
| 3. | एसजीएसवाई | 110000.00 | 49000.46 | 12150.38 | 98401 | सहायता-प्राप्त कुल स्वरोजगार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | आईएवाई | 290753.00 | 141303.79 | 22358.83 | 103093 | बनाए गए मकानों की संख्या |
| 5. | पीएमजीएसवाई | 522562.00 | 267676.00 | 1513976.00$ | 32191$ | पूरे कर लिए गए कार्यों की संख्या |
| | | | | | 93898.36$ | सड़क की लम्बाई कि.मी. में |
| 6. | डीपीएपी | 36000.00 | 4848.00 | एन/आर | एन/आर | पूरी कर ली गई परियोजनाओं की संख्या |
| 7. | डीडीपी | 27000.00 | 9816.00 | एन/आर | एन/आर | पूरी कर ली गई परियोजनाओं की संख्या |
| 8. | आईडब्ल्यूडीपी | 56500.00 | 24881.00 | एन/आर | एन/आर | पूरी कर ली गई परियोजनाओं की संख्या |
| 9. | एआरडब्ल्यूएसपी | 520000.00 | 165705.81 | 26108.68 | 15855 | कवर की गई बसावटों की संख्या |
| | | | | | 10288 | ग्रामीण विद्यालयों की संख्या |
| 10. | टीएससी | 80000.00 | 4189.00 | 14242.00 | 24.47 | बनाए गए शौचालयों की संख्या लाख में |
| | | | | | 435 | महिला स्वच्छता परिसर |

*कुल उपलब्ध निधियों (केन्द्र + राज्य रिलीज + अर्थसेव और विविध प्राप्तियां) में से किया गया उपयोग शामिल है।

$योजनाओं की शुरूआत से लेकर अब तक ये संचयी आंकड़े। एन/आर—असूचित।

**राज्य बिजली बोर्डों को प्रोत्साहन**

*332 **श्री ब्रजेश पाठक :**
**श्री अर्जुन सेठी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रोत्साहन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों को कितनी वित्तीय हानि हो रही है और गत तीन वर्षों के दौरान एपीडीआरपी के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार को किसी भी राज्य से उसके बिजली बोर्ड की हानि को कम करने हेतु प्रोत्साहन जारी करने के लिए अनुरोधस्वरूप कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) और (ख) जी, हां। एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत राज्य यूटिलिटियों को उनके द्वारा नकद हानि में हासिल कमी के 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2000–01 को बाद के वर्षों में हानि में कमी के आकलन के लिए आधार वर्ष माना गया है। हानियों का आकलन राज्य सरकार द्वारा आधार वर्ष और बाद के वर्षों, दोनों के दौरान दी गई सब्सिडी और टैरिफ क्षतिपूर्ति को छोड़कर किया जाता है। सभी प्रकार की सब्सिडियों को छोड़ दिया जाता है और समीक्षाधीन अवधि के लाभ या हानि को प्रभावित करने वाली ऑडिटर की टिप्पणियों पर भी विचार किया जाता है। बाद के वर्षों में प्रोत्साहन यूटिलिटी द्वारा हासिल वार्षिक हानि में कमी के आधार पर दिया जाता है। हानि का आकलन यूटिलिटी स्तर पर किया जाता है उन राज्यों के लिए, जहां रा.वि. बोर्डों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, वहां पारेषण एवं वितरण यूटिलिटियों के लिए लाभ/हानि की इकट्ठी गणना नकद हानि में कमी के निर्धारण के लिए की जाती है। निजी यूटिलिटी एपीडीआरपी प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र नहीं है।

(ग) पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2004–05 तक समेकित सूचना के अनुसार राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कुल वित्तीय/वाणिज्यिक हानियां (सब्सिडी के बिना) 2001–02 के दौरान

29,331 करोड़ रुपये थीं जिन्हें 2004–05 में घटाकर 22.129 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। एपीडीआरपी के निवेश घटक के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को वर्तमान तारीख तक जारी निधियों के ब्यौरे विवरण–II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) अब तक मंत्रालय में 21 राज्यों से प्रोत्साहन राशि संबंधी दावे प्राप्त हुए हैं। जांच पश्चात 8 राज्यों को इसके लिए सुपात्र पाया गया तथा इन राज्यों को 1536.62 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 21 राज्यों से प्रोत्साहन अनुदान के लिए प्राप्त दावों के ब्यौरे विवरण–III के रूप में संलग्न हैं।

*विवरण-I*

*राज्यवार विद्युत यूटिलिटियों का वाणिज्यिक लाभ, (हानि) (बिना सब्सिडी के)*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिहार | (896) | (966) | (987) | (1122) |
| 2 | झारखंड | (255) | (462) | (730) | (1183) |
| 3. | उड़ीसा | (261) | (944) | 193 | 303 |
| 4. | सिक्किम | (10) | (30) | 42 | 56 |
| 5. | पश्चिम बंगाल | (1706) | (914) | (296) | (275) |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश | (93) | (84) | (126) | (87) |
| 7. | असम | (696) | (776) | (656) | (1081) |
| 8. | मणिपुर | (129) | (128) | (128) | (127) |
| 9. | मेघालय | (34) | (52) | 64 | (9) |
| 10. | मिजोरम | (30) | (44) | (62) | (48) |
| 11. | नागालैंड | (52) | (61) | (167) | (96) |
| 12. | त्रिपुरा | (102) | (93) | (7) | (27) |
| 13. | दिल्ली | (1092) | (803) | (1781) | (812) |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | (107) | (52) | (46) | (37) |
| 15. | हरियाणा | (948) | (803) | (785) | (1449) |
| 16. | जम्मू और कश्मीर | (703) | (1089) | (989) | (1080) |
| 17. | पंजाब | (1868) | (1386) | (663) | (1520) |
| 18. | राजस्थान | (1324) | (1739) | (1777) | (2037) |
| 19. | उत्तर प्रदेश | (2518) | (2374) | (2116) | (3624) |
| 20. | उत्तरांचल | (26) | 23 | (40) | (179) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | आंध्र प्रदेश | (2948) | (1232) | (1579) | (1194) |
| 22. | कर्नाटक | (1870) | (1599) | (1315) | (1107) |
| 23. | केरल | (1254) | (935) | (916) | (239) |
| 24. | पांडिचेरी | (43) | 33 | 38 | 52 |
| 25. | तमिलनाडु | (5174) | (2100) | (1360) | (2030) |
| 26. | छत्तीसगढ़ | 204 | 643 | 561 | 370 |
| 27. | गोवा | (7) | 131 | (153) | 146 |
| 28. | गुजरात | (3146) | (2267) | (3031) | (2125) |
| 29. | मध्य प्रदेश | (1703) | (835) | (867) | (764) |
| 30. | महाराष्ट्र | (540) | (255) | (549) | (804) |
| | कुल | (29331) | (21193) | (19722) | (22129) |

स्रोत—पीएफसी

*विवरण-II*

*एपीडीआरपी के निवेश घटक के अन्तर्गत राज्यों को जारी निधियां एवं परियोजनाओं की लागत*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृत परियोजनाओं की लागत | एपीडीआरपी घटक | जारी की गई निधियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 101 | 1458.49 | 648.00 | 566.76 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4 | 82.69 | 78.09 | 36.68 |
| 3. | असम | 15 | 650.73 | 601.54 | 349.26 |
| 4. | बिहार | 15 | 854.05 | 370.10 | 313.18 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 7 | 407.70 | 181.53 | 159.21 |
| 6. | दिल्ली | 6 | 922.61 | 283.41 | 105.51 |
| 7. | गोवा | 7 | 294.01 | 130.20 | 113.40 |
| 8. | गुजरात | 13 | 1083.22 | 470.94 | 400.26 |
| 9. | हरियाणा | 18 | 431.95 | 192.48 | 168.99 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 322.77 | 306.89 | 242.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 6 | 1100.13 | 1021.61 | 408.50 |
| 12. | झारखंड | 8 | 423.65 | 182.85 | 153.87 |
| 13. | कर्नाटक | 35 | 1186.31 | 514.30 | 447.97 |
| 14. | केरल | 52 | 863.63 | 331.18 | 230.55 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 48 | 663.20 | 230.74 | 129.87 |
| 16. | महाराष्ट्र | 35 | 2231.58 | 692.01 | 374.13 |
| 17. | मणिपुर | 5 | 141.62 | 127.73 | 2.67 |
| 18. | मेघालय | 9 | 227.44 | 210.53 | 58.38 |
| 19. | मिजोरम | 7 | 108.74 | 100.76 | 78.01 |
| 20. | नागालैंड | 3 | 122.27 | 114.33 | 68.58 |
| 21. | उड़ीसा | 7 | 592.22 | 185.07 | 74.02 |
| 22. | पंजाब | 26 | 715.57 | 268.26 | 178.74 |
| 23. | राजस्थान | 29 | 1193.25 | 491.23 | 385.82 |
| 24. | सिक्किम | 4 | 164.19 | 163.24 | 154.73 |
| 25. | तमिलनाडु | 41 | 948.12 | 457.94 | 441.82 |
| 26. | त्रिपुरा | 7 | 146.74 | 135.83 | 54.31 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 36 | 1091.30 | 340.09 | 236.63 |
| 28. | उत्तरांचल | 6 | 310.08 | 303.15 | 279.76 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 21 | 442.20 | 130.64 | 92.92 |
| | कुल | 583 | 19180.46 | 9264.67 | 6306.86 |

*विवरण-III*

*एपीडीआरपी के अन्तर्गत प्रोत्साहन संबंधी दावों की स्थिति*

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | दावे का वर्ष | दावा राशि | नकद हानि में कमी | पात्रता | जारी प्रोत्साहन राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2002–03 | 481.82 | 530.22 | 265.11 | 265.11 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 147.23 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2004–05 | 174.63 | | समीक्षाधीन | | |
| 2. | गुजरात | 2001–02 | 235.16 | 472.76 | 236.38 | 236.38 | – |
| | | 2002–03 | 149.31 | 296.16 | 148.06 | 148.06 | – |
| | | 2003–04 | 14.11 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2004–05 | 434.19 | | समीक्षाधीन | | |
| 3. | हरियाणा | 2001–02 | 105.49 | 210.98 | 105.49 | 105.49 | – |
| 4. | केरल | 2001–02 | 165.00 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2002–03 | 159.41 | 129.86 | 64.94 | 64.94 | – |
| | | 2003–04 | 461.82 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2004–05 | 477.74 | 160.32 | 80.16 | समीक्षाधीन | |
| 5. | महाराष्ट्र | 2001–02 | 137.89 | 275.78 | 137.89 | 137.89 | – |
| 6. | पंजाब | 2001–02 | 240.74 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2002–03 | 639.10 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2003–04 | 243.10 | 503.88 | 251.94 | 65.28 | 186.66 |
| 7. | राजस्थान | 2001–02 | 137.71 | 275.42 | 137.71 | 137.71 | – |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 2001–02 | 406.76 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2002–03 | 911.03 | 146.00 | 73.00 | 73.00 | – |
| | | 2003–04 | 953.39 | 605.52 | 302.76 | 302.76 | – |
| | | 2004–05 | 103.38 | 11.75 | 5.88 | समीक्षाधीन | |
| 9. | बिहार | 2001–02 | 422.12 | अनंतिम खातों पर आधारित दावे। पात्र नहीं। | | | |
| 10. | असम | 2001–02 | 12.06 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2002–03 | 118.62 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| 11. | गोवा | 2001–02 | 280.00 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | | |
| | | 2002–03 | 64.02 | 17.19 | 8.95 | विद्युत विभाग का निगमीकरण न किए जाने के कारण जारी नहीं। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 2002–03 | 109.40 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| | | 2003–04 | 258.45 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| 13. | कर्नाटक | 2002–03 | 256.81 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| | | 2003–04 | 362.51 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| 14. | उड़ीसा | 2003–04 | 264.94 | निजी यूटिलिटियां प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं हैं। | | |
| 15. | तमिलनाडु | 2001–02 | 265.23 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| | | 2002–03 | 440.75 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 2002–03 | 281.06 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| 17. | उत्तरांचल | 2002–03 | 6.21 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| 18. | मेघालय | 2003–04 | 26.38 | समीक्षा करने पर यह पाया गया कि नकद हानि में कमी नहीं हुई। | | |
| 19. | मध्य प्रदेश | 2001–02 | 724.14 | समीक्षाधीन | | |
| | | 2002–03 | 330.72 | समीक्षाधीन | | |
| 20. | त्रिपुरा | 2003–04 | 33.80 | समीक्षाधीन | | |
| 21. | दिल्ली | 2001–02 | 265.04 | दावे दिल्ली विद्युत बोर्ड के गैर–लेखा परीक्षित एकाउंट्स पर आधारित–पात्र नहीं। | | |
| | | 2002–03 | – | केवल बीएसईएस के एकाउंट्स बिना उचित दावे के प्रस्तुत किए गए–निजी यूटिलिटियां प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं हैं। | | |
| | कुल जारी प्रोत्साहन राशि | | 1536.62 करोड़ रुपये | | | |

*[अनुवाद]*

**धनराशि का गलत तरीके से अन्तरण**

*333. **श्री निखिल कुमार :**

**श्री अधीर चौधरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में निर्यातकों के कथित खातों के संबंध में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली है, जैसा कि 22 जुलाई, 2006 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों के निर्यातकों के साथ सांठ–गांठ से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी धोखाधड़ी को रोकने तथा इसमें शामिल अधिकारियों को दण्ड देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :** (क) जी, हां।

(ख) निर्यात आयुक्तालय, दिल्ली में यह आसूचना प्राप्त हुई थी कि कुछेक निर्यातकों ने प्रतिअदायगी के अनुपूरक दावों के प्रति राशियों का इलैक्ट्रानिक अन्तरण करते हुए धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी दावे प्राप्त किए हैं, जब कि ऐसे कोई दावे सीमाशुल्क में दायर नहीं किए गए थे। ऐसा संदेह है कि विशिष्ट निर्यातकों के लाभ हेतु

पासवर्डों का गलत रूप से प्रयोग किया गया था। प्राथमिक जांच के बाद मामले को 31.5.2006 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ उचित विचार-विमर्श करने के बाद एक औपचारिक शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट भी 19.7.2006 को दर्ज कराई गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, एक अधीक्षक, सीमाशुल्क, एक निजी व्यक्ति तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध संख्या आरसी-4/2006, ईओयू-IX के तहत मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 21.7.2006 को 20 निर्यातकों, उनके एजेंटों के विभिन्न स्थानों और एक नैमित्तिक श्रमिक की तलाशियां ली हैं। गैर-कानूनी रूप से इस कारण लगभग 8 करोड़ रुपये तक की हानि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों की निर्यातकों के साथ मिली-भगत सहित इस मामले की जांच की जा रही है। सीमाशुल्क एयर कार्गो आयुक्तालय, नई दिल्ली द्वारा की गई प्राथमिक जांच में लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ङ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भविष्य में धनराशि के ऐसे धोखाधड़ी से हुए अन्तरण से बचने के लिए ईडीआई साफ्टवेयर के सुधार सहित प्रणालियों की सम्पूर्णता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए जाने के लिए महानिदेशक, पद्धति को निदेश दिया है। सभी मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों को इस कार्य-प्रणाली एवं ऐसी धोखाधड़ियों से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों से अवगत करा दिया गया है। ऐसे अधिकारी, जिनके पासवर्ड अवैध अन्तरणों हेतु प्रयोग किए गए थे, को जांच कार्य पूरा होने तक गैर-संवेदनशील प्रभारों में स्थानांतरित किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं।

**ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन**

***334. श्री हितेन बर्मन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि के पर्याप्त आवंटन के बावजूद भी राज्यों द्वारा ग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय राज्यों पर केन्द्रित एक समीक्षा के बाद मंत्रालय ने यह पाया है कि अधिक पारदर्शिता के लिए केन्द्र सरकार की दलील पर कई राज्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद भी ग्राम स्तर पर स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां पर ग्रामीण परियोजनाओं में धीमी प्रगति हुई है और इसके क्या कारण रहे हैं; और

(घ) राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं का पूरे जोर से क्रियान्वयन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं तथा कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) :** (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धि के रूप में प्रगति की जानकारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित आधार पर दी जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार यह पता चला है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की संपूर्ण प्रगति अधिकांश राज्यों में संतोषजनक पाई गई। तथापि, कुछ राज्यों में प्रगति राष्ट्रीय औसत से कम थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी करता रहा है। मंत्रालय निचले स्तर पर योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और पांच सूत्री कार्यनीति अर्थात (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना (ii) पारदर्शिता (iii) जनभागीदारी (iv) जवाबदेही-ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) कड़ी निगरानी एवं सतर्कता।

राज्य सरकारों से प्राप्त अनंतिम प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान कुल आवंटन की तुलना में कुल रिलीज 100.50 प्रतिशत है और उपलब्ध निधियों की अपेक्षा निधियों का संपूर्ण उपयोग 60.35 प्रतिशत है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उपयोग का प्रतिशत कम है। वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

इन राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के विविध कारण हैं जैसे-प्राकृतिक आपदाओं का आना, सूखा, बाढ़ और चुनाव। पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी एजेंसियों की कार्यान्वयन क्षमता कम है और कुछ मामलों में संस्थानिक संरचना अधूरी है। उन राज्यों में भी प्रगति धीमी है, जहां विभिन्न संवैधानिक निकायों के चुनाव हुए हैं।

राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति में सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक

प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति के कार्य–निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन करवाने के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ताओं और जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं की वृहत्तर भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की निगरानी, समीक्षा तथा प्रभाव मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली बनाई है।

*विवरण*

**वर्ष 2005–06 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित, रिलीज और उपलब्ध एवं उपयोग की गई निधियां*

(लाख रुपये में)

| राज्य का नाम | केन्द्रीय आवंटन | राज्य आवंटन | कुल आवंटन | केन्द्रीय रिलीज | राज्य रिलीज | कुल रिलीज | कुल उपलब्ध निधियां | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 132781.23 | 19602.74 | 152383.97 | 147195.31 | 19037.66 | 166232.97 | 179160.52 | 112118.16 |
| अरुणाचल प्रदेश | 19813.06 | 1044.27 | 20857.33 | 20724.32 | 250.12 | 20974.44 | 22548.62 | 14088.89 |
| असम | 143936.37 | 22822.64 | 166759.01 | 138255.84 | 435.46 | 138691.30 | 163764.93 | 102338.23 |
| बिहार | 250922.87 | 47317.46 | 298240.33 | 226985.55 | 45839.71 | 272825.26 | 384316.12 | 212853.74 |
| छत्तीसगढ़ | 89132.27 | 7628.24 | 96760.51 | 88070.27 | 7308.12 | 95378.39 | 102954.92 | 63862.33 |
| गोवा | 1811.96 | 224.31 | 2036.27 | 1110.07 | 132.99 | 1243.06 | 1275.86 | 794.17 |
| गुजरात | 65260.14 | 9083.43 | 74343.57 | 66666.72 | 9273.77 | 75940.49 | 82570.20 | 54627.09 |
| हरियाणा | 19971.45 | 3333.07 | 23304.52 | 21278.28 | 3479.43 | 24757.71 | 26124.42 | 16859.37 |
| हिमाचल प्रदेश | 32750.15 | 1411.34 | 34161.49 | 38149.18 | 1141.60 | 39290.78 | 41570.99 | 18371.22 |
| जम्मू और कश्मीर | 36049.28 | 2066.85 | 38116.13 | 41062.28 | 2450.04 | 43512.32 | 47642.05 | 29586.20 |
| झारखंड | 128104.25 | 16614.93 | 144719.18 | 123836.95 | 16077.77 | 139914.72 | 179096.90 | 107439.32 |
| कर्नाटक | 79396.21 | 11794.85 | 91191.06 | 86384.18 | 11801.12 | 98185.30 | 111074.70 | 73911.49 |
| केरल | 28182.27 | 5675.10 | 33857.37 | 30069.56 | 5386.34 | 35455.90 | 41412.83 | 32046.83 |
| मध्य प्रदेश | 163731.73 | 16363.80 | 180095.53 | 162862.04 | 14822.87 | 177684.91 | 192721.70 | 136885.43 |
| महाराष्ट्र | 153455.20 | 21835.23 | 175290.43 | 145176.05 | 22847.74 | 168023.79 | 174674.79 | 102310.11 |
| मणिपुर | 11954.87 | 1397.44 | 13352.31 | 8926.55 | 1505.31 | 10431.86 | 11714.75 | 6340.44 |
| मेघालय | 15104.04 | 1712.71 | 16816.78 | 10493.58 | 1158.93 | 11652.51 | 13075.96 | 7465.10 |
| मिजोरम | 8688.20 | 439.91 | 9128.11 | 12777.43 | 296.33 | 13073.76 | 13259.01 | 3636.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | 14265.33 | 1220.62 | 15485.95 | 16351.65 | 299.57 | 16651.22 | 17054.22 | 4776.57 |
| उड़ीसा | 148872.57 | 17747.23 | 166619.80 | 156144.19 | 20398.71 | 176542.90 | 189838.42 | 107981.41 |
| पंजाब | 19565.89 | 3498.47 | 23064.36 | 19957.67 | 2435.21 | 22392.88 | 22821.46 | 11720.19 |
| राजस्थान | 130713.81 | 8729.62 | 139443.43 | 152512.37 | 8359.41 | 160871.78 | 175911.26 | 102577.58 |
| सिक्किम | 5687.12 | 370.78 | 6057.90 | 7874.77 | 310.00 | 8184.77 | 8355.44 | 3333.55 |
| तमिलनाडु | 76131.30 | 13430.71 | 89562.01 | 76751.36 | 13758.14 | 90509.50 | 95450.86 | 81069.30 |
| त्रिपुरा | 18385.29 | 2544.61 | 20929.90 | 18312.81 | 2934.45 | 21247.26 | 22875.57 | 16351.43 |
| उत्तर प्रदेश | 267087.86 | 49141.57 | 336229.43 | 292504.71 | 49096.33 | 341601.04 | 391515.76 | 237122.29 |
| उत्तरांचल | 31641.94 | 3114.79 | 34756.73 | 23937.43 | 4973.50 | 28910.93 | 32149.96 | 22219.86 |
| पश्चिम बंगाल | 127016.33 | 20616.89 | 147833.22 | 142095.77 | 21677.91 | 163773.68 | 190659.14 | 91946.36 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 715.96 | 0.00 | 715.96 | 1839.34 | 0.00 | 1839.34 | 4456.77 | 228.00 |
| दादरा और नगर हवेली | 364.96 | 0.00 | 364.96 | 75.78 | 0.00 | 75.78 | 86.45 | 9.01 |
| दमन और दीव | 173.74 | 0.00 | 173.74 | 11.66 | 0.00 | 11.66 | 106.55 | 2.73 |
| दिल्ली | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लक्षद्वीप | 218.60 | 0.00 | 218.60 | 159.39 | 0.00 | 159.39 | 217.21 | 64.90 |
| पांडिचेरी | 627.70 | 0.00 | 627.70 | 197.34 | 0.00 | 197.34 | 719.57 | 347.32 |
| कुल | 2242518.65 | 310983.61 | 2553502.26 | 2278750.38 | 287488.54 | 2566238.92 | 2941177.69 | 1775285.51 |

कुल उपलब्ध निधियों में 1.4.2005 को अथशेष और विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

*स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यू पी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), डीआरडीए प्रशासन, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना, भू–अभिलेखों को अद्यतन बनाना और भू–अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।

### त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

*335. श्री वी. विनोद कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2006 तक "त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम" (एयूडब्ल्यूएसपी) के अन्तर्गत राज्यवार कितनी जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई और पूरी कर ली गई हैं;

(ख) 31 मार्च, 2006 तक इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इस योजना के कार्यकरण के संबंध में कोई कार्य–निष्पादन मूल्यांकन/अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1993–94 में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) शुरू किए जाने की तारीख से इसके अन्तर्गत 1244 कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। 633 स्कीमें पूर्ण/चालू हो चुकी हैं। अनुमोदित और पूर्ण हो चुकी स्कीमों तथा जारी केन्द्रीय अंश का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों को 31.3.2006 तक केन्द्रीय अंश के रूप में 804.32 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ग) चूंकि केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) में शामिल किया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई थीं। अतः लक्ष्य नियत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्य निष्पादन मूल्यांकन 4 संस्थानों अर्थात भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली, पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, चेन्नई तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय और इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा किए गए क्षेत्रवार अध्ययन के माध्यम से किया गया था। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में विभिन्न संस्थानों के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

*विवरण-I*

*त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)*

स्थिति : 11.8.2006

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अनुमोदित स्कीमों की कुल संख्या | पूर्ण/चालू स्कीमों की कुल संख्या | जारी कुल केन्द्रीय अंश (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 42 | 2 | 3237.30 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 1 | 540.96 |
| 3. | असम | 21 | 5 | 2320.33 |
| 4. | बिहार | 33 | 8 | 2020.03 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 42 | 26 | 1790.12 |
| 6. | गोवा | 4 | 2 | 176.18 |
| 7 | गुजरात | 70 | 43 | 4116.53 |
| 8. | हरियाणा | 38 | 29 | 3570.82 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 16 | 12 | 1604.20 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 15 | 3 | 2675.95 |
| 11. | झारखंड | 16 | 6 | 1181.34 |
| 12. | कर्नाटक | 45 | 33 | 6635.60 |
| 13. | केरल | 13 | 1 | 1379.73 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 147 | 47 | 7275.28 |
| 15. | महाराष्ट्र | 37 | 16 | 4827.05 |
| 16. | मणिपुर | 26 | 11 | 1603.34 |
| 17. | मेघालय | 2 | 1 | 290.87 |
| 18. | मिजोरम | 8 | 7 | 567.36 |
| 19. | नागालैंड | 2 | 2 | 451.40 |
| 20. | उड़ीसा | 35 | 20 | 2995.97 |
| 21. | पंजाब | 16 | 9 | 501.61 |
| 22. | राजस्थान | 72 | 39. | 5305.56 |
| 23. | सिक्किम | 2 | 2 | 225.78 |
| 24. | तमिलनाडु | 93 | 76 | 5073.12 |
| 25. | त्रिपुरा | 12 | 5 | 1486.53 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 390 | 204 | 14990.18 |
| 27. | उत्तरांचल | 22 | 16 | 2147.77 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 22 | 7 | 1441.85 |
| | कुल | 1244 | 633 | 80432.76 |

*विवरण-II*

*त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययनों के संबंध में विभिन्न संस्थानों के निष्कर्ष और सिफारिशें*

**निष्कर्ष :**

- अधिकतर स्कीमों में सतही जल और झरने के जल स्रोत पर आधारित कच्चे पानी के स्रोत विश्वसनीय होते हैं तथापि, ट्यूबवेल आधारित स्कीमों के मामले में डिजाइन अवधि तक निरंतरता बार-बार आने वाले सूखे के कारण सम्भव नहीं है।
- राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि जारी न करने, राज्यों में संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण, बिजली कनेक्शन लेने में विलंब इत्यादि के कारण स्कीमें पूरी होने में विलंब हुआ है।
- वितरण तंत्र के साथ आबादी कवरेज 64 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है।
- अधिकतर कस्बों में प्रति व्यक्ति आपूर्ति में 70 एलपीसीडी व इससे अधिक तक का सुधार हुआ है।
- आपूर्ति की वर्तमान अवधि 1 घंटे से 10 घंटे तक अलग-अलग है।
- अधिकतर कस्बों में घरेलू जल शुल्क में वृद्धि हुई है।
- अधिकतर कस्बे जल आपूर्ति की पूरी लागत वसूल नहीं कर पाए हैं। लागत वसूली 11 प्रतिशत से 84 प्रतिशत के बीच है। घाटे की पूर्ति राज्य एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाती है।
- सैम्पल कस्बों में जल गुणवत्ता पीने योग्य थी। किसी भी कस्बे में जल जनित बीमारियां नहीं फैलीं।
- विभागीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
- स्कीमों का क्रियान्वयन करते समय समुदाय भागीदारी की कमी रही है।

**सिफारिशें :**

- स्थानीय निकायों को पूरी हो चुकी स्कीमें सौंपते समय स्कीमों के रखरखाव के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त तकनीकी स्टाफ मुहैया कराया जाए।
- आधार वर्ष की 25 प्रतिशत तक की आबादी को चलायमान मानते हुए स्थायी आबादी को स्कीम को डिजाइनिंग के लिए विचार करने की अनुमति दी जाए।
- कच्चे पानी के स्रोत की विश्वसनीयता स्थानीय/क्षेत्रीय शर्तों के कारण प्रायः सम्भव नहीं होगी। अतः डिजाइन अवधि में परिवर्तनीयता की अनुमति होनी चाहिए ताकि स्कीमों में वृद्धि की जा सके।
- राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर राशि जारी करना सुनिश्चित करे ताकि स्कीमें पूरी होने में विलम्ब और अधिक्य लागत से बचा जा सके।
- शुल्क में आवधिक वृद्धि की जाए और एकत्रण दक्षता में भी वृद्धि की जानी चाहिए।
- प्रणाली के समुचित प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों में स्टाफ की पर्याप्तता सुनिश्चित की जाए।
- फील्ड इंजीनियरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवधिक रूप से चलाए जाएं।
- राज्यों में सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम की जानकारी दी जाए ताकि स्कीमों के समय पर पूरा होने के लिए अन्ततः विभागीय समन्वयन हो सके।

**गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निजी बैंकों द्वारा ऋण**

*336. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों को सरकार के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निजी बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निजी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र

के बैंकों से कहा है कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भागीदारी करें तथा जिले के शीर्ष बैंकों के साथ सहयोग करें एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कमजोर वर्गों को ऋण देने में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत निजी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान एसजीएसवाई, पीएमआरवाई और एसजेएसआरवाई हेतु निजी क्षेत्र का बैंक–वार संवितरण*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | बैंक का नाम | एसजीएसवाई | | एसजेएसआरवाई | | पीएमआरवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2004–05 | 2005–06 | 2004–05 | 2005–06 | 2004–05 | 2005–06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आईसीआईसीआई बैंक लि. | 0.03 | 0 | 1.02 | 0.20 | 119.39 | 182.54 |
| 2. | बैंक आफ राजस्थान लि. | 93.21 | 139.11 | 13.52 | 53.88 | 232.23 | 303.76 |
| 3. | भारत ओवरसीज बैंक लि. | 32.05 | 9.55 | 7.39 | 2.03 | 84.57 | 82.49 |
| 4. | बनारस स्टेट बैंक लि.* | 0 | 0 | 0.00 | 0.47 | 0 | 0 |
| 5. | कैथोलिक सीरियन बैंक लि. | 119.58 | 114.5 | 15.90 | 1.34 | 416.53 | 847.85 |
| 6. | धनलक्ष्मी बैंक लि. | 160.03 | 232.87 | 28.95 | 48.64 | 359.42 | 264.05 |
| 7. | फेडरल बैंक लि. | 728.16 | 594.44 | 25.04 | 31.66 | 996.94 | 759.86 |
| 8. | जे एंड के बैंक लि. | 853.47 | 774.99 | 204.74 | 239.75 | 1032.8 | 830.42 |
| 9. | कर्नाटक बैंक लि. | 92.92 | 109.6 | 84.71 | 77.05 | 677.12 | 719.09 |
| 10. | करुर वैश्य बैंक लि. | 25.39 | 19.94 | 17.99 | 22.13 | 314.5 | 378.2 |
| 11. | लक्ष्मी विलास बैंक लि. | 29.04 | 65.91 | 27.48 | 5.90 | 256.87 | 263.36 |
| 12. | यूटीआई बैंक लि. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 49.2 |
| 13. | रत्नाकर बैंक लि. | 6.75 | 3.54 | 3.98 | 3.34 | 139.35 | 80.3 |
| 14. | सांगली बैंक लि. | 65.36 | 32.03 | 13.57 | 1.29 | 29.35 | 34.61 |
| 15. | साउथ इंडियन बैंक लि. | 364.61 | 115.33 | 20.84 | 15.38 | 562.02 | 576.25 |
| 16. | तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लि. | 66.21 | 109.4 | 3.56 | 2.61 | 302.75 | 358.38 |
| 17. | युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि. | 139.38 | 200.59 | 46.74 | 43.80 | 332.04 | 422.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | वैश्य बैंक लि. | 219.29 | 408.38 | 53.83 | 32.76 | 647.27 | 462.08 |
| 19. | नैनीताल बैंक लि. | 30.89 | 59 | 15.45 | 16.52 | 265.67 | 0 |
| 20. | सिटी यूनियन बैंक लि. | 41.99 | 19.38 | 2.13 | 9.85 | 195.07 | 212.93 |
| 21. | लार्ड कृष्णा बैंक लि. | 15.08 | 7.92 | 0.90 | 0.80 | 80.75 | 114.43 |
| | कुल | 3083.44 | 3016.48 | 587.74 | 609.40 | 7044.64 | 6942.53 |

*बैंकों का विलय कर दिया गया।

### बंजरभूमि के विकास हेतु कृतिक बल

*337. श्री अवसरराव पाटील शिवाजीराव :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंजरभूमि और पनधारा के विकास हेतु उन्हें ऋण संस्थाओं के साथ संबद्ध करने के लिए वर्ष 2002 में कृतिक बल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल द्वारा की गई सभी सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋण संस्थाओं ने उक्त सिफारिशों को किंस सीमा तक कार्यान्वित किया है और प्रत्येक राज्य में बंजरभूमि और पनधारा के विकास हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :** (क) बंजरभूमि/जलविभाजक (वाटरशेड) के विकास के लिए उन्हें ऋणदात्री संस्थाओं के साथ संबद्ध करने हेतु भूमि संसाधन विभाग द्वारा मार्च 2002 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कृतिक बल का गठन किया गया था।

(ख) से (घ) कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट को जनवरी 2006 में कृषि, पर्यावरण एवं वन तथा जल संसाधन मंत्रालयों के सचिवों, ग्रामीण विकास विभाग के सभी राज्य सचिवों, योजना आयोग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया था। कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :

आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण के प्रवाह में नाबार्ड की भूमिका, बैंकरों की अंतर्ग्रस्तता, कार्पोरेट अंतर्ग्रस्तता, प्रयोक्ता समूहों/स्व–सहायता समूहों/ग्राम पंचायतों को ऋण, कानूनी प्रावधान, वाटरशेड विकास के माडलों के चयन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा प्रलेखन में सहायता, एक ही विभाग द्वारा वाटरशेड/बंजरभूमि विकास कार्यक्रम।

कृतिक बल की जिन सिफारिशों पर नाबार्ड और बैंको को कार्रवाई करनी है वे निम्नानुसार हैं :

➤ नाबार्ड को वाटरशेडों/निम्न स्तरीय भूमि के विकास के लिए द्विपक्षीय एजेंसियों से निधीयन के अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए।

➤ उसे बंजरभूमि/निम्न स्तरीय भूमि के विकास के लिए परियोजनाओं के अर्थक्षम माडल विकसित करने चाहिए।

➤ नाबार्ड को गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), जन संगठनों, स्थानीय निकायों की सहभागिता को सहज बनाने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

➤ नाबार्ड को राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निविष्टियां उपलब्ध कराने में भी शामिल किया जाना चाहिए।

➤ वाटरशेड परियोजनाओं के निर्माण में जिले के अग्रणी बैंक को शामिल किया जाना चाहिए।

➤ वाटरशेड विकास कार्यक्रम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा इस क्षेत्र में निवेश के निश्चित अवसरों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के साथ बैंकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

बैंकों ने ऋण योजनाएं तैयार करना शुरू कर दिया है।

**समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)**

***338. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को इस कार्यक्रम के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वर्ष 1994–95 से समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2003–04 के दौरान आईआरईपी की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया। आईआरईपी, केन्द्र और राज्य के 50 : 50 भाग के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और यह इस समय 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 312 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। संशोधित आईआरईपी के अन्तर्गत शामिल जिलों की राज्यवार संख्या विवरण–I में दी गई है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं में, अक्षय ऊर्जा पर बल देने के साथ, उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के ईष्टतम मिश्रण के माध्यम से आईआरईपी जिलों में चुनिंदा ग्राम समूहों में ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम को उद्देश्य माइक्रो और मैक्रो स्तरीय ग्रामीण ऊर्जा योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए राज्यों की योजना बनाने और संस्थागत क्षमताओं का विकास करना है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आईआरईपी के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

*विवरण-I*

*समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या (दिनांक 17.8.2006 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | शामिल किए गए जिलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 5 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 16 |
| 4. | गुजरात | 2 |
| 5. | हरियाणा | 19 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 12 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 14 |
| 8. | झारखंड | 7 |
| 9. | कर्नाटक | 27 |
| 10. | केरल | 14 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 48 |
| 12. | मणिपुर | 9 |
| 13. | मेघालय | 7 |
| 14. | मिजोरम | 6 |
| 15. | नागालैंड | 6 |
| 16. | पांडिचेरी | 1 |
| 17. | पंजाब | 17 |
| 18. | तमिलनाडु | 14 |
| 19. | त्रिपुरा | 2 |
| 20. | उत्तरांचल | 13 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 60 |
| | कुल | 312 |

*विवरण-II*

*पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003–2004 | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 61.50 | – | 34.07 | – |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 31.11 | – | 12.74 | – |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 82.50 | – | – | – |
| 4. | गुजरात | – | 32.00 | – | – |
| 5. | हरियाणा | 97.50 | 88.00 | 12.20 | – |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 62.5 | – | – | – |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | – | 72.50 | – | – |
| 8. | झारखंड | 27.66 | – | – | – |
| 9. | कर्नाटक | 101.65 | 13.00 | 20.00 | – |
| 10. | केरल | 142.50 | – | – | – |
| 11. | मध्य प्रदेश | 52.52 | 302.25 | – | – |
| 12. | मणिपुर | 34.64 | – | – | – |
| 13. | मेघालय | 20.00 | 25.50 | 4.20 | – |
| 14. | मिजोरम | 32.50 | 4.36 | 16.25 | – |
| 15. | नागालैंड | 32.50 | – | – | – |
| 16. | पांडिचेरी | 3.66 | – | – | – |
| 17. | पंजाब | 87.50 | 67.75 | – | 87.01 |
| 18. | तमिलनाडु | – | – | 72.50 | – |
| 19. | त्रिपुरा | – | 12.50 | – | – |
| 20. | उत्तरांचल | 67.50 | 50.75 | – | 12.31 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 264.52 | 284.50 | 191.32 | – |

*दिनांक 17.8.2006 की स्थिति के अनुसार

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों पर राजसहायता**

*339. **श्री सीताराम सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार को खाद्यान्न पर दी जा रही राजसहायता को कम करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) खाद्यान्न पर प्रदान की जा रही राजसहायता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :** (क) और (ख) खाद्यान्नों पर दी जा रही राजसहायता कम करने के बारे में विश्व बैंक ने कोई सलाह नहीं दी है।

(ग) और (घ) सरकार गरीबों को न्यूनतम पोषाहार सहायता देकर अनुपाती न्याय प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए खाद्य राजसहायता वहन करती है। सरकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है जिसमें सारी राजसहायता गरीबों व वास्तव में जरूरतमंदों को लक्षित करने का अविदेश दिया गया है। खाद्य राजसहायता के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया गया है। सरकार राजसहायता के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना चाहती है।

गत चार वर्षों में खाद्य राजसहायता पर हुआ व्यय निम्नानुसार है :

| वर्ष | खाद्य राजसहायता (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 2003–04 | 25181 |
| 2004–05 | 23280 |
| 2005–06* | 23078 |
| 2006–07(ब.अ.) | 24200 |

*अनंतिम और अलेखापरीक्षित।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय बंजरभूमि उन्नयन मिशन**

*340. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजरभूमि में हुए परिवर्तनों पर निगरानी रखने के लिए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय बंजरभूमि उन्नयन मिशन (एनडब्ल्यूयूएम) की शुरूआत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बंजरभूमि/पनधारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बंजरभूमि/पनधारा कार्यक्रमों के बेहतर उपयोग के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)** : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय बंजरभूमि उन्नयन मिशन (एनडब्ल्यूयूएम) का न तो कभी प्रस्ताव किया गया था और न ही वर्ष 2003 में इसे स्थापित किया गया था। मार्च, 2000 में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में बंजरभूमि के क्षेत्र के बारे में विश्वसनीय आंकड़ा आधार सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एनआरएसए), अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद के सहयोग से भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया) तैयार किया था। तत्पश्चात् भूमि संसाधन विभाग ने देश में बंजरभूमि के क्षेत्रफल में हुए सामयिक परिवर्तनों को मानीटर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एनआरएसए) को भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (2000) को अद्यतन करने के संबंध में एक परियोजना आरंभ करने का कार्य पुनः सौंपा था। रबी फसल मौसम, 2003 से संबंधित उपग्रह आंकड़ों के आधार पर भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस का संशोधित तथा अद्यतन पाठ नवम्बर, 2005 में तैयार किया था।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग ने हनुमंत राव समिति की रिपोर्ट, 1994 में की गई सिफारिशों के अनुसार बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों को 1.4.1995 से वाटरशेड पद्धति तथा सहभागिता आधार पर कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। तत्पश्चात संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मुख्य भूमिका सौंपने के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया था। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को "हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों" के रूप में जारी किया गया था। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(ङ) से (छ) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में बंजरभूमि/वाटरशेड विकास के संबंध में कोई कृतिक बल गठित नहीं किया गया है। तथापि, बंजरभूमि/वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाने में ऋण प्रदान करने वाली/वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाने हेतु मार्च, 2002 में सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया गया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2004 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के सचिवों, सभी राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों, योजना आयोग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को आवश्यक कार्रवाई हेतु जनवरी, 2006 में परिचालित किया गया था। कृतिक बल की सिफारिशें संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

***विवरण-I***

*हरियाली मार्गदर्शी सिद्धान्त*

भूमि संसाधन विभाग ने हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त देश में वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को वित्तीय रूप से तथा प्रशासनिक तौर पर अधिकार सम्पन्न बनाने के उद्देश्य के साथ तैयार किए हैं।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत, ग्राम पंचायतें परियोजनाओं को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के समग्र पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अन्तर्गत कार्यान्वित करेंगी। किसी एक ब्लाक/तालुक के लिए स्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं के लिए मध्यवर्ती पंचायत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी हो सकती है। यदि इन पंचायतों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हों तो जिला पंचायत या तो स्वयं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है अथवा किसी उपयुक्त समनुरूप विभाग जैसे कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी, भूमि संरक्षण आदि विभाग को अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी/विश्वविद्यालय/संस्थान को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकती है। इन विकल्पों के उपलब्ध नहीं होने पर जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) जिले में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अथवा

संबंधित क्षेत्र विकास कार्यों को करने में पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन को, उसकी विश्वसनीयता की पूरी तरह जांच करने के पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर सकती है।

जैसे कि पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिकल्पना की गई थी, हरियाली मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) ग्राम पंचायत को ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए जल संग्रहण (वाटरशेड) के लिए विकास योजनाएं तैयार करने हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी तथा ग्राम समुदायों को संगठित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने, वाटरशेड विकास कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने, परियोजना लेखों की जांच करने तथा उन्हें प्रमाणित करने, कम लागत वाली तथा स्वदेशी तकनीकी जानकारी के आधार पर तैयार प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के कार्य करेगी और परियोजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित परिसंपत्तियों के परियोजनोत्तर संचालन तथा रख–रखाव एवं इनका आगे और विकास करने के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने का कार्य भी करेगी। तथापि, इस पहल के अन्तर्गत कुल निधियां 5 किस्तों (15%, 30%, 30%, 15% तथा 10% की दर से) में जारी की जाएंगी। कार्य संघटक को कुल परियोजना निधियों के 80% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। 10% भाग को प्रशासनिक व्यय के लिए रखा गया है और शेष 5% राशि को प्रशिक्षण और समुदाय सहभागिता के लिए रखा गया है।

चल रहे क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अन्तर्गत नई परियोजनाएं 1.4.2003 में हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी। इस तारीख से पूर्व स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा।

हरियाली के विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

हरियाली तथा पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डीओएलआर.एनआइसी.इन पर उपलब्ध है।

*विवरण-II*

*बंजरभूमि/वाटरशेड विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ संयोजन (लिंकेज) के संबंध में कृतिक बल की सिफारिशें*

भारत ने अब हरित क्रान्ति चरण के बाद के चरण में प्रवेश किया है जिसमें भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने तथा ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए नई कार्यनीतियां अपेक्षित हैं। भविष्य में देश के विकास के लिए सशक्त अग्रगामी और पश्चगामी संयोजनों (लिंकेज) के साथ एक सघन विविधता पूर्ण कृषि प्रणाली के लिए कार्रवाई करना अगला विकासात्मक कदम है। आर्थिक उदारीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में समन्वय के लिए भूमि उपयोग प्रणाली और कृषि व्यापार से नई अपेक्षाएं की जा रही हैं। तथापि, ऐसे परिवर्तन की गति और विस्तार तथा ग्रामीण विकास पर बहुगामी प्रभावों वाले कार्यों के जरिए इसका प्रभाव पर्याप्त ऋण सुविधाओं की उपलब्धता और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर निर्भर करेगा।

इस समय वाटरशेड विकास तथा बंजरभूमि विकास संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण केन्द्र स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा तथा राज्य स्तरों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को बंजरभूमि के विकास के लिए विशिष्ट कार्य सौंपा गया है जिसके तहत राज्यों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। नाबार्ड ने इस संबंध में पहले ही अवसंरचना विकसित कर ली है और यह आशा है कि यह न केवल वाटरशेड परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराने में ही बल्कि स्व–सहायता समूहों को, विशेष रूप से परियोजनाओं को सतत् रूप से सम्पोषणीय बनाए रखने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परियोजनोपरांत अवधि के दौरान ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को वित्तपोषित करने में भी एक व्यापक भूमिका अदा करेगा।

नाबार्ड द्वारा बंजरभूमि की विभिन्न श्रेणियों तथा भौगोलिक अवस्थितियों के लिए वाटरशेड विकास परियाजनाओं के व्यवहार्य माडलों को विकसित किया जाना चाहिए/का पता लगाया जाना चाहिए। उन्हें परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए।

वाटरशेड/बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों के संबंध में नीतिगत मामलों पर निर्णय लेते समय केन्द्र स्तर पर तथा राज्यों में सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा नाबार्ड को शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक अवस्था में उनका अर्थपूर्ण सहयोग सुनिश्चित हो सके।

वाटरशेड परियोजनाओं में बैंकों/ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को शामिल करने की दृष्टि से यह वांछनीय होगा कि बैंक अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से सफल वाटरशेड परियोजनाओं के संबंध में स्थिति निर्धारण कार्यक्रमों और प्रदर्शन दौरों की व्यवस्था की जाए ताकि वे इन परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को स्वयं महसूस कर सकें।

वाटरशेड परियोजनाओं को तैयार करने में जिले के अग्रणी बैंक को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे बैंकों से सदस्यों को तथा प्रत्येक जिले में नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) को जिला वाटरशेड सलाहकार समिति में नामित किया जाना चाहिए। जब वाटरशेड परियोजना स्वीकृत की जाती है तो उस संबंधित बैंक जिसके द्वारा आवश्यक ऋण, विशेष रूप से जीविका संबंधी कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, के नामित व्यक्ति (अधिमानतः शाखा प्रबंधक) को वाटरशेड संघों की बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

बैंकरों द्वारा वाटरशेड विकास कार्यक्रम का महत्व समझने और जिला प्रशासन द्वारा ऋण संबंधी रीतियों–नीतियों तथा बैंकरों के सामने आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करने के संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि इस क्षेत्र में निवेश के सुनिश्चित अवसरों का पता लगाने के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता पैदा करने तथा प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन हेतु बैंकरों के लिए जिला प्रशासन तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

नाबार्ड/बैंकिंग/ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की ओर से, इन्हें पहले की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर तथा जिला स्तर पर सहयोजित करने से पूर्व वास्तविक अवसंरचनात्मक कार्यों तथा कृषि एवं गैर–कृषि जीविका कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराने संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक समझौता ज्ञापन तैयार किए जा सकते हैं।

बंजरभूमि विकास परियोजनाएं/कार्यकलाप केवल राज्यों अथवा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता/निधियों के साथ ही शुरू नहीं किए जाने चाहिए अपितु इसमें लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की ओर से भी प्रतिबद्धता का कुछ भाग शामिल होना चाहिए। व्यक्तिगत निजी भूमि के मामले में ऐसे अंशदान के संबंध में कोई कठिनाई नहीं होगी, परन्तु सामुदायिक भूमि के मामले में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए)/ग्राम पंचायतें लाभ–भोगियों से अंशदान की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आगे आ सकती हैं।

जब एक बार वाटरशेड परियोजना स्वीकृत हो जाती है, तो वाटरशेड समिति द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें वाटरशेड विकास संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दिए गए अनुसार केवल कार्यकलापों को आरम्भ करना ही शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें परियोजना अवधि तथा परियोजना पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान कमजोर वर्गों या स्व–सहायता समूहों के लिए जीविका से संबंधित कुछेक अन्य कार्यकलाप भी शामिल होने चाहिए। कार्य योजना में परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग क्षेत्र, सरकार और लाभभोगियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों (नकदी, वस्तु या श्रम) को भी शामिल किया जाना चाहिए। योजना में पहले की कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ऋणदाता एजेंसियों से आगे निधियां प्राप्त करने में सुविधा हो सके।

सरकार बैंकों और समुदाय से प्राप्त निधियों को शामिल करते हुए उपर्युक्त आधार पर तैयार समेकित वाटरशेड योजना के बारे में जिला वाटरशेड सलाहकार समिति (डीडब्ल्यूएसी) में विचार–विमर्श किया जाएगा और यह जिले की वार्षिक ऋण योजना का भाग होगी।

बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की निर्बाध वसूली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों/वाटरशेड संघों को बैंकों/नाबार्ड द्वारा दिए गए ऋणों की वापसी के लिए गारंटीकर्ता के रूप में आगे आना चाहिए। ऐसी स्थिति में बैंक बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि के विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करने से परहेज नहीं करेंगे।

बैंक, भूमि विकास, तालाब आदि जैसी अवसंरचना के विकास के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बागवानी, पशुपालन आदि को शामिल करते हुए उत्पादन बढ़ाने संबंधी कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। यह सिफारिश की जाती है कि बैंकों की ऐसी योजनाओं को वाटरशेड विकास और अवक्रमित/बंजरभूमि के विकास की योजनाओं के साथ व्यवस्थित रूप से समन्वित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों, विशेष रूप से नाबार्ड द्वारा वाटरशेड विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट माडल तैयार किए जाने चाहिए ताकि ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण की पात्रता के संबंध में परियोजना–दर–परियोजना आधार पर संवीक्षा की आवश्यकता न रहे।

बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण से इस प्रकार विकसित की गई अवसंरचना की सुरक्षा की जानी होगी और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों की पूर्णतः वसूली किए जाने तक यह

उनके पास बंधक रहेगी। यदि कुछेक राज्य कानूनों के तहत इस संबंध में कोई बाधा हो तो राज्यों को स्थानीय कानूनों में संशोधन करना चाहिए अथवा अपेक्षित अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करने चाहिए ताकि ऐसी वास्तविक अवसंरचना को वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखा जा सके।

परियोजना को सफल बनाने की दृष्टि से विशिष्ट मृदा तथा कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त फसल प्रजातियों का चयन करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन तथा इन पर होने वाले व्यय में सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। यथा स्थान मृदा तथा जल सरक्षण से संबंधित कार्यकलापों के अलावा, पोषक तत्वों के प्रबंधन, जैव प्रबंधन, कृमि–पालन (वर्मिकल्चर), कृषि बॉयो–मास उत्पादन आदि सहित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तकनीकों को भी विकसित किया जा सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि पर औषधीय पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। जीवन–क्षमता तथा सततता को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार पर हुए व्यय पर तथा प्राप्त प्रतिफल के संबंध में आर्थिक विवेचन का भी अध्ययन किया जाए।

ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं से अपेक्षित ऋण प्राप्त करने हेतु कागजात तैयार करने में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को किसानों के समूहों की सहायता करनी चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के लिए कागजात तैयार करने हेतु नाबार्ड/वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

वाटरशेड कार्यकर्त्ताओं की सुविधा के लिए तथा वाटरशेड में ऋण योजनाओं को तैयार करने के संबंध में समुचित स्थिति निर्धारण के लिए वाटरशेड कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित किया जाना चाहिए। वाटरशेड सचिव तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) द्वारा सेवा क्षेत्र शाखा प्रबंधक के साथ परामर्श करके आने वाले वर्ष के लिए वास्तविक ऋण आवश्यकता की रूपरेखा अग्रिम रूप में तैयार की जानी चाहिए तथा पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दिसम्बर मास तक जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पूरे जिले के लिए ऋण आवश्यकता को समेकित करेगी तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष की जिला वार्षिक ऋण योजना में शामिल करने के लिए जनवरी मास तक जिले के अग्रणी बैंक के प्रबंधक को प्रस्तुत करेगी। वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श करने के लिए अनुमोदित ऋण योजनाओं की सूचना वाटरशेड कार्यकर्त्ताओं को दी जाएगी। ऋण संयोजन (लिंकेज) की मद को जिला ऋण योजना की आवधिक समीक्षा के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

पंचायती राज अधिनियम में एक उपबंध बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्राम पंचायतें गारंटी दे सकें।

वर्षा सिंचित/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं विभिन्न विभागों नामतः (i) कृषि एवं सहकारिता विभाग (ii) भूमि संसाधन विभाग (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (iv) जल संसाधन मंत्रालय तथा (v) योजना आयोग द्वारा वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा यह महसूस किया गया है कि विभिन्न विभागों के तहत वाटरशेड कार्यक्रमों को चलाए जाने के कारण निधियों की क्षति होती है तथा कार्य की परस्पर व्याप्ति होती है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सभी योजनाओं तथा परियोजनाओं में कारगर समन्वय के लिए सभी वाटरशेड कार्यक्रमों का संचालन भारत सरकार/राज्य सरकारों के स्तर पर एक ही मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। निधियां एक ही केन्द्रीय (नॉडल) मंत्रालय को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा निगरानी उसी मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

**सीई लाज (अमेंडमेंट एण्ड वैलिडेशन) आर्डिनेन्स, 2005**

**2516. श्री रनेन बर्मन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल एक्साइज लाज (अमेंडमेंट एण्ड वैलिडेशन) आर्डिनेन्स, 2005 को प्रख्यापित करने का क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या आर्डिनेन्स की वैधता समाप्त होने दी गई है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मैसर्स आईटीसी लिमिटेड पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न किए जाने का कितना दावा किया गया है;

(घ) आर्डिनेन्स की कार्य अवधि समाप्त होने के बाद उत्पाद शुल्क के दावे की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या पूर्वगामी प्रभावी के साथ उत्पाद शुल्क नियमों में संशोधन की मांग करते हुए कोई आर्डिनेन्स प्रख्यापित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली ने दिनांक 29.12.1995 के एक आदेश द्वारा मै. आईटीसी लिमिटेड एवं इसके संविदा बाह्य विनिर्माताओं को वर्ष 1987 के दौरान जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, जिसमें 803 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग की गई थी, से उत्पन्न मामले में मै. आईटीसी लिमिटेड पर 683.5 करोड़ रुपये की राशि की पुष्टि की है। उक्त आदेश के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील के लंबित होने के दौरान मै. आईटीसी लिमिटेड ने पूर्व–जमा के रूप में 350 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। उक्त मांग दिनांक 4.9.1998 को अधिकरण द्वारा और इसके पश्चात 10.9.2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने बाद में सरकार द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित अधिसूचनाओं में सुझाई गई कमियों को ठीक करने और इसके अंतर्गत कार्रवाइयों को वैधता प्रदान करने के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2005 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2005 प्रभावी हुआ।

(ख) अध्यादेश के प्रभावी रहने के दौरान मै. आईटीसी लि. ने 350 करोड़ रुपये की जमा राशि की प्रति अदायगी के अपने दावे को छोड़ने की इच्छा जताई और सरकार से शेष मांग को अध्यादेश अथवा अन्यथा के अंतर्गत माफ करने का अनुरोध किया। इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत तथा इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कि कर विवाद का निपटान तर्कसंगत आधार पर किया जाना चाहिए, सरकार ने आईटीसी लि. के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 5 अप्रैल, 2005 के एक आदेश द्वारा इस समझौते को स्वीकार किया तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 350 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान का न्याय निर्णयन किया।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली ने दिनांक 29.12.1995 के एक आदेश द्वारा मै. आईटीसी लिमिटेड एवं इसके संविदा बाह्य विनिर्माताओं को वर्ष 1987 के दौरान जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, जिसमें 803 करोड़ रुपये के शुल्क के मांग की गई थी, से उत्पन्न मामले में मै. आईटीसी लिमिटेड पर 683.5 करोड़ रुपये की राशि की पुष्टि की है।

(घ) उत्पाद शुल्क दावा, अध्यादेश की कार्य अवधि समाप्त होने के बाद तथा 5 अप्रैल, 2005 के आदेश द्वारा किए गए समझौते को स्वीकार करने के बाद, समाप्त हो जाता है।

(ङ) और (च) इन भागों का उत्तर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से तैयार किया जाना है। इसे संग्रहित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**भुगतान संतुलन**

**2517. श्री मिलिन्द देवरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर–दिसम्बर, 2005 में घाटे की तुलना में जनवरी–मार्च, 2006 में भारत के भुगतान संतुलन में बढ़ोत्तरी देखी गई;

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था में ऐसे सकारात्मक निष्पादन के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारत द्वारा क्या विस्तृत नीति अपनाई गई है; और

(घ) अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति में निरंतर सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर–दिसम्बर, 2005 में भुगतान संतुलन में 4.7 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में जनवरी–मार्च, 2006 में 13.2 बिलियन अमरीकी डालर का अधिशेष था।

(ख) अक्तूबर–दिसम्बर, 2005 में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में चालू खाता अधिशेष जनवरी–मार्च, 2006 के दौरान 1.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था। पूंजी खाता (निवल) अक्तूबर–दिसम्बर, 2005 के दौरान 0.8 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे से सुधरकर जनवरी–मार्च, 2006 के दौरान 11.4 बिलियन अमरीकी डालर अधिशेष हो गया।

(ग) और (घ) विदेशी क्षेत्र की नीतियों का लक्ष्य माल, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह सुसाध्य बनाते हुए और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप चालू लेखा घाटे को वहनीय स्तर पर बनाए रखते हुए वर्द्धित वैश्वीकरण के लाभों को बढ़ाना है। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं : कृषि–भिन्न उत्पादों पर चरम सीमा–शुल्कों में क्रमिक कटौती करके और व्यापार–बाधाओं को हटाकर एक उदार तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी व्यापार–तंत्र की स्थापना करना; एक उपयुक्त विनिमय दर संरचना बनाए रखना; विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रबंधन जो बाह्य

स्थिति के साथ–साथ समग्र वृहत आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार के लिए उदार नीतियां। जैसा कि देश के विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति में प्रतिबिम्बित होता है, इन उपायों से देश के भुगतान–संतुलन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

**चाय कंपनियों की लागत लेखापरीक्षा**

**2518. श्रीमती मनोरमा मधवराज :** क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागानों की मालिक 36 चाय कंपनियों को अपने उत्पादन लागत संबंधी रिकार्ड स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित करवाने तथा रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कदम उद्योग को दी जाने वाली राजसहायता तथा प्रोत्साहनों के उपभोग के तरीके की स्थापना करने की आवश्यकता को देखते हुए उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2002 में बनाए गए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकार्ड्स (प्लान्टेशन प्रोडक्ट्स) रूल्स की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसे स्वतंत्र लेखापरीक्षा नियम बनाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी क्षेत्र जिनमें राजसहायता तथा प्रोत्साहन दिए जाते हैं, में स्वतन्त्र लेखापरीक्षा करवाने का आदेश दिया गया है?

**कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) :** (क) और (ख) सरकार ने 38 चाय कंपनियों से संबंधित लागत लेखापरीक्षा आदेश जारी किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार, जहां आवश्यक समझती है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233(ख) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के लागत लेखाओं की लेखापरीक्षा के आदेश दे सकती है जो अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत लेखा रिकार्ड के रख–रखाव के लिए आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 1956 केवल उन कंपनियों तक ही लागत लेखापरीक्षा के प्रतिबंधित नहीं करती जो कि सरकार से सहायता या प्रोत्साहन ले रही हैं।

(ङ) लागत लेखापरीक्षा रिकार्ड नियम 43 अन्य क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं।

(च) जी, हां। कतिपय कंपनियों को जो कि सहायता/प्रोत्साहन प्राप्त कर रही हैं को स्वतन्त्र लेखापरीक्षा आदेश जारी किए गए हैं।

*विवरण*

| क्र.सं. | चाय कम्पनियों के नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | एम्यूरी इण्डिया लिमिटेड |
| 2. | असम कम्पनी लिमिटेड |
| 3. | बी एण्ड ए लिमिटेड |
| 4. | बरक वैले टी कम्पनी |
| 5. | बजालोनी ग्रुप लिमिटेड |
| 6. | भगतपुर टी कम्पनी लिमिटेड |
| 7. | धनसेरी टी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 8. | डंकेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 9. | एवरेडी इंडस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड |
| 10. | गिलेण्डर्स अर्बथनॉट एण्ड कम्पनी लिमिटेड |
| 11. | गुडराइक ग्रुप लिमिटेड |
| 12. | ग्रोब टी कम्पनी लिमिटेड |
| 13. | हरिसन्स मलयालम लिमिटेड |
| 14. | हासीमारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 15. | हाइलैण्ड टी प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड |
| 16. | जय श्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 17. | कोठारी प्लानटेशन्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 18. | मरान कम्पनी लिमिटेड |
| 19. | नीलगलाई एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 20. | न्यू टी कम्पनी लिमिटेड |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 21. | ओक्टावियस टी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 22. | पैरी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| 23. | आरएनटी प्लानटेशन लिमिटेड |
| 24. | रोस्सेल टी लिमिटेड |
| 25. | शंकर टी कम्पनी लिमिटेड |
| 26. | स्कोटिश असम (इ) लिमिटेड |
| 27. | स्टेनस अमलगेमेटेड स्टेट्स लिमिटेड |
| 28. | तमिलनाडु टी प्लानटेशन कारपोरेशन लिमिटेड |
| 29. | टाटा टी लिमिटेड |
| 30. | टीस्टा वैले टी कम्पनी लिमिटेड |
| 31. | तेजपोरे टी कम्पनी लिमिटेड |
| 32. | तीरु टी लिमिटेड |
| 33. | वारेन टी लिमिटेड |
| 34. | असम फ्रंटियर लिमिटेड |
| 35. | एम्पायर प्लान्टेशन्स (इ) लिमिटेड |
| 36. | सिंगलो (इण्डिया) टी कम्पनी लिमिटेड |
| 37. | बाबे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड |
| 38. | पेरिया करामलाई टी एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड |

**ग्लोबल फ्लक्स नेटवर्क**

**2519. श्रीमती अर्चना नायक :**

**श्री एन. पी. वीरेन्द्र कुमार :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को ग्लोबल फ्लक्स नेटवर्क का हिस्सा बनने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे प्रदूषण रहित पर्यावरणीय परिवर्तनों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा सकेंगे;

(घ) क्या आंकड़ों के लिए एक केन्द्रीय भण्डार की स्थापना की जानी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) से (ङ) देश के विभिन्न प्रदर्शी पारिस्थितिकीय पर्यावरणों में गैसीय फ्लक्सेज और मौसम विज्ञान संबंधी पैरामीटरों की माप करने के लिए यंत्रीकृत टावरों के माध्यम से भारतीय फ्लक्स नेटवर्क की स्थापना करने की संभाव्यता और व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

**दक्षिणी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करना**

**2520. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण क्षेत्र की विद्युत पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु काफी कम राशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक ने दक्षिण क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ाने के लिए विद्युत क्षेत्र में और वित्तीय निवेश की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) दक्षिणी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली के लिए 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13977 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 23 पारेषण स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें से 7934 करोड़ रुपये की स्कीमें पूरी कर ली गई हैं, 4143 करोड़ रुपये की स्कीमें निर्माणाधीन हैं, 900 करोड़ रुपये की स्कीमें निवेश अनुमोदन चरण में हैं तथा 1000 करोड़ रुपये की स्कीमें करार होने के चरण में हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने तादी स्थित 4000 मे.वा. अल्ट्रा मेगा परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन स्कीमों से, उडुपी एवं मंगलौर के बीच स्थित 1015 मे.वा. की स्कीम तथा मंगलौर स्थित 2000 मे.वा. की स्कीम से विद्युत निकासी के लिए पारेषण स्कीमें शुरू करने का संदर्भ दिया है। इन परियोजनाओं से विद्युत निकासी

के लिए पारेषण प्रणाली उत्पादन परियोजना पर अंतिम राय बनाने के पश्चात् लाभार्थी राज्यों को परियोजना से विद्युत आवंटन के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि लाभार्थी दो या दो से अधिक राज्य हैं तो केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा अंतःराज्य पारेषण प्रणाली को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। किन्तु, यदि लाभार्थी राज्य एक है तो पारेषण प्रणाली को संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा क्रियान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा।

**सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के वेतन में संशोधन**

**2521. श्री एस. के. खारवेनथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों में कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा वेतन संशोधन कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों में समूह–I, III तथा IV से संबंधित सभी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में 21 दिसम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार समूह–II कर्मचारियों के संबंध में नहीं किया जा सका क्योंकि इन कर्मचारियों से संबंधित यूनियन/एसोसिएशन न वह करार, जो अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के साथ किया गया था, पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति नहीं दी। दी जनरल इन्श्योरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन (जिप्सा) ने समूह–II कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, यूनियन/एसोसिएशन के साथ पहले ही छः बार बैठक कर चुकी है। संबंधित यूनियन/एसोसिएशन का जिप्सा के साथ करार होने पर समूह–II के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

**ऊर्जा क्षेत्र में भारत-म्यांमार सहयोग**

**2522. श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा क्षेत्र में म्यांमार को पूरा सहयोग देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) जी, हां।

(ख) (i) नैशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने तमांथी जल विद्युत परियोजना (1200 मेगावाट) के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन किए हैं।

(ii) जनवरी, 2005 में पैट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। इस क्षेत्र में सहयोग में निम्नलिखित की संकल्पना है :

- म्यांमार के पैट्रोलियम खोज कार्यक्रम में भारतीय कंपनियों की भागीदारी।
- म्यांमार प्राकृतिक गैस का भारत को निर्यात।
- म्यांमार–भारत गैस पाइपलाइन का निर्माण।
- अपस्ट्रीम और मार्किटिंग क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी।

(iii) बायोमास गैसीफायर प्रणाली का प्रयोग करने वाले छोटे एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के लिए प्रदर्शन (डीमान्सट्रेशन) परियोजना अप्रैल, 2003 में स्थापित की गई थी।

(iv) द एनर्जी एंड रिसोसर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से म्यांमार में शिक्षा ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु एक परियोजना शुरू की है।

भारत ने बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल एंड इकोनोमिक कोआपरेशन (बीआईएमएसटीईसी) में पड़ोसी राज्यों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की सहमति की है। म्यांमार इस पहल के सदस्य देशों में से एक है। बीआईएमएसटीईसी में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु एक कार्यवाहक योजना अक्टूबर, 2005 में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अपनाई गई थी। कार्यवाहक योजना की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न की गई है।

*विवरण*

**प्रथम बिम्सटेक ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन**

**4 अक्टूबर, 2005**

**नई दिल्ली, भारत**

*बिम्सटेक में ऊर्जा सहयोग के लिए कार्य योजना*

**(क) बिम्सटेक ट्रांस विद्युत विनिमय एवं विकास परियोजना**

(i) थाइलैंड के नेतृत्व में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का कार्यबल ग्रिड अंतः संयोजन के लिए मसौदा समझौता–ज्ञापन पर एक साल के अंदर–अंदर रिपोर्ट दे देगा। कार्यबल ऐसे मुद्दों पर विचार करेगा जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ संबंधित राष्ट्रीय ग्रिड में क्षमता की उपलब्धता पर ध्यान देते हुए पक्षपात–रहित आधार पर विद्युत प्रवाह, ग्रिड अंत संयोजन के अवरोधों को हटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड के तकनीकी, आयोजना एवं प्रचालन मानकों को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर भी विचार करना शामिल है।

(ii) दिसम्बर, 2005 में किसी समय भारत द्वारा 1 ग्रिड मानकों को सुव्यवस्थित करने पर कार्यशाला की मेजबानी की जाएगी।

**(ख) ट्रांस बिम्सटेक गैस पाइपलाइन(नें)**

(iii) ट्रांस बिम्सटेक गैस पाइपलाइन(नों) पर अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय निर्धारित करने के लिए तथा अब तक हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए, की जाने वाली बाद की कार्यवाही सुझाने के लिए सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के कार्य-बल का गठन किया जाना है। थाइलैंड अगले वर्ष के प्रारम्भ में इस कार्य बल की प्रथम बैठक की मेजबानी करेगा।

थाइलैंड ने बिम्सटेक क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडार पर एक कार्यशाला की मेजबानी करने की भी पेशकश की। यह भी सहमति हुई कि इस कार्यशाला को कार्य बल की प्रथम बैठक के साथ ही आयोजित किया जाए।

(iv) भारत, फरवरी–मार्च 2006 में ऊर्जा चार्टर संधि तथा अन्य ऐसी व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए सम्मेलन की मेजबानी करेगा जो क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार के लिए उभर कर सामने आई हैं।

**(ग) बिम्सटेक क्षेत्र की जल विद्युत संभाव्यता**

(v) भारत द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में हासिल हुए अनुभवों को बांटने के लिए कार्यशाला की मेजबानी की जाएगी।

**(घ) अ-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत**

(vi) सभी सदस्य देशों की सहायता से, म्यांमार एक वेबसाइट की स्थापना के कार्य का समन्वयन करेगा। भारत तय वेबसाइट की विस्तृत संरचना, विषयवस्तु तथा प्रचालन तंत्र पर संकल्पना पत्र तैयार करेगा। इस संबंध में, संकल्पना पत्र तथा किए जाने वाले अगले कार्यों के लिए अपेक्षित कदमों पर परिचर्चा करने के लिए नवंबर, 2005 के दूसरे भाग में, बैंकाक में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

(vii) नेपाल, लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्यशाला की मेजबानी करेगा। नेपाल द्वारा जनवरी, 2006 तक स्थान एवं तिथि की पुष्टि की जानी है।

(viii) थाइलैंड, वर्ष 2006 के द्वितीय भाग में, चावल की भूसी से सह–उत्पादन के क्षेत्र में, सदस्य देशों के लिए कार्यशाला तथा क्षेत्र परिभ्रमण की मेजबानी करेगा।

(ix) अगले एसईएनओएम में प्रस्तुत किए जाने के लिए भारत, स्दस्य देशों में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों पर स्थिति–पत्र तैयार करेगा।

(x) भारतीय सौर ऊर्जा केन्द्र बांग्लादेश तथा श्रीलंका के सहयोग से, सौर ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों, मानकों तथा परीक्षण में सहयोग कार्यों का समन्वयन करेगा।

(xi) अक्षय ऊर्जा पर बिम्सटेक कार्य बल विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए मानकों का सामंजस्य करेगा।

**(ङ) ऊर्जा दक्षता**

(xii) श्रीलंका, वर्ष 2006 की द्वितीय तिमाही में, ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रमाणीकरण में, अपने–अपने अनुभव बांटने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी करेगा।

(xiii) सभी सदस्य देशों की सहभागिता से मानक एवं लेबलिंग पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाएगा। इस दल

का नेतृत्व भारत करेगा। इसमें परीक्षण प्रणालियां/प्रक्रियाएं एवं हार्डवेयर शामिल होंगे। वर्ष 2006 की द्वितीय तिमाही में विशेषज्ञ दल की बैठक होगी। सभी सदस्य देशों द्वारा अपने नामितों के नाम भारत को भेजने होंगे। भारत को जनवरी, 2006 तक, बैठक की तिथि एवं स्थान की पुष्टि करेगा।

(घ) ऊर्जा सुरक्षा

(xiv) बांग्लादेश द्वारा सितम्बर 2006 में कोयला स्रोतों के दक्ष विकास से संबंधित अनुभवों को बांटने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। बांग्लादेश द्वारा स्थान एवं दिनांक की पुष्टि अप्रैल, 2006 तक की जानी है।

(xv) भारत द्वारा 25–27 जनवरी, 2006 को बिम्सटेक ऊर्जा केन्द्र के संकल्पना नोट पर परिचर्चा हेतु कार्यशाला की मेजबानी की जाएगी।

(xvi) ग्रामीण विद्युत सहकारिता के अनुभव बांटने पर कार्यशाला (बांग्लादेश द्वारा पुष्टि की जानी है)।

(xvii) भूटान मई/जून 2006 में किसी समय, ग्रामीण विद्युतीकरण के अनुभवों को बांटने के लिए कार्यशाला का आयोजन करेगा जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। स्थान एवं दिनांक की पुष्टि भूटान द्वारा जनवरी, 2006 तक की जानी है।

## जाली बाण्डों का संचरण

2523. श्री ओबाकिम बखला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्जी/जाली नकदी प्रमाणपत्रों तथा बाण्डों के संचरण के कारण भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो हर वर्ष कितना घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार जाली बाण्डों के संचरण की संभावना को समाप्त करने के लिए त्रुटिरहित युक्ति कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) नकली सरकारी ऋण लिखतों के संचरण के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। इस कारण से हुई हानि की राशि को बताना कठिन है।

सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में, अमूर्तीकरण की दिशा में हुई प्रगति से जिसका सरकारी प्रतिभूति विधेयक के लागू होने के बाद पूर्ण होना प्रस्तावित है, यह आशा है कि जालसाजी की संभावना पर रोक लगेगी।

वास्तविक प्रपत्रों में लिखतों के संबंध में कई प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें संबद्ध एजेंसियों की आकस्मिक जांच, सुरक्षा संबंधी बातों के बारे में बेहतर सजगता, डाकघरों/प्राधिकृत एजेंटों के जरिए लेन–देन करने के संबंध में लोगों से अनुरोध करने हेतु प्रचार तथा नकदी से पूर्व स्टाफ द्वारा प्रमाणन हेतु अपेक्षाकृत ठोस प्रक्रिया अपनाने विषयक अनुदेश शामिल हैं।

## तमिलनाडु में जल विद्युत परियोजना की स्थापना

2524. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के बीच जल विद्युत परियोजनाओं पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार को समझौते के अनुसार अपना हिस्सा दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) जनवरी, 2001 के दौरान तमिलनाडु एवं कर्नाटक की सरकारों के अनुरोध पर नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) को कावेरी बेसिन में 4 जल विद्युत परियोजनाओं यथा–तमिलनाडु में होगेनेक्कल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) और रसीमनाल–जल विद्युत परियोजना (360 मेगावाट) तथा कर्नाटक में शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना (270 मेगावाट) और मेकादातू जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट)

की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

एनएचपीसी द्वारा उपर्युक्त परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दोनों राज्य सरकारों तथा एनएचपीसी के बीच हस्ताक्षरित होने वाले त्रिपक्षीय करार के मसौदे से संबंधित तमिलनाडु सरकार एवं कर्नाटक सरकार के बीच के मतभेदों को सुलझा लिए जाने के पश्चात् तथा त्रिपक्षीय करार पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

**भूकंपों का पूर्वानुमान**

**2525. *श्री ई. जी. सुगावनम :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कई क्षेत्र भूकंप संकट की उच्चतम जोखिम श्रेणी में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्च, मध्यम तथा कम संकट वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान बिल्डिंग में संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए कोई तकनीक उपलब्ध है तथा लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस देश में भूकंपों के पूर्वानुमान के लिए कोई अनुसंधान टीम बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) और (ख) सीसमिक क्षेत्र–निर्धारण मानचित्र (विवरण–I) के अनुसार दिल्ली सीसमिक क्षेत्र IV में आता है जो अधिकतम जोखिम वाली श्रेणी नहीं है।

हाल ही में भूकंप जोखिम मूल्यांकन केन्द्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली का और छोटे क्षेत्र में निर्धारण करने के लिए 1:50,000 पैमाने पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार एनसीटी दिल्ली प्रदेश धरातल से जुड़ी नौ विभिन्न विशेषताओं वाला पाया गया है। क्षेत्र IV के भीतर आने वाले भूकंपों से इन विशेषताओं के कारण अलग–अलग प्रतिक्रिया होती है तथा हल्के, साधारण और अधिक, तीन स्तरों के खतरे उत्पन्न होते हैं।

इस अध्ययन के अनुसार :

(i) पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली (जैसे पटपड़गंज, शाहदरा, बुराड़ी और नरेला) के क्षेत्र, दक्षिण में छतरपुर के क्षेत्र (घिटोर्नी, डेरामंडी, असोला, अर्जुनगढ़ इत्यादि) तथा पश्चिम दिल्ली रिज क्षेत्र (मटिपालपुर, कैंट, करोलबाग, नारायणा इत्यादि) अधिक खतरे की श्रेणी में आते हैं।

(ii) रिज, दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र, आनंद पर्वत, वसंत कुंज, तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश इत्यादि कम खतरे वाली श्रेणी में आते हैं।

(iii) शेष दिल्ली साधारण खतरे की श्रेणी में आती है। खतरे के स्तरों के साथ इन नौ यूनिटों को दर्शाने वाला एक विस्तृत मानचित्र संलग्न (विवरण–II) है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप रोधी ढांचों के डिजाइन और निर्माण के लिए मानदंड प्रकाशित किए हैं। कमजोर ढांचों के लिए भी, भारतीय मानक ब्यूरो ने पश्च उपयुक्तता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त हुडको द्वारा भी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

(ङ) और (च) चूंकि अभी तक विश्व में कहीं भी, पूर्वानुमान के लिए कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट अनुसंधान दल गठित नहीं किया गया है। तथापि, भारत में भूकंप प्रक्रिया को समझने के लिए, विभिन्न अनुसंधान समूह सबसे पहले के और बहु–पैरामीटर वाले भू–भौतिक प्रेक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हेलियम और रेडॉन गैस विसंगति, जल–स्तर में परिवर्तन, अल्ट्रा निम्न आवृत्ति उत्सर्जन, लघु सीसमीसिटी सहित दबाव बनना इत्यादि।

---

*सभा में 25.8.2006 को दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से बाद में सदस्य का नाम श्री वी. हनुमनत राव से श्री ई. जी. सुगावनम कर दिया गया और ग्रंथालय में एलटी संख्या 4903/2006 के अन्तर्गत भी रखा गया।

विवरण-I

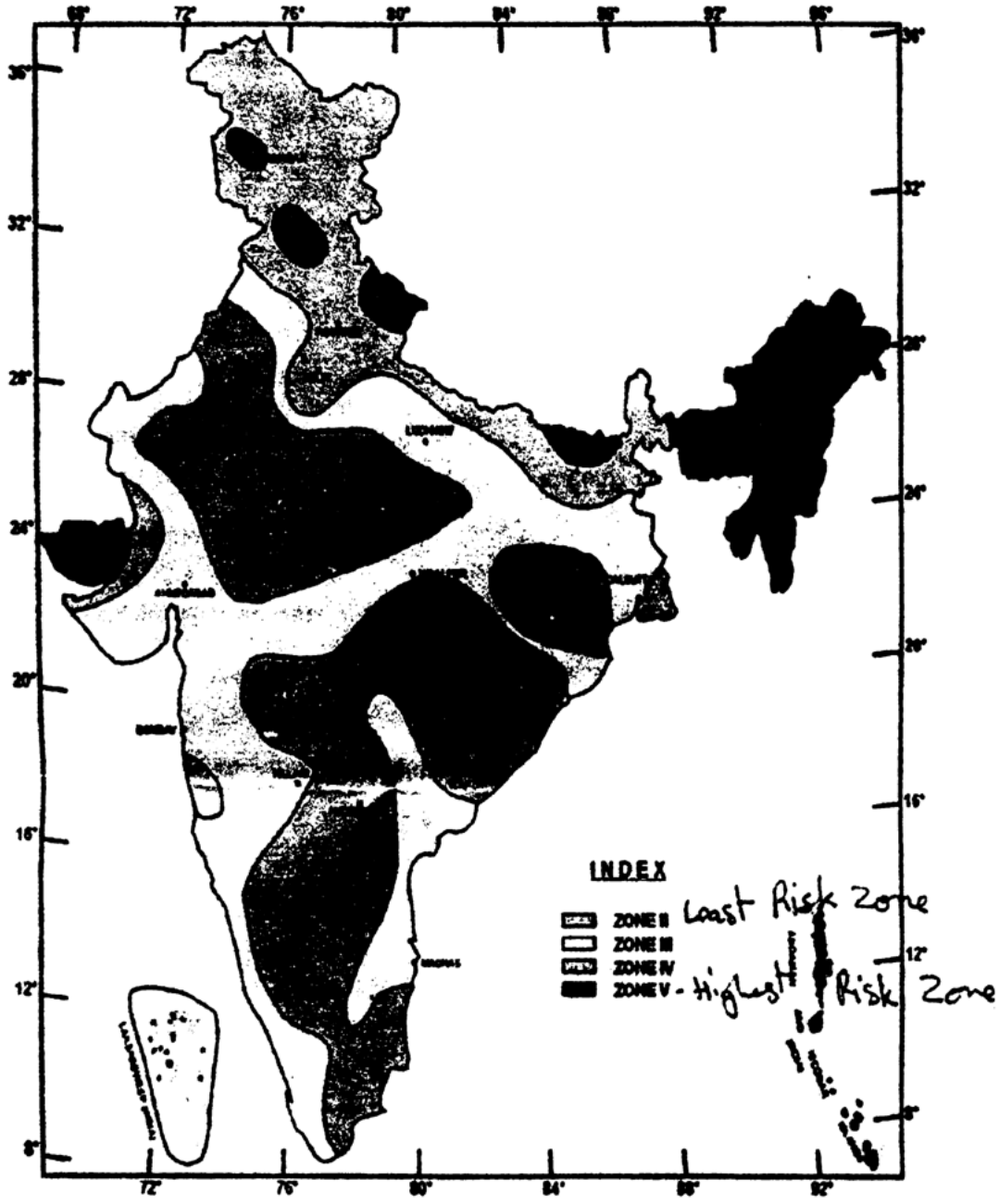
INDEX
ZONE II
ZONE III
ZONE IV
ZONE V - Higlest Risk Zone
Least Risk Zone

*विवरण-II*

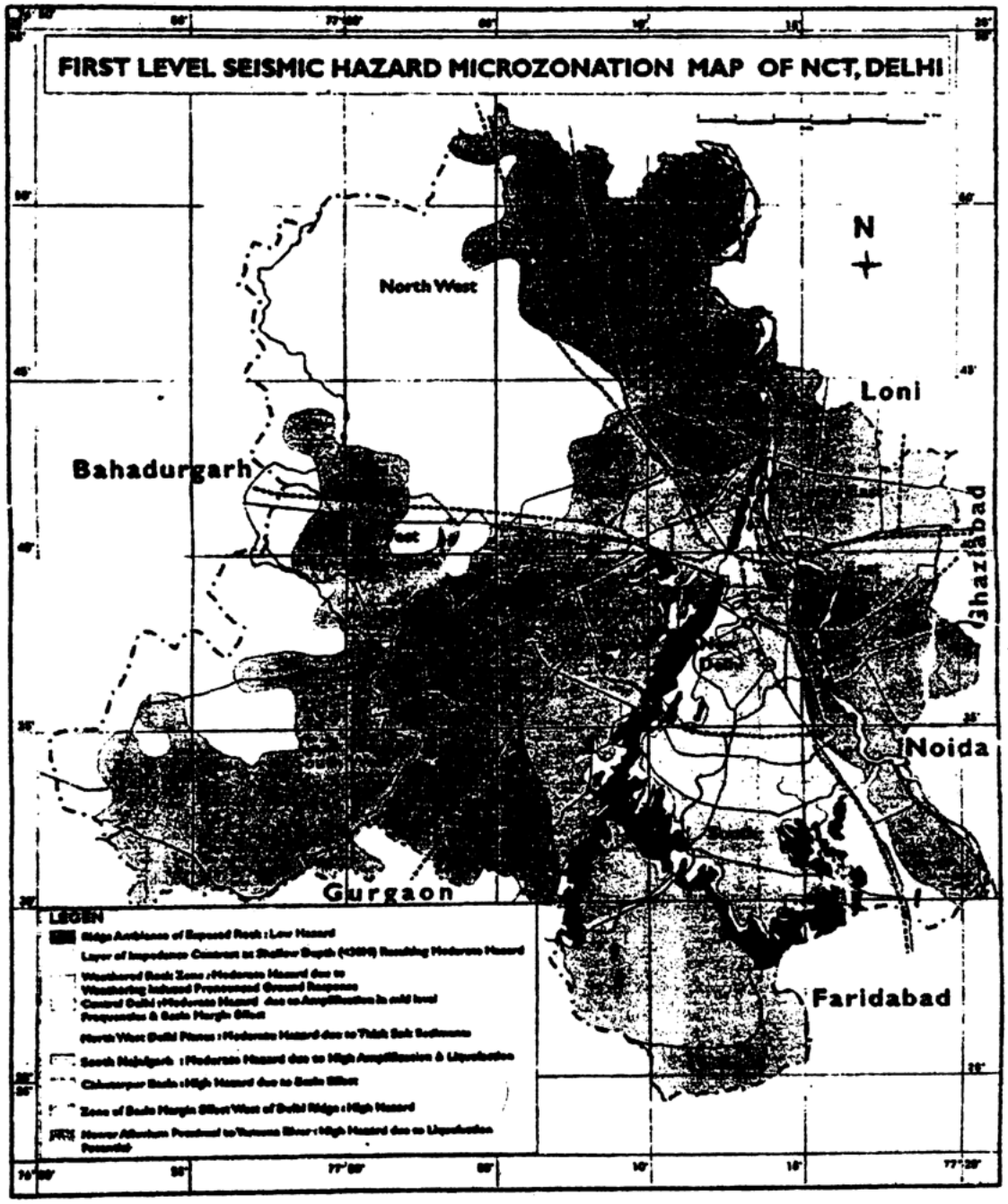
FIRST LEVEL SEISMIC HAZARD MICROZONATION MAP OF NCT, DELHI
N
North West
Loni
Bahadurgarh
Ghaziabad
Noida
Gurgaon
Faridabad
LEGEN

**बैंक की हड़ताल**

**2526. श्री जशुभाई धानाभाई बारड :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारी संघ तथा अन्य बैंक यूनियनों ने 28 जुलाई, 2006 को एक दिन की हड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के लिए मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान बैंकों ने कितनी बार हड़ताल की है;

(घ) इस अवधि के दौरान उनकी मांगें कहां तक पूर्ण की गई हैं;

(ङ) क्या बैंकों की बार-बार हड़ताल के कारण केन्द्र सरकार यूनियनों/संघों को समाप्त करने पर विचार कर रही है, जो आम जनता को असुविधा पहुंचा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तीन कर्मचारी संघों अर्थात अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ तथा भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ ने अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 28 जुलाई, 2006 को एक दिन की अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया था :

(i) बैंकिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र वापिस लेना;

(ii) समाशोधन परिचालनों की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय वापिस लेना;

(iii) बैंकों में मताधिकार पर उच्चतम सीमा हटाने के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) में संशोधन को वापिस लेना;

(iv) भर्ती के माध्यम से बैंकों में लगभग एक लाख रिक्त पदों को भरना; और

(v) पेंशन के लिए तुरन्त एक और विकल्प दिया जाना।

(ग) और (घ) दिनांक 1.1.2005 से आज तक बैंक कर्मचारियों द्वारा तीन देशव्यापी हड़तालें हुई थीं जिनके मद्देनजर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मामलों का समाधान निकालने के लिए समय-समय पर संघों के साथ समझौता कार्यवाहियां कर रहे थे, परन्तु विभिन्न पक्ष किसी संतोषजनक स्थिति पर नहीं पहुंच सके।

(ङ) बैंक कर्मचारियों के संघों/संगठनों को समाप्त करने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र**

**2527. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनेस्को की छत्र-छाया में एक जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आनुवंशिक संसाधन तथा पारम्परिक ज्ञान के आदान-प्रदान पर एक मजबूत डाटाबेस बनाने में सहायता, पेटेन्टों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या संस्थान जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, हां। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत में यूनेस्को के तत्वावधान में जैव प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय शिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रहा है। मंत्रिमंडल और यूनेस्को की महासभा, दोनों ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस केन्द्र की स्थापना के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और यूनेस्को के बीच एक समझौता करार हस्ताक्षरित हुआ है।

(ख) यह क्षेत्रीय केन्द्र जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान होगा जिसमें यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों की सहभागिता होगी। यूनेस्को केन्द्र की भूमिका इस प्रकार होगी :

- क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत विकास के उद्देश्यों के लिए जैव प्रौद्योगिकी में शिक्षण तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) के जरिए क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना;
- क्षेत्रीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतरण को सुगम बनाना;

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के क्षेत्र तथा सामान्य रूप से एशिया महादेश में जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता केन्द्र स्थापित करना ताकि इस क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके;
- क्षेत्र में सेटेलाइट केन्द्रों का एक नेटवर्क तैयार करना;
- दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और सुदृढ़ बनाना।

क्षेत्रीय केन्द्र के कार्य होंगे :

- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक तथा प्रशिक्षण क्रियाकलापों को निष्पादित करना और ज्ञान को अंतरित करना;
- क्षेत्र में संबंधित अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग से अनुसंधान, विकास एवं वैज्ञानिक अन्वेषण शुरू करना;
- वैज्ञानिक संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों (क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) का आयोजन करना और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना;
- एक डाटाबैंक की स्थापना के उद्देश्य से सर्वत्र उपलब्ध सूचना एकत्रित करना;
- नेटवर्किंग के माध्यम से संबंधित स्थानीय ज्ञान एकत्र करना तथा उनका प्रचार करना;
- पुस्तकों, लेखों इत्यादि के प्रकाशन से विभिन्न देशों के अनुसंधान कार्यकलापों के परिणामों को प्रचारित करना;
- जैव प्रौद्योगिकी के विशेष क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान तथा विकास नेटवर्किंग कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, और सहयोगी संस्थानों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों पर समुचित ध्यान देते हुए इस संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान एवं उनके आवागमन को सुगम बनाना।

संरचनात्मक तथा वित्तीय संगठनों की देख–रेख बोर्ड ऑफ गवरनर्स द्वारा किया जाएगा जिसमें कार्यपालक समिति और कार्यक्रम सलाहकारी समिति होंगी।

(ग) क्षेत्रीय केन्द्र और इसके सेटेलाइट केन्द्रों में किए जाने वाले अनुसंधानों से प्राप्त पेटेन्टों और आईपीआर का सहयोगी साझेदार होंगे। आनुवंशिक संसाधनों की भागीदारी संबंधी प्रावधानों पर बाद में संबंधित सरकारों के निर्धारित नियमों एवं नीतियों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। संस्थान जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है और पाठ्यक्रमों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

### राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

**2528. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा स्थानवार कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार के विभागों द्वारा एनबीसीसी को उपयोग प्रमाण पत्र तथा परियोजना की प्रगति के आधार पर राशियां जारी की जाती हैं।

*विवरण*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृत लागत (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **शहरी विकास मंत्रालय** | |
| 1. | गुवाहाटी, फेज–II (भाग–I) के मार्गों तथा उप मार्गों का सुधार | 2416.45 |
| | **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय** | |
| 2. | बोरसोजाई, (प्लाट भूमि 6945 वर्ग मी.) गुवाहाटी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 4 मंजिला आरसीसी भवन का निर्माण | 2071.5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | बोरसोजाई, (प्लाट भूमि 12435 वर्ग मी.) गुवाहाटी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 4 मंजिला आरसीसी भवन का निर्माण | 2123.04 |
| 4. | डेरागांव, असम में वेंडरों के पुनर्वास के लिए बाजार परिसर का निर्माण | 1641.42 |
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय** | |
| 5. | गुवाहाटी के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) क्षेत्र में काजलगांव, कोकराझार में 10 बिस्तरों वाला अस्पताल | 4190.75 |
| | **आयकर विभाग, गुवाहाटी** | |
| 6. | गुवाहाटी में आयकर भवन (विद्युत उप स्टेशन और लिफ्ट सहित) | 1231.70 (1658 लाख रु. का संशोधित अनुमान अनुमोदन के लिए प्रस्तुत) |

**बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर उड़ीसा हेतु धनराशि**

**2529. श्री गिरिधर गमांग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर उड़ीसा सरकार को अब तक वर्षवार और कार्यक्रमवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने धनराशि को कार्यपालक विभागों को आवंटित किया था तथा धनराशि का समय पर उपयोग किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने रायगडा जिले में सिंचाई परियोजनाओं में मरम्मत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या योजना और वित्तपोषण के कार्य बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार चलते हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) 2005–06 तथा 2006–07 (अभी तक) के दौरान बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जारी निधियां इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | क्षेत्र/अनुदान | 2005–06 | 2006–07 (अभी तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | केन्द्रीय करों एवं प्रशुल्कों में हिस्सा | 4876.75 | 2093.55 |
| 2. | गैर–योजना राजस्व घाटा अनुदान | 488.04 | – |
| 3. | वन क्षेत्र | 15.00 | 7.50 |
| 4. | स्वास्थ्य क्षेत्र | 31.22 | 17.40 |
| 5. | शिक्षा क्षेत्र | 53.46 | 29.29 |
| 6. | स्थानीय निकाय अनुदान (पीआरआई तथा यूएलबी) | 181.40 | – |
| 7. | आपदा राहत कोष | 226.16 | 116.34 |
| 8. | सड़कों एवं पुलों का रख–रखाव | – | 184.39 |
| 9. | सार्वजनिक भवनों का रख–रखाव | – | 48.64 |
| 10. | पुरातात्विक (हैरीटेज) संरक्षण | – | 6.25 |
| | कुल | 5872.03 | 2503.36 |

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के अनुसार, निधियां कार्यकारी विभागों के पक्ष में आवंटित की गई हैं तथा उनका उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा–निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है। निधियों का उपयोग निम्नवत प्रयोजनों के लिए हो रहा है :

| क्र.सं. | बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान | अनुदान के उपयोग का प्रयोजन |
|---|---|---|
| 1. | शिक्षा क्षेत्र के लिए अनुदान | राज्य के सर्व शिक्षा अभियान में हिस्से के लिए। |
| 2. | स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान | क्योंझर तथा मयूरभंज जिलों में सचल स्वास्थ्य इकाइयों के परिचालन के लिए बिस्तर, वस्त्र, दवाइयों तथा उपकरणों की खरीद के लिए। |
| 3. | वन क्षेत्र के रख–रखाव के लिए अनुदान | वनों के वैज्ञानिक रख–रखाव के लिए। |
| 4. | सड़कों तथा पुलों के रख–रखाव के लिए अनुदान | सड़कों एवं पुलों का रख–रखाव। |
| 5. | सार्वजनिक भवनों के रख–रखाव के लिए अनुदान | सार्वजनिक भवनों (गैर–आवासीय) का रख–रखाव। |
| 6. | पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए अनुदान | ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता के परिचालन एवं रख–रखाव के लिए तथा लेखों का रख–रखाव। |
| 7. | शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अनुदान | सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा डाटा बेस सृजन तथा लेखों के रख–रखाव के लिए। |
| 8. | आपदा राहत कोष (सीआरएफ) में केन्द्र का हिस्सा | प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, बचाव, रिपेयर तथा पुनःस्थापन कार्यों के लिए। |

(घ) और (ङ) बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान में से रायगडा जिले में सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

**चावल की भूसी से ऊर्जा उत्पादन**

**2530. श्री हंसराज जी. अहीर :**

**श्री के. सी. पल्लानी शामी :**

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल की भूसी और नारियल के खोल से विद्युत उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु कोई प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रोत्साहनों और योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के चावल उत्पादक क्षेत्रों में चावल की भूसी से विद्युत का उत्पादन करने हेतु कोई कार्य–योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इन क्षेत्रों में इस प्रयोजनार्थ कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) जी, हां। सरकार विभिन्न प्रौद्योगिकीय पद्धतियों जैसे कम्बस्टन, गैसीकरण और सहउत्पादन के माध्यम से चावल–भूसी और नारियल के छिलकों सहित बायोमास से विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है।

(ख) सरकार ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। त्वरित मूल्यह्रास और करों एवं शुल्कों से राहत सहित राजकोषीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) 10वीं योजना अवधि के लिए चावल उत्पादक क्षेत्रों सहित देश में 700 मेवा. की बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। चावल उत्पादक क्षेत्रों सहित देश में बायोमास से विद्युत के उत्पादन हेतु

अब तक 1050 मेवा. की संचयी क्षमता पहले ही संस्थापित कर ली गई है।

*[अनुवाद]*

**एशियाई विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को ऋण**

**2531. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को 300 मिलियन डालर के ऋण का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह ऋण किस प्रयोजनार्थ लिया गया था; और

(घ) विद्युत क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन करने में इस ऋण का कितना उपयोग किया जाएगा?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) और (ख) जी, हां। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) लि. को 300 मिलियन अमेरिकी डालर का एक ऋण अनुमोदित किया है। यह ऋण बिना किसी सरकारी गारंटी के प्रदान किया गया है। एडीबी द्वारा इस ऋण का अनुमोदन अपनी निजी क्षेत्र व्यवस्था की प्रशंसात्मक वित्त स्कीम के तहत किया गया है।

(ग) और (घ) इस ऋण को 1500 मेवा. क्षमता के कहलगांव स्टेज–II (फेस–I व II), 1980 मेवा. क्षमता के सिपत स्टेज–I और 1000 मेवा. क्षमता के सिपत स्टेज–II के पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

**स्टाक मार्केट (एसएम) में स्टाम्प शुल्क**

**2532. सुश्री इन्ग्रिड मैकलोड** : क्या वित्त मंत्री 19 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4335 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अन्य राज्यों में शेयर दलालों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाने से संबंधित अधिसूचना की प्रति प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार, राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी और महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग चार–ख के पृष्ठ 737 पर प्रकाशित आदेश सं. मुद्रांक 2006/सीआर 290/एम–1, दिनांक 23 मई, 2006 की प्रति प्राप्त हुई है। चूंकि दिनांक 19 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4335 के उत्तर को आश्वासन के रूप में माना गया था, इसलिए आश्वासन को पूरा करने की कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय महाराष्ट्र सरकार के उपरोक्त आदेश की प्रति प्रक्रिया अनुसार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 19 जुलाई, 2006 के का.ज्ञा. एफ सं. 30/27/2006–वि.क. द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी गई थी।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदेश, बम्बई स्टाम्प अधिनियम, 1958, जो महाराष्ट्र का राज्य विधान है, के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है और इस आदेश को संसद के पटल पर रखा जाना अपेक्षित नहीं है।

**पनधारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन**

**2533. प्रो. एम. रामदास** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पनधारा विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रत्येक जिले के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी संदर्श योजना को तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग तीन मांग आधारित कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। राज्य सरकारों से पांच वर्षों के लिए जिलावार संदर्शी योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है, जिनमें आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित

किए जा रहे अन्य ऐसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले के लिए वास्तविक और वित्तीय आवश्यकता को दर्शाया गया हो। राज्यों को राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एनआरएसए), हैदराबाद द्वारा तैयार किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस–2005 में माइक्रो–वाटरशेडों के लिए विकसित की गई संकेत संख्याओं (कोड नम्बर्स) को प्रयोग में लाने की भी सलाह दी गई है। इन संदर्शी योजनाओं में पहले ही विकसित किए जा चुके वाटरशेड क्षेत्र, चल रही परियोजना के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र तथा अगले पांच वर्षों के दौरान शुरू की जाने वाली नई परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाया जाना चाहिए। तमिलनाडु ने अपने तीन जिलों के संबंध में संदर्शी योजनाएं प्रस्तुत की हैं तथा केरल ने एक जिले के संबंध में संदर्शी योजना प्रस्तुत की है।

**ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बैंक**

**2534. श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य–वार संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे प्रत्येक बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण की कुल धनराशि बैंक–वार और राज्य–वार कितनी है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजना का विस्तार**

**2535. श्री जुएल ओराम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अपने संयंत्रों का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस विस्तार कार्य के कब तक आरंभ होने की सम्भावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (घ) जी, हां। निर्माणाधीन 5200 मेगावाट वाली चालू वर्तमान विस्तार परियोजनाओं के अतिरिक्त, एनटीपीसी की योजना 3940 मेवा. की क्षमता तक अपने संयंत्रों का विस्तार करने की है। इन परियोजनाओं का आरम्भ विभिन्न निवेशों, स्वीकृतियों एवं ईंधन आपूर्ति करारों का अंतिम रूप देने पर निर्भर करता है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) सचिव, विद्युत द्वारा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा।

(ii) एनटीपीसी की परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं की मासिक मानीटरिंग का दायित्व सीईए को सौंपा गया।

(iii) सचिव, विद्युत द्वारा एनटीपीसी की त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर)।

(iv) सचिव स्तर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें।

(v) विद्युत उपकरण उत्पादकों के साथ मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

इन परियोजनाओं के 11वीं योजना में आरंभ होने की संभावना है।

*विवरण*

| क्र.सं. | परियोजना | स्थल | ईंधन | क्षमता (मेवा.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एनसीटीपीपी–II, दादरी यूनिट–II | उत्तर प्रदेश | कोयला | 490 |
| 2. | फरक्का–III | पश्चिम बंगाल | कोयला | 500 |
| 3. | कायमकुलम में राजीव गांधी कंबाईंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट (सीसीपीपी) चरण–II | केरल | गैस | 1950 |
| 4. | कवास सीसीपीपी–II | गुजरात | कोयला | 500 |
| 5. | झनोर गांधार सीसीपीपी–II | गुजरात | कोयला | 500 |
| | | | | 3940 |

**इरेडा (आईआरईडीए)**

**2536. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी :**

**श्री रायापति सांबासिवा राव :**

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इरेडा (आईआरईडीए) द्वारा संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऋणों एवं ऋण का भुगतान नहीं करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इरेडा (आईआरईडीए) ने चूककर्त्ताओं पर कोई दंड लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वसूली की प्रतिशतता कितनी है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा संवितरित ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| वर्ष | संवितरित राशि (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 2003–04 | 343.28 |
| 2004–05 | 289.98 |
| 2005–06 | 302.51 |

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान, 715.53 करोड़ रुपये के कुल ऋण की तुलना में, भुगतान न किया गया ऋण 217.12 करोड़ रुपये था।

(ग) जी, हां। चूककर्ताओं से दण्ड–ब्याज लिया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान संचयी ऋण वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 60.87, 54.32 और 52.72 है।

**कम्पनियों द्वारा करों का भुगतान नहीं किया जाना**

**2537. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की कुछ कम्पनियों ने 2498 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा करने के बावजूद किसी कर का भुगतान नहीं किया था;

(ख) क्या इनमें से कम से कम 125 कम्पनियों द्वारा विशेष उपबंधों के अन्तर्गत 241.12 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु इन्होंने इसका भुगतान नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो कर–अपवंचन करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों से बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) जी, हां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2004 की रिपोर्ट सं. 13 (मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए) में "आयकर अधिनियम (धारा 115ञक/ञख) के विशेष उपबंधों के अन्तर्गत कम्पनियों के कराधान की योजना के प्रचालन पर" प्रणाली समीक्षा के पैरा 1.4.4 में टिप्पणी की है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2498 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित करने के बावजूद 6185 कंपनियों ने विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी कर का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसक 125 कम्पनियों के संबंध में 241.12 करोड़ रुपये की राशि का कर नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) लेखा परीक्षा की टिप्पणियां उपर्युक्त तीन राज्यों में कर–निर्धारित 6185 मामलों से संबंधित हैं। इन कंपनियों के ब्यौरे लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं।

प्रणाली समीक्षा में शामिल मामलों पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के संबंध में, जहां कहीं लेखा परीक्षा द्वारा बताए गए तथ्य सही पाए जाते हैं, उन्हें दुरूस्त करने/पुनर्निर्धारण करने/नए निर्धारण के लिए उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है। विभिन्न चरणों पर अपीलों के आधार पर भिन्न–भिन्न मामले भिन्न–भिन्न समय पर निपटाए जाते हैं। अपीलों के परिणामों के बाद इन कम्पनियों से देय कर वसूले जाएंगे। सभी 6185 कम्पनियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देने के पश्चात् इस बात का अभिनिश्चय हो पाएगा कि क्या इन कम्पनियों ने करों की चोरी की थी। उल्लेखनीय है कि संमत ब्यौरे मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

**सूनामी प्रभावित राज्यों में पेयजल की आपूर्ति**

**2538. श्री रामदास आठवले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूनामी प्रभावित राज्यों में पेयजल की आपूर्ति में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों की धनराशि कितनी है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के जरिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ग्रामीण जल आपूर्ति की योजनाएं बनाने, स्वीकृत करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सक्षम है। हर वर्ष त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों में से 5% धनराशि प्राकृतिक आपदाओं (सूनामी सहित) से प्रभावित जल आपूर्ति की बहाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय सहायता हेतु रखी जाती है। दिसम्बर, 2004 में सूनामी आने के बाद वर्ष 2004–05 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के आपदा राहत कोटा से सूनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नानुसार धनराशि दी गई थी :

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 3.00 करोड़ रु. |
| तमिलनाडु | 8.50 करोड़ रु. |
| पांडिचेरी | 1.00 करोड़ रु. |
| केरल | 1.75 करोड़ रु. |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 15.37 करोड़ रु. |

इसके अलावा, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए मशीन और उपकरणों की खरीद की थी। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के बजट में से इस कार्य के लिए 3.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

[अनुवाद]

**स्वजलधारा के अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन**

**2539. श्री पी. करुणाकरन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वजलधारा" योजना और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 226 और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धन के आवंटन हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार केरल में ऐसी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के मद्देनजर और निधियां संस्वीकृत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 226 योजनाओं के लिए 1568.46 लाख रुपये के अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। कोझाकोड, मलप्पुरम, पलक्काड, त्रिशूर, इडुक्की तथा कोट्टायम में 751.98 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 106 योजनाएं तथा कासरगोड में 816.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 120 योजनाएं (स्वजलधारा–II मोड) शुरू करने का प्रस्ताव है। निधियों की उपलब्धता के अनुसार, 2005–06 के दौरान केरल को 261.54 लाख रुपये का अतिरिक्त आवंटन था, जिसमें से 196.15 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज की गई थी।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष में की गई अतिरिक्त मांग के आधार पर, स्वजलधारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2006–07 के लिए केरल को 914.00 लाख रुपये के केन्द्रीय आवंटन में से पहली किस्त के रूप में 685.50 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

**भेषज अनुसंधान**

**2540. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में भेषज अनुसंधान में किए जाने वाले निवेश में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया वार्षिक निवेश कितना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। भेषज अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और किए गए उपायों के कारण देश में हाल के वर्षों में भेषज अनुसंधान में निवेश में वृद्धि हुई है। गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया वार्षिक निवेश वर्ष 2003–04 में 29.71 करोड़ रुपये, वर्ष 2004–05 में 53.40 करोड़ रुपये और वर्ष 2005–06 में 148.29 करोड़ रुपये था।

**जीवन बीमा निगम द्वारा फ़ी सिने अवार्ड को प्रायोजित किया जाना**

2541. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने मारिशस में आयोजित फ़ी सिने अवार्ड समारोह को प्रायोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो मारिशस में एलआईसी फ़ी सिने अवार्ड आयोजित करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है;

(ग) फ़ी सिने अवार्ड प्रायोजित करने के लिए एलआईसी द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) मारिशस में एलआईसी फ़ी सिने अवार्ड प्रायोजित करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**जैव-ईंधन नीति**

2542. श्री बैंगरा सुरेन्द्रन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने जैव–ईंधन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या नीति सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा बायो–ईंधन पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया था जिसे अप्रैल, 2006 में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2006 में ली गई एक बैठक में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की टिप्पणियों पर विचार–विमर्श किया गया और इन टिप्पणियों तथा इनपुट के आधार पर बायो–ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे को संशोधित किया गया।

देश में ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बायो–ईंधन पर इस राष्ट्रीय नीति मसौदा में बायो–ईंधन विकास के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिकोण, कार्यनीति, राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन, खरीद–नीति, अनुसंधान, डिजाइन और विकास (आरडी एंड डी), बायो–ईंधन के प्रयोग को सक्षम बनाने हेतु विधेयक, क्षमता निर्माण, आदि की रूपरेखा दी गई है।

**आवास संबंधी आवश्यकताओं हेतु कार्य योजना**

2543. श्री उदय सिंह :

श्री अधीर चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजधानी की भविष्य की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डीडीए को ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि आवंटित करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या डीडीए का विचार ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भूमि आवंटित करने से बचने के लिए स्वयं भूमि पर फ्लैटों का निर्माण करने और बेचने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 के प्रारूप में वर्ष 2021 तक अनुमानित जनसंख्या के लिए 24 लाख रिहायशी इकाइयों के रूप में आवास स्टाक की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वैक

लॉग के रूप में मानी गई 4 लाख रिहायशी इकाइयां इसमें शामिल हैं जिसमें एक लाख निबल आवासों की कमी तथा शेष टूटी–फूटी और कच्ची संरचनाओं को बदलना शामिल है। आवास स्टाक की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान–2021 के प्रारूप में मौजूदा आवास स्टाक का उन्नयन/वृद्धि करने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त आवासों का सृजन करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अतिरिक्त आवास स्टाक बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) से (ङ) डीडीए, दिल्ली में भूमि आवंटन तथा निर्मित फ्लैटों के आवंटन द्वारा आवास स्टाक उपलब्ध कराता रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के नियम 6 में डीडीए द्वारा सहकारी समूह आवास सोसायटियों को भूमि आवंटन की व्यवस्था है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय में समितियों के पंजीकरण और उस कार्यालय द्वारा सदस्यता के सत्यापन के आधार पर निर्धारित वरिष्ठता द्वारा यह आवंटन शासित होता है। दूसरी तरफ डीडीए द्वारा बनाए गए निर्मित फ्लैटों का आवंटन, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान) विनियमन, 1968 के तहत शासित होता है।

*[हिन्दी]*

**स्वजलधारा के अन्तर्गत पूरी की गई परियोजनाएं**

2544. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**

**श्री बी. के. दुन्दर :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "स्वजलधारा" योजना के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और इन परियोजनाओं से अब तक राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार स्वजलधारा के अन्तर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या 6956 है। राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

आंध्र प्रदेश (2000), अरुणाचल प्रदेश (22), असम (386), छत्तीसगढ़ (53), गुजरात (294), हिमाचल प्रदेश (204), जम्मू और कश्मीर (76), झारखंड (3), कर्नाटक (258), केरल (104), मध्य प्रदेश (328), महाराष्ट्र (126), उड़ीसा (185), पंजाब (2), राजस्थान (802), तमिलनाडु (1200), त्रिपुरा (605), उत्तर प्रदेश (486), उत्तरांचल (17) तथा पश्चिम बंगाल (5)।

स्वजलधारा परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

*[अनुवाद]*

**लोक अभियोजकों की कमी**

2545. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**

**श्रीमती निवेदिता माने :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लोक अभियोजकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए और लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**दिल्ली में बिजली की कमी**

2546. **श्री रेवती रमन सिंह :**

**श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

**श्री पंकज चौधरी :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में दिल्ली में विद्युत की वास्तविक मांग और आपूर्ति क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली में विद्युत के निजीकरण से दिल्ली में बिजली की स्थिति नहीं सुधरी है; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) और (ख) दिल्ली सहित देश में विद्युत की समग्र कमी है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल–जुलाई, 2006) के दौरान दिल्ली से संबंधित विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,562 | 8,313 | –249 | –2.9 | 4,000 | 3,736 | –264 | –6.6 |

(ग) और (घ) दिल्ली में विद्युत की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली में वितरण क्षेत्र के निजीकरण ने काफी प्रोत्साहक परिणाम दर्शाए हैं। वितरण कंपनियां प्रथम पांच वर्षों में लगभग 17 प्रतिशत तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी व सी) हानियां कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें से प्रथम चार वर्षों में एटी व सी हानियां लगभग 12 प्रतिशत तक कम की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को निजीकरण के समय लगभग 1200 करोड़ रुपये/वर्ष की सहायता प्रदान की गई थी जो वर्ष 2005–06 में घटकर लगभग 138 करोड़ रुपये तक रह गई है और 2005–06 के दौरान घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ के परिदान हेतु केवल लगभग 91 करोड़ रुपये की मामूली सी राशि व्यय की गई है।

(च) विद्युत मंत्रालय ने कुल लगभग 1574 मेगावाट विद्युत के लिए टिहरी हाइड्रो डेवेलपमेंट कारपोरेशन एवं एनटीपीसी लिमिटेड के साथ दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) द्वारा समझौता ज्ञापन/विद्युत क्रय समझौता हस्ताक्षरित करने को सुगम बनाया है। दिल्ली के पास, पूर्वी क्षेत्र के संघटकों को आवंटित ताला विद्युत (6x170 मेगावाट) के बदले में पूर्वी क्षेत्र के थर्मल स्टेशनों के साथ–साथ टिहरी जल विद्युत परियोजना (4x250 मेगावाट) से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त तरल ईंधन पर गैस आधारित स्टेशनों की क्षमता के उपयोग और केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों के गैर–आवंटित कोटे से अतिरिक्त आवंटन के माध्यम से तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय–समय पर यथासंभव सहायता प्रदान की जाती है।

सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के मुख्य कदम के रूप में उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत दिल्ली को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

### फ्लूरोसेंट लैंप का प्रयोग

**2547. श्री विजय कृष्ण** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों की तुलना में देश में घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली की खपत का प्रतिशत बहुत उच्च है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्र में विद्युत खपत को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में बिजली बचत वाले काम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप (सीएफएल) के उपयोग पर बल देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) और (ख) भारत में घरेलू लाइटिंग समेत पूरे लाइटिंग में विद्युत खपत का प्रतिशत लगभग 18 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह खपत लगभग 10 प्रतिशत है। हालांकि देश में तथा विकसित देशों में घरेलू लाइटिंग में विद्युत खपत की प्रतिशतता संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अधिनियमित कर दिया है और घरेलू लाइटिंग समेत देश के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा कार्यकुशलता/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसके अन्तर्गत ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की है। विद्युत मंत्रालय ऊर्जा कार्यकुशलता/संरक्षण के उपाय शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। लाइटिंग में विद्युत खपत कम करने के लिए घरों में काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप (सीएफएल) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सीएफएल पर उत्पाद शुल्क को चालू वित्तीय वर्ष से 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। देश में घरेलू लाइटिंग समेत अन्य जगहों में सीएफएल के प्रयोग को सभी स्टेकहोल्डरों के साथ

कार्यशाला आयोजन जैसे जागरूकता कार्यक्रमों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार ने कार्यकुशल फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट (एफटीएल) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एफटीएल के लिए लेबलिंग स्कीम भी शुरू की है। देश में उत्पादित सभी सीएफएल को 22 फरवरी, 2007 से ऊर्जा कार्यकुशलता समेत अनिवार्य निष्पादन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करनी अपेक्षित हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*[हिन्दी]*

**सौर ऊर्जा ग्राम**

**2548. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ गांवों को सौर ऊर्जा ग्राम के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उन गांवों की संख्या कितनी है जिन्हें पूर्ण सौर ऊर्जा ग्राम बनाने के लिए सौर पट्टिकाएं लगा दी गई हैं;

(घ) क्या घरों पर लगाई गई सौर पट्टिकाओं की गुणवत्ता ठीक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) से (ग) जी, नहीं। देश में कुछ गांवों को सौर ऊर्जा गांवों के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा जैसे विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से दूरस्थ, अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गांवों और बस्तियों, जिनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, के राज्यवार ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थापित सौर प्रणालियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु संस्थापना के बाद कोई सर्वेक्षण अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को उन्हीं विनिर्माताओं द्वारा आपूर्तित प्रणालियों का प्रयोग करना आवश्यक है जिनके पास मंत्रालय द्वारा अधिकृत केन्द्र से मान्य परीक्षण रिपोर्ट है। यह इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्ता वाली प्रणालियों की संस्थापना को सुनिश्चित करने के लिए है।

***विवरण***

*सौर ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु लिए गए गांवों और बस्तियों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | गांवों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 189 |
| 2. | असम | 72 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 325 |
| 4. | गुजरात | 38 |
| 5. | हरियाणा | 45 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 140 |
| 7. | झारखंड | 361 |
| 8. | कर्नाटक | 20 |
| 9. | केरल | 558 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 99 |
| 11. | महाराष्ट्र | 177 |
| 12. | मणिपुर | 174 |
| 13. | मेघालय | 25 |
| 14. | मिजोरम | 20 |
| 15. | उड़ीसा | 18 |
| 16. | राजस्थान | 230 |
| 17. | त्रिपुरा | 535 |
| 18. | तमिलनाडु | 152 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 97 |
| 20. | उत्तरांचल | 363 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 1156 |

*[अनुवाद]*

**मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना**

**2549. श्री मोहन रावले :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई में यातायात व परिवहन की स्थिति सुधारने के लिए विश्व बैंक की सहायता से मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना (एमयूआईपी) का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर उठाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अब योजना के लिए निर्धारित राशि जारी कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में निम्नलिखित सड़क और रेल सेक्टरों का निर्माण शामिल है :

| सड़क | रेल |
|---|---|
| जोगेश्वरी–विरखरोली सम्पर्क सड़क (जेवीएलआर) | महिम और बोरीवली के बीच पश्चिम रेलवे पर 5वीं लाइन |
| सांताक्रुज–चेम्बूर सम्पर्क सड़क (एससीएलआर) | कुरला और थाणे के बीच 5वीं तथा छठी लाइन |
| जोगेश्वरी और विरखरोली में आरओबी | बोरीवली–विराड अतिरिक्त जोड़ी लाइन (विराड कार शेड तथा विराड–दहानु सड़क ट्रेक सेंटर वर्क सहित) |
| लगभग 500 बेस्ट बसें खरीदना | पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे और हार्बर लाइन पर अनुकूलतम परिस्थिति |
| पदयात्री उपमार्ग और एफओबी (30) | डीसी का एसी में परिवर्तन |
| क्षेत्र यातायात नियंत्रण | ईएमयू (रेक्स) |
| 6 स्टेशनों के लिए स्टेशन क्षेत्र यातायात सुधार स्कीम (एसएटीआईएस) | ईएमयू अनुरक्षण तथा स्टेबलिंग लाइन और ट्रेक मेचिंग |
| अन्य यातायात प्रबंधन और सुरक्षा स्कीमें | तकनीकी सहायता और अध्ययन |
| पर्यावरण–एअर क्वालिटी मानीटरिंग | |
| उपकरणों की खरीद (आईटी से संबंधित और अन्य) | |
| तकनीकी सहायता पूर्व–निवेश अध्ययन | |

(ग) जी, हां। इस पर हुआ व्यय भारत सरकार (रेल मंत्रालय), राज्य सरकार, विश्व बैंक आदि द्वारा मिलकर उठाया जा रहा है।

(घ) देय धनराशि फेजों में जारी की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**आवास की बढ़ती मांग**

**2550. श्री बंशगोपाल चौधरी :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आवास की बढ़ती मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2020 तक अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामतः लोगों को रोजगार के कितने अवसर मिलने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा)** : (क) से (घ) वर्ष 2020 तक की आवासीय जरूरत का अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, 10वीं योजना (2002–07) के लिए शहरी आवास संबंधी कार्यदल का अनुमान था कि 10वीं योजना अवधि के दौरान 22.44 मिलियन रिहायशी यूनिटों की बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पड़ेगी।

विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए पर्याप्त आवास निर्माण करने की दृष्टि से सरकार ने 1998–99 में दो मिलियन आवास कार्यक्रम आरम्भ किया था। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास मुहैया कराने के लिए वर्ष 2001 से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) भी चलाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आरम्भ करने के साथ ही वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के साथ–साथ राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम को मिशन शहरों के लिए शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं स्कीम तथा गैर–मिशन शहरों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है ताकि ऐसे शहरी स्लम वासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है और जो अति निर्धन अवस्था में रह रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु एक एकीकृत अवधारणा अपनाई जा सके। आवास सहित निर्माण उद्योग लोगों को रोजगार के अपास अवसर प्रदान करता है।

**शहरी क्षेत्रों में आबादी**

**2551. श्रीमती निवेदिता माने :**

**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि शहरी विकास को चुनौती स्वीकार करनी होगी क्योंकि वर्ष 2021 तक 75 प्रतिशत आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस चुनौती का सामना करने के लिए किन क्षेत्रों में शहरी विकास किया जाएगा तथा इसका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को वित्तपोषण में निजी भागीदारी का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) जी, नहीं। 2001 जनगणना अनुमानों के अनुसार देश में 2026 तक शहरीकरण 38.2 प्रतिशत तथा 2051 तक 48 प्रतिशत होने का अनुमान है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021 में शहरी आबादी 34.40 प्रतिशत होगी।

(ख) 1951 से 2001 तक की शहरी आबादी और 2011 व 2021 तक अनुमानित आबादी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बढ़ती हुई शहरी आबादी की समस्याओं तथा शहरी अवस्थापना की व्यवस्था में कमी को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों को शहरी सुधार लागू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना शुरू की है।

मिशन का उद्देश्य शहरों को आर्थिक रूप से लाभकारी, सक्षम, संतुलित तथा अनुकूल बनाना है जिसमें आर्थिक व सामाजिक अवस्थापना, शहरी निर्धनों के लिए मूल सेवाएं, शहरी क्षेत्र के सुधारों तथा नगर पालिका प्रशासन और उसकी कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

मिशन में दो उप मिशन शामिल हैं यथा उप मिशन–I शहरी अवस्थापना व प्रशासन तथा उप मिशन–II शहरी निर्धनों के लिए मूल सेवाओं से संबंधित है। मिशन में विभिन्न राज्यों के 63 चुने गए शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मिशन के तहत शामिल न किए गए शहरों/कस्बों के लिए भारत सरकार ने छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी) शुरू की है। भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भी समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक एक योजना शुरू की है।

(घ) और (ङ) जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी अवस्थापना के विकास, प्रबंध और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग वाली परियोजनाओं को शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटल द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इससे निजी पूंजी को बढ़ावा देने व क्षमता वृद्धि में मदद मिलेगी।

विवरण

*भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति, 1951–2021*

| जनगणना वर्ष | कुल आबादी (मिलियन में) | शहरी आबादी (मिलियन में) | कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रशितन |
|---|---|---|---|
| 1951 | 361.08 | 62.44 | 17.29 |
| 1961 | 439.23 | 78.93 | 17.97 |
| 1971 | 548.15 | 109.11 | 19.91 |
| 1981 | 683.32 | 159.46 | 23.34 |
| 1991 | 846.30 | 217.61 | 25.71 |
| 2001 | 1028.78 | 286.11 | 27.8 |
| 2011* | 1298.15 | 405.26 | 31.22 |
| 2021* | 1607.77 | 553.04 | 34.40 |

*अनुमानित आंकड़े

स्रोत : एनआईयूए अर्बन स्टेटिस्टिक्स–हैंडबुक 2000 राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली, जनवरी, 2000

*[हिन्दी]*

फरीदाबाद के लिए मेट्रो रेल

**2552. श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेट्रो रेल के माध्यम से औद्योगिक शहर फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) हरियाणा सरकार से शहरी विकास मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

अति लघु/लघु जल विद्युत परियोजनाएं

**2553. श्री छेवांग थुपस्तन :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ख) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से प्राप्त योजनाओं की कुल संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सभी योजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने एलएएचडीसी, लेह और कारगिल द्वारा प्रस्तावित योजना को स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को उन परियोजनाओं, जो नई हैं या पिछड़ रही हैं या जिन्हें नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु उसकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जम्मू एव कश्मीर से लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) प्राप्त 16 प्रस्तावों में से 11 प्रस्ताव लद्दाख क्षेत्र के लिए हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 9 प्रस्तावों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता पहले ही मंजूर हो गई है, अन्य 5 प्रस्तावों हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन सूचित कर दिया गया है, और बाकी 2 प्रस्तावों के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

(घ) एचएएचडीसी, लेह और कारगिल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

*केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

| क्र.सं. | परियोजना | परियोजना का प्रकार | क्षेत्र | क्षमता | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संजाक | क्षीयमान (पिछड़ रही) | लद्दाख | 1,280 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–2.35 करोड़ रु. |
| 2. | हफताल | क्षीयमान | लद्दाख | 1,000 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–2.25 करोड़ रु. |
| 3. | मारपाछु | क्षीयमान | लद्दाख | 750 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–1.70 करोड़ रु. |
| 4. | इगो–मारशिलांग | क्षीयमान | लद्दाख | 3,000 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–3.00 करोड़ रु. |
| 5. | भडेरवाल | क्षीयमान | जम्मू | 1,500 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–2.43 करोड़ रु. |
| 6. | पहलगाम | क्षीयमान | कश्मीर | 3,000 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–2.25 करोड़ रु. |
| 7. | गंडेरबाल | नवीकरण एवं आधुनिकीकरण | कश्मीर | 15,000 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–10.00 करोड़ रु. |
| 8. | हुंडर | नवीकरण एवं आधुनिकीकरण | लद्दाख | 400 किलोवाट | सैद्धान्तिक अनुमोदन |
| 9. | बाजगो | नवीकरण एवं आधुनिकीकरण | लद्दाख | 300 किलोवाट | सैद्धान्तिक अनुमोदन |
| 10. | सुनूर | नवीकरण एवं आधुनिकीकरण | लद्दाख | 100 किलोवाट | सैद्धान्तिक अनुमोदन |
| 11. | छेनानी | नवीकरण एवं आधुनिकीकरण | जम्मू | 23,300 किलोवाट | सैद्धान्तिक अनुमोदन |
| 12. | संबल | नवीकरण एवं आधुनिकीकरण | जम्मू | 22,600 किलोवाट | सैद्धान्तिक अनुमोदन |
| 13. | तांगस्ते | नई | लद्दाख | 450 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–2.33 करोड़ रु. |
| 14. | हानू | नई | लद्दाख | 3,000 किलोवाट | स्वीकृत, सीएफए–6.00 करोड़ रु. |
| 15. | थसगाम | नई | लद्दाख | 500 किलोवाट | अतिरिक्त सूचना मांगी गई |
| 16. | छेलांग | नई | लद्दाख | 400 किलोवाट | अतिरिक्त सूचना मांगी गई |

*सैद्धान्तिक अनुमोदन ऐसे मामले में दिया जाता है जहां प्रथम दृष्टि में लगता है कि आर एंड एम हेतु प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है लेकिन जिसकी आर्थिक व्यवहार्यता, बिडिंग प्रक्रिया के बाद प्राप्त, निर्धारित लागत अनुमानों से सिद्ध की जानी होती है।

**राज्यों का वित्तीय प्रबंधन**

**2554. श्री पी. सी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य ऋण का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों के ऋणों का ब्यौरा क्या है और उनकी सहायता के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक केरल सरकार के ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु केरल को दिए गए केन्द्र के हिस्से का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) राज्यों के ऋण, अन्य बातों के साथ–साथ, चालू घाटे को

पूरा करने के लिए ली गई उधार धनराशि का इस्तेमाल करने तथा बृहत्तर आकार की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण पर राज्यों की निर्भरता बढ़ने के कारण बढ़े हैं।

राज्य सरकारों के ऋणों को और बढ़ने से रोकने के लिए, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्यों की अधिकतम वार्षिक उधार सीमा लागू की गई है।

(ग) और (घ) बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की वित्त व्यवस्था के बहु–आयामी पुनर्गठन की सिफारिश की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, सुधार संबंधी विभिन्न उपाय शामिल हैं। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, "ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ)" नामक स्कीम विकसित एवं राज्यों को परिचालित की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारें को राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा अपनी निजी राजकोषीय सुधार व्यवस्था (एफसीपी) करने के लिए 2008–09 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक कम करने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए) बनाने की जरूरत है।

(ङ) वर्ष 2005–06 (सं.अनु.) के लिए राज्य सरकारों के अनुमानित बकाया ऋण और देनदारियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत के तहत 31.3.2004 तक अनुबंधित पिछले केन्द्रीय ऋणों और 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों को समेकित किया जाएगा। उन्हें 7.5 प्रतिशत की घटी ब्याज दर पर 20 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्अदायगी हेतु पुनः निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते की राज्य सुझाए गए प्रमुख प्रावधानों के साथ–साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू करें। फलस्वरूप, राज्यों को कुल मिलाकर मूलधन की अदायगी के तौर पर 11,929 करोड़ रुपये और कम ब्याज की अदायगी के तौर पर 21,276 करोड़ रुपये कम अदा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण को बट्टे–खाते डालना समेकित केन्द्रीय ऋण पर 2005–06 से 2009–10 तक देय पुनर्भुगतान राशि हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार राज्यों के राजस्व घाटे में कमी से सम्बद्ध है। उपर्युक्त सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा "राज्यों के ऋण समेकन और राहत सुविधा (डीसीआरएफ) 2005–06 से 2009–10" नामक विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं।

(च) 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार केरल सरकार के बकाया ऋण और देनदारियां 49,438 करोड़ रुपये की हैं।

(छ) डीसीआरएफ के तहत 31.3.2004 तक अनुबंधित केरल सरकार को केन्द्रीय ऋण (वित्त मंत्रालय) तथा 31.3.2005 की यथास्थिति के अनुसार शेष राशि 4,176.69 करोड़ रुपये बैठती है, जिसे 7.5 प्रतिशत वार्षिक घटी ब्याज दर से 20 वर्ष की नई अवधि हेतु समेकित किया गया है। बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय ऋणों के समेकन की वजह से केरल सरकार के लिए अवार्ड अवधि के दौरान 379.14 करोड़ रुपये की अनुमानित कम राशि की अदायगी तथा 715.03 करोड़ रुपये का कम ब्याज भुगतान करने का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार यदि 2008–09 तक अपने राजस्व घाटे का समाप्त कर दे तथा अन्य निर्धारित शर्तों के साथ–साथ अपने राजकोषीय घाटे को 2004–05 के स्तर पर बनाए रखे तो वह बारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान 1063 करोड़ रुपये के ऋण राहत की हकदार होगी।

*विवरण*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 2005–06 (सं.अनु.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 82715 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2314 |
| 3. | असम | 19362 |
| 4. | बिहार | 45633 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 13347 |
| 6. | गोवा | 5045 |
| 7. | गुजरात | 78296 |
| 8. | हरियाणा | 26825 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 17505 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 13644 |
| 11. | झारखंड | 15434 |
| 12. | कर्नाटक | 50512 |
| 13. | केरल | 49438 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 48852 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | महाराष्ट्र | 140072 |
| 16. | मणिपुर | 3573 |
| 17. | मेघालय | 2475 |
| 18. | मिजोरम | 3019 |
| 19. | नागालैंड | 3051 |
| 20. | उड़ीसा | 37548 |
| 21. | पंजाब | 52727 |
| 22. | राजस्थान | 65782 |
| 23. | सिक्किम | 1235 |
| 24. | तमिलनाडु | 60975 |
| 25. | त्रिपुरा | 4506 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 145354 |
| 27. | उत्तरांचल | 12300 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 112613 |
| | कुल | 1114151 |

**मुंदड़ा कोयला आधारित विद्युत परियोजना**

2555. **डा. वल्लभभाई कथीरिया :**
**श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
**श्री महेश कनोडीया :**
**श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :**
**श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंदड़ा, गुजरात में कोयला आधारित अति वृहद परियोजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ग) जी, हां। गुजरात में मुन्द्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकास के लिए चिह्नित किए स्थलों में से एक है। परियोजना के लिए प्रारंभिक विकास कार्य शेल (Shell) कम्पनी के माध्यम से आरंभ किया जा चुका है। अभिरुचि प्रकट किए जाने की अवस्था समाप्त हो चुकी है। योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) स्तर के माध्यम से पूर्व-अर्ह बोलीकर्ताओं को चिह्नित किया गया है। बोलियां नवम्बर, 2006 के अन्त तक प्राप्त की जानी निर्धारित हैं और शेल (Shell) कम्पनी लेने तथा परियोजना के विकास के लिए दिसम्बर, 2006 तक सफल बोलीकर्ता को चिह्नित किया जाना है।

**सोडा ऐश पर आयात शुल्क**

2556. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडा ऐश पर आयात शुल्क की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने सोडा ऐश उद्योग के संरक्षण हेतु आयात शुल्क दर में कटौती के विरुद्ध अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम)** : (क) सोडा ऐश पर 12.5 प्रतिशत बुनियादी शुल्क, 16 प्रतिशत समान शुल्क (उत्पाद शुल्क की जगह), सीमा शुल्क और 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क के कुल योग के 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा अधिकार लिया जाता है।

(ख) इस वर्ष के बजट से पूर्व घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए गुजरात सरकार ने आयात शुल्क में कोई कटौती नहीं करने की सिफारिश की है।

(ग) इस वर्ष के बजट में गैर कृषि मदों पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर 15 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई थी। सोडा ऐश पर शुल्क को 12.5 प्रतिशत की उच्चतम दर पर ही रखा गया है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों को आवास ऋण**

2557. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक केवल शहरों में ही आवास ऋण दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशतवार कितनी राशि के आवास ऋण दिए गए; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च, 2004 तथा 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार दिए गए बकाया आवास ऋण की राशि तथा इसके प्रतिशत का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| | 2004 | | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| | बकाया राशि (करोड़ रुपये) | प्रतिशत | बकाया राशि (करोड़ रुपये) | प्रतिशत |
| ग्रामीण | 6123 | 11.05 | 9433 | 11.55 |
| अर्ध–शहरी | 11265 | 20.33 | 16350 | 20.01 |
| शहरी | 18532 | 33.45 | 26336 | 32.24 |
| महानगर | 19484 | 35.17 | 29580 | 36.21 |
| कुल | 55405 | 100.00 | 81700 | 100.00 |

(घ) आरबीआई/सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण देने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बैंकों द्वारा ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी, शहरी तथा महानगर क्षेत्रों में दिए गए आवास क्षेत्र संबंधी अग्रिमों (आवास के प्रयोजन के लिए) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में माना जा रहा है।

(ii) स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना का प्रारम्भ 1997 में किया गया था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2005–06 के दौरान 229713 आवास इकाइयों को 5773.79 करोड़ रुपये की राशि दी है।

(iii) राष्ट्रीय आवास बैंक को विशेष ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में नई आवास इकाइयों के अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिए अलग–अलग व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक और विद्यमान इकाइयों के उन्नयन अथवा बड़ी मरम्मत करवाने के लिए 50000 रुपये तक के ऋण।

(iv) बैंकों को सलाह दी गई है कि इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदान किए गए ग्रामीण आवास अग्रिमों के मामले में चुकौती संबंधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऐसे अग्रिमों पर देय ब्याज/किश्त को फसल चक्र से जोड़ा जाए।

*[अनुवाद]*

**एसजीएसवाई के अन्तर्गत लघु उद्यम**

**2558. श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत राज्य–वार इस योजना के आरम्भ होने के बाद से प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लघु उद्यम आरम्भ किए गए?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप सृजित करने तथा स्थाई स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए स्व–सहायता समूह दृष्टिकोण अपनाया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया के माध्यम से निचले स्तर पर गरीबों को संगठित करने पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम के दृष्टिकोण की अवधारणा इस बात से बनती है कि गरीबों में अपनी मदद करने की अद्भुत क्षमता है जिसे उन्हें संगठित करके उपयोग में लाया जा सकता है। सामाजिक एकजुटता से गरीब अपना निजी संगठन बना पाते हैं जिसमें वे पूर्णतः और प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी मदों पर निर्णय ले सकते हैं।

योजना की शुरूआत से लेकर 2006–07 तक जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, बनाए गए स्व–सहायता समूहों और आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर चुके स्व–सहायता समूहों तथा सहातया प्राप्त कुल स्वरोजगारियों (स्व–सहायता समूह + अलग–अलग स्वरोजगारी) की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

एसजीएसवाई की शुरूआत (1.4.1999) से लेकर 2006–07 (जून, 2006) तक इसके अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, बनाए गए स्व–सहायता समूहों, आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने वाले स्व–सहायता समूहों और सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की संख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की संख्या | बनाए गए स्व–सहायता समूहों की संख्या | आर्थिक क्रियाकलाप शुरू शुरू करने वाले एसएचजी की संख्या | सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (व्यक्तिगत+एसएचजी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22 | 461181 | 45895 | 707784 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 361 | 212 | 12060 |
| 3. | असम | 23 | 126019 | 21088 | 274355 |
| 4. | बिहार | 37 | 97316 | 20963 | 877225 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 16 | 50124 | 4687 | 162232 |
| 6. | गोवा | 2 | 664 | 228 | 3728 |
| 7. | गुजरात | 25 | 89846 | 4922 | 173063 |
| 8. | हरियाणा | 20 | 10729 | 4191 | 111818 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 5476 | 3958 | 61403 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 14 | 7111 | 2902 | 63278 |
| 11. | झारखंड | 22 | 31161 | 10507 | 390703 |
| 12. | कर्नाटक | 27 | 38804 | 17604 | 272232 |
| 13. | केरल | 14 | 56963 | 7385 | 176672 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 48 | 247056 | 26545 | 452179 |
| 15. | महाराष्ट्र | 33 | 126288 | 24477 | 511356 |
| 16. | मणिपुर | 9 | 705 | 17 | 2324 |
| 17. | मेघालय | 7 | 4727 | 777 | 20440 |
| 18. | मिजोरम | 8 | 1406 | 1253 | 10560 |
| 19. | नागालैंड | 11 | 2436 | 2009 | 19429 |
| 20. | उड़ीसा | 30 | 153765 | 18950 | 459665 |
| 21. | पंजाब | 17 | 4158 | 1593 | 46896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 32 | 26413 | 3168 | 241917 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 1149 | 275 | 11626 |
| 24. | तमिलनाडु | 29 | 246907 | 26086 | 439170 |
| 25. | त्रिपुरा | 4 | 17933 | 6145 | 72570 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 70 | 331606 | 57541 | 1080445 |
| 27. | उत्तरांचल | 13 | 19400 | 5494 | 67486 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 19 | 153936 | 8118 | 230339 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2 | 348 | 141 | 2828 |
| 30. | दमन और दीव | 1 | 0 | 0 | 113 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 16 | 0 | 250 |
| 32. | लक्षद्वीप | 1 | 4 | 1 | 75 |
| 33. | पांडिचेरी | 1 | 1230 | 356 | 4706 |
| | कुल | 584 | 2315238 | 327488 | 6960727 |

**बांस के उत्पादों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करना**

**2559. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल के उद्योग मंत्री और केरल राज्य बांस निगम लि. से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि सरकार को बांस के उत्पादों पर से उत्पाद शुल्क को हटाने पर विचार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) की गई/की जा रही कार्यवाही क्या है; और

(घ) देश के बांस प्लाई विनिर्माताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए वित्तीय कदमों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम) :** (क) और (ख) जी, हां। सरकार को केरल सरकार के उद्योग मंत्री श्री एलामारम करीम से केरल राज्य बांस निगम लि. द्वारा उत्पादित "बंबूप्लाई" उत्पाद पर उत्पाद शुल्क छूट को बहाल करने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) मंत्रालय में इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

(घ) सरकार ने पूर्व में "रेसिन बॉन्डेड बंबू मैट्स" पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की थी। तथापि, इस वर्ष के बजट में कर दायरे को विस्तृत करने की सामान्य नीति के भाग के रूप में इस छूट को वापस ले ली गई थी। छोटी यूनिटों के लिए 4 करोड़ रुपये की कारोबार पात्रता सीमा के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपये के वार्षिक क्लीयरेंस मूल्य तक उत्पाद शुल्क से पूछी छूट अभी भी उपलब्ध है।

**सौर ऊर्जा को बढ़ावा**

**2560. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

**श्री काशीराम राणा :**

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा और इसके उपयोग के संबंध में कोई जागरूकता अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में सौर ऊर्जा सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा, प्रौद्योगिकियों पर हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं, लीफलेटों, ब्रोशरों, न्यूजलैटरों, प्रदर्शनियों, मेलों के माध्यम से जागरूकता का सृजन किया जा रहा है।

सौर जल तापन प्रणालियों के उपयोग और अक्षय ऊर्जा दुकानों को लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। घरेलू, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना हेतु विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उदार शर्तों पर ऋण की उपलब्धता को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा पर व्यापक प्रचार और जागरूकता के लिए वर्ष 2004 से 20 अगस्त को देश के सभी जिलों, महानगरों और राज्य की राजधानियों में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस का भी आयोजन कर रहा है। जिला स्तर पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/कार्यक्रमों के समन्वयन और जागरूकता सृजन हेतु 550 जिलों में अक्षय ऊर्जा पर जिला सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं। इंजीनियरिंग छात्रों के बीच जागरूकता के प्रसार के लिए इंजीनियरिंग कालेजों में अक्षय ऊर्जा क्लब संस्थापित किए गए हैं।

(ग) इन अभियानों से सौर जल तापन प्रणालियों की संस्थापना और अक्षय ऊर्जा दुकानें स्थापित करने के लिए काफी रुचि पैदा हुई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 के दौरान सौर जल तापन हेतु लगभग 4 लाख वर्ग मीटर सौर संग्राहक क्षेत्र संस्थापित किया गया जिससे देश में संचयी संस्थापना 1.5 मिलियन वर्ग मीटर हो गई। अक्षय ऊर्जा दुकानों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 118 दुकानों की मंजूरी दी गई है।

### विदेशी कारों का आयात

**2561. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का उल्लंघन करके भारत में बिक्री के लिए विदेशी कारों के आयात के कई मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत भारत में लाई गई कारों का राज्य–वार व्यापक ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक जब्त की गई विदेशी कारों का ब्यौरा क्या है जिनके आयात में सरकार को राजस्व की हानि हुई है;

(ङ) इन आयातों से सरकार को कुल कितनी राजस्व हानि हुई है; और

(च) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) से (च) क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और पूरी सूचना प्राप्त होते ही इसे संग्रहित कर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### वरिष्ठ नागरिकों को आयु में छूट

**2562. श्री जे. एम. आरून रशीद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर और टीडीएस के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को छूट के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा का प्रावधान है जबकि रेलवे और हवाई उड़ानों में आरक्षण में छूट के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने मंत्रालयों द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न मानदण्डों की समीक्षा करके समानता लाने का है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिक टीडीएस और डाकघरों में दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकें; और

(ग) इस संबंध में की गई अथवा की जाने वाली कार्रवाई क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) भारत में निवासी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वित्त वर्ष के दौरान पैंसठ वर्ष और इससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, को आयकर

अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ के प्रयोजनों के लिए 'वरिष्ठ नागरिक' के रूप में माना जाता है।

इंडियन एयरलाइंस उन नागरिकों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन हवाई जहाज के भाड़े में रियायत प्रदान करती है जिन्होंने पुरुष यात्रियों के मामले में यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को पैंसठ वर्ष की आयु तथा महिला यात्रियों के मामले में तिरसठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

रेल मंत्रालय साठ वर्ष तथा इससे अधिक की आयु वाले व्यष्टियों को रियायतें प्रदान करता है।

(ख) जी, नहीं। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा रियायत प्रदान करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा में अन्तर ऐसी रियायतें प्रदान करने के प्रयोजन में भिन्नता के कारण हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पीएमजीएसवाई के मानदण्डों में परिवर्तन**

**2563. श्री किरेन रिजीजू :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत पहाड़ी एवं दुर्गम राज्यों के लिए जनसंख्या मानदण्डों को समाप्त करने अथवा परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन दूरस्थ और फारवर्ड क्षेत्र जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, को विशेष लाभ प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य 500 व्यक्तियों और अधिक की आबादी वाली (पहाड़ी राज्यों और मरुभूमि क्षेत्रों के मामले में 250 व्यक्तियों या अधिक की आबादी वाली) सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को 10वीं योजना के अन्त तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण के अन्तर्गत, ग्रामीण सड़कों को एक घटक के रूप में रखा गया है और 1000 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों (पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 की आबादी वाले गांवों) को 2009 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारत निर्माण के अन्तर्गत कुल 66,802 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1,46,185 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना होगा। इसके अलावा, भारत निर्माण का उद्देश्य 1,94,139 कि.मी. लम्बी मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन/नवीकरण करना है। भारत निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपये की धनराशि की जरूरत होगी।

**लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई)**

**2564. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :**

**श्री छत्तर सिंह दरबार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक-वार और राज्य-वार लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) को कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) में ऋण प्रवाह में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक-वार और राज्य-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) सरकार के "छोटे और मझौले उद्यम क्षेत्र को अधिक ऋण देने संबंधी नीतिगत पैकेज" जिसमें लघु और मझौले उद्यमों को ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था की गई है, के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने आपसी सहमति योग्य परिचालनात्मक तौर-तरीकों के अनुसार लघु और मझौले क्षेत्र (अत्यन्त लघु और सेवा क्षेत्रों सहित) के सह-वित्त पोषण के लिए बैंकों को अपनी शाखाओं और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए समूहों में विद्यमान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। लघु और मझौले उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं : लघु उद्योग क्षेत्र के उन्नयन हेतु ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना में संशोधन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण पात्रता का निर्धारण और सिडबी द्वारा लघु और मझौले उद्यम पात्रता निर्धारण एजेंसी को स्थापित किया जाना।

*विवरण-I*

(करोड़ रुपये में)

| बैंक का नाम | मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|
| | 2004 | 2005 | 2006* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 13033 | 14865 | 18485 |
| स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 1207 | 1418 | 1680 |
| स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 1091 | 1245 | 1446 |
| स्टेट बैंक आफ इंदौर | 800 | 959 | 1231 |
| स्टेट बैंक आफ मैसूर | 547 | 645 | 808 |
| स्टेट बैंक आफ पटियाला | 1092 | 1121 | 1323 |
| स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 782 | 925 | 1239 |
| स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 723 | 822 | 927 |
| इलाहाबाद बैंक | 1253 | 1513 | 1886 |
| आंध्रा बैंक | 1026 | 1250 | 1217 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 3316 | 3630 | 4596 |
| बैंक आफ इंडिया | 3888 | 4472 | 5648 |
| बैंक आफ महाराष्ट्र | 1044 | 1022 | 1065 |
| केनरा बैंक | 4971 | 5779 | 6591 |
| सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 2489 | 2751 | 3057 |
| कारपोरेशन बैंक | 1000 | 1263 | 1796 |
| देना बैंक | 1318 | 1257 | 1322 |
| इंडियन बैंक | 978 | 1144 | 1516 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 2209 | 2635 | 3167 |
| ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 1760 | 2422 | 2914 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 828 | 789 | 940 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 5675 | 6850 | 8612 |
| सिंडिकेट बैंक | 1229 | 1591 | 2007 |
| यूको बैंक | 1677 | 1953 | 2121 |
| युनियन बैंक आफ इंडिया | 3130 | 3658 | 4585 |
| युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 525 | 818 | 1192 |
| विजया बैंक | 686 | 837 | 1075 |
| आईडीबीआई** | 00 | 00 | 217 |

*आंकड़े अनन्तिम **2005-06 से सूची में शामिल

*विवरण-II*

(करोड़ रुपये में)

| राज्य | बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|
| | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| हरियाणा | 2076 | 2307 | 2778 |
| हिमाचल प्रदेश | 226 | 291 | 306 |
| जम्मू और कश्मीर | 153 | 189 | 220 |
| पंजाब | 4005 | 4551 | 4897 |
| राजस्थान | 1840 | 2086 | 2252 |
| चंडीगढ़ | 357 | 389 | 448 |
| दिल्ली | 4443 | 4392 | 5770 |
| असम | 256 | 326 | 388 |
| मणिपुर | 22 | 23 | 27 |
| मेघालय | 28 | 34 | 145 |
| नागालैंड | 20 | 23 | 37 |
| त्रिपुरा | 30 | 30 | 42 |
| अरुणाचल प्रदेश | 6 | 7 | 12 |
| मिजोरम | 8 | 10 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| सिक्किम | 2 | 5 | 24 |
| बिहार | 600 | 593 | 646 |
| झारखंड | 504 | 636 | 730 |
| उड़ीसा | 710 | 858 | 1021 |
| पश्चिम बंगाल | 3544 | 3847 | 3872 |
| अंडमान और निकोबार | 7 | 23 | 33 |
| मध्य प्रदेश | 1421 | 1715 | 1993 |
| छत्तीसगढ़ | 471 | 524 | 671 |
| उत्तर प्रदेश | 4203 | 4652 | 5287 |
| उत्तरांचल | 320 | 263 | 517 |
| गुजरात | 2962 | 3488 | 4066 |
| महाराष्ट्र | 10071 | 10769 | 12408 |
| दमन एवं दीव | 8 | 23 | 32 |
| गोवा | 187 | 146 | 474 |
| दादरा और नगर हवेली | 12 | 14 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 3659 | 3734 | 4345 |
| कर्नाटक | 2877 | 3469 | 3770 |
| केरल | 1606 | 1716 | 1907 |
| तमिलनाडु | 5933 | 7117 | 8692 |
| पांडिचेरी | 41 | 61 | 140 |
| लक्षद्वीप | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

(आंकड़े अनन्तिम)

**वस्त्र उद्योग के कामगारों के ऋणों पर ब्याज**

**2565. श्री वी. विट्टल राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जा रहे ऋणों की तर्ज पर देश के वस्त्र उद्योग के कामगारों को 7 प्रतिशत की दर अथवा इससे भी कम दर पर ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या तैयारी की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और अन्य पणधारकों से परामर्श करते हुए, हथकरघा बुनकरों की ऋण संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगा। फिलहाल, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**रूडसेट संस्थान के लिए कर्नाटक को सहायता**

**2566. श्री एम. शिवन्ना :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने 7 रूडसेट संस्थान केन्द्र के अपने बुनियादी ढांचे के विकास हेतु विशेष परियाजनाओं/प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई), कर्नाटक ने वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को आगरा (उत्तर प्रदेश), अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा) और जयपुर (राजस्थान) में पांच केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 365.63 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश के साथ परियोजना स्वीकृत कर दी है जो कि परियोजना लागत की 75 प्रतिशत राशि है। परियोजना की शेष लागत को आरयूडीएसईटीआई द्वारा वहन किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरयूडीएसईटीआई को पांच केन्द्रों की स्थापना हेतु पहली किस्त के रूप में प्रति संस्थान 21.93 लाख रुपये की दर से 109.65 लाख रुपये की कुल राशि रिलीज कर दी है।

**गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां**

**2567. श्रीमती जयाप्रदा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) उगाहने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अनुमति दिए जाने की सम्भावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्तमान में गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी), जिस माध्यम के लिए अनुमोदन लिया जाना है, के अन्तर्गत आधारभूत परियोजनाओं हेतु पट्टे पर देने के लिए आधारभूत उपस्कर के आयात हेतु वित्तपोषण करने के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, सरकारी निर्यात ऋण अभिकरणों एवं विदेशी बैंकों से 5 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ विदेशी वाणिज्य उधारराशियां (ईसीबी) जुटा सकती हैं।

*[हिन्दी]*

**फसल ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र**

**2568. श्री मो. ताहिर :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
**श्री शिशुपाल पटले :**
**प्रो. महादेव राव शिवनकर :**
**श्री अशोक कुमार रावत :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों को सरकार से फसल ऋणों की प्राप्ति के लिए अपने क्षेत्र के सभी बैंकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सभी राज्यों में और सभी बैंकों द्वारा लागू की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या बैंक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक समान फीस वसूल रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषकों के हित में अनापत्ति प्रमाण पत्र निशुल्क जारी करने के लिए बैंकों को निर्देश देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण में होने वाली देरी से बचने के लिए वर्ष 1998 में अनवार्य आवश्यकता के रूप में उधारकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले "बेबाकी प्रमाण पत्र" से छूट दी थी। तथापि, बैंक बहुविध वित्तपोषण से बचने के लिए अपने विवेक पर आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

वर्ष 2004–05 की वार्षिक नीति से संबंधित विवरण की भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यावधि समीक्षा में सेवा क्षेत्र योजना (एसएए) की प्रतिबंधात्मक व्यवस्था में छूट दी गई थी। तदनुसार ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिसम्बर 2004 में कहा गया था कि वे गैर–सेवा क्षेत्र शाखा द्वारा भी उधार देने हेतु सेवा क्षेत्र शाखा से "बेबाकी प्रमाण–पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता में छूट दें।

उसी प्रकार, नाबार्ड ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को अनुदेश जारी किए थे कि वे उधारकर्ताओं द्वारा अनिवार्य आवश्यकता के रूप में बैंकों/संस्थाओं से बेबाकी प्रमाण–पत्र लेकर प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करें।

भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड ने बेबाकी प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु शुल्क के संबंध में बैंकों को अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

*[अनुवाद]*

**प्लास्टिक करेंसी नोट**

**2569. डा. राजेश मिश्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने अपने देशों में प्रचालन के लिए प्लास्टिक करेंसी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार देश में जाली करेंसी नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए अधिक मूल्य के प्लास्टिक करेंसी नोट छापने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रचालन में जाली करेंसी नोटों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार निम्नांकित देशों ने प्रचालन के लिए सभी मूल्यवर्ग/कुछ मूल्यवर्ग के पोलीमर सबस्ट्रेट आधारित बैंक नोट जारी किए हैं :

1. ब्राजील
2. मेक्सिको
3. बंगलादेश
4. इंडोनेशिया
5. मलेशिया
6. न्यू गिनी
7. जाम्बिया
8. रूमानिया
9. ब्रुनेई
10. नाईजीरिया
11. सिंगापुर
12. नेपाल
13. आस्ट्रेलिया
14. न्यूजीलैंड और
15. वियतनाम

(ग) और (घ) जाली करेंसी नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए उच्चतर मूल्यवर्ग के प्लास्टिक करेंसी नोटों के मुद्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक स्वीकार्यता और लागत प्रभावकारिता के मद्देनजर पोलीमर सबस्ट्रेट आधारित करेंसी नोटों सहित विभिन्न विकल्पों पर गौर कर रहा है।

(ङ) देश में भारतीय करेंसी में जाली नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना; अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया से सुरक्षात्मक पहलुओं संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बैंकों के सभी मुख्य कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठ बनाना। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय शामिल किए गए हैं जिनसे जालसाजी करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच पर निगरानी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया है।

### विश्व बैंक की योजनाएं

**2570. डा. एम. जगन्नाथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या राज्यों द्वारा उपयोग किए जा चुके विश्व बैंक के ऋणों की अदायगी नियमित रूप से हो रही है;

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बैंक के ऋणों को अदा न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक से कौन-कौन से राज्यों ने अधिकतम सहायता ली है और कितनी धनराशि ली है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) दिनांक 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की सहायता से देश में 54 परियोजनाएं प्रचालन में हैं।

(ख) विश्व बैंक ऋणों की पुनःअदायगी भारत सरकार द्वारा की जाती है और इसका पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व बैंक के चालू पोर्टफोलियो की दिनांक 14.8.2006 की स्थिति के अनुसार निम्नांकित तीन राज्यों ने विश्व बैंक से अधिकतम सहायता प्राप्त की है :

| क्र.सं. | राज्य | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3,514.68 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 2,641.51 |
| 3. | गुजरात | 2,409.37 |

### ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज

**2571. श्री सुव्रत बोस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जीवन बीमा कवरेज और जनसंख्या तथा बीमा प्रीमियम एवं जीडीपी का अनुपात विश्व में निम्नतम है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों के साथ तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू दशक के दौरान भारत में जीवन बीमा कवरेज की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की तुलना में एलआईसी में अधिक प्रीमियम जमा कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए एलआईसी की अनन्य योजनाएं कौन सी हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए एलआईसी द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत में जनसंख्या का जीवन बीमा कवरेज अनुपात (बीमा सघनता) तथा जीडीपी की तुलना में जीवन बीमा प्रीमियम का अनुपात यूएस, जापान, आस्ट्रेलिया, यूके आदि जैसे देशों की तुलना में बिल्कुल कम है (विवरण)। कुछ एशियाई देशों से भी कार्य निष्पादन कम है (विवरण)। तथापि, वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र के मुक्त होने से तथा निजी क्षेत्र में नई कंपनियों के आने से, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा की सघनता एक सतत वृद्धि की परिचायक है। जनसंख्या की तुलना में जीवन बीमा कवरेज में वर्ष 2000 में 7.60 यूएस डालर से वर्ष 2005 में 18.30 यूएस डालर की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, भारत में जीवन बीमा की व्याप्ति अर्थात जीवन बीमा, जीडीपी की तुलना में जीवन बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के अनुपात में वर्ष 2000 में 1.77 से वर्ष 2005 में 2.53 की वृद्धि हुई है।

(ग) बीमा करोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाली निजी बीमा कंपनियों के सर्वेक्षण बीमा के लिए महत्वपूर्ण संभाव्यता दर्शाते हैं। वर्ष 2000 में इस क्षेत्र के मुक्त होने के बाद अब 15 जीवन बीमाकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनमें से 14 निजी क्षेत्र में हैं और एक सार्वजनिक क्षेत्र में है अर्थात एलआईसी। जीवन बीमा उद्योग के लिए नया कारोबार प्रीमियम वर्ष 2000–01 में 9707.40 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2005–06 में 35897.96 करोड़ रुपये था।

(घ) से (च) एलआईसी ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रीमियम जमा नहीं कर रहे हैं। तथापि, एलआईसी की, ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक से अधिक बीमा योग्य जनसंख्या को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा ग्राम कॉनसेप्ट तथा बीमा स्कूल कॉनसेप्ट प्रचलन में हैं। एलआईसी का ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष उत्पाद नामतः "न्यू जन रक्षा" पालिसी भी है। एलआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में उप कार्यालय खोल रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षु विकास अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है।

*विवरण*

*जीवन बीमा सघनता–प्रतिशीर्ष प्रीमियम यूएस डालर में तथा*
*जीवन बीमा व्याप्ति–सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल प्रीमियम*

**विकासोन्मुख देश**

| देश | 2002 | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सघनता | व्याप्ति | सघनता | व्याप्ति | सघनता | व्याप्ति | सघनता | व्याप्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| मलेशिया | 118.70 | 2.94 | 139.80 | 3.29 | 167.30 | 3.52 | 188.00 | 3.60 |
| थाईलैंड | 42.10 | 2.09 | 52.00 | 2.25 | 50.80 | 1.94 | 54.60 | 1.99 |
| पीआर चाइना | 19.50 | 2.03 | 25.10 | 2.30 | 27.30 | 2.21 | 30.50 | 1.78 |
| फिलीपींस | 8.70 | 0.87 | 8.60 | 0.87 | 9.40 | 0.91 | 10.60 | 0.91 |
| इंडोनेशिया | 5.20 | 0.66 | 6.40 | 0.66 | 7.50 | 0.63 | 10.50 | 0.82 |
| श्रीलंका | 4.50 | 0.55 | 5.30 | 0.55 | 6.20 | 0.60 | 6.90 | 0.62 |
| वियतनाम | 3.80 | 0.87 | 4.10 | 0.87 | 7.30 | 1.35 | 6.10 | 0.97 |
| पाकिस्तान | 1.00 | 0.24 | 1.10 | 0.24 | 1.50 | 0.28 | 1.90 | 0.27 |
| बांगलादेश | 1.00 | 0.29 | 1.40 | 0.37 | 1.50 | 0.37 | 1.70 | 0.42 |
| भारत | 11.70 | 2.59 | 12.90 | 2.60 | 15.70 | 2.53 | 18.30 | 2.53 |

विकसित राष्ट्र

वर्ष 2005–06

| देश | बीमा व्याप्ति : जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम | बीमा सघनता यूएस डालर में |
|---|---|---|
| यूएस | 4.14 | 1753.20 |
| यूके | 8.90 | 3287.10 |
| जापान | 8.32 | 2956.30 |
| आस्ट्रेलिया | 3.51 | 1366.70 |

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन

2572. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बार एसोसिएशन सरकार से अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36ख के अधीन, उसके सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ा कर दो वर्ष करने और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24क के परंतुक का लोप करने की मांग की गई है।

(ग) सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि इस प्रयोजन के लिए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन न किया जाए।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और उद्योग के बीच सहयोग

2573. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उद्योग के सहयोग से वैज्ञानिक पूरी तरह अनन्वेषित क्षेत्रों का अन्वेषण कर पाएंगे; और

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सीएसआईआर के पास उद्योग के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास करने हेतु क्रियाविधि मौजूद है। इस प्रयास को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सीएसआईआर कुछ नवीनतर पहलों को अंजाम दे रहा है यथा अनुसंधान एवं विकास के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में उच्चस्तरीय सामर्थ्य निर्माण हेतु सीएसआईआर और उद्योग के बीच ज्ञान सहयोगों की स्थापना करना; सीएसआईआर द्वारा ऐसे इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना करना जहां सीएसआईआर की सहायता से उद्योग अपने विचारों को मूर्तरूप दे सकते हैं; सीएसआईआर से उद्योग में और उद्योग से सीएसआईआर में वैज्ञानिकों की आवाजाही सुनिश्चित करना आदि। इससे विशिष्ट क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य और अधिक सुगम होगा।

रबड़ पर सीमा शुल्क

2574. श्री एस. अजय कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे रबड़ तथा रबड़ के उत्पादों संबंधी सीमा शुल्क ढांचे में विसंगतियां हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे रबड़ के उत्पादों पर सीमा शुल्क का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) प्राकृतिक (कच्चे) रबड़ के आयात पर 20 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क और 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगता है, जबकि अधिकतर रबड़ उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क और 4 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। इसके अलावा ऐसे सभी आयातों पर 2 प्रतिशत शिक्षा अधिभार भी लिया जाता है।

(ग) कच्चे रबड़ जैसी किसी कृषि वस्तु के सीमा शुल्क ढांचे की जांच करते समय सरकार की घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती है। कच्चे रबड़ के

लिए कीमतों के वर्तमान स्तर पर इस समय आयात शुल्क में कोई कटौती अनिवार्य नहीं समझी जा रही है।

**एशियाई विकास बैंक ऋण**

**2575. श्री प्रह्लाद जोशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मूलभूत अवसंरचनात्क कार्यों के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक/ विश्व बैंक के ऋण की सहायता से सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू किए गए अवसरंचनात्मक कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक की ऋण योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक द्वारा सौंपी गई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) विभिन्न बुनियादी अवसंरचनात्मक संकर्मों को कार्यान्वित करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राधिकृत एडीबी/विश्व बैंक ऋणों के ब्यौर निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | एडीबी | विश्व बैंक |
|---|---|---|
| 2003–04 | 2618.88 | 5341.84 |
| 2004–05 | 7742.98 | 6273.70 |
| 2005–06 | 2416.19 | 8765.42 |

(ख) एडीबी/विश्व बैंक के ऐसे ऋण की सहायता से पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा आरम्भ किए गए अवसंरचनात्क संकर्मों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तुत उन परियोजनाओं के ब्यौरे जो वर्ष 2006 के लिए एडीबी ऋणों हेतु कार्यान्वयनाधीन है, निम्नानुसार हैं :

1. उत्तरी कर्नाटक शहरी विकास कार्यक्रम (264 मिलियन अमरीकी डालर)
2. उत्तरांचल राज्य सड़क विकास परियोजना (550 मिलियन अमरीकी डालर)
3. राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (250 मिलियन अमरीकी डालर)
4. उत्तरांचल विद्युत क्षेत्र परियोजना (300 मिलियन अमरीकी डालर)

उपर्युक्त परियोजनाओं के ब्यौरों के बारे में कार्यक्रम का मूल्यांकन, बातचीत और एडीबी बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात पता लगेगा।

*विवरण*

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | दाता | राज्य | परियोजना का नाम | प्राधिकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2003–04 | एडीबी | असम | असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 689.18 |
| 2003–04 | | असम | असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना | 459.45 |
| 2004–05 | | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास क्षेत्र परियोजना | 808.15 |
| 2005–06 | | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना | 204.00 |
| 2004–05 | | जम्मू और कश्मीर | अवसंरचना पुनर्वास परियोजना | 1122.43 |
| 2004–05 | | मध्य प्रदेश | शहरी जल आपूर्ति एंव पर्यावरण सुधार | 812.64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | | बहुराज्यीय | ग्रामीण सड़क क्षेत्र–I | 1795.89 |
| 2005–06 | | बहुराज्यीय | सुनामी आपातकालीन सहायता क्षेत्र परियोजना | 442.44 |
| 2003–04 | आईबीआरडी | आंध्र प्रदेश | द्वितीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम | 505.40 |
| 2004–05 | | कर्नाटक | कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना | 2.24 |
| 2004–05 | | कर्नाटक | कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना | 177.34 |
| 2004–05 | | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना | 1769.04 |
| 2004–05 | | उड़ीसा | उड़ीसा सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम | 381.63 |
| 2004–05 | | पंजाब | प्रो पंजाब राज्य सड़क परियोजना की अग्रिम तैयारी | 8.98 |
| 2003–04 | | तमिलनाडु | तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना | 1598.89 |
| 2005–06 | | गुजरात | गुजरात शहरी विकास परियोजना | 4.42 |
| 2005–06 | | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना तैयारी | 6.86 |
| 2005–06 | | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना | 1437.92 |
| 2005–06 | | बहुराज्यीय | इंडिया हाइड्रालॉजी प्रोजेक्ट फेज–II | 464.47 |
| 2005–06 | | उड़ीसा | उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना तैयारी | 13.27 |
| 2005–06 | | तमिलनाडु | तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना | 1327.31 |
| 2004–05 | आईडीए | झारखंड | झारखंड भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना (अग्रिम) | 2.31 |
| 2003–04 | | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना | 748.84 |
| 2004–05 | | असम | असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना | 702.84 |
| 2003–04 | | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना | 539.96 |
| 2003–04 | | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र ग्रामीण जल प्रणाली एवं सफाई जल परियोजना | 846.06 |
| 2004–05 | | उड़ीसा | उड़ीसा सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम | 183.41 |
| 2004–05 | | राजस्थान | राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना | 408.32 |
| 2004–05 | | तमिलनाडु | तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना | 494.67 |
| 2004–05 | | उत्तरांचल | उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत वाटर शेड विकास परियोजना | 317.28 |
| 2005–06 | | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयी वाटर शेड विकास परियोजना | 267.00 |
| 2005–06 | | पांडिचेरी | आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना | 100.12 |
| 2005–06 | | तमिलनाडु | तमिलनाडु आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना | 1829.86 |
| 2005–06 | | तमिलनाडु | तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उन्मूलन "पुथु वाझ्वू" परियोजना | 512.08 |

### लघु जल विद्युत परियोजनाएं

**2576. श्री सी. एच. विजयशंकर :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में गंभीर बिजली संकट से कृषि उत्पादकता को क्षति पहुंच रही है

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु जल विद्युत परियोजनाओं अथवा पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए राजसहायता ब्याज मुक्त ऋण आदि जैसे सहायक उपाय करने का है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय/आईआरईडीए में कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) देश में विद्युत की कुल मिलाकर कमी रही है। ये कमियां विद्युत की मांग व उपलब्धता के आधार पर राज्य–दर–राज्य, मौसम–दर–मौसम, माह–दर–माह, दिन–प्रतिदिन तथा घंटा–दर–घंटा भिन्न–भिन्न होती हैं। अप्रैल–जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान देश में औसतन ऊर्जा व व्यस्ततम कमियां क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत थीं। किसी भी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों (कृषि समेत) में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति व वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत यूटिलिटी जो कि उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत आपूर्ति की वरीयता का निर्धारण करते हैं, की होती है।

(ख) सरकार द्वारा विद्युत की मांग व पूर्ति के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

- उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में अत्यधिक उछाल।
- केन्द्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि।
- 11वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन में क्षमता अभिवृद्धि की अग्रिम आयोजना।
- कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी हेतु एक बड़े कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/विस्तार।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाई) के अन्तर्गत देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाना।
- विद्यमान ताप विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) पद्धतियों को अपनाए जाने हेतु "उत्कृष्टता में भागीदारी" कार्यक्रम।
- त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के अन्तर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दिए जाने के साथ पुरानी और अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- अंतरराज्यीय और अंतर क्षेत्रीय पारेषण लिंकों के सुदृढ़ीकरण, जिससे अंततः राष्ट्रीय ग्रिड का सृजन होगा, द्वारा विद्युत के अंतरराज्यीय एवं अंतर क्षेत्रीय अंतरण को बढ़ाना।
- जल विद्युत शक्यता का तेज गति से दोहन।
- मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सहायता, या लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सब्सिडी तथा विद्यमान लघु जल विद्युत परियोजनाओं और मन्द पड़ी परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु सहायता शामिल है। पनचक्कियों के विकास हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव नियमित आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुरूप वाले पूर्ण प्रस्तावों पर बजट प्रावधानों के अध्याधीन विचार किया जाता है और अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

### आंध्र प्रदेश में मुख्य आयकर आयुक्त

**2577. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने मुख्य आयकर आयुक्त कार्य कर रहे हैं तथा ये कहां–कहां तैनात हैं;

(ख) मुख्य आयकर आयुक्तों के कार्य का समन्वय किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या राज्य में मुख्य आयकर आयुक्तों की संख्या बढ़ाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) आंध्र प्रदेश में मुख्य आयकर आयुक्त के पांच पद हैं जिनमें महानिदेशक (जांच) का एक पद भी शामिल है। इनमें से चार पद हैदराबाद में तथा एक पद विशाखापटनम में है।

(ख) मुख्य आयकर आयुक्तों के कार्य का समन्वय संबंधित क्षेत्र के सदस्यों तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पूर्वोत्तर हेतु आवंटन**

**2578. श्री मणि शारेन्गमै** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवें तथा बारहवें वित्त आयोगों द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य को किए गए आवंटन की तुलना में बारहवें वित्त आयोग के समक्ष रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों को निधियों का आवंटन निम्न प्रकार किया :

(करोड़ रुपये में)

| राज्य | ग्यारहवां वित्त आयोग (2000–05) | बारहवां वित्त आयोग (2005–10) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2319.77 | 3525.56 |
| असम | 13423.71 | 24329.40 |
| मणिपुर | 3226.38 | 6870.20 |
| मेघालय | 2971.29 | 4367.77 |
| मिजोरम | 2538.53 | 4660.91 |
| नागालैंड | 4454.79 | 7453.41 |
| सिक्किम | 1635.98 | 1829.14 |
| त्रिपुरा | 4376.20 | 8417.00 |

(ख) राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार अवार्ड अवधि के लिए वित्त आयोग को अपनी जरूरतों से अवगत कराएं। बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की प्रति, जिसमें इसके विचारार्थ विषय दर्शाए गए हैं, 26 फरवरी, 2005 को सदन के पटल पर रखी गई थी।

वित्त आयोग, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विचारों, जैसा कि वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापनों में निहित है, पर विचार करने के पश्चात् राज्यों की विभिन्न क्षेत्रों के तहत आवश्यकताओं का आकलन स्वयं करता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें करते समय राज्यों के संसाधनों और अपनी अवार्ड अवधि हेतु व्यय संबंधी देनदारियों को ध्यान में रखता है। राज्यों ने बारहवें वित्त आयोग को दिए अपने ज्ञापनों में अनुदान हेतु अनुरोध किया है, ताकि राज्य के कतिपय विशिष्ट मुद्दों को सुलझाया जा सके। बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की अत्यधिक जरूरी आवश्यकताओं का आकलन किया तथा इन विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु आवंटित सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निधियों के उचित उपयोग की मानिटरिंग के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय समीक्षा समितियों का गठन किया है। प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति कठित की गई है। ये समितियां वित्तीय और वास्तविक दोनों प्रकार के लक्ष्यों की मानिटरिंग करने तथा प्रत्येक अनुदान के मामले में विशिष्ट शर्तों का पालन, जहां कहीं लागू हो, वित्त आयोग की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

*विवरण*

*विशेष जरूरतों वाले राज्यों द्वारा बारहवें वित्त आयोग को दिए गए प्रस्ताव और आयोग द्वारा उन प्रस्तावों के संदर्भ में राज्यों को किए गए आवंटन*

(करोड़ रुपये में)

| राज्य | राज्य के प्रस्ताव | बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान |
|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 12 ट्रेजरी बिल्डिंग और 5 सब–ट्रेजरी बिल्डिंग (10 करोड़ रुपये) | 10 करोड़ रुपये |
| असम | (i) शहरी क्षेत्रों का विकास (924 करोड़ रुपये) | 121 करोड़ रुपये |
| | (ii) स्वास्थ्य अवसंरचना (9.00करोड़ रुपये) | 9.00 करोड़ रुपये |
| मणिपुर | (i) सचिवालय परिसर (3.50करोड़ रुपये) | 3.50 करोड़ रुपये |
| | (ii) खेल परिसर (16.07 करोड़ रुपये) | 15.00 करोड़ रुपये |
| | (iii) लोकतक (32.88 करोड़ रुपये) | 11.50करोड़ रुपये |
| मेघालय | (i) चिड़ियाघर (जूलॉजिकल पार्क) (30 करोड़ रुपये) | 30 करोड़ रुपये |
| | (ii) वनस्पति उद्यान (5.00 करोड़ रुपये) | 5.00 करोड़ रुपये |
| मिजोरम | (i) बांस विकास (566.00 करोड़ रुपये) | 40.00 करोड़ रुपये |
| | (ii) खेल परिसर (50.00 करोड़ रुपये) | 25.00 करोड़ रुपये |
| नागालैंड | (i) स्वास्थ्य सुविधाएं (17.92 करोड़ रुपये) | 15.00 करोड़ रुपय |
| | (ii) विधान सभा सचिवालय (34.60 करोड़ रुपये) | 30.00 करोड़ रुपये |
| सिक्किम | हवाई अड्डे का निर्माण (174 करोड़ रुपये) | 100 करोड़ रुपये |
| त्रिपुरा | (i) केपिटल परिसर का निर्माण (28.91 करोड़ रुपये) | 28.00 करोड़ रुपये |
| | (ii) कुलाई में ढलाई जिला हेतु 150 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना | 11.00 करोड़ रुपये |
| | (iii) बिशालगढ़ में आदर्श जेल का निर्माण (11 करोड़ रुपये) | 10.00 करोड़ रुपये |

*[हिन्दी]*

**ब्रह्मपुत्र घाटी में जल विद्युत परियोजना की स्थापना**

**2579. श्री रशीद मसूद** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तथा म्यांमार की चिडविन घाटी में जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ग) कारबी लांग्पी (लोअर डूरपानी) जल विद्युत परियोजना (2x50 मेगावाट) ब्रह्मपुत्र घाटी में असम में निर्माणाधीन है और इसके 2006–07 में आरम्भ होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 4 हाइड्रो–इलैक्ट्रिक

योजनाएं अर्थात कारबी लांग्पी इन्टरमीडिएट स्टेज (60 मेगावाट), एमरिंग (33 मेगावाट) अपर बूरपानी (60 मेगावाट) और लोअर कोपिली (150 मेगावाट) असम में सर्वेक्षण एवं जांचाधीन हैं।

चिडविन नदी पर म्यांमार में तमन्धी बहुउद्देश्य परियोजना (1200 मेगावाट) भारत और म्यांमार के बीच संभाव्य आपसी लाभ के रूप में चिह्नित की गई है। म्यांमार सरकार द्वारा तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के जनवरी, 2008 तक तैयार हो जाने की संभावना है, जिसके पश्चात् म्यांमार सरकार और भारत सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन पर निर्णय लेंगे।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रमंडल खेल 2010**

**2580. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) निर्धारित अवधि के भीतर ही खेल गांव के निर्माण हेतु पूरे प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या डीडीए ने 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों हेतु निर्माण कार्य के संबंध में सहयोग लेने के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उत्तर प्राप्त हुआ है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने दिसम्बर, 2009 तक खेल गांव के निर्माण कार्य और अगस्त, 2010 तक सभी अस्थाई आवरण कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय-सारणी तैयार की है।

(ग) डीडीए ने उल्लेख किया है कि वित्तीय परामर्शदाता और पर्यावरण प्रभाव आकलन परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। खेल गांव के रिहायशी जोन के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के मामले भी अनुमोदन के लिए लिया गया है।

(घ) और (ङ) डीडीए ने बताया है कि रेल मंत्रालय से सहयोग मांगा गया है और उनकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है।

**उत्तरी पावर ग्रिड को सुदृढ़ बनाना**

**2581. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी पावर ग्रिड को पूर्वोत्तर पावर ग्रिड के साथ मिला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इससे उत्तरी राज्यों को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो कितना लाभ पहुंचेगा?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) से (घ) उत्तरी पावर ग्रिड को इस समय पूर्वोत्तर पावर ग्रिड के साथ नहीं मिलाया गया है। तथापि, पूर्वोत्तर ग्रिड, पूर्वी ग्रिड, जिसे सासाराम में 500 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक लिंक के माध्यम से उत्तरी ग्रिड से जोड़ा गया है, के साथ समक्रमिकता से प्रचालन कर रही है। उत्तरी ग्रिड को पूर्वी ग्रिड से 400 केवी पूर्वोत्तर इंटरकनेक्टर (ताला जल विद्युत परियोजना के साथ संबद्ध) के माध्यम से समक्रमित इंटरकनैक्शन करने की योजना, इस उद्देश्य से बनाई गई है कि उन्नत फ्रीक्वेंसी स्थिरता रहे तथा पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को 1000 मेगावाट तक की अतिरिक्त अधिशेष विद्युत का अंतरण किया जा सके।

**मलिन बस्तियों का विकास**

**2582. श्री परसुराम मांझी :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान बैंक फोर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) ने देश के विभिन्न शहरों में कुछ मलिन बस्तियों की पहचान की है ताकि उनके विकास के लिए अनुदान प्रदान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे शहर कौन-कौन से हैं जहां मलिन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**टिहरी जल विद्युत परियोजना**

**2583. श्री दुष्यंत सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजना ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस विद्युत परियोजना से किन–किन राज्यों को लाभ पहुंच रहा है; और

(घ) पहले चरण से अंतिम चरण तक राजस्थान का हिस्सा कितना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) टिहरी जल विद्युत परिसर में टिहरी बांध व एचपीपी चरण–I (1000 मेगावाट), टिहरी पम्पड स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) स्टेज–II (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर बांध व एचपीपी (400 मेगावाट) निहित है।

(ख) टिहरी बांध व एचपीपी स्टेज–I (1000 मेगावाट) की 250 मेगावाट क्षमता वाली प्रथम यूनिट को उत्तरी ग्रिड के साथ दिनांक 17.7.2006 को समकालित कर दिया गया था और दिनांक 30.7.2006 को इसे चालू किया गया।

(ग) और (घ) टिहरी स्टेज–I (1000 मेगावाट) से उत्पादित विद्युत का राजस्थान समेत विभिन्न लाभभोगी राज्यों को किया गया आवंटन निम्नवत है :

| राज्य | मेगावाट |
|---|---|
| हरियाणा | 43 |
| हिमाचल प्रदेश | 28 |
| जम्मू व कश्मीर | 48 |
| पंजाब | 77 |
| राजस्थान | 75 |
| उत्तर प्रदेश | 374* |
| उत्तरांचल | 147** |
| चंडीगढ़ | 6 |
| दिल्ली | 103 |
| अनावंटित | 99 |
| कुल | 1000 |

*25 प्रतिशत इक्विटी के लिए 220 मेगावाट इक्विटी हिस्सेदारी समेत।

** मेजबान राज्य को 120 मेगावाट (12 प्रतिशत) निशुल्क बिद्युत समेत।

**बीमा कम्पनियों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति**

**2584. श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में क्या नीति है;

(ख) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान 31 जुलाई, 2006 तक अनुकम्पा आधार पर कितनी नियुक्तियां की गईं;

(ग) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में समूह "ग" और "घ" के लिए अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) उनके अब तक लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित आवेदक को अनुकंपा आधार पर कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों में काम के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को समूह "ग" तथा "घ" पदों पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति योजना को दिनांक 1.6.2002 से एकमुश्त आर्थिक प्रतिपूर्ति (अनुदान) योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) दिनांक 1.6.2002 से पूर्व हुई कर्मचारियों की मृत्यु के संबंध में, अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति योजना लागू थी और योग्य आश्रितों की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की गई है। युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) में वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान, ऐसी नियुक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

| | |
|---|---|
| 2004–05 | शून्य |
| 2005–06 | 8 |

(ग) से (ङ) यूआईआईसीएल ने सूचित किया है कि आवेदकों से कुछ विशेष दस्तावेजों/स्पष्टीकरणों के प्राप्त न होने के कारण दो आवेदन लंबित थे, अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों को अनुस्मारक भेजे गए हैं, जिनके प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

## नोटरी

**2585. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने केन्द्रीय नोटरी पब्लिक नियुक्त किए गए;

(ख) राज्यवार नोटरी पब्लिक के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन सभी पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) :** (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान नियुक्त नोटरी पब्लिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोटरियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 में नोटरियों की नियुक्ति के लिए कोई समय–सीमा विहीत नहीं की गई है।

*विवरण-I*

*केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2003 से 2005 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नियुक्त पब्लिक नोटरियों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2003 से 2005 के दौरान नियुक्त नोटरियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 02 | 03 | 20 |
| 2. | असम | – | – | – |
| 3. | बिहार | – | 01 | 01 |
| 4. | गुजरात | 06 | 15 | 53 |
| 5. | केरल | 04 | 25 | 05 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 03 | – | 01 |
| 7. | तमिलनाडु | 02 | 04 | 36 |
| 8. | महाराष्ट्र | 28 | 35 | 110 |
| 9. | कर्नाटक | 08 | 09 | 17 |
| 10. | उड़ीसा | – | – | 01 |
| 11. | पंजाब | 18 | 32 | 69 |
| 12. | राजस्थान | 10 | 17 | 21 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 33 | 48 | 110 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 03 | 04 | 02 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | – | – | – |
| 16. | नागालैंड | – | – | – |
| 17. | हरियाणा | 31 | 43 | 55 |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | – | – | – |
| 19. | मणिपुर | – | – | – |
| 20. | त्रिपुरा | – | – | 01 |
| 21. | मेघालय | – | – | – |
| 22. | सिक्किम | – | – | – |
| 23. | मिजोरम | – | – | – |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | – |
| 25. | गोवा | – | – | 01 |
| 26. | उत्तरांचल | – | – | 02 |
| 27. | छत्तीसगढ़ | 03 | – | 01 |
| 28. | झारखंड | – | – | – |
| 29. | दिल्ली | 06 | 17 | 11 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | लक्षद्वीप | – | – | – |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | – | – | – |
| 33. | दमन और दीव | – | – | – |
| 34. | पांडिचेरी | – | – | – |
| 35. | चंडीगढ़ | – | – | – |

*विवरण-II*

*14.8.2006 को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पब्लिक नोटरियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | नियुक्त नोटरियों की संख्या | केन्द्रीय सरकार के लिए उद्दिष्ट कोटा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 52 | 575 |
| 2. | असम | 01 | 575 |
| 3. | बिहार | 09 | 925 |
| 4. | गुजरात | 207 | 625 |
| 5. | केरल | 58 | 375 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 18 | 1125 |
| 7. | तमिलनाडु | 89 | 725 |
| 8. | महाराष्ट्र | 504 | 875 |
| 9. | कर्नाटक | 181 | 675 |
| 10. | उड़ीसा | 07 | 750 |
| 11. | पंजाब | 430 | 638 |
| 12. | राजस्थान | 261 | 800 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 671 | 1750 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 140 | 450 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | – | 350 |
| 16. | नागालैंड | – | 200 |
| 17. | हरियाणा | 453 | 713 |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 04 | 300 |
| 19. | मणिपुर | – | 225 |
| 20. | त्रिपुरा | 04 | 100 |
| 21. | मेघालय | – | 175 |
| 22. | सिक्किम | – | 100 |
| 23. | मिजोरम | – | 200 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | – | 325 |
| 25. | गोवा | 04 | 50 |
| 26. | उत्तरांचल | 13 | 325 |
| 27. | छत्तीसगढ़ | 04 | 400 |
| 28. | झारखंड | 01 | 450 |
| 29. | दिल्ली | 329 | 488 |
| 30. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | 50 |
| 31. | लक्षद्वीप | – | 25 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | – | 25 |
| 33. | दमन और दीव | – | 50 |
| 34. | पांडिचेरी | 01 | 100 |
| 35. | चंडीगढ़ | 25 | 38 |

**कर छूटों का दुरुपयोग**

**2586. श्री रघुनाथ झा :** क्या वित्त मंत्री निजी संस्थाओं द्वारा कर छूटों का दुरुपयोग के बारे में 24 फरवरी, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

(क) जी, हां।

(ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए मामलों की संख्या और उनमें संलिप्त राशि निम्नानुसार है :

| वर्ष | पता लगाए गए मामलों की संख्या | संलिप्त शुल्क (रुपये करोड़ों में) |
|---|---|---|
| 2002–2003 | 172 | 140.01 |
| 2003–2004 | 180 | 346.014 |
| 2004–2005 | 248 | 407.756 |
| 2005–2006 (जनवरी, 2006 तक) | 152 | 722.006 |

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है जैसा कि ऊपर भाग (ख) में उल्लेख किया गया है केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के विरुद्ध ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(घ) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तथापि जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, गत तीन वर्षों के दौरान चार धर्मार्थ न्यासों को कर रियायतों का दुरुपयोग करते पाया गया।

(ङ) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, पूर्णतः अथवा अंशतः धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों को अपनी–अपनी आयकर विवरणी, कतिपय शर्तों के तहत दायर करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अथवा राज्य महत्व वाली धर्मार्थ के लिए स्थापित किसी भी अधिसूचित निधि अथवा संस्था, अधिसूचित पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ न्यास अथवा मात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और न कि लाभ के प्रयोजनार्थ मौजूद संस्थान, विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान अथवा मात्र परमार्थ उद्देश्यों के लिए और न कि लाभ के प्रयोजनार्थ मौजूद किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सीय संस्थान को कतिपय शर्तों के अधीन अपनी–अपनी आयकर विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि मात्र शैक्षिक प्रयोजनार्थ न कि लाभ के प्रयोजनार्थ मौजूद किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्था को और मात्र परमार्थ उद्देश्यों के लिए और न कि लाभ के प्रयोजनार्थ मौजूद किसी भी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सीय संस्था को लोक सभा द्वारा पारित किए जाने वाले कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2005 के माध्यम से अपनी–अपनी वार्षिक आयकर विवरणियां दायर करना अनिवार्य कर दिया जाए।

**विदेश ऋण**

**2587. श्री एस. के. खारवेन्थन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश पर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया है और यह जीडीपी का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी ऋण की मात्रा में कोई बढ़ोत्तरी हुई है अथवा कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋण भार को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) मार्च, 2006 के अन्त तक बकाया कुल विदेशी ऋण 125.18 बिलियन अमरीकी डालर था तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 15.8 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीकी डालर के संदर्भ में भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर, इस अवधि में भारत का विदेशी ऋण कम हुआ है। ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सारणी

भारत का विदेशी ऋण

(बिलियन अमरीकी डालर)

| | मार्च अंत तक | | |
|---|---|---|---|
| | 2004 | 2005 | 2006 |
| (i) कुल विदेशी ऋण | 111.64 | 123.20 | 125.18 |
| (ii) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण | 17.8 | 17.3 | 15.8 |

(घ) सरकार विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रखने के लिए एक विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का अनुसरण करती है। यह नीति रियायती ऋणों, दीर्घ परिपक्वता वाले ऋणों, अल्पावधि ऋण का गहन अनुवीक्षण और ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों पर बल देने पर केन्द्रित है।

**लोअर सुबांश्री जल विद्युत परियोजना**

**2588. श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर सुबांश्री जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने हेतु कोई पूर्व शर्तें और सुझाव तय किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों का अनुपालन और इन शर्तों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश के नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) की लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.) को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के ब्यौरे तथा इन शर्तों के अनुपालन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

| क्र.सं. | भाग क : विशिष्ट शर्त | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (i) | (क) पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट में पुनःस्थापन एवं पुनर्वास योजना के अनुसार पुनर्वास। | परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनःस्थापन के लिए 40 हैक्टेयर भूमि का आवंटन उपायुक्त, पश्चिम सियांग एलांग जिला द्वारा किया जाना है। आर एण्ड आर स्थल की पहचान और सर्वेक्षण की गई है। भूमि का औपचारिक हस्तांतरण जांचाधीन है। |
| | (ख) पुनःस्थापन एवं पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिए एक मानिटरिंग समिति का गठन | उपायुक्त, पश्चिम सियांग जिला, एलांग के उपायुक्त द्वारा समिति गठित की गई है। |
| (ii) | आवाह क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार 3 वर्षों में 1663 हेक्टेयर अभिज्ञात आवाह क्षेत्र का प्रबंधन किया जाना है। | कैट योजना वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर के जांचाधीन है। राज्य वन विभाग से कैट के लिए प्रचालन की वार्षिक योजना तथा एमओईएफ द्वारा नियत लक्ष्यों के अनुरूप जारी भुगतान का प्रारूप प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है (वार्षिक/छमाही रूप से)/राज्य वन विभाग से एपीओ प्राप्त किया जाना बाकी है। |
| (iii) | बांध के डाउनस्ट्रीम में खराब मौसम में न्यूनतम 6 क्यूसेक्स जल का प्रवाह आवश्यक है। | परियोजना आरंभन के पश्चात् इस शर्त का पालन किया जाएगा। |
| (iv) | जल गुणवत्ता जांच के रूप में कॉलिफार्म काउंट के आधार आंकड़े समय-समय पर एकत्रित एवं मानिटरिंग किए जाने हैं। | असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से सुबानसिरी रिवर के कॉलिफार्म काउंट समेत जल गुणवत्ता जांच की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | (v) क्षेत्र के जलमग्न होने से पूर्व प्रजाति स्तर पर आर्किड की पहचान की जानी है। आर्किड एवं अन्य महत्वपूर्ण पेड़ों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। | राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को परियोजना के जलमग्नता क्षेत्र में प्रजाति स्तर पर आर्किड की सर्वेक्षण एवं पहचान का काम सौंपा गया है। |
| | (vi) प्रस्तावित सुबानसिरी जलाशय के पास एक हैचरी भी बनाई जानी है। हैचरी में प्रवासी मछलियों के कृत्रिम बीजोत्पादन के विकास के लिए आवश्यक पानी संबंधी सुविधा होनी चाहिए ताकि इनका भंडारण हो सके। | यह अध्ययन सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर, कोलकाता को सौंपे जाने हेतु विचाराधीन है। |
| | (vii) नदी में सामान्य रूप से रहने वाले जंतुओं, विशेषकर मछली, घोंघा, प्रॉन तथा कैंकड़ा का वैज्ञानिक रूप से प्रलेखन एवं अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए। इन जंतुओं की उपलब्धता पर जलाशय निर्माण के संभावित प्रभाव का भी आकलन ताकि इनके दीर्घकालिक संरक्षण एवं स्थानीय लोगों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। | ये अध्ययन जूओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय को सौंपे जाने हैं। |
| | (viii) जलमग्न क्षेत्र के संबंध में जैव भिन्नता एवं आवास स्थल संरक्षण पर एक वर्ष का व्यापक अध्ययन किया जाना है। पड़ोसी वन्य जीवन के प्रवासी माध्यमों की पहचान होनी चाहिए। | ये अध्ययन जूओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय को सौंपे जाने हैं। |
| | (ix) केवल अप्रशिक्षित समूह ही नहीं, बल्कि अर्ध प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित समूहों में भी स्थानीय लोगों को अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का प्रयास होना चाहिए। | विभिन्न क्षेत्रों जैसे वेल्डिंग और कम्प्यूटर प्रचालन में नार्थ लखीमपुर, असम में 48 स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है।<br><br>अरुणाचल प्रदेश के 28 युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रूइंग तथा तावारिजो, अरुणाचल प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। |
| | (x) एकबार बांध का निर्माण हो जाने पर डाउनस्ट्रीम वाटर का प्रवाह कम हो जाएगा विशेष रूप से हेड रेस से टेल रेस टनल तक जल प्रवाह व्यापक रूप से कम होगा जिससे मच्छरों के पैदा होने की संभावना है। इस क्षेत्र में मच्छरों के पैदा होने को रोकने के लिए 60 सेमी./से. का जल प्रवाह दर रखना चाहिए। नदी के इस भाग को उचित रूप से उपयोग करना चाहिए ताकि कोई पूल या पूडल नहीं बन सके। मलेरिया/मच्छर प्रजनन की समस्याओं को दूर करने के लिए इस परियोजना के भाग के रूप में विशिष्ट उपाय करने चाहिए। | बांध के निर्माण के पश्चात् इस पर ध्यान दिया जाएगा। |

| क्र.सं. | भाग ख : सामान्य शर्तें | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| (i) | निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पर्याप्त निःशुल्क ईंधन प्रबंध परियोजना लागत पर होना चाहिए ताकि पेड़ों की अविवेकपूर्ण कटाई न हो सके। | बड़े ठेकेदार अपने श्रमिकों/कामगारों को ईंधन देने के लिए उचित प्रबंध कर रहे हैं। |
| (ii) | ईंधन (कैरोसिन/लकड़ी/तरल प्राकृतिक गैस) प्रदान करने के लिए ईंधन डिपो खोलना चाहिए। श्रमिकों को चिकित्सा एवं मनोरंजन सुविधा भी देना चाहिए। | आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद परियोजना में एक एलपीजी डिपो खोला गया है। बड़े ठेकेदारों को भी उनके साथ काम कर रहे श्रमिकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। |
| (iii) | निर्माण कार्य में संलग्न सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा गहन जांच होनी चाहिए तथा उन्हें वर्क परमिट जारी करने से पूर्व उनका समुचित इलाज होना चाहिए। | परियोजना के श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच/जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। |
| (iv) | लेवलिंग, बरोपिट की भराई, लैंडस्केपिंग आदि के द्वारा उत्खनित सामग्रियों के डम्पिंग स्थान समेत निर्माण क्षेत्र का पुनरोद्धार किया जाना चाहिए। क्षेत्र में पर्याप्त पौधारोपण होना चाहिए। | इस शर्त का पालन किया जा रहा है। |
| (v) | उक्त सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान होना चाहिए। | बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। |
| (vi) | सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कारगर क्रियान्वयन की निगरानी के लिए धन, पारितंत्र, वन्य जीवन, भू-संरक्षण आदि के विभिन्न संकायों से प्रतिनिधियों को मिलाकर एक बहु-संकाय समिति गठित की जानी चाहिए। | 20.4.2004 को एमओईएफ, राज्य वन विभाग तथा एनजीओ के एक सदस्य समेत विभिन्न संकायों के प्रतिनिधियों को मिलाकर परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षा मानदंडों के कारगर क्रियान्वयन के लिए एक बहु-संकाय समिति गठित की गई है। |
| (vii) | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को समीक्षा हेतु छमाही मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। | रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है। |

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निष्पादन**

**2589. श्री के. सी. पल्लानी स्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्यवार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों को राज्यवार कितना लाभ और घाटा हुआ है;

(ग) घाटा होने, यदि कोई हो के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटा उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभकारी बैंकों में तब्दील करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, देशभर में 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) परिचालन कर रहे थे। विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ कमा रहे आरआरबी एवं घाटे में चल रहे आरआरबी की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हो रहे घाटे के मुख्य कारण

हैं : सीमित परिचालन क्षेत्र, कारोबार का कम होना, संकुचित बैंकिंग व्यवस्था, स्थापना एवं प्रशासन संबंधी उच्च लागत, ऋणों की कम वसूली के कारण कम मार्जिन एवं अनुपयोज्य आस्तियों का उच्च प्रतिशत, संचयी हानियां जो आरआरबी में गैर–आय सृजित करने वाली आस्ति हैं।

(घ) कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के संबंध में परामर्शदात्री समिति (व्यास समिति) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्थक्षम एवं लाभ कमाने वाली इकाइयां बनाने के लिए उनके समामेलन संबंधी प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया है। 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, सरकार ने 89 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 26 नई संस्थाओं के रूप में समामेलित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए गए अन्य कदम निम्नांकित हैं :

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गैर–लक्ष्य समूह को वित्तपोषित करने की अनुमति दी गई है।
- गैर–अर्थक्षम शाखाओं को कारोबार की संभावना वाली जगहों पर स्थानांतरित करना।
- सेवा क्षेत्र के दायरे में छूट।
- जमाराशि एवं अग्रिम संबंधी ब्याज का अविनियमन।
- निवेश संबंधी मानदंडों में रियायत।
- नई योजनाएं तैयार करना, साथ ही बीमा पॉलिसी की बिक्री, पेंशन का संवितरण एवं सरकारी काम–काज करने जैसे गैर–बैंकिंग कार्य शुरू करना।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आरआरबी के अधिकारियों के कौशल उन्नयन के लिए उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है/ उसमें सहायता कर रहा है, कार्यक्षमता बढ़ाने एवं कार्य–दक्षता बढ़ाने के लिए संगठनात्मक विकास विचार–विमर्श आयोजित कर रहा है, एक्सपोजर दौरा, इत्यादि कर रहा है।

*विवरण*

*गत तीन वर्षों के दौरान देशभर में कार्यरत लाभ अर्जित करने वाले एवं घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | आरआरबी की संख्या (31.3.06 की स्थिति) | के दौरान लाभ में चल रहे आरआरबी | | | के दौरान घाटे में चल रहे आरआरबी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06* | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8 | 15 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | असम | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | बिहार | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | गुजरात | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | हरियाणा | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | झारखंड | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11. | कर्नाटक | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | केरल | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 19 | 14 | 17 | 19 | 5 | 2 | 0 |
| 14. | महाराष्ट्र | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | मणिपुर | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | मेघालय | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | नागालैंड | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | उड़ीसा | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 20. | पंजाब | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | राजस्थान | 8 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 20 | 35 | 35 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 25. | उत्तरांचल | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| | कुल | 133 | 163 | 166 | 112 | 33 | 30 | 21 |

*कुछ आरआरबी के समामेलन के कारण वर्ष 2005-06 में इसकी संख्या में कमी आई है।

**नैनो प्रौद्योगिकी मिशन**

**2590. श्री ई. जी. सुगावनम :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) से (ग) सरकार ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन के भाग के रूप में सरकार की योजना विभिन्न शैक्षिक और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाने, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करने, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना करने, बढ़ी हुई सार्वजनिक निजी भागीदारियों के माध्यम से संस्थान-उद्योग सम्बद्ध परियोजनाओं का संवर्धन करने, बिजनेस इंक्यूबेटरों की स्थापना के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने आदि की है।

**आनुवंशिक इंजीनियरिंग**

**2591. श्री रनेन बर्मन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग भारत सहित विश्व के वैज्ञानिक समुदाय की बढ़ती रुचि को आकर्षित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर कृषि, पुष्पकृषि, मात्स्यिकी और पशुपालन क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आनुवंशिक इंजीनियरिंग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुसंधान हेतु उपलब्ध सुविधाएं तथा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में वर्तमान कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक समुदाय में आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करने की रुचि बढ़ रही है क्योंकि यह वैज्ञानिकों को किसी भी पादप, पशु, बैक्टिरिया या वायरस स्रोत से, वांछित जीनो को अन्य जीवों में अन्तरित करने में समर्थ बनाता है। विकसित देशों के अलावा, बहुत से विकासशील देश भी कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग करते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। भारत में यह तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है और इस समय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लगभग 300 संस्थान हैं जो कृषि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) कृषि, पुष्पकृषि, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान के क्षेत्र में आधारभूत एवं व्यावहारिक पहलुओं, दोनों को शामिल कर अनुसंधान सुविधाएं और अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते हुए सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ करने के लिए संगठित प्रयास कर रही है।

(घ) सरकार ने पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 3 आनुवंशिकी इंजीनियरिंग इकाइयों की स्थापना की थी। इस समय मदूरै कामराज विश्वविद्यालय, मदूरै में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं प्रभेद परिचालन केन्द्र को सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने पादप जिनोमिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, फसल सुधार के लिए आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग सहित पादप आण्विक जीव विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 7 राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में पादप आण्विक जीव विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई। ऐसे कई अन्य सामान्य विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान मौजूद हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करने के लिए उपयुक्त सक्षमता विकसित की है।

जीवीय तथा अजीवीय दबावों, विषमजातीय प्रजनन के कारण हुई हानियों को कम करते हुए तथा उनकी पौषणिक गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीकों के अनुप्रयोग संबंधी अनुसंधान कार्यक्रमों को सरकार सहायता प्रदान कर रही है। पशु विज्ञान के क्षेत्र में उपयुक्त ट्रांसजेनिक पशुओं, टीकों और पशु चारे का विकास करने के लिए आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीकों के प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं जबकि मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न प्रयोजनों के लिए ट्रांसजेनिक मछली विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में, बोस संस्थान, कोलकाता, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी और भारतीय औद्योगिक संस्थान, खड़गपुर को क्रमशः लवणता, शुष्कता तथा टुगों वायरल बीमारी प्रतिरोधक पराजीनी चावल तथा उन्नत किस्म की सरसों को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

**ग्राम पंचायतों द्वारा धनराशि का उपयोग**

**2592. श्री हितेन बर्मन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में ग्राम पंचायतों द्वारा पटरी के निर्माण, निकासी स्वच्छता और हैंडपम्प लगाए जाने हेतु निर्धारित धनराशि का नियत उद्देश्यों पर व्यय किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस राज्य में जिलाधीशों द्वारा कोई लेखापरीक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एमपीएलएडीएल की तर्ज पर इन धनराशियों का जिलाधीशों के माध्यम से उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) सिक्किम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सिक्किम में नालियों तथा पटरियों की सफाई के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान अथवा राज्य बजट के माध्यम से सिक्किम के ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग के लिए कोई विशिष्ट निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं। सिक्किम

में हैंडपंप योजनाएं व्यवहार्य नहीं हैं इसलिए ये वहां कार्यान्वित नहीं की जाती हैं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिलाधिकारियों द्वारा कोई लेखा–परीक्षा नहीं की जाती है। तथापि, ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा की जाती है।

(ङ) और (च) लागू नहीं।

**बंगलौर यातायात सुधार परियोजना**

**2593. श्री मिलिन्द देवरा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार राज्य की राजधानी में यातायात की समस्या से निपटने के लिए बंगलौर यातायात सुधार परियोजना कार्यान्वित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) वित्तीय वर्ष 2006–07 में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या बंगलौर महानगर पालिका (बीएमपी) और संबंधित एजेंसियों की भागीदारी से एक दस सूत्री कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (छ) प्रश्न की विषयवस्तु पूर्णतः राज्य सरकार से संबंधित है। तथापि कर्नाटक सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

**पारेषण लाइन को सुदृढ़ बनाना**

**2594. प्रो. एम. रामदास :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनपुर और मोगा के बीच 417.71 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 1998 तक पूरी की जाने वाली 800 कि. वा. पारेषण प्रणाली को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस विलंब के कारण किस सीमा तक लागत अतिलंघन हुआ है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) से (घ) 800 केवी के दो सर्किट वाले किशनपुर–मोगा पारेषण प्रणाली को आरम्भ में 417.71 करोड़ रुपये (1992 की दूसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत पर मई, 1993 में अनुमोदित किया गया था और इसे निवेश अनुमोदन की तारीख से 58 महीनों के भीतर कार्यान्वित किया जाना था। किन्तु मुख्यतः संरचनाओं की खराब डिजाइन के कारण टावरों के बार–बार खराब होने से परियोजना विलंबित हो गई। पारेषण प्रणाली के दोनों सर्किटों को क्रमशः मार्च, 2000 और जनवरी, 2001 में पूरा किया गया। सरकार द्वारा जुलाई, 2002 में इस परियोजना के लिए 938.48 करोड़ रुपये (1999 की चौथी तिमाही के मूल्य आधार पर) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया गया।

**विद्युत परियोजनाओं की स्थापना**

**2595. श्री जुएल ओराम :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजना के दौरान कितनी केन्द्रीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं को किन–किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) इनके वाणिज्यिक उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) :** (क) से (घ) 11वीं योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए अनंतिम तौर पर चिह्नित की गई उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की सूची (अनंतिम) जिनके द्वारा 11वीं योजना के दौरान लाभ मिलना संभावित है

| क्र.सं. | संयंत्र का नाम | राज्य | एजेंसी | क्षेत्र | कुल क्षमता (मेगावाट) | 11वीं योजना के दौरान लाभ (2007–12) | संभावित वर्ष जब लाभ मिलना शुरू होगा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | | |
| **जल विद्युत** | | | | | | | |
| 1. | पार्बती–II | हिमाचल प्रदेश | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 800 | 800 | 2009–10 |
| 2. | चमेरा–III | हिमाचल प्रदेश | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 231 | 231 | 2010–11 |
| 3. | पार्बती–III | हिमाचल प्रदेश | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 520 | 520 | 2010–11 |
| 4. | बगलीहार–II | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 450 | 450 | 2007–08 |
| 5. | सेवा–II | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 120 | 120 | 2007–08 |
| 6. | उड़ी–II | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 240 | 240 | 2009–10 |
| 7. | निम्मू बजगो | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 45 | 45 | 2010–11 |
| 8. | चुटक | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 44 | 44 | 2010–11 |
| 9. | कोटलीभेल चरण 1ए | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 195 | 195 | 2010–11 |
| 10. | कोटलीभेज चरण 1बी | जम्मू व कश्मीर | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 320 | 320 | 2010–11 |
| 11. | ओंकारेश्वर | मध्य प्रदेश | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 520 | 520 | 2007–08 |
| 12. | तीस्ता लो डैम–III | पश्चिम बंगाल | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 132 | 132 | 2007–08 |
| 13. | तीस्ता लो डैम–IV | पश्चिम बंगाल | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 160 | 160 | 2009–10 |
| 14. | सुबानसिरी लोअर | अरुणाचल प्रदेश | एनएचपीसी | केन्द्रीय | 2000 | 2000 | 2010–11 |
| | उप जोड़ (एनएचपीसी) | | | | | 5777 | |
| 15. | रामपुर | हिमाचल प्रदेश | एसजेवीएनएल | केन्द्रीय | 412 | 412 | 2010–11 |
| | उप जोड (एनएचपीसी) | | | | | 412 | |
| 16. | कोटेश्वर | उत्तरांचल | टीएचडीसी | केन्द्रीय | 400 | 400 | 2008–09 |
| 17. | टिहरी पीएसएस | उत्तरांचल | टीएचडीसी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2009–10 |
| 18. | विष्णुगाढ पीपलकोटी | उत्तरांचल | टीएचडीसी | केन्द्रीय | 444 | 444 | 2011–12 |
| | उप जोड़ (टीएचडीसी) | | | | | 1844 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | कार्मेंग | अरुणाचल प्रदेश | नीपको | केन्द्रीय | 600 | 600 | 2010–11 |
| | उप जोड़ (नीपको) | | | | | 600 | |
| 20. | कोलडैम | हिमाचल प्रदेश | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 800 | 800 | 2008–09 |
| 21. | लोहारी नागपाला | उत्तरांचल | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 600 | 600 | 2010–11 |
| 22. | तपोवन विष्णुगाड | उत्तरांचल | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 520 | 520 | 2011–12 |
| 23. | लता तपोवन | उत्तरांचल | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 171 | 171 | 2011–12 |
| 24. | राम्मम चरण–III | पश्चिम बंगाल | | केन्द्रीय | 120 | 120 | 2011–12 |
| | उप जोड़ (एनटीपीसी–जल विद्युत) | | | | | 2211 | |
| | उप जोड़ (जल विद्युत केन्द्र) | | | | | 10844 | |
| **थर्मल** | | | | | | | |
| 1. | दादरी विस्तार | उत्तर प्रदेश | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 980 | 980 | 2009–10 |
| 2. | सीपत–I | छत्तीसगढ़ | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1980 | 1980 | 2007–09 |
| 3. | मिलाई जेवी | छत्तीसगढ़ | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2007–08 |
| 4. | कोरबा–III | छत्तीसगढ़ | एनटीपीसी+ तमिलनाडु ईबी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2009–10 |
| 5. | इन्नौर जेवी | तमिलनाडु | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2010–12 |
| 6. | सिम्हाद्री विस्तार | आंध्र प्रदेश | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1320 | 1320 | 2011–12 |
| 7. | बाढ़ | बिहार | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1980 | 1980 | 2008–11 |
| 8. | बाढ़–II | बिहार | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1320 | 660 | 2011–12 |
| 9. | नबीनगर | बिहार | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2010–12 |
| 10. | इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दरीपली | उड़ीसा | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 3200 | 800 | 2011–12 |
| 11. | उत्तर करण पुरा | झारखंड | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 1980 | 1980 | 2010–12 |
| 12. | फरक्का चरण–III | पश्चिम बंगाल | एनटीपीसी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2009–10 |
| 13. | इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लारा | छत्तीसगढ़ | एनटीपीसी | | 4000 | 800 | 2011–12 |
| | उप जोड़ (एनटीपीसी–ताप विद्युत) | | | | | 14000 | |
| 14. | बरसिंगसर | राजस्थान | एनएलसी | केन्द्रीय | 250 | 250 | 2008–09 |
| 15. | बरसिंगसर विस्तार | राजस्थान | एनएलसी | केन्द्रीय | 250 | 250 | 2010–12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | नैवेली–II | तमिलनाडु | एनएलसी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2008–09 |
| 17. | तूतीकोरिन जेवी | तमिलनाडु | एनएलसी+ टीएनईबी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2010–12 |
| | उप जोड़ (ताप विद्युत–एनएलसी) | | | | | 2000 | |
| 18. | बोकारो | झारखंड | डीवीसी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2010–11 |
| 19. | बोकारो रिप्लेसमेंट | झारखंड | डीवीसी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2009–11 |
| 20. | कोडरमा | झारखंड | डीवीसी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2011–12 |
| 21. | मैथान आरबीसी | झारखंड | डीवीसी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2010–11 |
| 22. | मेजिया विस्तार | पश्चिम बंगाल | डीवीसी | केन्द्रीय | 1000 | 1000 | 2010–11 |
| | उप जोड़ (डीवीसी) | | | | | 4000 | |
| 23. | त्रिपुरा गैस | त्रिपुरा | ओएनजीसी | केन्द्रीय | 750 | 750 | 2010–11 |
| | उप जोड़ (थर्मल–नीपको) | | | | 750 | 750 | |
| | उप जोड़ (ताप विद्युत केन्द्र) | | | | | 20750 | |
| **न्यूक्लीयर** | | | | | | | |
| 1. | आरएपीपी यू–5 व 6 | राजस्थान | एनपीसी | केन्द्रीय | 440 | 440 | 2007–09 |
| 2. | कुदानकुलम यू–1 व 2 | तमिलनाडु | एनपीसी | केन्द्रीय | 2000 | 2000 | 2007–09 |
| 3. | पीएफबीआर (कलपक्कम) | तमिलनाडु | एनपीसी | केन्द्रीय | 500 | 500 | 2010–11 |
| 4. | कैगा | कर्नाटक | एनपीसी | केन्द्रीय | 440 | 220 | 2007–08 |
| | उप जोड़ (न्यूक्लीयर केन्द्र) | | | | | 3160 | |
| | योग केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | 34754 | |

**उर्वरक पर राजसहायता में कमी**

**2596. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरकों पर राजसहायता में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई मांग और राजसहायता के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों पर राजसहायता की जांच करने के लिए सचिवों की समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) जी, नहीं। बजट अनुमान (2005–06) में 16,253.90 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में बजट अनुमान (2006–07) में उर्वरक राजसहायता के लिए 17,252.90 करोड़ रुपये का निवल

प्रावधान किया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान, बजट अनुमानों के अलावा उस वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और तीसरे बैच के जरिए 2,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निवल राशि दी गई थी, जिससे वर्ष 2005–06 के लिए कुल आवंटन 18,453.90 करोड़ रुपये हो गया था। चालू वित्त वर्ष में, अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के जरिए उर्वरक राजसहायता के लिए 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार, वर्ष 2005–06 के लिए उर्वरक राजसहायता हेतु 18,453.90 करोड़ रुपये के कुल निवल प्रावधान की तुलना में वर्ष 2006–07 में 18,752.90 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हालांकि राजसहायता के मुद्दे पर सचिवों की समिति सहित विभिन्न मंचों पर समय–समय पर चर्चा होती रही है।

**एनटीपीसी द्वारा कोयला ब्लाकों का विकास**

**2597. श्री सुग्रीव सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का विचार देश में कोयला ब्लाकों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोयला ब्लाकों में एनटीपीसी द्वारा किए जाने वाले संभावित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक उक्त ब्लाक में अनुमानतः कितना कोयला भंडार है; और

(ङ) इसके द्वारा एनटीपीसी के किन–किन संयंत्रों को लाभ होने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ङ) जी, हां। उन्नत कोयला आपूर्ति/सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) ने कोयला खनन में प्रवेश करने का निर्णय लिया है और अब तक एनटीपीसी को 6 कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है। इन कोयला खनन ब्लाकों के उनके अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों सहित ब्यौरे तथा अंतिम–प्रयोग परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं :

| क्र.सं. | कोयला ब्लाक का नाम | राज्य | अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडार (एमटी) | अंतिम प्रयोग परियोजनाएं |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पाकरी बरवाडीह | झारखंड | 1436 | पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में एनटीपीसी के वर्तमान विद्युत स्टेशनों में कोयला उपलब्धता के पूरक के रूप में बास्केट स्रोत। |
| 2. | चत्ती बरीयातू | झारखंड | 243 | बाढ़, स्टेज–2 (1320 मेगावाट)। |
| 3. | केरानदरी | झारखंड | 228* | बाढ़, स्टेज–2 (1320 मेगावाट)। |
| 4. | डुलंगा | उड़ीसा | 260* | दरलीपाली (3200 मेगावाट) थर्मल विद्युत परियोजना। |
| 5. | तलाईपल्ली | छत्तीसगढ़ | 965* | लारा (4000 मेगावाट) थर्मल विद्युत परियोजना। |
| 6. | छत्रसाल | मध्य प्रदेश | 150* | सिंगरौली क्षेत्र में एनटीपीसी के वर्तमान विद्युत स्टेशनों में कोयले के पूरक के रूप में बास्कट स्रोत। |
| 7. | ब्राहमिनी और चीकरो पटसीमल | झारखंड | 1900 | एनटीपीसी की फरक्का और कहलगांव विद्युत स्टेशनों को आपूर्तियां देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और एनटीपीसी के बीच प्रस्तावित 50 : 50 संयुक्त वेंचर द्वारा। |

*ये आंकड़े एनटीपीसी को उपलब्ध कराए गए डाटा पर आधारित अनंतिम आंकड़े हैं और संबंधित भूवैज्ञानिक रिपोर्टों को तैयार करने के पश्चात् ही निश्चित किए जाएंगे।

उपरोक्त कोयला ब्लाकों को विकसित करने के लिए अपेक्षित सही निवेश भूवैज्ञानिक रिपोर्टों (जीआर) और व्यवहार्यता रिपोर्टों (एफआर) को अन्तिम रूप देने पर निर्भर है।

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम**

**2598. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य में सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतो हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उन्नयन करने के लिए चालू वर्ष और गत दो वर्षों के लिए योजना राशि का ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, अपारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक आधार वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम की सहायता हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जिसमें समूचे देश में अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं/संगठन और उद्योग शामिल हैं। इस मंत्रालय की समर्पित अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं जैसे सौर ऊर्जा केन्द्र और पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा क्रमशः सौर और पवन में अनुसंधान कार्य को सुगम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एलटरनेट हाइड्रो एनर्जी सैंटर, आईआईटी, रुड़की को लघु पनबिजली के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सुदृढ़ किया गया है। यह मंत्रालय समूचे देश में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सहायता करता है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान, अनुसंधान एवं विकास हेतु 43 करोड़ रुपये, सौर ऊर्जा केन्द्र, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान हेतु 23 करोड़ रुपये तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में प्रशिक्षण हेतु 3 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान क्रमशः 15.57 करोड़ रुपये तथा 12.36 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

*[हिन्दी]*

**विश्व बैंक से ऋण**

**2599. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में शहरी विकास, जलापूर्ति और स्वच्छता कार्यों को करने के संबंध में योजनाओं हेतु ऋण प्राप्त करने के विचार से विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक के माध्यम से कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रस्तावित महाराष्ट्र शहरी जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने की संभावनाओं को तलाशने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक संकल्पना नोट प्रस्तुत किया गया है जिसके ब्यौरों को अभी तक पुष्ट नहीं किया गया है।

(ग) 'शहरी विकास' चूंकि राज्य का विषय है इसलिए शहरी अवस्थापना विकास और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। ऐसी परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं तैयार, वित्तपोषित और निष्पादित की जाती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में कमी की भरपाई के लिए उन्हें केन्द्रीय सहायता/विदेशी सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र में नासिक सहित 63 चुनिंदा शहरों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया है।

**सहकारी बैंकों में गबन**

**2600. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जिला सहकारी बैंकों में हुए गबन की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान धोखाधड़ियां, जिनमें गबन, आदि शामिल हैं, के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपये)

| वर्ष | शामिल डीसीसीबी की संख्या | शामिल शाखाओं की संख्या | अंतर्ग्रस्त राशि | वसूल की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | 290 | 1054 | 9267.43 | 406.35 |
| 2003–04 | 292 | 1001 | 30217.18 | 118.83 |
| 2004–05 | 301 | 1040 | 32166.54 | 157.03 |

अंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं और समय–समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

- सतर्कता कक्ष, निरीक्षण कक्ष, लेखा परीक्षा समितियों का गठन, व्यापक नियम पुस्तिका/दिशानिर्देश तैयार करना, आदि
- राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) तथा डीसीसीबी को सुझाव दे दिया गया है कि वे (i) एक वरिष्ठ अधिकारी नामित करें जो धोखाधड़ियों से संबंधित सभी विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, (ii) धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने में विलम्ब के संबंध में स्टाफ की जवाबदेही निर्धारित करना, (iii) धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना की निदेशक मंडल को तुरन्त जानकारी देना, और (v) पुलिस के पास तुरंत मामले की शिकायत दर्ज कराना।
- सभी बैंकों को अंतर–बैंक तथा अंतर–शाखा लेखों में छह माह से अधिक के कारण का मिलान कार्य पूरा करने की सलाह दी गई है।
- बैंकों को 1 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में तथा 1 करोड़ रुपये से कम के मामलों की शिकायत स्थानीय पुलिस में करनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

**पूल वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ)**

**2601. श्री निखिल कुमार :**
**श्री अधीर चौधरी :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूल वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि शहरी स्थानीय निकाय स्वदेशी ऋण बाजारों से धनराशि जुटा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी स्थानीय निकायों को स्वयं धनराशियां जुटाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानीय निकायों द्वारा पीएफडीएफ किस प्रकार खर्च किए जाने की संभावना है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) से (घ) जी, हां। पूल वित्त विकास कोष (पीएफडीएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि शहरी स्थानीय निकाय घरेलू ऋण बाजारों से धनराशि जुटा सके, जिसके ब्यौरे के बारे में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही जाना जा सकेगा।

**कोर बैंकिंग सोल्यूशन**

**2602. श्री बंसगोपाल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) से भारत में काले धन को रोकने में सहायता मिल सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे जनता/सरकार को कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) बैंकिंग लेन–देन की ऑनलाइन प्रक्रिया को समर्थ बनाते हैं। सीबीएस भारत में काले धन की रोकथाम में स्वयं सहायता नहीं कर सकता। 'काला धन' से अभिप्राय उन लेनदेनों में अंतर्ग्रस्त राशि से है जो सामान्य बैंकिंग माध्यमों के ज़रिए नहीं किए जाते। तथापि, भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किए जाने के कारण, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने धन शोधन निवारण साफ्टवेयर समाधन तैयार किए हैं जो धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित लेनदेनों की रोकथाम करेंगे और यह समाधान कोर बैंकिंग समाधन से इंटर–फेस के साथ जुड़ा होगा। साफ्टवेयर समाधन स्थापित होने से संदिग्ध लेन–देनों विशेषकर अधिक मूल्य के नकद लेनदेनों पर रोक लगेगी और व्यक्ति विशेष द्वारा रखे गए बहु खातों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।

(ग) सीबीएस सांख्यिकी सूचना जैसे धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत नकद लेनदेन रिपोर्ट, आयकर प्राधिकारियों को वार्षिक सूचना रिपोर्ट तथा बैंकिंग नकद लेन-देन करके समय पर प्राप्त करने एवं प्रस्तुत करने में सहायता करता है। यह विनियामकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली क्रियान्वित करने में सहायता करता है। यह बैंकों को अपने ग्राहकों को किसी समय, किसी भी स्थान पर बैंकिंग सुविधा देने में भी मदद करता है। वैकल्पिक वितरण माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, टेली-बैंकिंग, एटीएम आदि की उपलब्धता द्वारा किसी एक शाखा के ग्राहक पूरे बैंक के ग्राहक बन जाते हैं जो उन्हें घर बैठे ही बैंकिंग सेवाएं देते हैं।

*[हिन्दी]*

**पवन ऊर्जा**

**2603. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से दो मेगावाट क्षमता वाली दो अलग-अलग पवन ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय को राज्य की नोडल एजेंसी अर्थात् मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल से जिला रतलाम में मामतखेड़ा और जिला साजपुर में महुरिया में प्रत्येक में 2 मेगावाट की प्रदर्शन परियोजनाओं हेतु दो प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) राज्य नोडल एजेंसी को पवन प्रदर्शन परियोजनाएं मंजूर करने के लिए उपरोक्त दोनों परियोजनाओं हेतु राज्य यूटिलिटी के साथ विद्युत खरीद समझौते को अंतिम रूप देने और विद्युत निकासी सुविधा देने तथा महुरिया में परियोजना हेतु निधियों के राज्य के अंशदान की उपलब्धता जैसी कुछ शर्तों की पूर्णता की अभी पुष्टि करनी है।

*[अनुवाद]*

**विनियामक तंत्रों का कार्यकरण**

**2604. श्री वी. विनोद कुमार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर अर्थव्यवस्था के वित्तीय और बीमा क्षेत्रों में विनियामक तंत्रों के व्यावसायिक कार्यकरण को सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विनियामक तंत्रों को राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तरों पर उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) से (ग) आर्थिक क्षेत्र के वित्तीय एवं बीमा को नियंत्रित करने वाले विनियामक तंत्र जैसे : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), समय-समय पर होने वाले नए विकास के अनुरूप विकसित है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

बैंककारी क्षेत्र के संबंध में, आरबीआई ने इसको मजबूत करने के लिए बहुत से विनियामक और विवेकपूर्ण उपाय किए हैं। सरकार ने हाल ही में, विनियामक लचीलापन बढ़ाने के लिए और आरबीआई को व्युत्पन्नों, आदि से निपटने में समर्थ बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को भी संशोधित किया है। आईआरडीए ने भी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जिनको घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार अंगीकार किया गया था, पर आधारित बीमा व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विनियम जारी किए हैं। सेबी के कार्यकरण में और बाजार की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात्, सरकार ने 1995, 1996, 2000, 2002 और 2005 में प्रतिभूति संबंधी कानूनों में बार-बार संशोधन करने के जरिए सेबी को मजबूत किया है।

**पेयजल आपूर्ति में निजी क्षेत्र की भागीदारी**

**2605. श्री जीयोकिम बखला :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की सहयाता से सुरक्षित पेयजल कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल राज्यों का विषय है और केन्द्र सरकार का काम ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने के राज्यों के प्रयासों में सहायता करना भर है। निजी क्षेत्र को शामिल करने के बारे में निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है।

*[हिन्दी]*

**भूकम्परोधी भवन**

**2606. श्री रामदास आठवले :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भूकम्परोधी भवनों के निर्माण के लिए नए मानदंडों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भूकंप रोधी भवनों और विभिन्न संरचनाओं के लिए मानक तैयार कर रहा है जो देश में विभिन्न भूकंपीय जोनों पर लागू होंगे। सभी किस्म की चिनाई और काष्ठ भवनों के डिजाइन और निर्माण के नए मानक वर्ष 1993 में प्रकाशित किए गए थे और सभी किस्म के भवनों और संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन और निर्माण का मदर कोड वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। इन मानकों की समय-समय पर समीक्षा करना एक सतत कार्रवाई है और जहां आवश्यक होता है इन्हें अद्यतन किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**क्लिनिकल अनुसंधान**

**2607. श्री एल. राजगोपाल :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में तेजी से क्लिनिकल अनुसंधान केन्द्र बन रहा है तथा भारत में आउट-सोर्सिंग बाजार में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लाभ की स्थिति का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) और (ख) जी, हां। भारत विश्व में तेजी से क्लीनिकी अनुसंधान का केन्द्र बन रहा है जो उन नयी औषधियों पर क्लीनिकल परीक्षण करने के लिए बहुराष्ट्रीय भेषज कंपनियों हेतु भारतीय बाजार के खुलने से स्पष्ट है जो मूल देश में चरण-I अध्ययनों से गुजर चुकी हैं। ऐसे परीक्षण विकसित देशों की तुलना में भारत में उपलब्ध विशेषज्ञता से अत्यंत कम लागत पर पूरे किए जा सकते हैं। भरत से क्लीनिकल परीक्षणों की आऊटसोर्सिंग वृहत्तर वैश्विक और कफायती ज्ञान प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो इसके संभावित लाभों के साथ-साथ निकट भविष्य में वैश्विक विकास के प्रमुख उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ रहा प्रतीत होता है।

(ग) चूंकि परस्पर लाभ की संभावना है अतः ऐसे तरीके से क्लीनिकल परीक्षणों के आऊटसोर्सिंग अवसरों का लाभ उठाना वांछनीय होगा जो भारत और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आर्थिक लाभ दे सके तथा जन स्वास्थ्य को बिना किसी शोषण के ठोस लाभ प्रदान करने में सक्षम हो। कतिपय देश विशिष्ट मुद्दे, जैसे स्पष्ट विनियामक मानदंड का अभाव और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) मामले भारत में वैश्विक क्लीनिकल अनुसंधान विकास के लिए पहले बाधाकारक माने जाते थे। अब सरकार ने देश में क्लीनिकल परीक्षणों के लिए औषधि एवं प्रसाधन (डी एण्ड सी) नियमावली के अन्तर्गत प्रावधानों को सरल और कारगर बना दिया है। डी एण्ड सी नियमावली के नियम 122 क से ङ को इस प्रयोजन से संशोधित कर दिया गया है जिसमें क्लीनिकल परीक्षणों को करने के लिए पूर्व अनुमति की अनिवार्य आवश्यकता का निर्धारण किया गया है तथा परीक्षण वापस लेने के अधिकार दिए गए हैं। इन नियमों के अन्तर्गत 'क्लीनिकल परीक्षण' शब्द को परिभाषित किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत अनुसूची-वाई जो नयी औषधियों के संबंध में क्लीनिक पूर्व और क्लीनिकल अध्ययनों की आवश्यकताएं निर्धारित करती है, को प्रायोजकों, क्लीनिकल जांच कर्त्ताओं और नीतिविषयक समितियों के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने के लिए जनवरी, 2005 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। सरकार द्वारा प्रकाशित अच्छी क्लीनिकल पद्धति (जीसीपी) के मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकताओं को अनिवार्य बना दिया गया है।

**पवन ऊर्जा**

**2608. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
**श्री मणी कुमार सुब्बा :**
**श्री के. सी. सिंह 'बाबा' :**

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निरन्तर प्रगति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है;

(ग) क्या पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये उपकरण स्वदेश निर्मित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में तापीय तथा जल विद्युत उत्पादन की प्रति मेगावाट औसत लागत की तुलना में इस स्रोत द्वारा उत्पादित प्रति मेगावाट ऊर्जा की औसत लागत कितनी है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) जी, हां।

(ख) विश्व में पवन विद्युत संस्थापनाओं में इस समय भारत का जर्मनी, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथा स्थान है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त किए गए स्वदेशीकरण के स्तर पर निर्भर करते हुए आयात किए जा रहे विशिष्ट संघटकों का प्रयोग करके भारत में स्थानीय उत्पादन के माध्यम से स्वदेशी रूप से पवन इलेक्ट्रिक जनरेटरों का निर्माण किया जा रहा है। पवन इलेक्ट्रिक जनरेटरों के निर्माण और रख-रखाव हेतु रियायती सीमा-शुल्क दर पर विशिष्ट संघटकों/पुर्जों के आयात की अनुमति है।

(च) पवन विद्युत परियोजनाओं हेतु उपलब्ध विभिन्न राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए पवन विद्युत उत्पादन की समान की गई लागत पारंपरिक विद्युत की लागत के साथ काफी तुलनीय है। पवन विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत 4.5 करोड़ रु. से 5.0 करोड़ रु. प्रति मेगावाट के बीच है, जो तापीय और पनबिजली उत्पादन के साथ भी तुलनीय है।

**सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति**

**2609. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उपभोग तथा स्वच्छता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर जल का उपभोग करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल उपलब्ध है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2004 के अन्त तक सभी ग्रामीण आबादियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त प्रतिबद्धता पूर्णतया पूरी कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(च) क्या यह लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हासिल की गई है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) ग्रामीण आबादियों को और अधिक विलंब किए बिना सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित करती है। एआरडब्ल्यूएसपी के मानदंडों के अनुसार पेयजल की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर जल है। इसके अलावा, मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में शीतोष्ण/पारिस्थितिकी में मवेशियों के लिए प्रति मवेशी प्रतिदिन 30 लीटर जल का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) 10वीं योजना दस्तावेज में सभी ग्रामीण बसावटों में मार्च, 2004 तक पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने की परिकल्पना की गई थी। किए गए प्रयासों के फलस्वरूप 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 96.13 प्रतिशत ग्रामीण बसावटें पूरी तरह और 3.55 प्रतिशत बसावटें आंशिक रूप से कवर कर ली गई थीं। फिर भी, कुल बसावटों में से 0.32 प्रतिशत बसावटें अभी तक कवर नहीं की गई हैं। तथापि, कवरेज की स्थिति परिवर्तनशील होती है और एक बार पूर्णतः कवर ली गई बसावटें आबादी में वृद्धि, स्रोतों के सूख

जाने, प्रणालियों के खराब हो जाने आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से आंशिक रूप से कवर/कवर न की गई बसावटों की श्रेणी में लौट सकती है।

(च) से (झ) भारत निर्माण को चार वर्षों में (2005–06 से 2008–09) ग्रामीण आधारभूत सुविधा निर्माण करने वाली योजना के रूप में माना जाता है। ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण के घटकों में से एक है जिसका उद्देश्य सभी कवर न की गई बसावटें (55067) को कवर करना तथा बसावटों की निचली श्रेणी में लौट आने एवं जल गुणवत्ता की समस्या का समाधन करना है। भारत निर्माण के प्रथम वर्ष के दौरान, 11597 बसावटों को कवर कर लिए जाने की जानकारी मिली है। इसके अलावा, निचली श्रेणी में लौट आई 76444 बसावटों तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित 4498 बसावटों को भी कवर कर लिए जाने की जानकारी मिली है।

**लम्बित विद्युत परियोजनाएं**

**2610. श्री प्रभुनाथ सिंह :**
**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**
**श्रीमती जयाप्रदा :**
**श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
**श्री छत्तर सिंह दरबार :**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
**श्री एस. के. खारवेनथन :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विद्युत परियोजनाएं 20 वर्षों से भी अधिक समय से पूरी होने के लिए लम्बित पड़ी हैं तथा सरकार पर बहुत अधिक धनराशि का अतिरिक्त भार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सभी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके पूरा होने में विलम्ब करने वाले उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने समय एवं धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) क्या कुछ विद्युत परियोजनाएं धनराशि के अभाव में लम्बित पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ग) 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे जिसमें विलंब हेतु उत्तरदायी कारक और पूरा होने की संभाव्य तारीख एवं उनके पूरा होने की लागत संलग्न निवारण में दी गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नागालैंड की दीमापुर डीजीपीपी (4 × 5.73 मे. वा) निधियों की कमी के कारण लंबित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नॉन लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज से 32 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

(च) परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) योजना आयोग ने बिना किसी सीमा के विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों को पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। योजना आयोग से स्वीकृति केवल उन जल विद्युत परियोजनाओं तक ही सीमित होगी जिनमें अन्तःराज्यीय मुद्दे शामिल हैं।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता को थर्मल उत्पादन हेतु समाप्त कर दिया गया है।

(ग) 2500 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय वाली जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की स्थापना करने का इरादा रखने वाली उत्पादन कंपनी को स्कीम तैयार करनी होती है और स्वीकृति हेतु इसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होती है, बशर्ते कि :

(i) स्कीम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में शामिल हो और क्षमता एवं प्रकार की पुष्टि करती हो।

(ii) जल उत्पादन स्टेशन की स्थापना हेतु स्थल केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया हो।

(iii) किसी अन्य योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।

**विवरण**

*विलंब के कारणों सहित 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित परियोजनाएं*

| परियोजनाओं का नाम क्षमता एजेंसी | सीसीईए स्वीकृति/निवेश निर्णय की तारीख | चालू होने की निर्धारित तारीख | | परियोजना लागत, रुपये करोड़ में मूल्य स्तर | | अद्यतन लागत के अनुसार अधिक लागत | | | विलंब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आरंभिक | अद्यतन | आरंभिक | अद्यतन अनुमोदित | अद्यतन | प्रतिशत | रुपये करोड़ में | |
| **हाइड्रो** | | | | | | | | | |
| दुलहस्ती एचई प्रोजेक्ट (3x130 मे.वा.) जम्मू और कश्मीर | 10.11.1982 12.07.1989 29.10.1997 | नवंबर 1990 (1990–91) | दिसंबर 2006 (2006–2007) | 183.45 (03/80) | 3559.77 (11/96) | 4924.56 (अपेक्षित) | 2584.41 | 4741.11 | कानून एवं न्याय समस्या, फ्रेंच कन्सारटियम की वापसी, हैड रेस (अप–स्ट्रीम) में झेला गया खराब भू–वैज्ञानिक स्तर और चट्टान टूटने से टीबीएम का दब जाना, ठेकेदार की श्रम समस्या। |
| करबी लांगपी एचई प्रोजेक्ट (2x50 मे.वा.) एएसईबी | 24.9.1979 | 1985–86 | 2006–07 | 36.36 (09/76) | 36.36 (09/76) | 557.41 (12/04) | 1433.05 | 521.06 | निष्पादन एजेंसियों में निरंतर परिवर्तन परि–योजना का राज्य क्षेत्र से निजी क्षेत्र को स्थानांतरण और फिर वापस राज्य क्षेत्र को स्थानांतरण तथा निधि अवरोधों के कारण आरंभिक विलंब। बांध कंक्रीटिंग कार्यों की धीमी प्रगति। |

**सरकारी मुद्रणालय का आधुनिकीकरण**

**2611. श्री एम. शिवन्ना :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कुछ सरकारी मुद्रणालयों जिनका पूर्व में आधुनिकीकरण किया गया था उनका फिर से आधुनिकीकरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) मिंटो रोड स्थित भारत सरकार के फोटोलिथो यूनिट का वर्ष 1987 में आधुनिकीकरण किया गया जबकि भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड तथा भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन का क्रमशः वर्ष 1993 और 1995 में आधुनिक/ऑफसैट मुद्रण तथा संबंधित मशीनें लगातार आंशिक रूप से आधुनिकीकरण किया गया था।

भारत सरकार मुद्रणालय जिनकी स्थापना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मुद्रण कार्य निष्पादित करने के लिए वर्ष 1863 से शुरू की गई थी, कई दशकों से पुरानी लैटरप्रैस प्रौद्योगिकी के साथ ही कार्य करते रहे हैं। अंततः वर्ष 2002 में मंत्रिमंडल ने कुछ भारत सरकार मुद्रणालयों को आधुनिक बनाने का निर्णय किया ताकि अच्छे स्तर का कार्य समय पर पूरा किया जा

सके और इन मुद्रणालयों को निजी क्षेत्र के मुद्रण उद्योग के समकक्ष लाया जा सके।

**विदेशी मुद्रा भंडार**

**2612. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2004, 2005 और 2006 के अंत में तथा वर्तमान में तुलनात्मक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है तथा स्वर्ण–भंडार तथा एफ.डी.आर. कितना रहा है; और

(ग) भंडारों का अधिक संचयन होने के लिए किन–किन मुख्य लक्ष्य बाजार ताकतों का योगदान रहा है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सामान्यतः पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि होती रही है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) हाल की अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि पूंजी तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश तथा निवल अदृश्य अंतर्प्रवाहों जैसे अन्य अंतर्प्रवाहों के कारण हुई है।

*विवरण*

*विदेशी मुद्रा भंडार की तुलनात्मक स्थिति*

(मिलियन अमरीकी डालर)

| दिनांक | एफसीए | एसडीआर | सोना | आरटीपी | विदेशी मुद्रा भंडार |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 मार्च, 2004 | 107,448 | 2 | 4,198 | 1,311 | 112,959 |
| 31 मार्च, 2005 | 135,571 | 5 | 4,500 | 1,438 | 141,514 |
| 31 मार्च, 2006 | 145,108 | 3 | 5,755 | 756 | 151,622 |
| 4 अगस्त, 2006 | 158,465 | 7 | 6,557 | 766 | 165,795 |

टिप्पणी :1. एफसीए का अर्थ है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां।

2 एसडीआर का अर्थ है विशेष आहरण अधिकार।

3 आरटीपी का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति।

**वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन**

**2613. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**

**श्री चन्दभूषण सिंह :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों ने अपना वेतन बढ़ाए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों से सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**एम.पी.लैड. के जरिए आई.ए.वाई. के अंतर्गत सांसदों का योगदान**

**2614. श्री सीताराम सिंह :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के जरिए संसद सदस्यों ने योगदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत बेघर ग्रामीण बीपीएल परिवारों को एक रिहायशी इकाई के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए

प्रति इकाई 25,000/– रु. ओर पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27,500/– रु. प्रति इकाई की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी अपने स्रोत से कुछ अतिरिक्त धनराशि और/अथवा पारिवारिक मजदूरी का भी योगदान दे सकते हैं। तथापि मंत्रालय को, आई.ए.वाई के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए एम. पी.एल.ए.डी.एस. के माध्यम से संसद सदस्यों के योगदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**एल.एन.जी. पर आयात शुल्क**

**2615. श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात पर आयात शुल्क वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो एल.एन.जी पर आयात शुल्क वापस लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) एल.एन.जी. पर आयात शुल्क वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी राजस्व हानि होने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) और (ख) एल.एन.जी. पर 5% बुनियादी सीमा शुल्क लिया जाता है। तथापि, सरकार ने मेसर्स रत्नागिरि गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाभोल स्थित ऊर्जा परियोजना में ऊर्जा सृजित करने के लिए आयातित एल.एन.जी. पर दिनांक 1.10.2005 से पांच वर्षों की अवधि के लिए सीमा शुल्क से छूट को बढ़ा दी है।

(ग) इस छूट के कारण राजस्व की होने वाली अनुमानित क्षति लगभग 500 करोड़ रु. है।

*[अनुवाद]*

**स्कूलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

**2616. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री अवसरराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव–प्रौद्योगिकी विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए जैव संसाधनों पर अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रशिक्षण के लिए चुने गए संस्थानों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने स्कूली छात्रों को प्रशिक्षित किया गया;

(घ) लोगों को मूल्य संवर्धित उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में कितने ग्रामीण जैव संसाधन काम्प्लेक्सों की स्थापना की गई है;

(ङ) क्या सभी राज्यों में ग्रामीण जैव संसाधन काम्प्लेक्सों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, हां। जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर 'स्कूली छात्रों के लिए जैवसंसाधनों पर अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रमों' को सहायता दी है।

(ख) संस्थानों के नाम सहित कार्यक्रम का राज्य–वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

| क्र.सं. | संस्थान का नाम | राज्य जहां अवस्थित है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अशोक परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण अनुसंधान न्यास (एटीआरईई), नई दिल्ली | दिल्ली |
| 2. | समुद्री जीव विज्ञान उन्नत अध्ययन केन्द्र, अन्ना मलाई विश्वविद्यालय | तमिलनाडु |
| 3. | भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु |
| 4. | सेंट जोसफस कालेज (सयत्तशासी), तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रंटियर एनर्जी, लोयोला कॉलेज, चेन्नई | तमिलनाडु |
| 6. | एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई | तमिलनाडु |
| 7. | सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केन्द्र (एसएसीओएन), अन्नाईकट्टी (पो. ऑ.), कोयम्बतूर | तमिलनाडु |
| 8. | त्यागराजर कॉलेज, मदूरै | तमिलनाडु |
| 9. | अलागप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी | तमिलनाडु |
| 10. | पीएसजी कॉलेज ऑफ टेकनोलॉजी, कोयम्बतूर | तमिलनाडु |
| 11. | सेंट जोन्स कॉलेज, पलायमकोट्टाई, तमिलनाडु | तमिलनाडु |
| 12. | श्री एएमएम मुरुगप्पा चेटियार अनुसंधान केन्द्र (एमसीआरसी), तारामणि, चेन्नई | तमिलनाडु |
| 13. | कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मदूरै | तमिलनाडु |
| 14. | पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद | गुजरात |
| 15. | गुजरात साइंस सिटी काउंसिल, अहमदाबाद | गुजरात |
| 16. | राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ | उत्तर प्रदेश |
| 17. | पर्यावरण विज्ञान विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे | महाराष्ट्र |
| 18. | बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास सोसायटी, मुम्बई | महाराष्ट्र |
| 19. | भारती विद्यापीठ पर्यावरण शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे | महाराष्ट्र |
| 20. | क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, भुवनेश्वर | उड़ीसा |
| 21. | एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, जयपोर, उड़ीसा | उड़ीसा |
| 22. | प्राणी विज्ञान अध्ययन स्कूल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर | मध्य प्रदेश |
| 23. | कृषि महाविद्यालय एवं पादक जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, बीकानेर | राजस्थान |
| 24. | क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, बवाल, (रेवाड़ी), हरियाणा | हरियाणा |
| 25. | अशोक परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण अनुसंधान न्यास (एटीआरईई), बंगलौर | कर्नाटक |
| 26. | कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वेल्लायनी, त्रिवेन्द्रम | केरल |
| 27. | पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई), हैदराबाद | आंध्र प्रदेश |

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग ने ऐसे 33 कार्यक्रमों को सहायता दी है जिससे दसवीं कक्षा के लगभग 1000 स्कूली छात्रों को लाभ मिला है।

(घ) विभाग ने पांच ग्रामीण जैवसंसाधन परिसर शुरू किए हैं।

(ङ) से (छ) हर राज्य में ग्रामीण जैवसंसाधन परिसरों की स्थापना के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता की गहन रूप से जांच की जाएगी और मेजबान संस्थान की क्षमता, जैवसंसाधनों के मूल्यवर्धन की क्षमता, स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा।

**राज्यों को वित्तीय अधिकार सौंपा जाना**

**2617. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने केन्द्र से उन्हें अधिक वित्तीय अधिकार सौंपने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त राज्यों को नियमित रूप से एक 'संयुक्त निधि' का आवंटन करने का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**जल-मल प्रणाली के लिए विश्व बैंक सहायता**

**2618. श्री मर्तृहरि महताब :**

**डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के शहरी क्षेत्रों की जल–मल/अपवहन प्रणाली का नवीकरण करने तथा इसमें सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सहायता के लिए किन शहरों को चुना गया है?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा छोटे और मझोले कस्बों की शहरी एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत सीवरेज और जल निकासी स्वीकार्य घटक हैं। तथापि, देश के शहरी क्षेत्रों की सीवरेज/जल निकासी प्रणाली के नवीनीकरण तथा सुधार के लिए कोई अलग स्कीम नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**एम.टी.एम.**

**2619. श्री परसुराम माझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुछ चुनिन्दा रेलवे स्टेशनों पर और ए.टी.एम. लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के वे बैंक जिन्होंने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) को लागू कर दिया है, उन्होंने रेलवे अधिकारियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बड़े/चयनित रेलवे स्टेशनों पर ए.टी.एम. स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ए.टी.एम. हेतु स्थान का निर्धारण रेलवे अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष स्थान चुनाव पर निर्भर करेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने रेलवे स्टेशनों पर ए.टी.एम. की स्थापना के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

**मूल ऋण दर**

**2620. श्रीमती निवेदिता माने :**

**श्री शैलेन्द्र कुमार :**

**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने मूल ऋण दर (पी.एल.आर.) में वृद्धि को आस्थगित रखने का निदेश दिया है जैसा कि दिनांक 4 अगस्त, 2006 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरों को 18 अक्तूबर, 1994 से अविनियमित कर दिया है। बैंकों द्वारा ब्याज दरें अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

भारत सरकार ने कुछ बैंकों, जिन्होंने हाल ही में अपनी उधार दरों में वृद्धि की घोषणा की है, से अनुरोध किया है कि वे बैंकों द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी आरबीआई की अविनियमन नीति में निर्धारित किए अनुसार, अपने निदेशक मंडल की एक बैठक बुलाएं और अपने निदेशक मंडल द्वारा ब्याज दरों के अनुमोदन के पश्चात् ही इसकी घोषणा करें।

**सौर जल तापन प्रणाली**

**2621. श्री एस. के. खारवेनथन** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर जल तापन प्रणाली की संस्थापना की राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार सौर जल तापन प्रणाली संस्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) देश में अब तक जल तापन हेतु कुल लगभग 1.5 मिलियन वर्गमीटर सौर संग्राहक क्षेत्र की संस्थापना की गई है। इसमें घरेलू सौर जल तापक और संस्थाओं, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में संस्थापना शामिल है। यह संस्थापना उन राज्यों में अधिक है जहां वर्ष में अधिकांश समय गरम पानी की आवश्यकता होती है। सौर जल तापक प्रणालियों की संस्थापना में कर्नाटक अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल हैं। ये प्रणालियां तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी लोकप्रिय हो रही हैं।

(ख) और (ग) सरकार एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से घरेलू उपयोगकर्त्ताओं हेतु 2%, संस्थाओं हेतु 3% और औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं हेतु 5% की दर पर सौर जल तापन प्रणालियों हेतु ऋण उपलब्ध हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और तीन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अतिरिक्त, इस योजना को इस समय नौ राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और छः अनुसूचित सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों में शामिल हैं : प्रणाली के प्रकार और उद्देश्य–अनुप्रयोग पर निर्भर करते हुए, पूंजीगत सब्सिडी या ब्याज सब्सिडी के माध्यम से सौर ऊर्जा युक्तियों/प्रणालियों की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता; राज्य सरकारों, नगर निगमों, बिजली बोर्डों द्वारा संवर्धनात्मक उपाय जैसे कि भवन उप–नियमों के संशोधन के माध्यम से सौर जल तापन प्रणालियों की अनिवार्य संस्थापना, सम्पत्ति–कर अथवा बिजली बिलों में छूट; सौर ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों सहित अक्षय ऊर्जा उत्पादों की बिक्री और सेवा हेतु विभिन्न जिलों में अक्षय ऊर्जा दुकानों की स्थापना; लागत कम करने, दक्षता तथा विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन; प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों/संगोष्ठियों और प्रचार एवं जनजागरूकता अभियानों की सहायता करना।

**विज्ञान संस्थान**

**2622. श्री के. सी. पल्लानी शामी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की तर्ज पर देश के विभिन्न भागों में विज्ञान संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) और (ख) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् (एसएसी–पीएम) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अंतर्गत भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर की तर्ज पर विज्ञान में एकीकृत

स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों के साथ दो नए भारतीय विज्ञान एवं शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) की स्थापना की है। ये संस्थान कोलकाता और पुणे में स्थित हैं।

(ग) और (घ) कोलकाता और पुणे में चालू शैक्षणिक सत्रों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।

**स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी**

**2623. श्री हितेन बर्मन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की गुणवत्ता में सम्पूर्ण विकास और समग्र सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पहचान की है ग्रामीण शिल्पकारों के उत्थान में प्रमुख अवरोध विपणन है और इससे स्व-सहायता समूहों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाने का निश्चय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने में यह किस हद तक सहायक रहा है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार के सभी पहलुओं, जैसे-ग्रामीण गरीब को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, क्रियाकलाप-समूहों की योजना बनाना, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा विपणन को कवर करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य/ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में माइक्रो उद्यम स्थापित करना तथा ग्रामीण गरीबों की क्षमता का निर्माण करना है।

(ख) और (ग) विपणन सभी स्वरोजगार कार्यक्रम, विशेषकर एसजीएसवाई के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम, कार्यान्वित करते समय ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख चिंताओं में से एक चिंता रही है, क्योंकि एसजीएसवाई के अंतर्गत आने वाले लक्ष्य समूहों से मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं। अपना माल बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 'सरस' ब्रांड नाम के अंतर्गत बहुत सी प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक घरानों से भी विपणन संपर्क स्थापित किए गए हैं, जैसे-मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने मसालों की विंध्य वैली ब्रांड विकसित करने में सहायता की है। उड़ीसा में ओआरएमएएस एसजीएसवाई लाभार्थियों के साथ विपणन संपर्क स्थायित्व करने में सफल हुआ है। इन संपर्कों ने ग्रामीण कारीगरों को काफी लाभ पहुंचाया है।

**बजट आवंटन**

**2624. प्रो. एम. रामदास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के समक्ष बजटीय आवंटन के असमान उपयोग की बात देखने में आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बजटीय आवंटन के इस असमान उपयोग के क्या कारण हैं;

(घ) क्या योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी संबंधित एजेंसियों को उनके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने हेतु अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है ताकि सभी तिमाहियों में समान व्यय हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) जी हां, वर्ष के दौरान होने वाला व्यय एक समान नहीं है। 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान माह-वार व्यय (योजना तथा गैर-योजना) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निर्माण कार्य तथा जॉब गारंटी जैसे कुछ खर्चों में नियतावधिकता के तत्त्व निहित होते हैं। असमान प्रवाह के अन्य कारकों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाला विलम्ब शामिल है। सामान्यतः ऋण सर्विस पूर्व-निर्धारित तिथियों पर की जाती है। इसके अलावा, कुछ बहुत भारी अदायगियां राजस्व कलैक्शन की नियतावधिक पद्धति के अनुरूप हो सकती हैं।

(घ) और (ङ) सरकार का यह अनवरत प्रयास रहा है कि जहां तक संभव हो व्ययय प्रवाह को राजस्वों तथा योजनागत बाजार ऋण उगाहियों के बराबर लाया जाए।

विवरण

2004–05 व्यय पद्धति

बजट अनुमान 477829.04 संशोधित अनुमान 505791.41

(राशि करोड़ रुपए में)

| माह | मासिक व्यय | बजट अनुमान की प्रतिशतता | संशोधित अनुमान की प्रतिशतता | कुल व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| अप्रैल | 30277.17 | 634% | 5.99% | 6.08% |
| मई | 30092.86 | 6.30% | 5.95% | 6.05% |
| जून | 29320.99 | 6.14% | 5.80% | 5.89% |
| पहली तिमाही का जोड़ | 89691.02 | 18.77% | 17.73% | 18.02% |
| जुलाई | 33605.04 | 7.03% | 6.64% | 6.75% |
| अगस्त | 30322.11 | 6.35% | 5.99% | 6.09% |
| सितम्बर | 41954.51 | 8.78% | 8.29% | 8.43% |
| दूसरी तिमाही का जोड़ | 105881.66 | 22.16% | 20.93% | 21.27% |
| अक्टूबर | 38042.65 | 7.96% | 7.52% | 7.64% |
| नवम्बर | 30787.38 | 6.44% | 6.09% | 6.19% |
| दिसम्बर | 62388.26 | 13.06% | 12.33% | 12.54% |
| तीसरी तिमाही का जोड़ | 131218.29 | 27.46% | 25.94% | 26.37% |
| जनवरी | 41548.64 | 8.70% | 8.21% | 8.35% |
| फरवरी | 36866.17 | 7.72% | 7.29% | 7.41% |
| मार्च | 92476.21 | 19.35% | 18.28% | 18.58% |
| चौथी तिमाही का जोड़ | 170891.02 | 35.76% | 33.79% | 34.34% |
| 2004–05 में कुल | 497681.99 | 104.15% | 98.40% | 100.00% |

2005–06 व्यय पद्धति

बजट अनुमान 514343.80 संशोधित अनुमान 508705.37

(राशि करोड़ रुपए में)

| माह | मासिक व्यय | बजट अनुमान की प्रतिशतता | संशोधित अनुमान की प्रतिशतता | कुल व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| अप्रैल | 30256.15 | 5.88% | 5.95% | 6.00% |
| मई | 29480.68 | 5.73% | 5.80% | 5.85% |
| जून | 33846.90 | 6.58% | 6.65% | 6.72% |
| पहली तिमाही का जोड़ | 93583.73 | 18.19% | 18.40% | 18.57% |
| जुलाई | 42489.12 | 8.26% | 8.35% | 8.43% |
| अगस्त | 34715.89 | 6.75% | 6.82% | 6.89% |
| सितम्बर | 40194.69 | 7.81% | 7.90% | 7.98% |
| दूसरी तिमाही का जोड़ | 117399.70 | 22.83% | 23.08% | 23.30% |
| अक्टूबर | 41374.46 | 8.04% | 8.13% | 8.21% |
| नवम्बर | 40664.52 | 7.91% | 7.99% | 8.07% |
| दिसम्बर | 39476.35 | 7.68% | 7.76% | 7.83% |
| तीसरी तिमाही का जोड़ | 121515.33 | 23.63% | 23.89% | 24.11% |
| जनवरी | 44965.39 | 8.74% | 8.84% | 8.92% |
| फरवरी | 34457.22 | 6.70% | 6.77% | 6.84% |
| मार्च (अस्थाई) | 91987.15 | 17.88% | 18.08% | 18.25% |
| चौथी तिमाही का जोड़ | 171409.76 | 33.33% | 33.70% | 34.02% |
| 2005–06 में कुल (अस्थाई) | 503908.52 | 97.97% | 99.06% | 100.00% |

**विस्फोट पीड़ितों को मुआवज़ा**

**2625. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई विस्फोट पीड़ितों को मुआवज़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुम्बई विस्फोट पीड़ितों को दिए गए मुआवज़े को आयकर से छूट दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विभिन्न अन्य प्रकार की आपदाओं के लिए ऐसी राहत प्रदान करेन के उपबंधों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) और (ख) रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने 11.7.2006 को मुम्बई में नगरीय रेलगाड़ियों में बल विस्फोट के पीड़ितों के संबंध में निम्नलिखित अनुग्रह भुगतान की घोषणा की है :

(रुपए में)

| | मृत्यु के मामले में | भारी चोट के मामले में | हल्की चोट के मामले में |
|---|---|---|---|
| रेल मंत्रालय | 5,00,000 | 50,000 | 10,000 |
| महाराष्ट्र सरकार | 1,00,000 | 50,000 | 5,000 |

(ग) और (घ) इस मामले में प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में दिनांक 4.8.2006 को सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई कि जिसमें यह सूचित किया गया कि किसी आपदा के कारण मुआवजे के रूप में केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी व्यष्टि अथवा किसी व्यष्टि के पति/पत्नी अथवा कानूनी वारिशों द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य धनराशि पर कर नहीं लगेगा। उसमें यह भी बताया गया कि इस प्रयोजनार्थ आपदा का आशय वही होगा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में इसका आशय है और यह कि आयकर अधिनियम, 1961 में आवश्यक संशोधन उपयुक्त समय पर किए जाएंगे।

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10 ख ख) के अंतर्गत, भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की प्रोससिंग) अधिनियम, 1985 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत किया गया कोई भी भुगतान, उक्त आपदा के सिलसिले में किसी कर निर्धारिती को किए गए भुगतान को छोड़कर कुल आय में उस सीमा तक शामिल नहीं किया जाएगा जिस सीमा तक ऐसी आपदा के कारण उसे हुई किसी हानि अथवा क्षति के कारण अधिनियम के अंतर्गत उसे कटौती की अनुमति दी गई है।

**उत्पाद शुल्क से छूट देना**

**2626. श्री सुग्रीव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के जनजातीय और अन्य पिछड़े जिलों में इसी प्रकार की छूट देने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी छूट देने/प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) :** (क) और (ख) उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के मामले में उत्पाद शुल्क में सरकार ने छूट हेतु पात्र होने के लिए नई यूनिटें स्थापित करने अथवा वर्तमान यूनिटों का अधिक विस्तार करने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए अंतिम तिथि 31.03.2007 से बढ़ाकर 31.03.2010 कर दी है।

(ग) और (घ) ऐसी ही छूट अन्य क्षेत्रों में प्रदान करने के संबंध में वर्तमान में सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) गुजरात के कच्छ जिले के मामले को छोड़कर क्षेत्र आधारित छूटें ऐसे क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीतियों के अनुरूप हैं।

**ऋण संवितरण हेतु लक्ष्य**

**2627. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित लक्ष्यों से कम ऋणों का संवितरण

करने वाले बैंकों पर शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (ग) बैंकों द्वारा ऋण संवितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 40% ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विदेशी बैंकों के लिए यह एनबीसी का 32% है। प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने में कमी वाले घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से नाबार्ड की ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) में अंशदान करने की अपेक्षा की जाती है। विदेशी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई कमी के बराबर राशि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में जमा करें। नाबार्ड/सिडबी में जमा ये राशियां प्रचलित बाजार दरों से काफी कम ब्याज–दर अर्जित करती हैं। ब्याज–दर के बीच 3% से 6% का अंतर होता है–प्राथमिकता क्षेत्र में उधार के लक्ष्य की प्राप्ति में जितनी कमी होगी, संबंधित बैंकों को देय ब्याज–दर उतनी ही कम होगी।

*[हिन्दी]*

**विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता**

**2628. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्षों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत को विश्व बैंक से राज्यवार और परियोजनावार कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त ऋण की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक और एडीबी द्वारा प्राधिकृत वित्तीय सहायता तथा उनके समापन की संभाव्य तारीख के राज्य–वार और परियोजना–वार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) विदेशी ऋण मानक शर्तों और निबंधनों के अनुसार मुहैया कराए जाते हैं। ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

*विवरण-I*

*गरीबी उपशमन परियोजनाएं*

| विकास भागीदार | राज्य | वर्ष | परियोजना | प्राधिकृत विदेशी सहायता (करोड़ रु. में) | समापन की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| आईडीए | आंध्र प्रदेश | 2003–04 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना | 748.84 | 30.9.2008 |
| आईबीआरडी | उड़ीसा | 2004–05 | उड़ीसा सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम | 381.62 | 31.7.2005 |
| आईडीए | उड़ीसा | 2004–05 | उड़ीसा सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम | 183.40 | 31.7.2005 |
| आईडीए | तमिलनाडु | 2003–04 | तमिलनाडु अधिकारिता ओर गरीबी उपशमन परियोजना | 2.73 | 10.3.2007 |
| आईडीए | तमिलनाडु | 2004–05 | तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उपशमन परियोजना | 2.18 | 31.7.2005 |
| आईडीए | तमिलनाडु | 2005–06 | तमिलनाडु अधिकारिता एवं गरीबी उपशमन 'पुथु वाझ्व्यू' परियोजना | 512.08 | 30.9.2011 |

*विवरण-II*

*विदेशी ऋण सहायता प्राप्त करने की शर्तें (अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | स्रोत | करेंसी | ऋण का स्वरूप (रियायती/ मिश्रित) | छूट अवधि (वर्ष) | छूट अवधि के पश्चात् पुनः अदायगी की अवधि (वर्ष) | ब्याज की चालू दर (प्रतिशत में) | असंवितरित ऋण की राशि पर वचनबद्धता प्रभार (प्रतिशत में) | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आईबीआरडी | अमरीकी डालर | अर्द्ध रियायती | 5 | 15 | परिवर्तनीय* | 0.75 | *(1) ब्याज प्रति छह माह में परिवर्तनीय .<br>**अमरीकी डालर प्रचलित दर एकल करेंसी ऋण**<br>*परिवर्तनीय विस्तार सहित, 6 माही लिबोर (एलआईबीओआर) दर के आधार पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। ब्याज का भुगतान करने की तारीख 15.7.2005 से आरंभ होकर 14.1.2005 तक के लिए लागू दर निम्नानुसार है।<br>जहां पर 31.7.1998 से पहले वार्ता जारी की गई थी। 3.99% प्रति वर्ष (21 आधार बिन्दुओं के विस्तार समेत)<br>जहां पर 31.7.1998 को अथवा बाद में वार्ता जारी की गई थी। 4.24% प्रति वर्ष (44 आधार बिन्दुओं के विस्तार समेत)<br>**(iv) तत्काल भुगतान के लिए ब्याज से छूट :** बैंक द्वारा यथा अधिसूचित वर्ष 2005 के लिए लागू ब्याज छूट निम्नानुसार है :<br>ऋण, जिनके लिए 31.7.98 से पहले वार्ता के लिए आमंत्रण जारी किया गया था। 0.05%<br>ऋण जिनके लिए 31.7.98 के बाद वार्ता के लिए आमंत्रण जारी किया गया था। 0.25%<br>**(ii) वचनबद्धता प्रभार :** असंवितरित ऋण राशि पर 0.75% पर देय। बैंक जुलाई, 91 से 0.50% की छूट को अधिसूचित करते रहे हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | (iii) फ्रंट एंड फी : यदि दिनांक 1.7.1998 के बाद बातचीत करके तय किए गए ऋणों के संबंध में राशि देय हो, तो 1.7.2004 के बाद अनुमोदन के लिए 1% से कम करके 0.50% की गई (एक मुश्त भुगतान) |
| 2. | आईडीए | एसडीआर | रियायती | 10 | 25 | 0.75 | 0.35 | (i) जुलाई, 1988 तक अंतिम रूप दिए गए साखों के संबंध में 10 वर्षों की छूट अवधि समेत पुनःअदायगी अवधि 50 वर्ष थी। आईडीए साखों पर इस समय 25 वर्षों की पुनःअदायगी अवधि समेत 10 वर्षों की छूट अवधि भी है।<br>(ii) 1.1.05 से 0.35% वचनबद्धता प्रभार देय है।<br>(iii) ब्याज कॉलम में दर्शाए गए 0.75% को सेवा प्रभार माना गया है। |
| 3. | एडीबी | अमरीकी डालर | अर्द्ध रियायती | 3 से 5 | 12 से 20 | परिवर्तनशील | 0.75 | *ब्याज : प्रत्येक छः मास में परिवर्तनीय है। ब्याज दर लिबोर (एलआईबीओआर) जमा संबंधित करेंसियों में 0.40% आधारित औसत उधार लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो कि 15.12.05 से 5.07 है।<br>वचनबद्धता प्रभार : असंवितरित ऋण राशियों पर 0.75%। तथापि, परियोजना ऋण के संबंध में असंवितरित राशि की ग्रेड आधार पर गणना की जाती है। कार्यक्रम ऋणों के लिए इसकी समग्र ऋण राशि के आधार परं गणना की जाती है। |

*[अनुवाद]*

**विद्युत स्टेशन**

**2629. श्री बंसगोपाल चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के समुद्री तटों पर विद्युत स्टेशनों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त स्टेशन किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) से (ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार देश के समुद्र तट में कुल 19065 मेगावाट क्षमता के लिए 9 ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इन समुद्रतटीय विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित समुद्रतटीय ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/यूनिटों की संख्या x यूनिट साइज/एजेंसी/राज्य | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | नागार्जुन टीपीएस<br>2x507.5<br>एनपीसीएल<br>कर्नाटक | 1015 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | एनटीपीसी और तमिलनाडु का संयुक्त उद्यम एन्नौर 2x500 तमिलनाडु | 1000 |
| 3. | तूतीकोरिन टीपीएस 2x500 एनएलसी और टीएनईबी का संयुक्त उद्यम तमिलनाडु | 1000 |
| 4. | सिक्का टीपीपी विस्तार 2x250 जीएसईसीएल गुजरात | 500 |
| 5. | कृष्णापटनम टीपीएस 2x800 एपीजेनको आ.प्र. | 1600 |
| 6. | मुंद्रा में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट 5x800 गुजरात | 4000 |
| 7. | अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, गिरये, सिंधु दुर्ग 5x800 महाराष्ट्र | 4000 |
| 8. | अल्ट्रा मेगा पोजेक्ट, कृष्णापटनम 5x800 आंध्र प्रदेश | 4000 |
| 9. | कायमकुलम 3x650 केरल | 1950 |
| | कुल | 19065 |

*[हिन्दी]*

**मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम**

**2630. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने समेकित आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) की नई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्राप्त प्रस्तावों में से अधिकांश प्रस्ताव राज्यों को लौटाने पड़े क्योंकि वे योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। सभी तरह से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर केन्द्रीय स्वीकृति समिति द्वारा बिना किसी विलंब के विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

***विवरण***

*आईएचएसडीपी के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्य-वार स्थिति*

(करोड़ रुपये में)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें | | लौटाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टें | परियोजनाएं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है | स्वीकृत | | दी गई राशि 25% भारत सरकार अंश | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | कुल लागत | | | सं. | राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 4 | 91.39 | 1 | 3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 17 | 149.21 | 15 | 2 | | | | |
| हरियाणा | 52 | 367.26 | 50 | 2 | | | | |
| कर्नाटक | 22 | 341.08 | 22 | – | | | | |
| महाराष्ट्र | 1 | 6.98 | – | 1 | | | | |
| मध्य प्रदेश | 17 | 30.37 | 14 | 3 | | | | |
| राजस्थान | 29 | 61.49 | 26 | – | 3 | 9.47 | | |
| उत्तर प्रदेश | 51 | 41.42 | 51 | | – | | | |
| पश्चिम बंगाल | 14 | 287.76 | 14 | – | – | | | |
| योग | 207 | 1376.96 | 193 | 11 | 3 | 9.47 | | |

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है 1. ए.पी. = कड़पा (3 डीपीआरएस) 2. छत्तीसगढ़ = बिलासपुर, जगदलपुर 3. हरियाणा = भिवानी, उचाना 4. मध्य प्रदेश = ग्वालियर, रतलाम व देवास 5. महाराष्ट्र = अकोला।

**ग्रामीण घरों में शौचालयों हेतु**
**जागरूकता अभियान**

**2631. श्री रामदास आठवले :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में शौचालयों की सुविधा प्रदान करने के लिए एक व्यापक जागरुकता अभियान शुरू करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पार्टियों/एजेंसियों/सेक्टरों के नाम क्या हैं जिनसे इस संबंध में सहयोग लिए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक जिले को कहा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या में यह जागरूकता पैदा की जाए कि प्रत्येक परिवार में शौचालय सुविधाएं होनी चाहिए। प्रत्येक जिले में व्यक्तिगत संपर्क, गांवों में दीवारों पर संदेश, पर्चों, पोस्टरों आदि के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। स्वच्छता और सफाई के महत्त्व के बारे में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम स्तर पर नीति निर्माताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य स्तर पर, संचार तथा क्षमता विकास यूनिट (सीसीडीयू) स्थापित किए गए हैं। यह यूनिट राज्य आधारित मीडिया रणनीति बनाती है और मीडिया प्रचार संबंधी कार्य करती है। यह विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण के तौर–तरीके भी तैयार करती है और राज्य तथा जिला स्तर के कार्मिकों एवं स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित करती है।

(ग) इस संबंध में सहयोगी पार्टियों/एजेंसियों/क्षेत्रों का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाता है।

*[अनुवाद]*

**स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंस ब्रांच**

**2632. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्याधुनिक कृषि ऋणों से समुचित रूप से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की कम से कम एक स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल फाइनेंस ब्रांच (एस.ए.एफ.बी.) की स्थापना करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में अभी तक स्थापित की गई एस.ए.एफ.बी. का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य में इन शाखाओं द्वारा दी गई कितनी ऋण राशि बकाया है;

(घ) क्या ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें ऋण की स्वीकृति के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) जी, हां। 15 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की 49 विशेष कृषि वित्त शाखाएं (एसएएफबी–उच्च तकनीक) हैं। इनका ब्यौरा निमनानुसार है :

| राज्य का नाम | केन्द्र का नाम | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| आंध्र प्रदेश | गुडूर | नेल्लोर |
| | कुथबुल्लापुर | हैदराबाद |
| | विशाखापटनम | |
| बिहार | हाजीपुर | |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
| हरियाणा | फतेहाबाद | करनाल |
| जम्मू एवं कश्मीर | सोपोर | |
| कर्नाटक | बीजापुर | बंगलौर |
| केरल | कोट्टायम | बालुस्सेरी |
| | चावरा | चेरुकावु |
| | कोट्टराक्कारा | मरायूर |
| | मुट्टोम | मुलावूर |
| | पूवाचल | त्रिसूर |
| | चेन्कल | |
| मध्य प्रदेश | इंदौर | भोपाल |
| महाराष्ट्र | नासिक | पुणे |
| मणिपुर | इंफाल | |
| उड़ीसा | बालासोर | |
| पंजाब | लुधियाना | |
| तमिलनाडु | कोयम्बटूर | नामाक्कल |
| | चेन्नई | |
| त्रिपुरा | अरतला | |
| उत्तरांचल | रुद्रपुर | |
| पश्चिम बंगाल | अमताला | |

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली द्वारा उक्त जानकारी नहीं रखी जाती।

(च) ऋणों की मंजूरी और संवितरण का कार्य बैंकों के पास है जो उनके वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है।

*विवरण*

*विशेष कृषि वित्त शाखाओं (एसएएफबी–उच्च तकनीक) द्वारा कृषि ऋण (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)*

(राशि हजार रुपये में)

| राज्य | बैंक | एसएएफबी शाखाओं की संख्या* | कृषि ऋण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
| | | | खातों की संख्या | बकाया राशि | खातों की संख्या | बकाया राशि | खातों की संख्या | बकाया राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | आंध्रा बैंक | 5 | 821 | 163796 | 1540 | 186207 | 1452 | 370214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1 | 22 | 102605 | 22 | 578966 | 19 | 576938 |
| आंध्र प्रदेश | केनरा बैंक | 1 | 108 | 716092 | 111 | 483877 | 108 | 346578 |
| बिहार | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1 | 291 | 27166 | 412 | 32690 | 489 | 34313 |
| चंडीगढ़ | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1 | 70 | 107577 | 84 | 128359 | 73 | 128263 |
| चंडीगढ़ | बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 45 | 890719 | 51 | 662885 | 92 | 493372 |
| हरियाणा | केनरा बैंक | 1 | 116 | 140546 | 137 | 174970 | 69 | 6966 |
| हरियाणा | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 746 | 82855 | 782 | 97614 | 942 | 143943 |
| जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 1 | 22 | 7311 | 213 | 17313 | 39 | 20404 |
| कर्नाटक | बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 21 | 840302 | 18 | 2696902 | 20 | 847676 |
| कर्नाटक | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1 | 27 | 1060894 | 27 | 721352 | 29 | 1389415 |
| कर्नाटक | केनरा बैंक | 2 | 806 | 664906 | 917 | 838014 | 1733 | 1114885 |
| केरल | केनरा बैंक | 1 | 87 | 60075 | 121 | 83915 | 137 | 99633 |
| केरल | स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर | 10 | 16419 | 363100 | 18164 | 449562 | 12225 | 188272 |
| मध्य प्रदेश | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 7 | 108943 | 3 | 56216 | 3 | 56177 |
| मध्य प्रदेश | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 4 | 1747 | 3 | 927 | 8 | 6259 |
| महाराष्ट्र | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1 | 38 | 221891 | 1513 | 192150 | 1018 | 166919 |
| महाराष्ट्र | बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 33 | 346626 | 27 | 309544 | 114 | 595664 |
| महाराष्ट्र | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 2 | 120 | 362693 | 147 | 379914 | 188 | 466705 |
| महाराष्ट्र | केनरा बैंक | 1 | 50 | 446345 | 50 | 446345 | 35 | 256031 |
| महाराष्ट्र | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 162 | 78918 | 144 | 83210 | 206 | 106310 |
| मणिपुर | युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 2 | 233 | 22 | 6251 | 2 | 349 |
| उड़ीसा | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 184 | 22005 | 186 | 18863 | 198 | 20371 |
| पंजाब | इलाहाबाद बैंक | 1 | – | – | 33 | 2047 | 33 | 2047 |
| पंजाब | केनरा बैंक | 1 | 251 | 123977 | 149 | 107837 | 129 | 97374 |
| पंजाब | पंजाब एंड सिंध बैंक | 1 | 200 | 37103 | 184 | 31088 | 174 | 28418 |
| पंजाब | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 1 | 214 | 48709 | 347 | 77430 | 315 | 46825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | केनरा बैंक | 3 | 89 | 37706 | 243 | 313505 | 855 | 391089 |
| तमिलनाडु | इंडियन ओवरसीज बैंक | 1 | 86 | 161757 | 100 | 182669 | 206 | 440177 |
| त्रिपुरा | युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 9 | 21593 | 6 | 65 | 8 | 115 |
| उत्तरांचल | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 387 | 122597 | 435 | 116378 | 439 | 111259 |
| पश्चिम बंगाल | युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 576 | 9078 | 521 | 6839 | 575 | 8978 |
| अखिल भारत | सभी बैंक | 49 | 22013 | 7379865 | 26712 | 9483904 | 21933 | 8561939 |

स्रोत : मूल सांख्यिकी विवरणी (बीएसआर)–1 सर्वे। टिप्पणी : आंकड़े ऋण की मंजूरी के स्थान (शाखा की स्थिति) के अनुसार हैं।

* : नवीनतम अद्यतन मास्टर कार्यालय फाइल के आधार पर

**इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड**

**2633. श्रीमती जयवहन बी. ठक्कर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इसके प्रारंभ से मंजूर परियोजनाओं का क्षेत्रवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी और अंतिम क्रियान्वयन में कितना समय लगा है;

(घ) क्या एक बार परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की स्थापना, व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाओं को दीर्घावधि परिपक्वता वाले ऋण देने के लिए की गई है।

(ख) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड को 5 जनवरी, 2006 को निगमन प्रमाणपत्र मिला। आई.आई.एफ.सी.एल. के बोर्ड द्वारा अब तक सड़क, बंदरगाह, विद्युत एवं शहरी सुविधाओं में 12 अवसंरचना–परियोजनाओं के लिए 965 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है।

(ग) आई.आई.एफ.सी.एल. परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य नहीं करता। आई.आई.एफ.सी.एल. द्वारा परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है।

(घ) जी, नहीं। निधियां जारी करने का कार्य ऋणदाताओं और प्रवर्तकों के बीच सहमत पूर्व–निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा और इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**पैन धारकों द्वारा आयकर विवरणी भरना**

**2634. श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड धारक हैं;

(ख) क्या ये पैन कार्ड धारक नियमित रूप से अपनी आयकर विवरणी दाखिल करते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान राज्यवार कितने पैन कार्ड धारकों ने अपनी आयकर विवरणी दाखिल की है;

(घ) क्या सरकार के पास उन पैन कार्ड धारकों की सूची है जिन्होंने अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) दिनांक 14 अगस्त, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में पैन धारकों की कुल संख्या 4,71,02,934 है। पैन धारकों के कोई राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सभी पैन कार्ड धारकों को अपनी कर विवरणियां दायर करना अपेक्षित नहीं है। आयकर विवरणियां, अन्य बातों के साथ–साथ, किसी व्यक्ति की कराधेय आय के आधार पर दायर की जाती हैं। तथापि, आयकर विवरणी दायर करते समय, पैन का उल्लेख करना आवश्यक होता है।

(ग) और (घ) (ख) को देखते हुए, आयकर विवरणियां दायर करने वाले/दायर न करने वाले पैन धारकों के संबंध में विवरण नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**राज्यों को वित्तीय पैकेज**

**2635. श्री परसुराम माझी :**

**श्री दुष्यंत सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ राज्यों को वित्तीय पैकेज देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन–किन राज्यों से ऐसी मांगें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राजस्थन और उड़ीसा राज्य ने सरकार को अपने–अपने राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों की मांग पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (घ) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र से आग्रह किया है।

उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2005–10 की अवधि के लिए 13,096 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का अनुरोध किया है। उड़ीसा को ऐसा विशेष आथिक पैकेज दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने इन राज्यों में किसानों द्वारा आतमहत्या बहुल जिलों में किसानों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज के लिए अनुरोध किया है।

प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र में विदर्भ के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर कृषि मंत्रालय केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आत्महत्या बहुल जिलों के किसानों के लिए एक पुनर्वास पैकेजों को दिए जाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।

राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**स्वजलधारा के अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी**

**2636. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'स्वजलधारा' लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैयक्तिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए एक निश्चित रकम जमा कराना अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुछ वैयक्तिक लाभार्थियों द्वारा अपना हिस्सा जमा कराने के बावजूद वे उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(छ) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) जी, हां। स्वजलधारा योजना देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा सकती है। तथापि, गोवा और सिक्किम ने अब तक स्वजलधारा के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

(ख) और (ग) इस योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि परियोजना की पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत भाग सामुदायिक अंशदान होगा। इसमें वैयक्तिक लाभार्थी अंशदान का कोई प्रावधान

नहीं है। योजनाओं की पूंजीगत लागत में सामुदायिक अंशदान नकद/वस्तु/श्रम/भूमि के रूप में अथवा इन सबके मिश्रित रूप में हो सकता है। तथापि, कम से कम 50 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान नकद होना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जाति बसावटों (जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या, कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है) के मामले में नकद अंशदान का अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। जहां सामुदायिक अंशदान, योजना की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां अधिशेष राशि को प्रचालन एवं अनुरक्षण निधि में सम्मिलित किया जाएगा।

(घ) से (छ) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। राज्य सरकारें स्वजलधारा परियोजनाओं की आयोजना, मंजूरी, निष्पादन एवं कार्यान्वयन के लिए सशक्त है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) निधियों का 20 प्रतिशत भाग वार्षिक रूप से स्वजलधारा योजना के लिए आवंटित किया जा सकता है। तत्पश्चात् इन निधियों को वर्ष के लिए नियत अंतर्राज्यीय एआरडब्ल्यूएसपी आवंटन अनुपात के अनुसार राज्यों को आवंटित किया जाता है। इसके बाद राज्य जिलवार आवंटन तय करते हैं आरे जिला जल एवं स्वजलधारा समिति (डीडब्ल्यूएसपी)/राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) स्तर पर विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करते हैं और स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें अनुमोदित करते हैं। भारत सरकार, डीडब्ल्यूएससी/एसडब्ल्यूएसएम स्तर पर लंबित या स्वीकृत प्रस्तावों का योजनावार ब्यौरा नहीं रखती है। स्वजलधारा के अंतर्गत जिलेवार आवंटन करने और परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के प्रयोजन से वर्ष 2006–07 के लिए अंतर्राज्यीय आवंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकारों को इससे अवगत करा दिया गया है। हमीरपुर सहित हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को वर्ष 2006–07 की रिलीज के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। महाराष्ट्र से वर्ष 2006–2007 के लिए परियोजनाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

**सारस के लिए नया इंजन**

**2637. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सारस पीटी–2 संस्करण में प्रणोदित्र संयोजन वाला नया इंजन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सारस पीटी–2 को शामिल करने के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) :** (क) और (ख) जी, हां। सारस प्रोटोटाइप (पीटी)–2 वर्जन विमान को 1200 शैफ्ट हॉर्स पावर (एसएचपी) और 1700 परिक्रमण प्रति मिनट (आरपीएम) के दो प्रैट एवं विटनी (कनाडा), पीटी6ए–67ए इंजनों द्वारा शक्तिशाली बनाया जाएगा। ये इंजन 2.65 मी. व्यास, 5 ब्लेडों वाले दो पुशर प्रोपेलर्स को चलाएंगे।

(ग) प्रथम आदिप्ररूप सारस पीटी–1 अब तक लगभग 60 सफल उड़ान परीक्षण कर चुका है। सारस आदिप्ररूप (पीटी)–2 वर्जन विमान के कॉम्बिनेशन एंड्योरेंस परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाओं में 200 घंटों का परीक्षण पूरा किया जा चुका है।

(घ) डायरेक्टरेट जनरल ऑव सिविल एविएशन (डीजीसीए) से सारस विान हेतु टाइप प्रमाणन दिसम्बर, 2009 तक प्राप्त होने की उम्मीद है तथा इसके तत्काल बाद यह विमान इंडक्शन के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

**गांवों को सड़कों से जोड़ना**

**2638. श्री सुग्रीव सिंह :**

**श्री किसनभाई वी. पटेल :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 50 प्रतिशत से अधिक गांवों को अभी भी सड़कों से जोड़ा जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित राशि और वर्ष 2006–07 हेतु आवंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य 500 और उससे अधिक व्यक्ति (पर्वतीय राज्यों और मरुस्थल क्षेत्रों के मामले में 250 और उससे अधिक व्यक्ति) की अबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क मुहैया

कराना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि कुल 848894 बसावटें हैं जिनमें से 329898 बसावटें सड़कों से नहीं जुड़ी हैं। सड़कों से न जुड़ी इन बसावटों में से 172787 बसावटें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के पात्र हैं। 58638 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए परियोजनाएं पहले ही मंजूर कर दी गई हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य | निम्न के दौरान की गई रिलीज | | सामान्य आदंटन | 2006–07 के दौरान नये सड़क संपर्क के लिए भारत निर्माण लक्ष्य | | 2006–07 के दौरान उन्नयन के लिए भारत निर्माण लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2004–05 (रु. करोड़ में) | 2005–06 (रु. करोड़ में) | 2006–07 (रु. करोड़ में) | लंबाई (कि.मी.) | बसावट | लंबाई (कि.मी.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 88.97 | 187.69 | 100 | 0 | 0 | 2258.652 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 53.81 | 52 | 637.5 | 65 | 0 |
| 3. | असम | 164.52 | 156.82 | 276 | 2864.063 | 1988 | 2005.71 |
| 4. | बिहार | 29.58 | 234.29 | 332 | 3928.75 | 2062 | 2393.617 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 218.68 | 307.57 | 435 | 4367.606 | 1310 | 1986.063 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190.114 |
| 7. | गुजरात | 0 | 70.56 | 60 | 429.723 | 246 | 1557.971 |
| 8. | हरियाणा | 28.60 | 20.56 | 25 | 0 | 0 | 1146.789 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 13.95 | 171.27 | 232 | 795.833 | 209 | 1515.923 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 20.00 | 70.35 | 60 | 1059.49 | 352 | 1007.584 |
| 11. | झारखंड | 0 | 152.70 | 245 | 2594.39 | 1295 | 2108.433 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 143.02 | 105 | 0 | 0 | 2573.529 |
| 13. | केरल | 10.39 | 42.41 | 25 | 0 | 0 | 628.931 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 260.96 | 376.29 | 685 | 6162.451 | 1760. | 5189.453 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 141.92 | 140 | 0 | 0 | 4334.365 |
| 16. | मणिपुर | 18.00 | 6.33 | 28 | 460.714 | 48 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 7.50 | 40 | 135.971 | 30 | 587.583 |
| 18. | मिजोरम | 47.85 | 60.99 | 27 | 274.819 | 39 | 257.998 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 18.00 | 56.03 | 25 | 104.529 | 10 | 246.914 |
| 20. | उड़ीसा | 178.75 | 305.29 | 368 | 1985.609 | 874 | 4438.574 |
| 21. | पंजाब | 0 | 46.90 | 30 | 0 | 0 | 1483.051 |
| 22. | राजस्थान | 653.94 | 434.82 | 604 | 3629.519 | 1252 | 4764.543 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 41.20 | 25 | 104.042 | 30 | 196.85 |
| 24. | तमिलनाडु | 79.78 | 58.95 | 85 | 0 | 0 | 2824.427 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 21.76 | 35 | 261.74 | 183 | 373.737 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 328.76 | 644.69 | 520 | 2390.632 | 1533 | 7158.962 |
| 27. | उत्तरांचल | 0 | 14.29 | 95 | 422.008 | 106 | 889.454 |
| 28. | प. बंगाल | 275.90 | 355.58 | 321 | 2572.767 | 2738 | 2549.942 |
| | कुल | 2436.64 | 4185.99 | 4980 | 35182.16 | 16130 | 54669.259 |

**पादप आधारित कीटनाशक**

**2639. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पादप आधारित कीटनाशक विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या किसी समपाक को सकारात्मक दर्शाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समपाक का वाणिज्यिक प्रयोग कब तक किए जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) से (ङ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पादप आधारित कीटनाशकों के विकास पर एक समन्वित अनुसंधान परियोजना को सहायता प्रदान की है। इस परियोजना के तहत, अब तक 61 प्रजातियों के 694 नमूनों को तैयार कर लिया गया है और 8 कीटों के परीक्षण लिए कर लिया गया है। 6 पौधों के नमूनों ने क्रमशः डायमंड बैक मोथ, एफिड, तंबाकू के कैटरपिलर, बंद गोभी सेमिलूपर, मच्छर एवं लाल मकड़ी के लिए सकारात्मक परिणाम दर्शाए। परिणामों की समीक्षा की गई तथा उत्पाद विकास से संबंधित अध्ययनों को 4 प्रजातियों तक सीमित किया गया। अब तक 55 समपाक (फारम्यूलेशन्स) तैयार कर लिए गए हैं तथा उनकी जांच भी कर ली गई है। अब तक डायमंड बैक मोथ, एफिड तथा मच्छरों के लिए क्रमशः 3 समपाक (फारम्यूलेशन्स) ने सकारात्मक गतिविधि प्रदर्शित की है। इन समपाकों (फारम्यूलेशन्स) का आगे के मूल्यांकन के लिए सीमित पैमाने के खेत परीक्षणों के लिए प्रयोग किया जाना है।

**इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करना**

**2640. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समानान्तर अर्थव्यवस्था से धनराशि लाने हेतु पर्याप्त कर प्रोत्साहन वाले इंफ्रास्टक्चर बांड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए और उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**नाबार्ड की पुनर्वित्तपोषण नीति**

**2641. श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड वर्ष 2006–07 के दौरान महाराष्ट्र में जिला सहकारी बैंकों को अल्पकालीन पुनर्वित्तपोषण नीति के अंतर्गत किसानों को 2.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड द्वारा फसल ऋण के लक्ष्य का केवल 40 प्रतिशत जारी करने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप जिला सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति बदतर हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) जी, हां। नाबार्ड द्वारा अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) एसटी (एसएओ) हेतु 2.5% की दर पर पुनर्वित्त केवल उन राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) को दिया जाएगा, जो किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि ऋण के 7% वार्षिक ब्याज–दर पर प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। पुनर्वित्त की प्रमात्रा एससीबी की अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के स्तर पर निर्भर करते हुए पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) द्वारा जारी कुल ऋण के 35%–40% तक होगी।

(ग) से (ङ) नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पूरक प्रकृति की होती है। किसानों को ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए, नाबार्ड द्वरा एससीबी को कुल ऋण के 35%–40% भाग की पुनर्वित्त सहायता रियायती दर पर दी जाती है तथा शेष 60% से 65% वित्त एससीबी/डीसीसीबी के अपने संसाधनों से जुटाना चाहिए। चूंकि किसनों को 7% वार्षिक की ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान किया जाना है, इसलिए सहकारी बैंकों ने कहा है कि उन्हें किसानों हेतु 7% की दर पर उधार देने से अंतर्ग्रस्त उनके अपने संसाधनों पर कुछ हानि होने की आशंका है। अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी बैंकों के अपने संसाधनों से संवितरित राशि पर उन्हें ब्याज सब्सिडी दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 7% वार्षिक दर पर आधार स्तरीय ऋण संवितरित कर सकें।

*[अनुवाद]*

**इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण**

**2642. श्री सुग्रीव सिंह :**

**श्री किसनभाई वी. पटेल :**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) आई.ए.वाई. के अंतर्गत अभी तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है और इससे राज्यवार कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्माण लक्ष्य में संशोधन किया गया है या संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी ग्रामीण आवास योजनाओं को आई.ए.वाई. में मिलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील)** : (क) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत निधियां वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को रिलीज की जाती हैं। इस प्रकार किए गए आवंटन और निर्धारित किए गए लक्ष्यों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान पंचायत–घर बनाए जाने वाले/उत्क्रमित किए जाने वाले मकानों की संख्या तय करती हैं। संबंधित ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी दी जाती है। तत्पश्चात् ग्राम सभा पात्र बीपीएल परिवारों की सूची से लाभार्थियों का चयन करती है और चयनित लाभार्थियों की संख्या कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार आवंटित लक्ष्यों से अधिक नहीं होती।

(ख) वर्ष 1985–86 में इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत 147 लाख मकान बनाए गए हैं। तथापि,

योजना के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के राज्य–वार अलग–अलग आंकड़े दर्शाने वाला विवरण आईएवाई एक अलग योजना बनने के समय वर्ष 1996–97 से ही उपलब्ध है। तदनुसार योजना के अंतर्गत वर्ष 1996–97 से अब तक बनाए गए मकानों की संख्या और उससे लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का आवंटन और लक्ष्य का निर्धारण वर्ष के लिए ग्रामीण आवास के लिए संपूर्ण बजटीय आवंटन के आधार पर किया जाता है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय एकमात्र इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और इस प्रकार सभी ग्रामीण आवास योजनाओं को मिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1996–97 से 2006–07 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए बनाए गए मकानों की राज्य–वार संख्या*

संख्या इकाई में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मित और आवंटित मकानों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 410314 | 157998 | 395260 | 963572 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 33865 | 44 | 33909 |
| 3. | असम | 126324 | 217306 | 230082 | 573712 |
| 4. | बिहार | 1029248 | 150313 | 661626 | 1841187 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 22666 | 60858 | 39090 | 122614 |
| 6. | गोवा | 65 | 91 | 3887 | 4043 |
| 7. | गुजरात | 61955 | 169661 | 90778 | 322394 |
| 8. | हरियाणा | 59671 | 0 | 32299 | 91970 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 16867 | 2377 | 15240 | 34484 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 0 | 0 | 70935 | 70935 |
| 11. | झारखंड | 84862 | 161742 | 102021 | 348625 |
| 12. | कर्नाटक | 215490 | 68277 | 177954 | 461721 |
| 13. | केरल | 135180 | 14844 | 107688 | 257692 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 224306 | 290163 | 253253 | 767722 |
| 15. | महाराष्ट्र | 267484 | 242968 | 302757 | 813209 |
| 16. | मणिपुर | 687 | 16832 | 2725 | 20244 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 1026 | 30135 | 538 | 31699 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 14291 | 0 | 14291 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 52165 | 0 | 52165 |
| 20. | उड़ीसा | 536360 | 282829 | 478946 | 1298135 |
| 21. | पंजाब | 43973 | 0 | 5462 | 49435 |
| 22. | राजस्थान | 162196 | 92088 | 121178 | 375462 |
| 23. | सिक्किम | 1543 | 4311 | 6543 | 12397 |
| 24. | तमिलनाडु | 430113 | 14003 | 137678 | 581794 |
| 25. | त्रिपुरा | 20265 | 40239 | 28808 | 89312 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1076818 | 4195 | 581653 | 1662666 |
| 27. | उत्तरांचल | 49839 | 7039 | 50972 | 107850 |
| 28. | प. बंगाल | 395179 | 100992 | 291725 | 787896 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 1810 | 832 | 2642 |
| 30. | दादरा और नगर हवेली | 8 | 692 | 0 | 700 |
| 31. | दमन और दीव | 26 | 171 | 74 | 271 |
| 32. | लक्षद्वीप | 0 | 451 | 0 | 451 |
| 33. | पांडिचेरी | 1377 | 0 | 1353 | 2730 |
| | कुल | 5373842 | 2232706 | 4191381 | 11797929 |

14.8.2006 की स्थिति के अनुसार

**पी.एम.जी.एस.वाई. के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयां**

**2643. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005–06 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) को लागू करने और इसके अंतर्गत गांवों की पहचान करने तथा सड़कों का चयन करने हेतु विभिन्न राज्यों को कोई दिशानिर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने पी.एम.जी.एस.वाई. के क्रियान्वयन के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) :** (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिसमें वार्षिक

प्रस्तावों के लिए सड़कों की पहचान और चयन की प्रक्रिया शामिल है। दिशा–निर्देशों में प्रत्येक जिले के लिए कोर नेटवर्क, व्यापक नयी सड़क–संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) और व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) तैयार करने पर विचार किया गया है। वार्षिक प्रस्तावों में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं का चयन सीएनसीपीएल और सीयूपीएल में निर्दिष्ट प्राथमिकता क्रम के अनुसार करना होता है।

(ग) से (ङ) इस योजना के दिशा–निर्देशों तथा कार्यान्वयन के तौर–तरीकों के संबंध में कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं मिली है। तथापि, योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों से समय–समय पर प्राप्त सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**मौद्रिक नीति की समीक्षा**

**2644. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
**श्री किन्जरपु येरनन्नायडु**
**श्री शिशुपाल पटले :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
**श्री मो. ताहिर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक मौद्रिक नीति 2006–07 की अपनी पहली तिमाही की समीक्षा में रिवर्स रेपो दर को 25 पैसे और बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम के कारण ऋण ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार के इस कदम से संपत्ति तथा आटो क्षेत्र पर कितना असर पड़ने की संभावना है;

(ङ) देश में महंगाई तथा अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पडेगा;

(च) क्या कुछ क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम का विरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) और (ख) प्रति पुनः खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा दी गई है अर्थात् यह 5.75 प्रतिशत से बढकर 6.00 प्रतिशत हो गई है।

(ग) से (ङ) ऋणों पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है और बैंकों द्वारा विभिन्न कारकों जैसे बैंकों से सामान्य रूप से लिए जाने वाले ऋण, ऋणों का प्रबंध करने में अनुभव, नकदी की स्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति, बैंकिंग प्रणाली में प्रचलित ब्याज दरों, मुद्रास्फीति की दर तथा निधियों की लागत को ध्यान में रखकर ब्याज निर्धारित किया जाता है। ब्याज दरों का क्षेत्रीय प्रभाव संपदा क्षेत्र एवं आटो क्षेत्र में पड़ने की संभावना नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2006–07 की मौद्रिक नीति पर वार्षिक विवरण की प्रथम तिमाही समीक्षा के अनुसार, मुद्रा नीति संबंधी दृष्टिकोण से, अन्य बातों के साथ–साथ, एक ऐसा मौद्रिक एवं ब्याज–दर वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसमें उपयुक्त नति प्रतिक्रियाओं द्वारा वृद्धि की गति बनी रहेगी और वर्ष 2006–07 के लिए मुद्रास्फीति दर वर्ष–प्रतिवर्ष 5.00 से 5.5 प्रतिशत के बीच होगी।

(च) और (छ) प्रेस के एक वर्ग ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पुनः खरीद एवं प्रति पुनः खरीद दर की कार्रवाई के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रही है।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण की समीक्षा, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार उसके द्वारा समय–समय पर की जाती है।

*[अनुवाद]*

**तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना**

**2645. डा. टोकचोम मैन्या** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरि प्रतीक्षित तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मणिपुर में इस परियोजना का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस परियोजना के निवेश निर्णय के लिए कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के अनुसार, परियोजना का निष्पादन सारांश मणिपुर एवं मिजोरम सरकार के पास विस्तृत परिचालन हेतु तथा दो स्थानीय समाचार-पत्रों में जन-सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करवाने हेतु भेजा गया था। राज्यों से, जन-सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

(घ) ऊपर भाग (ग) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) जी नहीं। फिर भी कुछ संगठनों ने पर्यावरण से संबंधित आशंकाओं से इस परियोजना का विरोध किया है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा मंजूरी देते समय इन पर भली-भांति विचार किया जाएगा।

(छ) मणिपुर तथा मिजोरम की राज्य सरकारों से पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी देने के लिए जन सुनवाई को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का अनुरोध किया गया है। जैसे ही परियोजना को पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी दे दी जाती है, वैसे ही मामले पर निवेश संबंधी निर्णय के लिए कार्यवाही की जाएगी।

**सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए फ्लैट**

**2646. श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में आवास इकाइयों के निर्माण संबंधी योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस योजना के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का सहयोग ले रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन)** : (क) के.लो.नि.वि. को लिटल अंडमान (हट बे), कार निकोबार, चौरा, टेरेसा, नानकौरी, कमोर्ता, कच्छाल तथा ग्रेट निकोबार द्वीपों में अब तक करीब 7400 मकान बनाने का काम सौंपा गया है। केवल ग्रेट निकोबार द्वीप को छोड़कर अन्य सभी द्वीपों में मकानों की नींव का कार्य शुरू किया जा चुका है। ग्रेट निकोबार द्वीप में निर्माण स्थलों का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा, कैम्पबैल बे को छोड़कर अन्य सभी द्वीपों के लिए सुपर स्ट्रक्चर कार्य की निविदाएं के.लो.नि.वि. द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर ली गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न स्थायी मकानों की अवस्थिति का निर्णय स्थानीय ग्राम कैप्टन/आदिवासी परिषद तथा जिला प्रशासन के परामर्श से किया जा रहा है। इसी प्रकार सामुदायिक भवनों के नक्शों/डिजाइन को भी आदिवासी परिषदों और जिला प्रशासन के सहयोग से अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्थाई भवनों का कार्य लाभार्थियों तथा अंडमान व निकोबार प्रशासन के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए।

**दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले**

**2647. श्री मोहन रावले** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-2000 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्षवार और श्रेणीवार कितने मामले दायर किए गए;

(ख) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कितने मामलों को निपटाया गया और कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) गत दस वर्षों से लंबित मामलों को निपटाने के लिए इन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) :** (क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वर्ष 1988–2000 के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| संख्या | 41695 | 57611 | 47496 | 51463 | 53722 | 55844 | 53981 |
| वर्ष | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| संख्या | 54362 | 57812 | 54511 | 71477 | 70874 | 72090 | |

प्रवर्गवार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

| | |
|---|---|
| (ख) 1.1.06 को लंबित मामलों की कुल संख्या | 119914 |
| 1.1.06 से 31.3.06 की अवधि के दौरान फाइल किए गए मामलों की कुल संख्या | 31674 |
| 1.1.06 से 31.3.06 की अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की कुल संख्या | 29649 |
| 31.3.06 को लंबित मामलों की कुल संख्या | 121939 |

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे लंबित मामलों का, जो पिछले दस वर्षों से लंबित हैं, निपटारा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने "न्यायिक प्रबंध और विधिक अनुसंधान प्रकोष्ठ" नामक एक विशेष प्रकोष्ठ का सृजन किया है। इस प्रकोष्ठ में एक संयुक्त रजिस्ट्रार और दो उप रजिस्ट्रार सम्मिलित हैं। ये ज्येष्ठ अधिकारी अनन्य रूप से ऐसे मामलों को समूहबद्ध करने का कार्य कर रहे हैं जिनमें विधि के समान और वैसे ही प्रश्न अंतवर्लित हैं और ये इस बात का भी पता लगाते हैं कि क्या कोई मामला उच्चतम न्यायालय या इस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के अंतर्गत आता है। तदनुसार मामलों को समूहबद्ध किया जाता है और उनकी ऐसे निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों के रूप में सूची तैयार की जाती है और इससे ऐसे मामलों के त्वरित निपटान में सहायता मिली है।

2. लंबित बकाया मामलों में कमी लाने के लिए 1 जनवरी, 1996 से नियमों को, खंडपीठों के स्थान पर एकल पीठों के समक्ष सिविल रिटों के बडी संख्या में प्रवर्गों की प्रारंभिक सुनवाई के लिए, विभिन्न सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर उपक्रम के नामनिर्दिष्ट/स्थायी काउंसलों को रिट याचिका की अग्रिम प्रति के तामील का उपबंध करते हुए संशोधित किया गया है। इससे मामलों के स्थगन में सार रूप से कमी आई है और इससे अनेक समयों पर मामलों को कुछ ही सुनवाइयों में निपटाने में सहायता मिलती है।

3. इसके अतिरिक्त पुराने मामलों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने प्रत्येक 'गुरुवार' को 'पुराने मामले दिवस' के रूप में नियत किया है। इस दिवस को सभी न्यायपीठें अनन्य रूप से पुराने मामलों की सुनवाई कर रही हैं।

4. पुराने मामलों के शीघ्र और त्वरित निपटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

5. पुराने लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए इस न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यकता और सुलह केन्द्र की स्थपना की गई है।

6. कम अवधि के कारावासों सहित दांडिक मामलों और वैसे ही अन्य मामलों को, जिनमें तुरंत सुनवाई अपेक्षित होती है, अत्याधिक शीघ्रता से निपटाया जाता है।

7. ऐसे दांडिक मामलों को, जिनमें अभियुक्त/अपीलार्थी करागार में है, शीघ्र निपटारे के लिए सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया जा रहा हैं

8. छोटे-मोटे अपराधों वाले दांडिक मामलों को लोक अदालतों का आयोजन करके शीघ्रता से निपटाया जाता है।

### विद्युत उत्पादन

**2648. श्री उदय सिंह :**

**श्री सुनील खां :**

**श्री रायापति सांबसिवा राव :**

**श्री किसनभाई वी. पटेल :**

**श्री किन्जरपु येरननायडु :**

**श्री के. सी. पल्लानी शामी :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रहीं हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा 2005–06 के दौरान उनमें से प्रत्येक द्वारा क्षेत्रवार तथा राज्यवार वास्तव में कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या विद्युत में क्षमता वर्द्धन लक्षित आंकड़ों से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक क्षमता वर्द्धन प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं,

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र का/राज्य–वार तथा क्षेत्रवार हिस्सा कितना है;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति मांग तथा आपूर्ति कितनी है; और

(च) देश में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे)** : (क) वर्ष 2005–06 में 464 विद्युत स्टेशनों (ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूक्लीयर) और उत्पादन के अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 124287 मे.वा. थी। वर्ष 2005–06 के दौरान ताप विद्युत, जल विद्युत, न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशनों का क्षेत्रवार और राज्य वार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 10वीं योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के दौरान क्षमता अभिवृद्धि का 36,956 मे.वा. लक्ष्य व्यवहार्य पाया गया था। 16909 मे.वा. की क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है और 17115 मे. वा. की क्षमता वर्ष 2006–07 के लिए निर्धारित है जिसमें से 3300 मे.वा. क्षमता के संबंध में उत्तम प्रयास चल रहे हैं। 10वीं योजना की परियोजनाओं की मानीटरिंग हेतु मानीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। प्रत्येक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। इन परियोजनाओं की मानीटरिंग इनको 10वीं योजना में चालू किए जाने हेतु की जा रही है।

(घ) गत तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन में क्षेत्र वार और राज्य वार प्रतिशत हिस्सा दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2005–06 के लिए भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति मांग 571 कि.वा.घं. थी जिसकी तुलना में आपूर्ति 573 कि. वा.घ. थी। विकसित देशों में सामान्यतः विद्युत की मांग व आपूर्ति के बीच अंतर नहीं होता है।

(च) विद्युत की मांग व पूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

- उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में अत्यधिक वृद्धि।
- केंद्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि।
- 11वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन में क्षमता अभिवृद्धि की अग्रिम आयोजना।
- कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी हेतु एक बड़े कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों में उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/विस्तार।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाई) के अंतर्गत देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाना।
- विद्यमान ताप विद्युत स्टेशनों के संयत्र भार घटक राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) पद्धतियों को अपनाए जाने हेतु 'उत्कृष्टता में भागेदारी' कार्यक्रम।
- त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दिए जाने के साथ पुरानी और अकुशल विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार।
- अंतरराज्यीय और अंतर क्षेत्रीय पारेषण लिंकों के सुदृढ़ीकरण, जिससे अंततः राष्ट्रीय ग्रिड का सृजन होगा, द्वारा विद्युत के अंतरराज्यीय एवं अंतर क्षेत्रीय अंतरण को बढ़ाना।
- जल विद्युत शक्यता का तेज गति से दोहन।
- मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

विवरण-I

2005-06 के दौरान राज्यवार प्रकार-वार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

| राज्य | क्षेत्र | प्रकार | स्टेशन का नाम | वास्तविक उत्पादन (मि.यू) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| उत्तरी क्षेत्र | | | | |
| चंडीगढ़ | राज्य | थर्मल | चंडीगढ़ डीजी | 0 |
| चंडीगढ़ कुल | | | | 0 |
| दिल्ली | केंद्रीय | थर्मल | बदरपुर | 5380.6 |
| | राज्य | थर्मल | इन्द्रप्रस्थ (2, 3, 4, 5) | 984.65 |
| | | | राजघाट | 574.47 |
| | | | प्रगति सीसीजीटी | 2298.07 |
| | | | प्रगति जीटी | 1277.57 |
| | | | प्रगति डब्ल्यूएचपी | 463.36 |
| दिल्ली | | थर्मल | | 10978.72 |
| दिल्ली कुल | | | | 10978.72 |
| हरियाणा | केंद्रीय | थर्मल | फरीदाबाद सीसीजीटी | 2952.8 |
| | राज्य | थर्मल | फरीदाबाद | 787.31 |
| | | हाइड्रो | पानीपत | 8174.48 |
| | | | पश्चिमी यमुना कैनाल | 259.06 |
| | थर्मल | | | 11914.59 |
| | हाइड्रो | | | 259.06 |
| हरियाणा कुल | | | | 12173.65 |
| हिमाचल प्रदेश | केंद्रीय | हाइड्रो | बैरासूल | 790.96 |
| | | | चमेरा | 2336.17 |
| | | | चमेरा एचई प्रोजेक्ट | 1490.49 |
| | | | देहर | 3122.71 |
| | | | नाथपा झाकड़ी यूनिट-1-6 | 4053.73 |
| | | | पोंग | 1730.72 |
| | राज्य | हाइड्रो | आंग्रा | 62.54 |
| | | | बनेर | 43.59 |
| | | | बस्सी | 259.46 |
| | | | बिनवा | 33.58 |
| | | | गज | 51.29 |
| | | | घानवी | 69.81 |
| | | | गिरि बाटा | 193.35 |
| | | | लारजी | 0 |
| | | | संजय | 574.29 |
| | | | थिरोट | 3.93 |
| | | | सौली | |
| | निजी | हाइड्रो | बास्पा यूनि-1, 2, 3 | 1166.99 |
| | | | मलाना एचई प्रोजेक्ट | 337.45 |
| हिमाचल प्रदेश | | हाइड्रो | | 16323.06 |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | | | 16323.06 |
| जम्मू और कश्मीर | केंद्रीय | हाइड्रो | दुलहस्ती | 0 |
| | | | सलाल | 3480.86 |
| | | | उधी | 2724.51 |
| | राज्य | थर्मल | पामोर | 8.92 |
| | | | चेनानी | 16.53 |
| | | | गांडेरबल | 31.49 |
| | | | करगिल | 6.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | लोअर झेलम | 496.17 |
| | | | मोहरा | 0.96 |
| | | | पहलगाम | |
| | | | सेवा–III | 12.13 |
| | | | सटकना | 1.67 |
| | | | अपर सिंध–II | 214 |
| जम्मू और कश्मीर | | थर्मल | | 8.92 |
| | | हाइड्रो | | 6984.82 |
| जम्मू और कश्मीर कुल | | | | 6993.74 |
| | केंद्रीय | हाइड्रो | भाखड़ा | 5721.68 |
| | | | गंगूवाल | 580.42 |
| | | | कोटला | 490.95 |
| | राज्य | थर्मल | जीएचटीपी–II लेहर मुहब्बत | |
| | | | गुरु नानक देव | 2359.19 |
| | | | लेहरा मुहब्बत | 3145.93 |
| | | | रोपड़ | 9329.31 |
| | | हाइड्रो | आनंदपुर साहिब | 721.77 |
| | | | मुकेरियां | 1239.25 |
| | | | रंजीत सागर | 2013.22 |
| | | | शानन | 508.95 |
| | | | यूबीडीसी | 531.18 |
| पंजाब | | थर्मल | | 14834.43 |
| | | हाइड्रो | | 11807.42 |
| पंजाब कुल | | | | 26641.85 |
| | केंद्रीय | थर्मल | अंता | 2809.1 |
| | न्यूक्लीयर | | आरएपीएस | 4305.98 |
| | राज्य | थर्मल | गिरल टीपीपी | |
| | | | कोटा | 8297.75 |
| | | | सुरतगढ़ | 9951.25 |
| | | | धौलपुर सीसीजीटी | |
| | | | रामगढ़ जीटी एसटी | 435.95 |
| | | हाइड्रो | अनूपगढ़ | 1.9 |
| | | | जवाहर सागर | 228.58 |
| | | | माही बजाज | 218.49 |
| | | | मंगरोल | 0 |
| | | | आर.पी. सागर | 314.46 |
| | | | सुरतगढ़ | 0 |
| राजस्थान | | थर्मल | | 21494.05 |
| | | न्यूक्लीयर | | 4305.98 |
| | | हाइड्रो | | 763.43 |
| राजस्थान कुल | | | | 26563.46 |
| उत्तर प्रदेश | केंद्रीय | थर्मल | रिहंद | 10585.66 |
| | | | सिंगरौली | 15503.1 |
| | | | टांडा | 3330.1 |
| | | | ऊंचाहार | 7041.1 |
| | | | नेशनल कैटिल (दादरी) | 6768.3 |
| | | | औरैया | 4281.4 |
| | | | दादरी | 5394.4 |
| | | न्यूक्लीयर | एपएपीएस | 2138.35 |
| | राज्य | थर्मल | अनपरा | 11560.19 |
| | | | हरदुआगंज | 519.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ओबरा | 5572.93 |
| | | | पनकी | 954.04 |
| | | | परीछा | 763.18 |
| | | हाइड्रो | पूर्वी यमुना कैनाल | 1.63 |
| | | | गंगा कैनाल | 34.09 |
| | | | खारा | 328.57 |
| | | | माताटीला | 143.41 |
| | | | ओबरा–एच | 231.38 |
| | | | रिहंद | 546.35 |
| उत्तर प्रदेश | | थर्मल | | 72273.77 |
| | | न्यूक्लीयर | | 2138.35 |
| | | हाइड्रो | | 1285.43 |
| उत्तर प्रदेश कुल | | | | 75697.55 |
| उत्तरांचल | केंद्रीय | हाइड्रो | धौलीगंगा | 314.45 |
| | | | टकनपुर | 483.17 |
| | | | टिहरी | 0 |
| | राज्य | हाइड्रो | चिबरो | 804.96 |
| | | | धकरानी | 164.85 |
| | | | धालीपुर | 236.13 |
| | | | खटीमा | 165.04 |
| | | | खोदरी | 378.83 |
| | | | कुल्हल | 160.92 |
| | | | मनेरी भाली | 455.21 |
| | | | मोहम्मदपुर | 36.4 |
| | | | पथरी | 96.49 |
| | | | रामगंगा | 333.3 |
| | | | ऋषिकेश चिल्ला | 659.18 |
| | | | मनेरी भाली–II | |
| | निजी | हाइड्रो | विष्णु प्रयाग | |
| उत्तरांचल | | हाइड्रो | | 4290.73 |
| उत्तरांचल कुल | | | | 4290.73 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | |
| छत्तीसगढ़ | केंद्रीय | थर्मल | कोरबा एसटीपीएस | 16001.3 |
| | राज्य | थर्मल | कोरबा पूर्व 4 | |
| | | | कोरबा–II | 1610.63 |
| | | | कोरबा–III | 1587.1 |
| | | | कोरबा वेस्ट | 5746.38 |
| | | हाइड्रो | गंगरेल | 8.72 |
| | | | हसदेव बांगो | 358.28 |
| छत्तीसगढ़ | | थर्मल | | 24945.41 |
| | | हाइड्रो | | 367 |
| छत्तीसगढ़ कुल | | | | 25312.41 |
| गोवा | निजी | थर्मल | सलगांवकर सीसीजीटी | 302.75 |
| गोवा | | थर्मल | | 302.75 |
| गोवा कुल | | | | 302.75 |
| गुजरात | केंद्रीय | थर्मल | गांधार सीसीजीटी | 4478.2 |
| | | | कवास सीसीजीटी | 2884.2 |
| | | न्यूक्लीयर | कैप्स | 2366.94 |
| | राज्य | थर्मल | अकरीमोटा (लिग्नाइट) | 168.29 |
| | | | धुवरण | 1459.63 |
| | | | गांधीनगर | 3703.6 |
| | | | गांधीनगर (यूनिट–5) | 1743.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | कच्छ लिग्नाइट | 669.62 |
| | | | सिक्का | 1404.7 |
| | | | उकाई | 5363.09 |
| | | | वनाकबोरी (यूनिट–7) | 1709.31 |
| | | | वनाकबोरी | 8472.06 |
| | | | धुवरण सीसीपीपी | 707.33 |
| | | | हजीरा | 1182.21 |
| | | | उतरान सीसीजीटी | 1077.44 |
| | | हाइड्रो | कदाना | 209.17 |
| | | | सरदार सरोवर एचई प्रोजेक्ट आरबीपीएच | 1752.86 |
| | | | सरदार सरोवर एचई प्रोजेक्ट सीएचपीएच | 208.65 |
| | | | उकाई | 580.49 |
| | निजी | थर्मल | साबरमती (अहमदाबाद) | 2703.14 |
| | | | साबरमती ओल्ड (अहमदाबाद) | 485 |
| | | | सुरत लिग्नाइट | 1874.15 |
| | | | बड़ौदा (जीआईपीसीएल–1 व 2) | 2321.14 |
| | | | पगुथन | 4755.99 |
| | | | वटवा (अहमदाबाद) | 718.17 |
| | निजी (इम्प.) | थर्मल | एस्सार | 1800.94 |
| गुजरात | | थर्मल | | 49681.67 |
| | | न्यूक्लीयर | | 2366.94 |
| | | हाइड्रो | | 2751.17 |
| गुजरात कुल | | | | 54799.78 |
| मध्य प्रदेश | केंद्रीय | थर्मल | विन्ध्याचल एसटीपीएस | 18304.6 |
| | | हाइड्रो | इंदिरा सागर यूनिट–4 | 2572.97 |
| | राज्य | थर्मल | अमरकंटक विस्तार | 150.26 |
| | | | बीरसिंहपुर (संजय गांधी) | 4856.34 |
| | | | सतपुड़ा | 7581.25 |
| | | हाइड्रो | बाण सागर टॉस–I | 996.57 |
| | | | बाण सागर टॉस–II | 156.12 |
| | | | बाण सागर टॉस–III | 89.19 |
| | | | बाण सागर टॉस–IV | 0 |
| | | | बरगिस | 565.35 |
| | | | बरसिंगपुर | 55.69 |
| | | | गांधीसागर (म.प्र.) | 148.01 |
| | | | माधीखेड़ा | 0 |
| | | | पेंच | 422.13 |
| | | | राजघाट | 135.68 |
| | निजी | हाइड्रो | तवा | 23.88 |
| मध्य प्रदेश | | | | 31845.02 |
| | | | | 5165.59 |
| मध्य प्रदेश कुल | | | | 37010.61 |
| महाराष्ट्र | केंद्रीय | न्यूक्लीयर | टीएपीएस | 3714.63 |
| | राज्य | थर्मल | भुसावल | 3381.68 |
| | | | चन्द्रपुर | 13967.27 |
| | | | खापरखेड़ा | 5703.99 |
| | | | कोराडी | 6460.34 |
| | | | नासिक | 5753.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | पारस | 479.72 |
| | | | परली | 5161.2 |
| | | | पारस विस्तार | |
| | | | पारली विस्तार | |
| | | | उरान डब्ल्यूएचपी | 1318.35 |
| | | | उरान जीटीपीएस | 2430.30 |
| | | हाइड्रो | भंडारधारा | 44.89 |
| | | | भाटघर | 57.76 |
| | | | भटसा | 85.14 |
| | | | भीरा टेलरेस | 98.76 |
| | | | डिम्बे | 10.58 |
| | | | डोम | 10.5 |
| | | | दूधगंगा | 59.02 |
| | | | इलदारी | 16.3 |
| | | | कन्हेर | 14.7 |
| | | | खड़कवासला पंशेट | 58.24 |
| | | | खड़कवासला वरसागांव | 21.5 |
| | | | कोयना स्टेज–1 से 4 | 4463.06 |
| | | | मानिकडोह | 8.05 |
| | | | पैथान | 24.92 |
| | | | पवना | 13.51 |
| | | | राधानगरी | 8.97 |
| | | | सूर्या | 22.62 |
| | | | तिल्लारी | 182.95 |
| | | | उज्जैनी | 44.04 |
| | | | वैतरणा | 170.87 |
| | | | वीर | 46.36 |
| | | | वारना | 60.9 |
| | निजी | थर्मल | दहाणु | 4323.11 |
| | | | ट्रांबे | 7854.36 |
| | | | डाभोल | 0 |
| | | | ट्रांबे जीटी | 1330.75 |
| | | हाइड्रो | भरा पीएसएस | 1181.25 |
| | | | भिवपुरी | 427.83 |
| | | | खोपोली | 414.47 |
| महाराष्ट्र | | थर्मल | | 58184.17 |
| | | न्यूक्लीयर | | 3714.63 |
| | | हाइड्रो | | 7547.19 |
| महाराष्ट्र कुल | | | | 69445.99 |
| दक्षिणी क्षेत्र | | | | |
| आंध्र प्रदेश | केंद्रीय | थर्मल | रामागुंडम | 19691.1 |
| | | | सिम्हाद्री एसटीपीएस | 7741.4 |
| | राज्य | थर्मल | कोठागुडम (नई) | |
| | | | कोठागुडम ए | |
| | | | कोठागुडम बी | 8212.97 |
| | | | कोठागुडम सी | |
| | | | नैल्लोर | 7.4 |
| | | | रामागुंडम बी | 397.23 |
| | | | रायलसीमा | 2369.09 |
| | | | विजयवाड़ा | 9755.14 |
| | | | विजेश्वरम (एपीजीपीसीओआर) | 1836.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | हाइड्रो | डोंकरायी कैनाल | 114.71 |
| | | | हम्पी | 57.6 |
| | | | लोअर सिलेरू | 1037.06 |
| | | | मचकुंड (आ. प.) | 628.14 |
| | | | नागार्जुन सागर एलसी | 120.97 |
| | | | नागार्जुन सागर आरसी | 273.94 |
| | | | नागार्जुन सागर | 1560.16 |
| | | | निजाम सागर | 9.64 |
| | | | पालेरू | 24.96 |
| | | | पेन्ना अहोबिलाम | 9.88 |
| | | | पोचमपेड | 111.82 |
| | | | सिंगुर | 8.93 |
| | | | श्रीसेलम | 1490.26 |
| | | | श्रीसेलम लेफ्ट बैंक | 2232.9 |
| | | | टीबी बांध | 167.64 |
| | | | अपर सिलेरू | 472.96 |
| | निजी | थर्मल | गौतमी सीसीपीपी | 0 |
| | | | गोदावरी गैस | 1331.16 |
| | | | जेगरूपाडु सीसीजीटी | 1293.7 |
| | | | कोना थर्मल | 0 |
| | | | कॉडापल्ली | 2116.12 |
| | | | पेद्दापुरम सीसीजीटी | 842.31 |
| | | | वेमागिरि | 1.96 |
| | | | एलवीएस डीजीपीपी | 0 |
| आंध्र प्रदेश | थर्मल | | | 55596.5 |
| | हाइड्रो | | | 8321.57 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | | | 63918.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक | केंद्रीय | न्यूक्लीयर | कैगा | 2859.58 |
| | राज्य | थर्मल | बेल्लारी टीपीपी | |
| | | | रायचूर | 9173.48 |
| | | | येलहंका | 96.7 |
| | | हाइड्रो | अलमाटी बांध यूनिट–I | 596.62 |
| | | | भद्रा | 76.03 |
| | | | घाटप्रभा | 122.5 |
| | | | जोग | 237.75 |
| | | | कदरा | 345.96 |
| | | | कालीनदी नागझरी | 2161.91 |
| | | | कोडासल्ली | 314.03 |
| | | | लिंगनामक्की | 275.69 |
| | | | मल्लापुर | 0 |
| | | | मणिडैम डीपीएच | 20.64 |
| | | | मुनिराबाद | 83.28 |
| | | | शरावती | 4865.65 |
| | | | शरावती टैलरेस (गेरूसप्पा) | 557.01 |
| | | | शिमसापुर | 93.27 |
| | | | शिवसमुद्रम | 260.75 |
| | | | सुपा डीपीएच | 357.63 |
| | | | वाराही | 971.84 |
| | निजी | थर्मल | तनीरबादी सीसीजीटी | 241.49 |
| | | | बेलगाम (टाटा) डीजल | 133.12 |
| | | | बेल्लारी डीजी | 17.25 |
| | | हाइड्रो | हरंगी | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | माधवमंत्री | 22.89 |
| | | | मंडागेरे | 6.1 |
| | | | नारायणपुर | 55.9 |
| | | | शाहपुर | 21.73 |
| | | | शिवपुरा (हाइड्रो) | 85.79 |
| | निजी (इम्प.) | थर्मल | तोरांगल्लू | 1382.95 |
| कर्नाटक | | थर्मल | | 11044.99 |
| | | न्यूक्लीयर | | 2859.58 |
| | | हाइड्रो | | 11534.97 |
| कर्नाटक कुल | | | | 25439.54 |
| केरल | केंद्रीय | थर्मल | कायमकुलम | 358.5 |
| | | थर्मल | ब्रह्मपुरम डीजी | 55.71 |
| | | | कोझीकोड | 93.34 |
| | | हाइड्रो | चेंबूकाडवू | 10.59 |
| | | | इदमलयार | 375.46 |
| | | | इडुक्की | 2696.85 |
| | | | कक्कड़ | 248.56 |
| | | | कल्लडा | 64.16 |
| | | | कुटियाडी | 515.52 |
| | | | लोअर पेरियार | 631.39 |
| | | | मधुपेट्टी | 4.53 |
| | | | मालनकारा | 20.42 |
| | | | नरीमंगलम | 244.9 |
| | | | पल्लीवसल | 238.42 |
| | | | पन्नियार | 159.82 |
| | | | पेप्पारा | 6.17 |
| | | | पोरिंगलकुथू एलबीई | 105.19 |
| | | | पोरिंगलकुथू | 164.85 |
| | | | सबरागिरि | 1468.53 |
| | | | सेंगुलम | 188.93 |
| | | | शोलयार | 290.21 |
| | | | उरूमी | 12.81 |
| | निजी | थर्मल | कोचीन | 37.15 |
| | | | कसरगोड डीजी (निजी) | 7.91 |
| | | हाइड्रो | कुथूनगल | 48.4 |
| | | | मनियार | 40.84 |
| केरल | | थर्मल | | 552.61 |
| | | हाइड्रो | | 7538.55 |
| केरल कुल | | | | 8091.16 |
| लक्षद्वीप | राज्य | थर्मल | अगट्टी | 2.7 |
| | | | अमीनी | 2.35 |
| | | | अंदरोट | 3.93 |
| | | | बाणग्राम | 0.09 |
| | | | बितरा | 0.09 |
| | | | चेटलत | 0.53 |
| | | | कदामत | 2.37 |
| | | | कलपेनी | 1.98 |
| | | | कवारती | 6.42 |
| | | | किलटान | 1.01 |
| | | | मिनिकॉय | 5.26 |
| लक्षद्वीप | | | | 26.73 |
| लक्षद्वीप कुल | | | | 26.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| पांडिचेरी | राज्य | थर्मल | कराईकल | 256.71 |
| पांडिचेरी कुल | | | | 256.71 |
| तमिलनाडु | केंद्रीय | थर्मल | नैवेली एफएसटी (विस्तार) | 3082.33 |
| | | | नैवेली–I | 3990.28 |
| | | | नैवेली–II | 9173.54 |
| | | न्यूक्लीयर | एमएपीएस | 1853.41 |
| | राज्य | थर्मल | इन्नौर | 600.53 |
| | | | मेत्तूर | 6518.91 |
| | | | नॉर्थ मद्रास | 4001.21 |
| | | | तूतीकोरिन | 7674.14 |
| | | | बेसिन ब्रिज | 39.89 |
| | | | कोविलकलप्पल | 572.86 |
| | | | कुटालम | 674.23 |
| | | | नरीमनम | 0 |
| | | | वलुथूर सीसीजीटी | 697.42 |
| | | हाइड्रो | अलियार | 205.53 |
| | | | भवानी कटलाई | |
| | | | कदमपराई | 581.48 |
| | | | कोडयार | 244.71 |
| | | | कुंडा | 1972.31 |
| | | | लोअर भवानी | 63.02 |
| | | | लोअर मेत्तूर | 341.22 |
| | | | मेत्तूर बांध | 90.43 |
| | | | मेत्तूर टनल | 639.44 |
| | | | मोयार | 175.44 |
| | | | पापनासम | 129.76 |
| | | | पार्सन्स वैली | 53.39 |
| | | | पेरियार | 441.16 |
| | | | पाइकारा बांध | 10.52 |
| | | | पाइकारा | 257.37 |
| | | | पाइकारा अन्टीमेट | 189.36 |
| | | | सरकारपथी | 115.1 |
| | | | सतनूर बांध | 23.36 |
| | | | सेरवलार | 53.95 |
| | | | शोलयार | 379.05 |
| | | | सुरुलियार | 125.74 |
| | | | वैगई | 18.13 |
| | निजी | थर्मल | नैवेली (जेड) | 1450.45 |
| | | | करूपपुर | 357.33 |
| | | | पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी | 428.82 |
| | | | वालनथरावी | 98.06 |
| | | | बेसिन ब्रिज डीजी | 745.47 |
| | | | समलपट्टी डीजी | 332.5 |
| | | | समयानल्लूर डीजीपीपी | 328.59 |
| तमिलनाडु | | थर्मल | | 40766.56 |
| | | न्यूक्लीयर | | 1853.41 |
| | | हाइड्रो | | 6110.47 |
| तमिलनाडु कुल | | | | 48730.44 |
| दक्षिण क्षेत्र | | थर्मल | | 108244.1 |
| | | न्यूक्लीयर | | 4712.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | हाइड्रो | | 33505.56 |
| दक्षिण क्षेत्र कुल | | | | 146462.65 |
| पूर्वी क्षेत्र | | | | |
| अंडमान व निकोबार | राज्य | थर्मल | कैंपबेल बे | 2.85 |
| | | | कार निकोबार | 1.18 |
| | | | चैम्पियन | |
| | | | चाथम 12.5 मेगावाट पी/एच | 19.01 |
| | | | चोवरा | |
| | | | डुगोंग क्रीक | |
| | | | हंसपुरी | |
| | | | हैवलोक | |
| | | | जगन्नाथ डेरा | |
| | | | ककाना | |
| | | | कमोरता द्वीप समूह | |
| | | | कचाल | |
| | | | कोंडुल | |
| | | | लिटिल अंडमान | 4.05 |
| | | | लॉंग द्वीप | |
| | | | मोहनपुर | |
| | | | नील द्वीप समूह | |
| | | | पश्चिम सागर | |
| | | | फीनिक्स बे | 7.09 |
| | | | पिलोभाभी | |
| | | | पिलोमिलो | |
| | | | पिलोपांजा | |
| | | | पिलीपिलो | |
| | | | राजनिवास | |
| | | | रंगत बे | 12.5 |
| | | | सचिवालय | |
| | | | शोम्पेन काम्प्लेक्स | |
| | | | सीता नगर | |
| | | | स्मिथ द्वीप समूह | |
| | | | साउथ बे | |
| | | | स्ट्रेट आइलैंड | |
| | | | टापोंग | |
| | | | टेरेसा | |
| | | हाइड्रो | कलपोंग | 6.67 |
| | निजी | थर्मल | बम्बूफ्लैट | 105.49 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | | थर्मल | | 152.17 |
| | | हाइड्रो | | 6.67 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कुल | | | | 158.84 |
| बिहार | केंद्रीय | थर्मल | कहलगांव एसटीपीएस | 6572.3 |
| | राज्य | थर्मल | बरौनी | 120.86 |
| | | | मुजफ्फरपुर | 0 |
| | | हाइड्रो | पूर्वी गंडक नहर | 28.5 |
| | | | कोसी | 17.19 |
| | | | सोन नहर कैनाल | 12.28 |
| | | | सोन पश्चिम कैनाल | 17.03 |
| बिहार | | थर्मल | | 6693.16 |
| | | हाइड्रो | | 75 |
| बिहार कुल | | | | 6768.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| झारखंड | केंद्रीय | थर्मल | बोकारो ए | 0 |
| | | | बोकारो बी | 2665.86 |
| | | | मैथान बी | 2034.09 |
| | | | पंचेट हिल | 0 |
| | | हाइड्रो | तिलैया | 86.32 |
| | | | पतरातू | 3.25 |
| | राज्य | थर्मल | तेनुघाट | 846.34 |
| | | | सुबर्णरेखा | 1527.48 |
| | | हाइड्रो | चांडिल जोजोबेश | 50.77 |
| | निजी (इम्प.) | थर्मल | | 1890.42 |
| झारखंड | | थर्मल | | 8964.19 |
| | | हाइड्रो | | 140.34 |
| झारखंड कुल | | | | 9104.53 |
| उड़ीसा | केंद्रीय | तापीय | तलचर ओल्ड | 3530.08 |
| | | | तलचर एसटीपीएस | 21184.78 |
| | राज्य | तापीय | आई.बी.वैली | 3094.78 |
| | | जल विद्युत | बालीमेला | 1053.39 |
| | | | हीराकुंड बुर्ला | 908.93 |
| | | | रंगाली | 677.88 |
| | | | अपर इंदिरावती | 1762.99 |
| | | | अपर कोलाब | 624.39 |
| | निजी (आई.एम.पी.) | तापीय | आईसीसीएल | 443.5 |
| | | | नाल्को | 470.3 |
| उड़ीसा | | तापीय | | 28723.44 |
| | | जल विद्युत | | 5027.58 |
| उड़ीसा कुल योग | | | | 33751.02 |
| सिक्किम | केंद्रीय | जल विद्युत | रंगीत–III (एनएचपीसी) | 352.05 |
| | राज्य | | गंगटोक | 0.16 |
| | | | रामपूल | 0 |
| | | जल विद्युत | एल.एल.पी.एच. | 18.25 |
| | | | मार्योंगचू | 4.3 |
| | | | अपर रोग्नीचू | 2.11 |
| | | | रॉंगली | |
| | | | छोटा जल विद्युत | 9.1 |
| सिक्किम | | तापीय | | 0.16 |
| | | जल विद्युत | | 385.81 |
| सिक्किम कुल योग | | | | 385.97 |
| पश्चिम बंगाल | केन्द्रीय | तापीय | दुर्गापुर | 1799.93 |
| | | | फरक्का एसटीपीएस | 11464 |
| | | | मेजिया | 5884.07 |
| | | जल विद्युत | मैथन | 85.19 |
| | राज्य | तापीय | बकरेस्वर | 4374.32 |
| | | | बंडेल | 2158.55 |
| | | | दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. | 2175.9 |
| | | | कोलाघाट | 7352.7 |
| | | | संतालडीह | 1223.38 |
| | | | सागरडीघी टीपीपी | |
| | | | हल्दीआ | 0 |
| | | | कसबा | 0 |
| | | | सिलीगुडी | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | जल विद्युत | जलधाका | 170.12 |
| | | | मसंजोर | 0 |
| | | | रमाम | 196.74 |
| | | | तीस्ता कनाल फौल्स फेज–I–II | 101.35 |
| | निजी | तापीय | बज–बज | 4362.72 |
| | | | चीनाकुरी | 147.46 |
| | | | दिसेरगढ़ | 48.56 |
| | | | मुलाजोर | 0 |
| | | | नई कोसीपुर | 447.35 |
| | | | सदर्न रिप्लेसमेंट | 989.8 |
| | | | टीटागढ़ | 1830.73 |
| पश्चिम बंगाल | | तापीय | | 44259.47 |
| | | जल विद्युत | | 553.4 |
| पश्चिम बंगाल कुल योग | | | | 44812.87 |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | | | | |
| अरुणाचल | केंद्रीय | जल विद्युत | रंगनदी | 1411.86 |
| प्रदेश | राज्य | जल विद्युत | नुरंग एमएचएस | 0 |
| | | | टैगो एमएचएस | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | | जल विद्युत | | 1411.86 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल योग | | | | 1411.86 |
| असम | केन्द्रीय | तापीय | कथलगुड़ी | 1723.11 |
| | | जल विद्युत | कोपीली | 1102.33 |
| | राज्य | तापीय | बोरिंगेगांव | 0 |
| | | | चंद्रपुर | 0 |
| | | | नामरूप एसटी | 76.8 |
| | | | गालोकी (मोबाइल गैस टीजी) | 0 |
| | | | कोथलगुडी (मोबाइल गैस टीजी) | |
| | | | लकवा | 360.08 |
| | | | वेस्टहीत (नामरूप) | 56.6 |
| | | | नामरूप जीटी | 317.44 |
| | निजी | तापीय | बासखंडी जीटी (डीएलएफ पावर को.) | 121.28 |
| | | | एडमटीला जीटी (डीएलएफ पावर को.) | |
| असम | | तापीय | | 2655.31 |
| | | जल विद्युत | | 1102.33 |
| असम कुल | | | | 3757.84 |
| मणिपुर | केंद्रीय | जल विद्युत | लोकटक | 586.15 |
| | राज्य | तापीय | लीमाखंग | 0 |
| मणिपुर | | तापीय | | 0 |
| | | जल विद्युत | | 586.15 |
| मणिपुर कुल | | | | 586.15 |
| मेघालय | केंद्रीय | जल विद्युत | खानजॉंग | 197.58 |
| | राज्य | जल विद्युत | करदमकुलाई | 139.9 |
| | | | उमीअम | 320.66 |
| | | | उमीअम उमतरु | 48.94 |
| मेघालय | | जल विद्युत | | 707.08 |
| मेघालय कुल | | | | 707.08 |
| मिजोरम | राज्य | तापीय | बैरावी | 0.03 |
| मिजोरम कुल | | | | 0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | केंद्रीय | जल विद्युत | दोयांग | 183.02 |
| | राज्य | तापीय | दीमापुर | |
| | | जल विद्युत | लिक्किम | 0 |
| नागालैंड | | तापीय | | |
| | | जल विद्युत | | 183.02 |
| नागालैंड कुल | | | | 183.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | केंद्रीय | तापीय | अगरतला जीटी | 638.21 |
| | राज्य | तापीय | बारामुरा जीटी | 169.38 |
| | | | रोखीआ | 251.18 |
| | | जल विद्युत | गुमटी | 63.43 |
| त्रिपुरा | | तापीय | | 1058.77 |
| | | जल विद्युत | | 63.43 |
| त्रिपुरा कुल | | | | 1122.2 |

*विवरण-II*

*2003–04 से 2005–06 के दौरान अखिल भारतीय विद्युत उत्पाद के राज्यवार/क्षेत्रवार/श्रेणीवार ब्यौरे*

| राज्य | प्रकार | 2003–04 | | 2004–05 | | 2005–06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वास्तविक (मि.यु.) | % हिस्सा | वास्तविक (मि.यु.) | % हिस्सा | वास्तविक (मि.यु.) | % हिस्सा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | | |
| चंडीगढ़ कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | तापीय | 10593 | 2.27 | 11172.12 | 2.30 | 10978.72 | 2.21 |
| दिल्ली कुल | | 10593 | 1.90 | 11172.12 | 1.90 | 10978.72 | 1.78 |
| हरियाणा | तापीय | 9536 | 2.04 | 10039.14 | 2.07 | 11914.59 | 2.40 |
| | जल विद्युत | 256 | 0.35 | 289.55 | 0.34 | 259.06 | 0.25 |
| हरियाणा कुल | | 9792 | 1.75 | 10328.69 | 1.76 | 12173.65 | 1.97 |
| हिमाचल प्रदेश | जल विद्युत | 11753 | 15.93 | 16020.29 | 18.96 | 16323.06 | 15.84 |
| हिमाचल प्रदेश कुल | | 11753 | 2.11 | 16020.29 | 2.73 | 16323.06 | 2.64 |
| जम्मू और कश्मीर | तापीय | 29 | 0.01 | 23.74 | 0.00 | 8.92 | 0.00 |
| | जल विद्युत | 7241 | 9.81 | 6381.5 | 7.55 | 6984.82 | 6.78 |
| जम्मू और कश्मीर कुल | | 7270 | 1.30 | 6405.24 | 1.09 | 6993.74 | 1.13 |
| पंजाब | तापीय | 14235 | 3.05 | 14383.83 | 2.96 | 14834.43 | 2.98 |
| | जल विद्युत | 11346 | 15.38 | 7698.95 | 9.11 | 11807.42 | 11.46 |
| पंजाब कुल | | 25581 | 4.58 | 22082.78 | 3.76 | 26641.85 | 4.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | तापीय | 18079 | 3.87 | 20258.26 | 4.17 | 21494.05 | 4.32 |
| | न्युक्लीयर | 4323 | 24.37 | 4577.91 | 27.18 | 4305.98 | 24.98 |
| | जल विद्युत | 643 | 0.87 | 935.5 | 1.11 | 763.43 | 0.74 |
| राजस्थान कुल | | 23045 | 4.13 | 25771.67 | 4.39 | 26563.46 | 4.30 |
| उत्तर प्रदेश | तापीय | 69149 | 14.81 | 70003.62 | 14.40 | 72273.77 | 14.54 |
| | न्युक्लीयर | 3041 | 17.14 | 2760.06 | 16.39 | 2138.35 | 12.40 |
| | जल विद्युत | 2145 | 2.91 | 1171.26 | 1.39 | 1285.43 | 1.25 |
| उत्तर प्रदेश कुल | | 74335 | 13.31 | 73934.94 | 12.59 | 75697.55 | 12.26 |
| उत्तरांचल | जल विद्युत | 3904 | 5.29 | 3607.82 | 4.27 | 4290.73 | 4.16 |
| उत्तरांचल कुल | | 3904 | 0.70 | 3607.82 | 0.61 | 4290.73 | 0.69 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | | |
| छत्तीसगढ़ | तापीय | 23954 | 5.13 | 24974.57 | 5.14 | 24945.41 | 5.02 |
| | जल विद्युत | 295 | 0.40 | 385.73 | 0.46 | 367 | 0.36 |
| छत्तीसगढ़ कुल | | 24249 | 4.34 | 25360.3 | 4.32 | 25312.41 | 4.10 |
| गोवा | तापीय | 0 | 0.00 | 335.97 | 0.07 | 302.75 | 0.06 |
| गोवा कुल | | 0 | 0.00 | 335.97 | 0.06 | 302.75 | 0.05 |
| गुजरात | तापीय | 43250 | 9.26 | 47964.83 | 9.87 | 49681.67 | 9.99 |
| | तापीय | 3176 | 17.91 | 2513.53 | 14.92 | 2366.94 | 13.73 |
| | जल विद्युत | 858 | 1.16 | 1088.92 | 1.29 | 2751.17 | 2.67 |
| गुजरात कुल | | 47284 | 8.47 | 51567.29 | 8.78 | 54799.78 | 8.87 |
| मध्य प्रदेश | तापीय | 30392 | 6.51 | 32181.35 | 6.62 | 31845.02 | 6.40 |
| | जल विद्युत | 2904 | 3.94 | 3602.41 | 4.26 | 5165.59 | 5.01 |
| मध्य प्रदेश कुल | | 33296 | 5.96 | 35783.76 | 6.09 | 37010.61 | 5.99 |
| महाराष्ट्र | तापीय | 59538 | 12.75 | 60994.68 | 12.55 | 58184.17 | 11.70 |
| | न्युक्लीयर | 2497 | 14.08 | 2587.06 | 15.36 | 3714.63 | 21.55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जल विद्युत | 5336 | 7.23 | 5444.42 | 6.44 | 7547.19 | 7.32 |
| महाराष्ट्र कुल | | 67369 | 12.07 | 69026.16 | 11.75 | 69445.99 | 11.25 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | तापीय | 54522 | 11.68 | 56822.19 | 11.69 | 55596.5 | 11.18 |
| | जल विद्युत | 3210 | 4.35 | 5812.57 | 6.88 | 8321.57 | 8.07 |
| आंध्र प्रदेश कुल | | 57732 | 10.34 | 62634.76 | 10.66 | 63918.07 | 10.35 |
| कर्नाटक | तापीय | 14458 | 3.10 | 12413.73 | 2.55 | 11044.99 | 2.22 |
| | न्युक्लीयर | 3123 | 17.61 | 2926.25 | 17.37 | 2859.58 | 16.59 |
| | जल विद्युत | 7459 | 10.11 | 8910.08 | 10.55 | 11534.97 | 11.19 |
| कर्नाटक कुल | | 25040 | 4.48 | 24250.06 | 4.13 | 25439.54 | 4.12 |
| केरल | तापीय | 3766 | 0.18 | 1044.97 | 0.21 | 552.61 | 0.11 |
| | जल विद्युत | 3957 | 5.36 | 6144.02 | 7.27 | 7538.55 | 7.31 |
| केरल कुल | | 7723 | 1.38 | 7188.99 | 1.22 | 8091.16 | 1.31 |
| लक्षद्वीप कुल | | 0 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 26.73 | 0.00 |
| पांडिचेरी कुल | | 277 | 0.05 | 275.69 | 0.05 | 256.71 | 0.04 |
| तमिलनाडु | तापीय | 43049 | 9.22 | 42049.59 | 8.65 | 40766.56 | 8.20 |
| | न्युक्लीयर | 1577 | 8.89 | 1480.48 | 8.79 | 1853.41 | 10.75 |
| | जल विद्युत | 2044 | 2.77 | 4413.11 | 5.22 | 6110.47 | 5.93 |
| तमिलनाडु कुल | | 46670 | 8.36 | 47943.18 | 8.16 | 48730.44 | 7.89 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | तापीय | 0 | 0.00 | 131.02 | 0.03 | 152.17 | 0.03 |
| | जल विद्युत | 0 | 0.00 | 7.29 | 0.01 | 6.67 | 0.01 |
| अंडमान नीकोबार द्वीपसमूह कुल | | 0 | 0.00 | 138.31 | 0.02 | 158.84 | 0.03 |
| बिहार | तापीय | 6324 | 1.35 | 6235.88 | 1.28 | 6693.16 | 1.35 |
| | जल विद्युत | 52 | 0.07 | 50.23 | 0.06 | 75 | 0.07 |
| बिहार कुल | | 6376 | 1.14 | 6286.11 | 1.07 | 6768.16 | 1.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| झारखंड | तापीय | 6431 | 1.38 | 7241.62 | 1.49 | 8964.19 | 1.80 |
| | जल विद्युत | 327 | 0.44 | 296.44 | 0.35 | 140.34 | 0.14 |
| झारखंड कुल | | 6758 | 1.21 | 7538.06 | 1.28 | 9104.53 | 1.47 |
| उड़ीसा | तापीय | 17893 | 3.83 | 23704.23 | 4.88 | 28723.44 | 5.78 |
| | जल विद्युत | 5935 | 8.04 | 6864.03 | 8.12 | 5027.58 | 4.88 |
| उड़ीसा कुल | | 23828 | 4.27 | 30568.26 | 5.20 | 33751.02 | 5.47 |
| सिक्किम | तापीय | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| | जल विद्युत | 381 | 0.52 | 430.68 | 0.51 | 385.81 | 0.37 |
| सिक्किम कुल | | 381 | 0.07 | 430.85 | 0.07 | 385.97 | 0.06 |
| पश्चिम बंगाल | तापीय | 37910 | 8.12 | 40237.44 | 8.28 | 44259.47 | 8.90 |
| | जल विद्युत | 609 | 0.83 | 621.22 | 0.74 | 553.4 | 0.54 |
| पश्चिम बंगाल कुल | | 38519 | 6.90 | 40858.66 | 6.96 | 44812.87 | 7.26 |
| **उत्तर पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | जल विद्युत | 984 | 1.33 | 1643.51 | 1.95 | 1411.86 | 1.37 |
| अरुणाचल प्रदेश कुल | | 984 | 0.18 | 1643.51 | 0.28 | 1411.86 | 0.23 |
| असम | तापीय | 2423 | 0.52 | 2506.87 | 0.52 | 2655.31 | 0.53 |
| | जल विद्युत | 670 | 0.91 | 913.53 | 1.08 | 1102.33 | 1.07 |
| असम कुल | | 3093 | 0.55 | 3420.4 | 0.58 | 3757.64 | 0.61 |
| मणिपुर | तापीय | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | जल विद्युत | 504 | 0.68 | 629.07 | 0.74 | 586.15 | 0.57 |
| मणिपुर कुल | | 504 | 0.09 | 629.07 | 0.11 | 586.15 | 0.09 |
| मेघालय | जल विद्युत | 731 | 0.99 | 810.17 | 0.96 | 707.08 | 0.69 |
| मेघालय कुल | | 731 | 0.13 | 810.17 | 0.14 | 707.08 | 0.11 |
| मिजोरम | तापीय | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| मिजोरम कुल | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नागालैंड | तापीय | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 |
| | जल विद्युत | 164 | 0.22 | 254.16 | 0.30 | 183.02 | 0.18 |
| नागालैंड कुल | | 164 | 0.03 | 254.16 | 0.04 | 183.02 | 0.03 |
| त्रिपुरा | तापीय | 1016 | 0.22 | 1056.55 | 0.22 | 1058.77 | 0.21 |
| | जल विद्युत | 67 | 0.09 | 68.83 | 0.08 | 63.43 | 0.06 |
| त्रिपुरा कुल | | 1083 | 0.19 | 1125.38 | 0.19 | 1122.2 | 0.18 |
| **क्षेत्रवार** | | | | | | | |
| केन्द्रीय | तापीय | 182933 | 39.19 | 194094.5 | 39.93 | 207248.44 | 41.68 |
| | न्युक्लीयर | 17737 | 100.00 | 16845.29 | 100.00 | 17238.89 | 100.00 |
| | जल विद्युत | 26116 | 35.40 | 29387.73 | 34.78 | 33903.54 | 32.90 |
| | कुल | 226786 | 40.62 | 240327.6 | 40.91 | 258390.87 | 41.84 |
| राज्य | तापीय | 237499 | 50.88 | 244481.4 | 50.30 | 239492.41 | 48.17 |
| | जल विद्युत | 44691 | 60.58 | 51943.69 | 61.48 | 63556.07 | 61.67 |
| | कुल | 282190 | 50.54 | 296425.1 | 50.46 | 303048.48 | 49.08 |
| निजी | तापीय | 46392 | 9.94 | 47499.56 | 9.77 | 50473.45 | 10.15 |
| | जल विद्युत | 2968 | 4.02 | 3163.87 | 3.74 | 3833.52 | 3.72 |
| | कुल | 49360 | 8.84 | 50663.43 | 8.62 | 54306.97 | 8.79 |
| कैप्टिव पीटीसी/भूटान इम्पोर्ट | | | | | | 1764.12 | 1.71 |
| अखिल भारतीय कुल योग | | 558336 | 100.00 | 587416.1 | 100.00 | 617510.44 | 100.00 |

**प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा परियोजनाएं**

**2649. श्री रघुनाथ झा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी) ने अपने वित्त पोषण दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर परियोजनाओं को स्वीकृत दी है तथा अपर्याप्त ढंग से परियोजना प्रस्तावों का आकलन किया है जिसके समयपूर्व बंदी, उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा ऋणों की अदायगी में चूक जेसे दुष्परिणाम हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन और बिक्री अनुमान हर मामले में बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या टीडीबी ने ऋण समझौता के अनुसार निर्धारित कुछ मानदंडों के पूरा हुए बिना ही ऋण किस्त जारी की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बकाया की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं के विरुद्ध टीडीबी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) जी, नहीं। यह परियोजनाएं वित्तपोषण के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वीकृत की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) भुगतान के लिए नियमित रूप से नोटिस जारी करता है और उनके अनुपालन की मानीटरिंग करता है। चूक जारी रहने की स्थिति में चूककर्त्ता इकाई को अनुस्मारक जारी किया जाता है। इन मामलों को परिसम्पत्ति प्रबंधक को आगे की वसूली संबंधी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

*[हिन्दी]*

**भूकंप मापन**

**2650. श्री रामदास आठवले** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूकंप की वास्तविक तीव्रता मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उपकरण को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : (क) और (ख) देश के भीतर एवं बाहर आने वाले ऐसे भूकंपों, जो भारत को प्रभावित करते हैं, को मॉनीटर करने के लिए एक प्रणाली भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में पहले से ही स्थापित है। इस प्रणाली में पूरे देश में फैली अलग-अलग प्रकार की वेधशालाएं शामिल हैं। 40 स्टेशनों से डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाते हैं और इन्हें भूकंप के अधिकेन्द्र वाले स्थान, भूकंप आने के समय और इसके परिमाण (आकार) का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिए नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय प्रसंस्करण यूनिट में भेजा जाता है। अधिकेन्द्र के आस-पास के प्रभावित क्षेत्र में तीव्रता का निर्धारण भूकंप के बाद किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। परंतु 26 दिसंबर 2004 को ग्रेट सुमात्रा में भूकंप आने के बाद एक अत्याधुनिक रीयल टाइम सीसमिक मॉनीटरन नेटवर्क की परिकल्पना की गई जिसमें 17 स्टेशनों के भूकंप के आंकड़ों की रीयल टाइम उपलब्धता, स्थान का स्वतः निर्धारण, भूकंप आने के समय और उनके परिमाण का पता चल सकेगा। सुनामी और तूफान महोर्मि पूर्व चेतावनी प्रणाली के भाग के रूप में प्रस्तावित सीसमिक मॉनीटरन नेटवर्क प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) वर्ष 2007 के मध्य तक प्रणाली के चालू होने की आशा है।

*[अनुवाद]*

**उपयोग प्रमाणपत्र**

**2651. श्री रघुनाथ झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधिक निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को जारी किए गए धन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक को उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया गया है जिस हेतु इसे संस्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या मार्च, 2003 तक जारी किए गए 1057256 करोड़ रुपए के अनुदान के उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने के बावजूद जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : (क) से (घ) सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अनुदान-ग्राहियों द्वारा सहायता अनुदान देने वाले संबंधित मंत्रालय/विभाग को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं। बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों के (वर्षवार, मंत्रालय/विभाग-वार, तथा संख्या और धनराशि संबंधी) ब्यौरे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वायत्तशासी निकायों संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं। यह वर्ष 2006 की लेखापरीक्षा

रिपोर्ट से देखा जा सकता है कि मार्च, 2004 तक जारी किए जा चुके अनुदानों के संबंध में 14,425.17 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के 55,155 उपयोग प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2005 तक प्रस्तुत किए जाने के लिए बाकी थे।

*[हिन्दी]*

**विदेशी मुद्रा वसूली**

**2652. श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से निर्यात की गई मदों के बदले पूरी विदेशी मुद्रा की वसूली नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातित मदों के मूल्य के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा की वसूली अभी की जानी शेष है;

(ग) क्या समय-समय पर विदेशी मुद्रा की वसूली न कर पाने का कारण सरकारी तंत्र की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) :** (क) और (ख) प्रत्येक निर्यातक से अपेक्षित है कि निर्यात की तारीख से छः महीने के भीतर माल का पूरा निर्यात मूल्य वसूल करे और प्रत्यावर्तित करे। फिर भी, निम्नलिखित एककों को निर्यात की तारीख से 12 महीने के भीतर निर्यात प्राप्तियों के मूल्य वसूलने और प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी गई है;

1. विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित 'स्थिति धारक',
2. इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्कों; सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कों और बायोटेक्नोलोजी पार्कों के अंतर्गत स्थापित 100% निर्यातोन्मुखी एकक।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थिति एककों के लिए निर्यात प्राप्तियों की वसूली करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है।

(ग) और (घ) डीजीएफटी द्वार प्रशासित निर्यात संवर्धन योजनाओं का लाभ लेकर किए गए निर्यातों के संबंध में निर्यात प्राप्तियां न वसूलने के मामले में डीजीएफटी कार्यालय ली गई शुल्क छूट/निष्प्रभावीकरण लाभ की वसूली हेतु निर्यातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही शुरू करता है और एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 के उपबंधों और उसके अंतर्गत निर्धारित नीति व प्रक्रियाओं के अनुसार शास्ति, यदि कोई हो, लगाता है। यदि चूककर्ता फर्म इसका भुगतान नहीं करती तो विवाचन प्राधिकारी इस फर्म को दोषी घोषित करता है और जिससे डीजीएफटी द्वारा फर्म को सभी निर्यात लाभ आस्थगित कर दिए जाते हैं और आवेदक का आयातक-निर्यातक कोड नंबर आस्थगित/निरस्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की मशीनरी के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में इसकी वसूली हेतु कदम उठाए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत डीलरों/बैंकों को भी निदेशित किया है कि निर्यात बिलों की वसूली का अनुवीक्षण करें और जहां बिल देय तारीख से आगे बकाया रहते हों, वहां संबंधित निर्यातक के साथ तरीके से और तत्परता से कार्रवाई करें। यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाना भी अपेक्षित है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) :** मैं, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4750/2006]

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) :** मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2006 जो 25 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1176(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) का.आ. 1230(अ) जो 31 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईसीसी डेवलपमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड को एक व्यक्ति के रूप में, आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में तथा आईसीसी डेवलपमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड को मीडिया और प्रायोजकता अधिकारों की बिक्री से उद्भूत होने वाली आय जो कि ग्लोबल क्रिकेट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर से प्राप्त हो चुकी है या प्राप्त होगी तथा यह राशि जो 42 मिलियन यूएस डालर है, को विनिर्दिष्ट आय के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2006 जो 24 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1163(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सख्या एल.टी. 4751/2006]

**विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज)** : मैं नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटेरी (संशोधन) नियम, 2006 जो 19 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा–पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4952/2006]

**कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता)** : मैं कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2006 जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 710/1(एम)/1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 20 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 111 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, सभा–पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4753/2006]

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : मैं श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) का.आ. 1129(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कावेरी ग्रामीण बैंक और कल्पतरु ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1130(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, जमुना ग्रामीण बैंक और एटा ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1131(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो होशंगाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा–सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला–बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1132(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री अनंत ग्रामीण बैंक, रायलसीमा ग्रामीण बैंक और पिनाकीनी ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1133(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मारवाड़ ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1134(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1135(अ) जो 19 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्वालियर–दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1165(अ) जो 24 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा–यमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1166(अ) जो 24 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बस्तर क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक, बिलासपुर–रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1167(अ) जो 24 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पलामु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और संथाल परगना ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1168(अ) जो 24 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह–पन्ना–सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शिवपुरी–गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1169(अ) जो 24 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक और कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4754/2006]

(2) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2004 जो 4 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 95(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2005 जो 22 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4755/2006]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) (2006 की संख्या 19)–स्वायत्तशासी निकाय–दूरदर्शन और आकाशवाणी–प्रसार भारती द्वारा राजस्व अर्जन प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4756/2006]

(दो) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) (2006 की संख्या 15)–(निष्पादन लेखापरीक्षा) सर्व शिक्षा अभियान–प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4757/2006]

(4) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब–ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 1 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ 1235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 3 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4758/2006]

(1) (एक) भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4759/2006]

---

अपराह्न 12.01 बजे

## राज्य सभा से संदेश
## और
## राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

*[अनुवाद]*

**महासचिव** : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 14 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 अगस्त, 2006 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने की निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 अगस्त, 2006 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 14 अगस्त, 2006 को यथा पारित केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को सभा पटल पर रखता हूं।

---

अपराह्न 12.02 बजे

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

### नौवां से ग्यारहवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व)** : मैं निम्नांकित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति प्रस्तुत करता हूं :

(1) "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) "अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक दस्तकारों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा का उपबंध" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) "सिंडीकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) से संबंधित समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

**अपराह्न 12.02½ बजे**

## रेल अभिसमय समिति

### पांचवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन (वन्डावासी)** : मैं '2006–07 के लिए लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक मामले' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

**(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 28वें, 29वें और 33वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति।**

*[अनुवाद]*

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन, भाग–II दिनांक पहली सितम्बर, 2004 के तहत माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73–क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग तथा विनिवेश विभाग की 28वीं रिपोर्ट तथा राजस्व विभाग से संबंधित 29वीं एवं 33वीं रिपोर्ट में सन्निहित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की प्रास्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य समझता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 28वीं रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग एवं विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06 से संबंधित स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इस रिपोर्ट में, समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया तथा 4 सिफारिशें कीं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी आवश्यक है। यह अनुशंसाएं मुख्यतः आईआरडीए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा विनिवेश नीति से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं।

रिपोर्ट में सन्निहित अनुशंसाओं/अवलोकनों संबंधी की गई कार्रवाई विवरण 12 जनवरी, 23 जनवरी तथा 20 मार्च, 2006 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजे गए थे। समिति द्वारा अठाइसवीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान प्रास्थिति अनुबंध–I में निर्दिष्ट है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) ने 'वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06)' संबंधी अपनी 29वीं रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में पेश की तथा उसी दिन उसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की 17वीं रिपोर्ट में सन्निहित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विश्लेषण पर आधारित है। समिति ने 29वीं रिपोर्ट में सन्निहित अनुशंसाओं पर राजस्व विभाग से की गई कार्रवाई के विवरण मांगें। ये विवरण उन्हें 7 अप्रैल, 2006 को प्रस्तुत कर दिए गए। समिति ने रिपोर्ट में सात अनुशंसाएं की हैं। सरकार ने सभी 7 अनुशंसाएं स्वीकार कर ली हैं तथा की गई कार्रवाई अनुबंध–II में निर्दिष्ट हैं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) ने 'कराधार को व्यापक बनाना और कर अपवंचन (2005–2006)' पर अपनी 33वीं रिपोर्ट दिनांक 17 फरवरी, 2006 को लोक सभा में पेश की और उसी दिन उसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया। समिति ने अनुशंसाओं पर राजस्व विभाग से की गई कार्रवाई का विवरण मांगा। यह विवरण दिनांक 22 मई, 2006 को समिति को प्रस्तुत किए गए। कुल मिलाकर रिपोर्ट में समिति की 39 अनुशंसाएं थीं जिनमें से 36 अनुशंसाएं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और अन्य तीन अनुशंसाओं को स्वीकृत करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। इन अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई अनुबंध–III में निर्दिष्ट की गई है।

मैं इन अनुबंधों में दी गई विषय–वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इन्हें पढ़ा हुआ माना जाए।

---

**अपराह्न 12.03½ बजे**

**(2) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति।**

*[अनुवाद]*

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : महोदय, मैं 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा के

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4760/2006

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4761/2006

बुलेटिन भाग–II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73A के अनुसार विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति की 158वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय सदन को विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। यह रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2006–07 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष में की गई प्रगति की समीक्षा की और वर्ष 2006–07 की अनुदान मांगों पर विस्तार से विचार किया।

समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा तथा उनकी विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्पश्चात् सदन में 18 मई, 2006 को अपनी 158वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 16 सिफारिशें की गई हैं।

समिति की सभी सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में विचार किया गया है। मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर की गई विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट जुलाई, 2006 में समिति के समक्ष प्रस्तुत की है। की गई कार्रवाई पर वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सोमवार, 21 अगस्त, 2006 से शुरू होने वाले सप्ताह में किए जाने वाले सरकारी कार्यों की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो निम्न प्रकार हैं :

1. आज के आदेश–पत्र से आगे लाए गए सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना।
2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए तथा पारित किया जाना।
3. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाना तथा पारित किया जाना।
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना तथा पारित किया जाना :
   (क) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005,
   (ख) आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 2005, तथा
   (ग) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2006

**श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल)** : महोदय, निम्नलिखित मद अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल किए जाएंगे :

1. विझीमजाम बंदरगाह परियोजना केन्द्र सरकार से सुरक्षा स्वीकृति हेतु लंबे समय से लंबित पड़ी है। अगले सप्ताह की कार्य–सूची में चर्चा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।
2. समाज के पिछड़े वर्गों द्वारा स्ववित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अगले सप्ताह की कार्य–सूची में चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है।

**श्री पी. मोहन (मदुरै)** : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जा सकता है :

1. भारत में बेरोजगारी चिंताजनक अनुपात तक बढ़ रही है। दूसरी ओर देश भर में आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। इसके बावजूद भी एक दशक से अधिक समय से केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध जारी है। इस पर से तुरंत रोक हटाई जानी चाहिए।
2. भारत में ऑन–लाइन ट्रेडिंग अपने दायरे में और मदों को लाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। ऑन–लाइन ट्रेडिंग से मूल्यों में वृद्धि होती है। यह ऑन–लाइन व्यापार अपने दायरे में और अधिक मदों को लाकर अपना दायरा बढ़ाकर रहा है जबकि किसी कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर ऑन–लाइन व्यापार के प्रभाव के बारे में चर्चा होनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री वी. के. दुग्गर (अमरेली)** : महोदय, लोक सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित सामयिक विषय अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करवाने हेतु :

1. हाल ही में गुजरात में अत्यधिक बरसात एवं बाढ़ से किसानों की फसल खराब हो गई है और उनके घर

बर्बाद हो गए हैं, सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र राहत किए जाने का कार्य।

2. गुजरात में बाढ़ एवं अत्यधिक बरसात से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य की कई सड़कें खराब हो गई हैं, जिनके कारण यातायात पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सरकार द्वारा केन्द्र स्तर पर राजमार्ग को बनाने एवं मरम्मत किए जाने का कार्य।

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :

1. विभिन्न टी.वी. चैनलों में व्याप्त गलाकाट प्रतिस्पर्धा तथा एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में अश्लील एवं अशोभनीय तथा उत्तेजक दृश्यों, लूट, डकैती, हत्याकांडों के झूठे किस्सों पर रोक लगाकर आचार संहिता बनाए जाने की आवश्यकता।

2. बढ़ती हुई कीमतों तथा जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखकर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील खां** (दुर्गापुर) : अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जा सकते हैं :

1. अनुबंधीकरण तथा आऊटसोर्सिंग बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश कार्यबल का नैमित्तिकरण हो रहा है तथा पीछे के दरवाजे से 'पकड़ो और छोड़ो' (हायर एण्ड फायर) की नीति शुरू हो गई है। कार्यस्थल का इतनी तेजी से अनुबंधीकरण तथा नैमित्तिकरण होने से कार्य के वातावरण में गंभीर गिरावट आई है, जिससे कि मजदूर संघ आंदोलन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसकी वह अपने जोखिम पर ही अनदेखी कर सकता है।

2. आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे में वेंडरो, ई–टिकटिंग, केटरिंग सेवाओं की प्रस्तावित आऊटसोर्सिंग के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, जो कि यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत है।

*[हिन्दी]*

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए :

1. राष्ट्रीय झील संवर्धन योजना में शामिल सागर झील सहित अन्य झीलों के पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यकरण की दृष्टि से व्यापक कार्ययोजना बनाने एवं इसे क्रियान्वित करने हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवयकता है।

2. सागर संसदीय क्षेत्र में हीरापुर के पास रॉक फॉस्फेट, बाक्साइट, काला पत्थर एवं लोहे के विपुल भंडार उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार इस संबंध में खनिज मंत्रालय द्वारा विशेष सर्वे कराकर उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता है।

**श्री गणेश सिंह** (सतना) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किए जाने के संबंध में :

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अंतर्गत, मध्य प्रदेश शासन में मैहर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर रेलवे क्रासिंग को ध्यान में रखते हुए बाइपास ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 में सतना शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए बाइपास रोड निर्माण के कार्य को स्वीकृति दिलाने हेतु प्रस्ताव भेजा है।

मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में इसे शामिल कराने की मांग करता हूं।

**श्री राजनरायन बुधौलिया** (हमीरपुर उ.प्र.) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए :

1. महोबा से कानपुर तक प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ी कानपुर में काफी समय तक खाली खड़ी रहती है। महोबा की सम्मानित जनता को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए जनहित में इसे लखनऊ तक तुरन्त बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहुत जयादा होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः यातायात के अधिक दबाव एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में यथाशीघ्र परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।

*[अनुवाद]*

**श्री सांताश्री चटर्जी** (सेरमपुर) : महोदय, मैं आपसे अगले सप्ताह की कार्य–सूची में चर्चा हेतु निम्नलिखित विषय को शामिल करने का विनम्र निवेदन करता हूं।

पश्चिम बंगाल में लौह अयस्क तथा कोयले जैसी कच्ची सामग्री की आपूर्ति में कमी के कारण लौह तथा इस्पात उद्योग में संकट से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा करना।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य–सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए :

1. भारत सरकार अपने वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करे।

2. हर अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती में सामुदायिक विकास केन्द्र बनाने का प्रावधान हो।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, अब मैं ध्यानाकर्षण लेता हूं जो कि एक महत्वपूर्ण मामला है।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है।*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**मोहम्मद सलीम** (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए एक नोटिस दिया है..*.(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं वही करूंगा जो सभा चाहेगी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यही व्यवस्था है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या मैं अपना वाक्य पूरा कर सकता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

*[हिन्दी]*

**मोहम्मद सलीम** : अध्यक्ष महोदय, हमने यहां जो प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद हमने देखा कि लेबनान में हमारे देश और हमारे देश की सरकार के बारे में अच्छा माहौल पैदा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप नहीं चाहते कि सभा चले?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपको अध्यक्षपीठ की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सलीम, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सलीम, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए।

*(व्यवधान)**...

**अध्यक्ष महोदय** : यहां कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सलीम मुझे खेद है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते।

माननीय सदस्यों, मैं किसी भी मुद्दे के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं परंतु हम सभी मुद्दों को एक साथ नहीं ले सकते। इसलिए, प्रक्रिया के अनुसार पहले मुझे ध्यानाकर्षण लेना होगा और उसके बाद महत्वपूर्ण मामले लिए जाएंगे। मैं जानता हूं कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनकी अनुमति मैं ध्यानाकर्षण के तुरंत बाद दूंगा।

श्री डींडसा, आप जानते हैं, यही प्रक्रिया है। इसलिए मैं सभी पक्षों से सहयोग का अनुरोध कर रहा हूं। उड़ीसा के हमारे मित्र ध्यानाकर्षण के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं। श्री बृज किशोर त्रिपाठी

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यह जो कुछ हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है।

*...(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की ओर से मैं आधा मिनट बोल सकता हूं?

**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : आज शुक्रवार है। हमारे पास गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है तथा सभा का अन्य कार्य है, जो आप लेंगे। मेरा आपसे एकमात्र निवेदन है कि मैं पिछले तीन दिन से छावनी विधेयक को घसीट रहा हूं और आज हमें इसे पारित करना ही होगा क्योंकि अगले सप्ताह के दौरान हमारे पास बहुत कार्य है। इसलिए पूरी सभा से मेरी अपील है कि आज हम भोजनावकाश न करें। आपके माध्यम से सभा के सभी पक्षों से यह मेरा अनुरोध है।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, आज भोजनावकाश नहीं होगा। यदि सभी माननीय सदस्य सहयोग करें तो मैं आपको सभी कार्य पूरा करने का आश्वासन दे सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ध्यानाकर्षण के बाद आपका नाम पुकारूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

---

**अपराह्न 12.12 बजे**

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### उड़ीसा में कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (के बी के) के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्ययोजना को जारी न रखे जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी)** : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें :

"उड़ीसा में कालाहांडी-बोलनगीर-कारोपुट (के.बी.के.) के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्ययोजना को जारी न रखे जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में।"

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना को जारी रखे जाने संबंधी मामले को उठाया है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान त्रिपाठी जी क्या आप इसे सभा-पटल पर रखने के लिए सहमत हैं क्योंकि ऐसा करके आप सभा का समय बचा सकते हैं?

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : जी हां, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी का वक्तव्य सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

***श्री एम. वी. राजशेखरन** : महोदय माननीय सदस्यों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना जारी रखने संबंधी मामला उठाया है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गयारहवीं पंचवर्षीय योजना के.बी.के. जिलों के लिए प्रति वर्ष कुल 250 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे लेकिन यह वित्त-पोषण की आर.जी.एफ. जिला के मानदंडों के अंतर्गत किया जाएगा जबकि बकाया धनराशि को के.बी.के विशेष योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार के.बी.के. जिलों का विकास न होने की समस्या के बारे में चिंतित है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक इन जिलों के लिए 1,033 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमें आयोजना की विकेन्द्रीकृत पद्धति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो कि 73वें और 74वें संशोधन विधेयक की सच्ची भावना को अभिव्यक्त करता है। अतः अब यह निश्चित किया गया है कि के.बी.के. जिलों की आयोजना प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ताकि इन जिलों की योजनाओं में

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4762/2006

[श्री एम. वी. राजशेखरन]

लोगों की आवश्यकता प्रदर्शित हो सकें। बी.आर.एफ.जी. मानदंडों के अंतर्गत इन जिलों के लिए वित्तपोषण का निर्णय इस विश्वास पर आधारित है कि यदि लोगों द्वारा स्वयं योजनाओं का चयन किया जाता है तो एक क्षेत्र विशेष के लिए आवंटित की गई धनराशि से अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकेगा।

तथापि यदि के.बी.के. जिलों का वित्तपोषण केवल बी.आर.जी.एफ. मानदंडों के अनुसार किया जाता है तो विशेष योजना के अंतर्गत सहायता के वर्तमान स्तर के आवंटन में कमी आ जाएगी। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन जिलों को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और बकाया धनराशि का भुगतान विशेष योजना के अंतर्गत किया जाएगा जिसका उपयोग अंतः-जिला अवसंरचना और अन्य बड़ी योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

जैसा कि सदस्यों द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है कि इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत धनप्रवाह के साथ इस क्षेत्र में होने वाला धनप्रवाह बहुत अधिक है।

बारगढ़ जिले के पदमपुर उपमंडल को सम्मिलित किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह उपमंडल मूल के.बी.के. जिलों का एक हिस्सा नहीं है और वर्तमान स्थिति में स्थानिक इकाई को जिला माना गया है।

इस उप-मंडल को के.बी.के. क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने से इस बड़े क्षेत्र के लिए उपलब्ध थोड़े से संसादनों में और कमी हो जाएगी।

अभी तक जो वाद-विवाद हुआ है उससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकार के.बी.के. जिलों पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : अध्यक्ष महोदय, हम सभी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यहां पर उड़ीसा के संवेदनशील मामले को उठाने की अनुमति दी। माननीय प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं। हम उनसे इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देंगे।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में अविभाजित कालाहंडी-बोलनगीर-कोरापुट (के.बी.के.) जिले सम्मिलित हैं जिन्हें 1992-93 से 8 जिलों में विभाजित किया गया था। देश का सबसे निर्धन क्षेत्र है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन जिलों के 54.66 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और यह देश में सबसे अधिक है। और तो और मलकनगिरी जैसे कुछ जिलों में तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां की जनसंख्या 78.80 प्रतिशत तक है। के.बी.के. क्षेत्र देश का सबसे निर्धन क्षेत्र है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 55वें सर्वेक्षण में निर्धनता का प्रतिशत 87.14 प्रतिशत है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में यह गरीबी न केवल व्यापक रूप से फैली हुई है अपितु बहुत गंभीर है और यह काफी समय से है। इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और मानव विकास सूचकांक बहुत ही दयनीय है। उदाहरणार्थ इस क्षेत्र में जनजातीय महिला साक्षरता दर केवल 1.93 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में लंबे समय से उचित निवेश की अपेक्षा और इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने तथा न्यून कृषि क्षमता, कमजोर पारिस्थितिकी, लचर अवसंरचना, कमजोर कनेक्टिविटी और बाजारों के लचर कार्यकरण के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। हमें उन्हें लंबे समय तक सहायता देने की आवश्यकता है इसलिए इस क्षेत्र के लिए दीर्घावधि और सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में केवल अनुमानतः 29 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से गरीबी को समाप्त करने के लिए एरिया डेवलपमेंट अप्रोच की शुरूआत की थी और 1989 में इसे भी बंद कर दिया गया था। वर्ष 1995 में सात वर्ष के लिए अर्थात् 1995 से 2002 तक एक दीर्घावधि कार्य योजना शुरू की गई थी। इस योजना की शुरूआत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव द्वारा की गई थी और इस योजना का अनुमोदित परिव्यय 4,557 करोड़ रुपए था। लेकिन उक्त अवधि के दौरान केवल 20 करोड़ रुपए की थोड़ी सी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी। अतः यह कार्यक्रम भी शुरू नहीं हो पाया।

कालाहांडी की पीड़ा भारत की वास्तविक तस्वीर है। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा लेकिन यह कटु सत्य है कि एक मां को भुखमरी के चलते अपने बच्चे को बेचना पड़ता है। 1998-99 तक इस क्षेत्र में व्याप्त व्यापक निर्धनता और कुपोषण समय-समय पर सभी प्रधानमंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

कालाहांडी–बोलनगीर–कोरापुट (के.बी.के.) जिलों में भूख से हुई मौतों के संबंध में राज्य सभा की याचिका संबंधी समिति के 106 प्रतिवेदन के निदेशों सहित माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेशों के अनुसरण में अंतोत्गत्वा 1999 में एक संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना तैयार की गई थी।

हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आभारी हैं जिन्होंने 1998–99 में 5,527 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ दीर्घावधि कार्ययोजना को नौ वर्ष अर्थात् 1999 से 2007 तक की अवधि वाली संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना बना दी। 5,527 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय में से आज तक केवल 1,033 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह अनुमानित परिव्यय का 20 प्रतिशत से भी कम है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन सरकार के शासनकाल के आभारी हैं। उस समय यद्यपि धन का प्रवाह 20 प्रतिशत से भी कम था लेकिन इसके बावजूद इन पिछड़े जिलों में क्रियान्वयन से वास्तव में विकास की प्रक्रिया को गति मिली।

यद्यपि इन पहलों से इस क्षेत्र को अनेक लाभ हुए हैं लेकिन फिर भी क्षेत्रीय और सामाजिक विसंगतियों की स्थितियों को हल करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब भी इस बात का अनुभव किया जाता है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से व्याप्त पिछड़ेपन और निर्धनता की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 2006–07 के बाद भी दीर्घावधि विकास उपाय जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मौजूदा राष्ट्रीय सम विकास योजना संशोधित की गई है। सरकार ने संशोधित प्रस्तावित पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि योजना में के.बी.के. जिलों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है, जिससे वास्तव में के.बी.के जिलों की इस संशोधित दीर्घकालीन कार्य योजना की संपूर्ण आवंटन राशि घटेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : चार अन्य माननीय सदस्य हैं।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, हमें सामान्य केंद्रीय और राज्य सहायता के अतिरिकत यह विशेष पैकेज मिल रहा था। यह नई बात नहीं है। इसे विशेष केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना में पहले ही सम्मिलित किया गया था।

अब आप इस केंद्रीय सहायता को बंद कर रहे हैं यद्यपि अन्य राज्यों के कुछ अन्य जिले विशेष केंद्रीय सहायता की सुविधाएं प्राप्त कर रहें हैं और नए बी.आर.जी.एफ. जिला मानदंडों के अंतर्गत भी आ रहे हैं। हमारी मांग और अनुरोध यह है कि आप कोई भी केंद्रीय योजना जारी रखें और आप अविभक्त के.बी.के. जिलों को देश के अन्य राज्यों के अन्य जिलों के साथ सम्मिलित कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु यह आर.एल.टी.ए.पी. योजना जारी रहनी चाहिए। इसी कारण 20 प्रतिशत से कम धनराशि आवंटित की गई है। यद्यपि अनुमाजित परिव्यय 5,500 करोड़ रुपये से अधिक था परंतु अब तक केवल लगभग 1033 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को आगामी गयारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाए तथा यह परियोजना जारी रखी जाए। यह इस क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों के लिए सहायता होगी। निसंदेह, राज्य सरकार मौन नहीं रही है। इसी कारण, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा बार–बार अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है; इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है। इस सबके बावजूद, खराब वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार आगामी पांच वर्षों के लिए 600 करोड़ रु. से अधिक धनराशि प्रदान करने को सहमत हो गई है। परंतु, केंद्र सरकार का कार्य क्या है? हम केंद्र सरकार से जानना चाहेंगे कि के.बी.के. जिले के इन गरीब व्यक्तियों, इन आदिवासियों का क्या कसूर है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे दिया है। आप प्रस्ताव के बारे में बोल चुके हैं तथा उन्होंने इसे बंद नहीं किया था।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता स्वर्गीय श्री लखन नायक इस क्षेत्र के हैं। उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रसन्न आचार्य।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिपाठी आपके साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मैं केंद्र सरकार से जानना चाहूंगा कि वह इस विशेष पैकेज को अस्वीकार क्यों कर रही है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हम केंद्र सरकार से वास्तव में कुछ भी नहीं ले रहे हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसकी शिकायत कर चुके हैं। मुझे उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है इसे बंद नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : जब–जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है तब–तब इस केंद्र सरकार द्वारा निरंतर हमारी उपेक्षा की गई है। वह क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्षमा कीजिए। श्री प्रसन्न आचार्य।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्योंकि इन व्यक्तियों ने आपको वोट नहीं दिया है इसीलिए आप इसे जारी नहीं रखेंगे?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा करके इन अभागे व्यक्तियों की सेवा नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रसन्न आचार्य।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मैं बस समाप्त करूंगा, मैं सिर्फ यह याद दिलाता हूं कि एक बार कालीदास ने विक्रमादित्य से क्या कहा। उसने कहा था "स्कंधनबाधते राजन्, त्व बाधति बाधते।" संप्रग सरकार द्वारा उड़ीसा की जनता के साथ ऐसा ही किया गया था। उड़ीसा की जनता, उड़ीसा के आदिवासियों के प्रति उसका व्यवहार, बर्ताव बहुत ही पीड़ादायक है। आपने जो कुछ नहीं दिया है और आप जिस प्रकार का बर्ताव हमारे साथ कर रहे हैं वह हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इससे अधिक कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है, यह अर्थशास्त्र से अधिक राजनीतिशास्त्र है।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको लगभग बारह मिनट का समय दे चुका हूं जैसा कि कभी नहीं किया गया है।

श्री प्रसन्न आचार्य, अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रसन्न आचार्य** (सम्बलपुर) : मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलना है क्योंकि यह उड़ीसा के वंचित व्यक्तियों से संबंधित है। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मैं माननीय योजना राज्य मंत्री के उत्तर का अध्ययन कर रहा था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह उत्तर पूर्णतः भ्रामक है। इसमें कुछ नहीं है बल्कि यह उड़ीसा और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : मैं सिर्फ प्रश्न पूछ रहा हूं। यह उत्तर और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों और वास्तविकताओं को छिपाने का प्रयास है। मैं गरीबी पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रक्रिया सही नहीं है। क्षमा कीजिए।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम को आरंभ में स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक द्वारा शुरू किया गया था। उस समय श्री नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, श्री नरसिंह राव और श्री बीजू पटनायक के बीच अच्छा व्यक्तिगत तालमेल था। उस समय, के.बी.के. जिलों के समग्र विकास हेतु सात–वर्षीय योजना शुरू की गई थी और जिसे गत अनेक वर्षों के दौरान इस देश के सबसे अल्पविकसित क्षेत्रों के तौर पर माना जाता है और व्यावहारिक रूप से धनराशि...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको नियमों की जानकारी है; आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं; आपको प्रक्रिया की जानकारी है। यदि

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पांच माननीय सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य दस मिनट तक बोलेगा तो

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। धनराशि केवल तीन वर्षों पूर्व मिलनी शुरू हुई थी। के.बी.के जिलों के लिए प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए दिए गए थे।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप केवल स्पष्टीकरण चाहते हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : परंतु, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता की वास्तविक स्थिति का पर्याप्त रूप से निवारण नहीं किया गया है। अतः, इस कार्यक्रम को जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक इन क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु माननीय प्रधानमंत्री, योजना आयोग तथा प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति से इस कार्यक्रम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए उत्साहपूर्वक अपील कर रहे हैं।

महोदय, आगे हमारा अनुरोध है कि वार्षिक आवंटन को 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाए। आवंटन में वृद्धि करने के बजाय आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्षमा करें। आप अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपके पास पूछने के लिए प्रश्न नहीं है।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार पैमानों के अनुसार के.बी.के. क्षेत्र को इस देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र मानती है अथवा नहीं। के.बी.के. क्षेत्र को वास्तव में पिछले तीन वर्षों से 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से धनराशि मिलनी आरंभ हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार खर्च के प्रतिशत से संतुष्ट है अथवा नहीं। क्या इन धनराशियों का अन्यत्र उपयोग किया गया है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कई माननीय सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अब, श्री भर्तृहरि महताब।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : क्या केन्द्र सरकार ने इन क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और अन्य विकास कार्यों का गहन अध्ययन किया है और स्वयं इस बात से संतुष्ट है कि इस क्षेत्र के अति पिछड़ों के उत्थान के लिए पर्याप्त कार्य कर लिया गया है?

महोदय, मेरे पास दो और प्रश्न हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की ओर से, जिन्होंने 14 वर्षों तक शासन किया और जो अब तक महत्वपूर्ण नेता है, अप्रत्यक्ष रूप से के.बी.के. योजना को बंद करने की नकारात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई है। मैं इस प्रश्न का माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब, श्री भर्तृहरि महताब।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय का ध्यान इस ओर नहीं है? क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष संवाददाता ने इस क्षेत्र का दिसम्बर, 2005 में दौरा नहीं किया और संतुष्टि दर्शाई है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री महताब, यदि आप नहीं बोलते तो मैं अगले माननीय सदस्य को आमंत्रित करूंगा।

कृपया अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रसन्न आचार्य, कुछ भी कार्य वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। क्षमा करें, मैं आपको अब और अनुमति नहीं दे सकता। कुछ तो अनुशासन यहां होना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, कृपया मुझे एक और मुद्दा उठाने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री से कलिंग कन्या के रूप में अपनी पुत्री को वधू के रूप में अपनाया है ...*(व्यवधान)* क्या हमें बदले में उनसे कुछ आशा नहीं करनी चाहिए?

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रसन्न आचार्य]

क्या उड़ीसा के सबसे पिछड़े क्षेत्र के.बी.के. क्षेत्र के निर्धन और दलित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री से बदले में कुछ आशा नहीं करनी चाहिए?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री उड़ीसा के विरुद्ध हैं। हम सभी उड़ीसा के पक्ष में हैं। यह बहुत सुन्दर राज्य है।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : इसलिए, इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की विनम्र अपील है और 250 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु को अंत में उठाया है। यही समस्या है।

अब, श्री भर्तृहरि महताब। कृपया स्पष्टीकरण मांगें।

**श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : महोदय, मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि जब श्री नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री देश के वित्त मंत्री थे। उस समय इस देश के निर्धनतम क्षेत्र के लिए विशेष योजना हेतु ठोस कदम उठाए गए थे।

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अविभाजित कालाहांडी–बोलनगिर–कोरापुट में लगभग 54.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुलता है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि के.बी.के. क्षेत्र इस देश का निर्धनतम क्षेत्र है जहां गरीबी 87.14 प्रतिशत तक है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक क्षेत्रीय, सामाजिक और लिंग असमानता है? क्या सरकार इस बात से सहमत है कि यह क्षेत्र काफी समय से समुचित निवेश न होने की वजह से बहुत अधिक घाटे में रहा है?

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो दशक पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अगस्त, 1988 में कालाहांडी का दौरा किया था और फगूश पुंजी की झोपड़ी देखी थी जिसने अपने बच्चे को मात्र 40 रुपये में बेच दिया था? तत्पश्चात् संपूर्ण राष्ट्र को कालाहांडी की समस्या की जानकारी मिली थी। क्या सरकार यह महसूस करती है कि 1988–89 में दो वर्षों की अवधि में खर्च करने के लिए 29 करोड़ रुपये की अल्पकालिक, तदर्थ और मामूली धनराशि प्रदान की गई थी?

किन्तु बाद में, क्या सरकार यह मानती है कि अल्पकालिक तदर्थ उपाय इस क्षेत्र को विक्षुब्ध स्थितियों से उबार लेंगे और इसलिए, अगस्त, 1995 में 4,557 करोड़ रुपये की लागत पर एक सातवर्षीय दीर्घ कालिक कार्य योजना पर सहमति बनी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1998–99 में 5,527 करोड़ रुपये की अनुमानित परिव्यय के साथ आरम्भ हुई संशोधित दीर्घकालिक कार्य योजना जो मार्च, 2007 में समाप्त होनी थी इस संबंध में क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सात वर्षों में 1100 करोड़ रुपये से कम राशि खर्च की है।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि आठ के.बी.के जिलों को पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल 250 करोड़ रुपये तक सीमित कर देगी।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

**श्री भर्तृहरि महताब** : मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यहां प्रश्नों की शृखला नहीं पूछी जा सकती।

**श्री भर्तृहरि महताब** : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हाल ही के सी.सी.ई.ए. निर्णय के अनुसार के.बी.के. को पृथक धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। इसका यह अर्थ है कि आठ के.बी. के. जिलों को 250 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी जिसका यह अर्थ हुआ कि संपूर्ण 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष 120 करोड़ रुपये की के.बी.के. क्षेत्र की पात्रता में कटौती होगी।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री महताब, आप कृपया सहयोग करें।

**श्री भर्तृहरि महताब** : मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल के.बी.के. जिलों, जिन्हें विशेष ध्यान और उच्च वित्तपोषण की आवश्यकता है, की ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्या बुनियादी सेवाओं की प्रक्रिया और आजीविका के साधनों के बारे में वहां कुछ शुरुआत हुई है, और क्या विशेष योजना को बंद कर देने से बहुत बड़ा आघात नहीं लगेगा।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, आपका नाम सूची में है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आप क्यों चिंता करते हैं? आप केवल उन्हें अपनी बात समाप्त करने के लिए राजी करें।

**श्री भर्तृहरि महताब** : इस प्रकार यह इस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर बहुत बड़ा आघात होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री मांझी—अनुपस्थित।

**श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी) : महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी आपको सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : जी, हां। महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तवय को पढ़ रहा था। इसमें मेरे देखने में आया है कि यह रिपोर्ट बिल्कुल अधूरी है। यह के.बी.के. क्षेत्र के महत्व और उसकी समस्याओं को धीरे–धीरे कम करने वाली एक भ्रामक रिपोर्ट है।

वर्तमान में कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट—उड़ीसा के तीन अविभाजित पिछड़े जिले हैं। अब वे आठ जिले बन गए हैं। इसलिए, के.बी.के. कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जिलों को शामिल किया गया है। अतः, मैं कह सकता हूं कि इसका महत्व कम किया जा रहा है, जिसका कारण यह है कि वे इस योजना को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के साथ मिला देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इससे हमें 120 करोड़ रु. की हानि होगी।

महोदय, के.बी.के. क्षेत्र के लिए 250 करोड़ रु. का वार्षिक व्यय था। किंतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, जो कि 165 करोड़ रु. का है, शुरू किए जाने के पश्चात् 150 करोड़ रु. की शेष धनराशि के.बी.के. विशेष योजना कोष से दी जाएगी। अतः, हमें जो धनराशि प्राप्त होगी, वह 120 करोड़ रु. कम होगी।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा सरकार की मांग पूरी करे। उड़ीसा सरकार ने इन आठ के.बी.के जिलों के संपूर्ण विकास के लिए 500 करोड़ रु. प्रति वर्ष की मांग की है। अनुदानों का साम्यपूर्ण वितरण होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : "अभी धन्यवाद नहीं, महोदय।" मैं अपने अगले मुद्दों पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको धन्यवाद दूं?

...*(व्यवधान)*

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय, मैं कालाहांडी जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए, आप अपने मतदाताओं के हितों की सहायता नहीं कर रहे हैं; आप अनिश्चित ढंग से बोले जा रहे हैं। कोई प्रासंगिक प्रश्न पूछें। यही नियम है।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय, मैं दूसरा प्रासंगिक प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि सरकार को जानकारी है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अनिश्चित तरीके से नहीं बोलते रहना चाहिए।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय, उदाहरणस्वरूप मलकानगिरी को लीजिए। इसमें आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। बोलनगीर के बारे में कहें तो, आज तक भी कुल सिंचित क्षेत्र केवल तीन प्रतिशत ही है।

कालाहांडी में थोड़ा सा सुधार हुआ है किंतु आर्थिक संकेतकों, जिन्हें मानव सूचकांक में सुधार करना चाहिए, में बिल्कुल भी सुधार नही हो रहा है। पिछले सदस्यों ने साक्षरता दर और उन सब चीजों के बारे में कहा है। अतः, इस क्षेत्र में प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रु. दिए जाने चाहिए और संशोधित दीर्घकालिक कार्ययोजना शुरू की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मुझे खेद है। चाहे आप मुझे धन्यवाद दें या नहीं, मुझे माननीय मंत्री को बुलाना पड़ेगा।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : यह इसलिए है क्योंकि प्रत्येक प्रधानमंत्री, जब वह प्रधानमंत्री बन जाता है, कालाहांडी का दौरा करने का मन बनाता है। चाहे वह श्री नरसिम्हा राव हों या फिर दिवंगत राजीव गांधी, उन सभी ने राज्य का दौरा किया और मुझे राजीव गांधी और श्रीमती गांधी का स्वागत करने का सम्मान मिला था।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें उचित रूप से आमंत्रित कीजिए।

**श्री बिक्रम केशरी देव** : मैंने राजीव गांधी का नुआपाड़ा में स्वागत किया था। हमने परिवर्तन की आशा की। अनेक कार्यक्रम अपनाए गए। तत्पश्चात्, आरएलईजीपी को अपनाया गया। लेकिन इन कार्यक्रमों से कोई बदलाव नहीं आया।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधानमंत्री से कालाहांडी आने के लिए कहें। यही प्रश्न है।

**श्री विक्रम केशरी देव** : इन कार्यक्रमों से कोई बदलाव नहीं आया।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस वैध मुद्दे पर माननीय मंत्री को ही उत्तर देने दें।

**श्री विक्रम केशरी देव** : तभी, इस संशोधित दीर्घकालिक कार्ययोजना की अवधारणा बनाई गई थी और वर्ष 1998 में, हम यह योजना लेकर आए थे और चीजों में सुधार हो रहा है। धन्यवाद, महोदय...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : धर्मेन्द्र प्रधान जी, आप बोलेन के पात्र नहीं हैं। लेकिन मैं आपको अनुमति दूंगा क्योंकि एक माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। बात इतनी सी है कि हमें नियमों का पालन करना होगा। लेकिन इसे भविष्य के लिए एक मिसाल के रूप में न लें। सभी कह रहे हैं कि आपने पांच सदस्यों, छः सदस्यों, नौ सदस्यों और दस सदस्यों को अनुमति दी है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।

धर्मेन्द्र प्रधान जी, देर से सूचना देने वाले तीन सदस्यों में, यदि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करूं, तो आपकी 9.30 बजे दी गई पहली सूचना है।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** (देवगढ़) : मेरा बहुत ही विशिष्ट और सुस्पष्ट प्रश्न है!

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रश्न पूछें। मैं जानता हूं कि आप बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलने वाले एक नौजवान सदस्य हैं।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : मैं एक प्रश्न पूछूंगा।

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम-विकास-योजना की फंडिंग से आपने भारत के कुछ पिछड़े जिलों को सहायता दी है। उसमें के.बी.के. को भी आपने फंडिंग किया है। वर्ष 2006-2007 में आपने बिहार को भी 1000 करोड़ रुपये की फंडिंग की है। यह अच्छी बात है। 11वीं योजना की तैयारी शुरू हो रही है जिसमें सूचना मिल रही है कि देश के 250 जिलों में बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से आप फाइनेंस करने वाले हो। उड़ीसा के आठ जिलों को मिलाकर 19 जिलों को आप फंडिंग करने वाले हो। बिहार में 36 जिलों तक बढ़ाकर आप फंडिंग कर रहे हैं। यह भी अच्छा कदम है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उनको उत्तर न दें।

*[हिन्दी]*

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : सर, आपने बिहार के 36 जिलों की एनटाइटलमेंट 540 करोड़ रुपया तथा ऊपर से 1000 करोड़ रुपया 11वीं योजना में कांटिन्यू करते हुए, फंडिंग को 1500 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपसे बार-बार कहा है कि हमारे यहां 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ करें। 250 करोड़ के हिसाब से मेरा हक बनता था 19 जिलों का 285 करोड़ रुपया और के.बी.के. की स्पेशल एलोकेशन, जिसको मैं 500 करोड़ रुपये मांग रहा हूं, लेकिन आपने 250 करोड़ रुपया दिया है, इसे मिलाकर मेरा वाजिब रुपया 535 करोड़ बनता है। आपने 415 करोड़ रुपया देने का वायदा किया है। यह 120 करोड़ रुपया क्या आप हमें देने वाले हो, यह आप बताएं? अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति लेकर यह कहना चाहूंगा कि आप उड़ीसा के साथ अन्याय करते हो। माननीय जेपी पटनायक की बात में आकर आप उड़ीसा की गरीब जनता के साथ अन्याय करने वाले हो। सारे बड़े लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप कृपया बताइए कि 120 करोड़ रुपया आप उड़ीसा के देने वाले हैं या नहीं?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अर्जुन सेठी जी, केवल आपका नाम जोड़ा जाएगा।

**श्री अर्जुन सेठी** (भदक) : मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : छोटा सा क्या? आप यहां एक छोटा सा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? यह एक लघु प्रश्न हो सकता है, न कि छोटा सा।

**श्री अर्जुन सेठी** : आपकी अनुमति से, मैं माननीय प्रधान मंत्री, जो इस समय यहां पर उपस्थित है, से अनुरोध करता हूं कि वे हमें बताएं कि क्या वे के.बी.के क्षेत्र का दौरा करेंगे? तत्पश्चात् ही, वे आश्वस्त हो पाएंगे कि वहां चीजें किस प्रकार से चल रही हैं। उसके पश्चात् ही वे निर्णय करेंगे और इस योजना को कार्यान्वित करवाएंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने उन्हें आमंत्रित किया है?

**श्री अर्जुन सेठी** : मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि

वे इस क्षेत्र का दौरा करें। मेरा पहला अनुरोध है कि वे इस क्षेत्र का दौरा करें।

**अध्यक्ष महोदय** : अर्जुन जी, इसे न दोहराएं। आप इतने अच्छे सदस्य हैं। आप इस प्रकार क्यों दोहरा रहे हैं?

**श्री अर्जुन सेठी** : उसके बाद ही, वे आश्वस्त हो पाएंगे कि ये के.बी.के. के जिले कितने पिछड़े हैं। अतः, मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे इस क्षेत्र का दौरा करें...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने एक बार से ज्यादा यह कह दी है। अब इसे नहीं दोहराया जाना चाहिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप पहले ही आमंत्रण दे चुके हैं।

**श्री एम. वी. राजशेखरन** : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री ने उड़ीसा राज्य के जिलों के पिछड़े होने की समस्या पर पूरा ध्यान देने हेतु सभी प्रकार की पहल की है। संप्रग सरकार के सत्ता में आने के उपरांत पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री ने पिछड़ा क्षेत्र निधि की घोषणा की थी जिसके फलस्वरूप उड़ीसा के 30 जिलों में से आज 19 जिलों को शामिल किया गया है—अर्थात् आठ जिलों को के.बी.के. कार्यक्रम के अंतर्गत तथा 11 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र निधि में शामिल किया गया है। अतः कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों तथा के. बी.के. जिलों के सुधार की योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष खर्च की जाने वाली 250 करोड़ रुपये की राशि जारी रखी गई है और 11वीं योजना में भी इसे संरक्षित रखा गया है। मैं आपके समक्ष इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। अतः मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों को आश्वसन देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

**श्री बिक्रम केशरी देव** : महोदय यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस मुद्दे में मदद नहीं कर रहे हैं। आपको उन्हें धैर्य से सुनना चाहिए। आप इस मुद्दे पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद है। मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इससे संबद्ध है। इसीलिए जैसे ही इसे मेरे सामने लाया गया मैंने उस पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दे दी।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : यह लगातार प्रश्न तथा उत्तर को जारी नहीं रख सकता।

*...(व्यवधान)*

**श्री बिक्रम केशरी देव** : वह ग्यारहवीं योजना के बारे में कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री एम. वी. राजशेखरन** : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां तक के.बी.के. जिलों का प्रश्न है इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे पिछड़ा क्षेत्र निधि के अंतर्गत संरक्षित किया जा रहा है। इसका ध्यान रखा गया है...*(व्यवधान)*। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वस्त करता हूं।

जहां तक पिछड़े जिलों का दौस करने का प्रश्न है मैं यह कहूंगा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बिक्रम केशरी देव आपको आज क्या हो गया है?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। फिर मैं श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाने के लिए बुलाऊंगा। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, तो मुझे क्षमा कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के अलावा कोई अन्य बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न की जाए।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : यदि मैं सभा स्थगित करता हूं तो मुझे दोष न दें।

*...(व्यवधान)*

**श्री एम. वी. राजशेखरन** : महोदय, जहां तक के.बी.के. जिलों का दौरा करने का सवाल है, माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम. वी. राजशेखरन]

हैं कि मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया है और मैंने लगभग तीन–चार दिन वहां बिताए तथा मैंने वहां की स्थिति से माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया। इसी कारण उड़ीसा को क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वांछित धन मिल रहा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। मैं यह कह चुका हूं। यह आदत बदलनी होगी।

*...(व्यवधान)**

**श्री एम. वी. राजशेखरन** : इसीलिए मैं बता रहा हूं। मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि धनराशि कम की जा रही है। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सेठी आप केवल अपनी आवाज सुनना चाहते हैं और आप माननीय मंत्री जी की बात नहीं सुनना चाहते।

*...(व्यवधान)*

**श्री एम. वी. राजशेखरन** : मैं इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद क्या हुआ। उदाहरण के लिए वर्ष 2003–2004 में 225 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी और उस समय जैसा कि बताया गया है कुल व्यय 318 करोड़ रुपये है जिसे पिछड़े क्षेत्र के गरीब लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए खर्च किया गया। वर्ष 2004–05 में पुनः 275 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और व्यय 279.11 करोड़ रुपये है। वर्ष 2005–2006 में 250 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। वर्तमान वर्ष के लिए पहले ही हमने 83.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

अतः आप इन आंकड़ों से समझ जाएंगे कि कोई भेदभाव नहीं किया गया है और समय–समय पर धनराशि जारी की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान संप्रग सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं। हर राज्य विशेष रूप से उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों को बराबर का दर्जा दिया जाता है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अविलंबनीय मामलों पर आता हूं। कई अविलंबनीय मामले हैं। मुझे अब इनमें से कुछ पर ध्यान देना होगा। मैंने श्री ढींडसा को वादा किया था। अब श्री ढींडसा बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सहयोग करें। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपके के.बी.के. पर यथासंभव ध्यान दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, ऐसा ही किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आप बात कर सकते हैं।

श्री ढींडसा। इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, हम मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं। इसलिए इस सभा से बाहर जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : महोदय प्रधानमंत्री जी यहां हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करने दें... *(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.16 बजे**

*(इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)*

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या कर सकता हूं? आप उनको रिक्वैस्ट कीजिए।

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब कुछ जानते हैं। मेरे पास इतनी पावर नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ढींडसा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : जब आपका नाम बुलाया था, आप नहीं थे। बाद में आकर शोर करते हैं।

*...(व्यवधान)*

---

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है। मैं पहले हाउस में एक बात क्लीयर करना चाहता हूं कि हिली स्टेट्स को इंडस्ट्री के लिए जो टोटल टैक्स हॉलिडे दी गई थी, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। इसे तीन साल के लिए एक्सटैंड किया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पंजाब का क्या कसूर है जिससे पंजाब से सारी इंडस्ट्रीज चली गईं। आज यह हालत है कि 15 हजार से ज्यादा यूनिट्स बाहर चली गईं। मुझे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। हम जब प्रधानमंत्री जी से मिले तो उन्होंने यही जवाब दिया कि यह एनडीए सरकार ने किया था। अगर एनडीए सरकार ने किया था तो हमने भी उस समय अपोज किया था। आपको शासन में आए सवा दो साल हो गए हैं और पंजाब में भी आपकी सरकार है तो आप पंजाब को क्यों उजाड़ रहे हैं। जब देश की रक्षा की जरूरत पड़ी और देश को अनाज की जरूरत पड़ी तो पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया। वहां ऐसे हालात पैदा हो गए हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : आपने 11–12 साल पंजाब में जो देखा और पंजाब में जो मिलिटैंसी में हुआ, उससे पंजाब उजड़ गया। आप वहां एग्रीकल्चर की हालत देख रहे हैं। किसानों को बसाने के लिए आप कोई बात करें। आपने दस साल के लिए एक्सटैंड किया है तो खुशी की बात है लेकिन पंजाब को क्यों नहीं देते हैं, पंजाब का क्या कसूर है, पंजाब ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि आप उसे इतनी सजा दे रहे हैं। वहां 26 हजार करोड़ रुपए का कर्जा किसानों के ऊपर है और 48 हजार रुपए पर–किसान पर कर्जा है। वहां खेती उजड़ गई। पंजाब क्या करेगा? हमने पाकिस्तान के साथ तीन जंग लड़ीं। किसका नुकसान हुआ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आप वहां से चिल्ला क्यों रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

**श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** : अगर पंजाब की जरूरत पड़ती है तो वह सबसे अधिक सहायता करता है। लड़ाई में पंजाब का सबसे अधिक नुकसान होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारा क्या कसूर है, यह बताएं। हमें एग्जम्शन क्यों नहीं दी जा रही है और पंजाब को क्यों उजाड़ा जा रहा है? मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पंजाब को बचा लो। वहां इंडस्ट्री उजड़ गई, किसानी उजड़ गई।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात उठाई है।

*...(व्यवधान)*

**डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट) : सर, मेरा नाम इस विषय के साथ संबद्ध किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना नाम लिखकर भेजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप स्लिप्स में नाम लिखकर भेज दीजिए।

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर) : महोदय, पंजाब के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम बोल रहे हैं कि आप लोग अपने नाम लिखकर भेज दीजिए।

*...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है, परन्तु इसकी अनुमति नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. वल्लभभाई कथीरिया, श्री अशोक प्रधान, श्री अविनास राय खन्ना, डा. रतन सिंह अजनाला तथा सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा के नाम श्री सुखदेव सिंह ढींडसा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किए जाते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने नोटिस देने का कष्ट भी नहीं किया। श्री हरिन पाठक जी, आप बोलिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैंने नोटिस दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति दूंगा परंतु मैं आपसे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : एक माननीय सदस्य राज्य में बाढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं और मैंने उन्हें इसका अवसर दिया है। यदि उन्हें ऐसे बाधित किया जाएगा तो वह यह मुद्दा कैसे उठा सकेंगे?

*...(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 12.49 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन

**(एक) गुजरात में हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले शुक्रवार को गुजरात में जो भयानक बाढ़ आई, उससे उत्पन्न स्थिति के बारे में मैंने तथा मेरे साथियों ने पिछले 15 दिनों में आई बाढ़ के बारे में सरकार और संसद को अवगत कराया था। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री जी वहां गए। उससे पहले सदन के नेता गुजरात गए और वहां उन्होंने वहां हुई क्षति का सर्वेक्षण किया। मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। मैं आपके माध्यम से दोबारा सदन में एक बात कहना चाहूंगा कि हमें सरकार की तरफ से जो अपेक्षा थी, प्रथम दृष्टि में जो वहां नुकसान और तबाही हुई है, उसे देखते हुए मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। गृह मंत्री जी भी वहां गए थे। प्रथम दृष्टि में हमने कहा था कि वहां दो हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ताकि वहां के आम आदमी पूरी तरह से सैटल हो सकें और अपनी जिंदगी की शुरूआत कर सकें। लेकिन वह धनराशि अभी तक हमें नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से दोबारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गुजरात की पीड़ित जनता का जीवन बार-बार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ध्वस्त हो जाता है, अतः आप उनहें तुरंत सहायता दें।

महोदय, मेरा आज का विषय इसी से जुड़ा हुआ है कि बाढ़ के बाद धीरे-धीरे अब वहां स्थिति सामान्य हो रही है और अब पता चला है कि वहां कितना नुकसान हुआ है। वहां आम आदमी का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन विशेषकर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां छोटे और बड़े दोनों उद्योगों को नुकसान हुआ है। लेकिन छोटे उद्योगों के साथ आम आदमी सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। जो गरीब कामगार बिहार से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, गुजरात के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से आते हैं तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, आज वे सब लोग बेरोजगार हो गए हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : हमने इस पर पहले ही सभा में चर्चा की है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** : सिर्फ सूरत में 38 हजार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं तथा उनमें काम करने वाले लगभग दो लाख चौदह हजार लोग बेकार हो गए हैं। बड़ोदरा जिले में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की 9500 यूनिट्स खत्म हो गई हैं तथा उनमें काम करने वाले 39 हजार लोग बेकार हो गए हैं। ये गरीब लोग आज

भूखे मर रहे हैं। भरूच जिले में एस.एस.आई. की 600 यूनिट्स हैं, जिनमें काम करने वाले 23 सौ से अधिक कामगार भूखे मर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि छोटे और बड़े दोनों उद्योगों का वहां बहुत नुकसान हुआ है। जिसके कारण रॉ मैटिरियल, बिल्डिंग्स, फिनिश्ड गुड्स, पैकिंग मैटिरियल, इलेक्ट्रिफिकेशन, खेती, रास्ते तथा अप्रोच रोड्स सब तबाह हो गए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि दो–चार मांगों के बारे में मैंने वित्त मंत्रजी जी को एक व्यक्तिगत नोट भेजा है और मैं अपने साथियों के साथ उनसे मिलने के लिए भी जाऊंगा। लेकिन मैं अभी सदन में सिर्फ तीन बातें रखना चाहता हूं। प्रथम जिन उद्योगों और लघु उद्योगों को आपने ऋण दिया है, कम से कम एक साल के लिए आप उनका ब्याज माफ कर दें। दूसरा जिसका जो टर्नओवर है, आप दस परसेंट लो इंटरेस्ट रेट से उन्हें एडवांस दीजिए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

इन्कम टैक्स का जो हर तीन महीने में एडवांस रिटर्न भरना होता है, वह वे लोग अभी तक भर नहीं पाए हैं क्योंकि उनकी मशीनरी, मकान वगैरह सब खत्म हो गए हैं। इसलिए उन्हें ज्यादा अवधि दे ताकि वे लोग अपना एडवांस रिटर्न भर सकें। उन लोगों को एक्साइज, कस्टम तथा सर्विस टैक्स में भी राहत दें और इन सबको मिलाकर एक

*[अनुवाद]*

विशेष रूप से लघु उद्योगों के लिए राहत तथा पुनर्वास पैकेज तथा उद्योग

*[हिन्दी]*

के लिए भी अलग से दें और वह जो हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपये मांगे हैं, वह रुपया भी गुजरात को देने की कृपा करें ताकि गुजरात जो हमेशा देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान देता है क्योंकि जब गुजरात विकसित होता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा देश को होता है। इसीलिए हमारा निवेदन है कि गुजरात को आप मदद दें ताकि गुजरात फिर एक बार देश के विकास में भाग ले सके तथा अन्य प्रदेशों से आए हुए और गुजरात में बसने वाले लाखों नागरिकों के उत्थान के लिए गुजरात की सहायता करें।...*(व्यवधान)*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप एशोसिएट कर दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके आप दो–तीन नाम भेज दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी सदस्यों के नाम 'संबद्ध' के रूप में रिकार्ड किए जाएंगे।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री पी. एस. जडेजा** (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

**श्री अशोक प्रधान** (खुजी) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री हरिन पाठक जी ने उठाया है, मैं भी अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिभाऊ राठौड़–अनुपस्थित।

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आकपे माध्यम से...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री हरिन पाठक को बीच में नहीं टोका। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए तथा यह काफी अच्छी तरह किया।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट) : सर, किसानों की बात रह जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं भी हरिन पाठक जी के विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप एशोसिएट कर दीजिए।

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, हरिन

पाठक जी ने जो मांग की है...*(व्यवधान)* इसमें मेरा नाम भी एसोसिएट कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह काफी कष्टदायक होता है।

*[हिन्दी]*

हम क्या करें। इन्हें आप समझाइए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.56 बजे**

**(दो) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में**

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी जो आपदा प्रबंधन के मंत्री भी हैं, मैं उनका ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हर साल बाढ़ और सुखाड़ से बिहार प्रताड़ित रहता है और इस बार सम्पूर्ण बिहार बाढ़ से नहीं बल्कि सुखाड़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और स्थिति यह है कि अब तक किसान जितनी भी खेती कर पाए हैं, उनके खेत वगैरह जल गए हैं और सब खेती समाप्त हो गई है। उनके सामने मवेशियों के चारे की समस्या भी विकराल रूप में है। उत्तरी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण,सीवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सारसात, पटना, गोपालगंज, छपरा और वैशाली सारे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृज मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह एक सेंट्रल टीम को बिहार भेजें जो वहां की स्थिति को असैस करके बिहार को वयपक ढंग से मदद ओर राहत पहुंचाने का काम करे, यही मेरा निवेदन है।...*(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : सर, इनके विषय के साथ हमें भी संबद्ध कर दीजिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : माननीय सदस्य के विषय के साथ कृपया मेरा नाम भी जोड़ा जाए।

**श्री सीताराम सिंह** (शिवहर) : माननीय सदस्य के विषय के साथ कृपया मेरा नाम भी जोड़ा जाए।

**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज) : माननीय सदस्य के विषय के साथ कृपया मेरा नाम भी जोड़ा जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : बोलने से कुछ नहीं होगा। आप नाम भेज दीजिए। आपकी बात रिकार्ड में आ जाएगी।

...*(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव** : सर, हम लोगों का एजीटेशन बहुत वाजिब है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अब तक समझ लिया होगा कि मैं नियमों के किसी उल्लंघन की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हम जनता के क्षेत्र की भी बात कर लें, वहां भी ड्राउट है।

**श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज समूचा उत्तर भारत भयंकर सूखे की चपेट में है। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। लाखों एकड़ खरीफ की फसल तथा गन्ना एकदम सूख रहा है और पशुओं के लिए चारे का अभाव है। पर्याप्त बिजली के अभाव में नलकूपों से सिंचाई में बाधा आ रही है और महंगे डीजल के कारण किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल उत्तर प्रदेश को अकालग्रस्त राज्य घोषत करे, किसान के सभी कृषि ऋण माफ करे, प्रदेश को केन्द्रीय सैक्टर से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करे और युद्ध स्तर पर राहत कार्य प्रारंभ करे तथा उत्तर प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन है।

**श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर) : माननीय सदस्य के विषय के साथ कृपया मेरा नाम भी जोड़ने की अनुमति दें।

---

**अपराह्न 1.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिसिंह चावड़ा** (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के हालात के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गुजरात के लोग कितने परेशान हैं। न केवल दक्षिणी गुजरात के सूरत, भरुच बल्कि उत्तर गुजरात में भी परेशानी हुई है। हरिन जी ने उद्योगों के बारे में जिक्र किया कि उन्हें परेशानी हुई लेकिन वह भूल गए कि किसानों को भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपका नाम रिकार्ड किया जाएगा। सभी नाम रिकार्ड किए जाएंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री हरिसिंह चावड़ा** : अध्यक्ष महोदय, किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है और खेती नष्ट हो गई है। मैं किसानों के लिए निवेदन करना चाहता था। मैं अपने क्षेत्र बनासकांठा में परसों गया था। जो गरीब लोग झुग्गी–झोपड़ी में रहते हैं, उनके वहां 5–5 फीट पानी घुस गया है। यही नहीं पालनपुर में भारी तबाही हुई है। मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता दी जाए, यही मेरी विनती है।... *(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, मैंने खेती का जिक्र किया है, उसका संबंध किसान से है। मैंने खेती का ही उल्लेख किया था।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आपने कहा था।

**अपराह्न 10.01 बजे**

**(तीन) हज तीर्थ यात्रियों को और सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में**

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हज यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 19 तारीख को मिला था और 4 अगस्त को हम लोग आपसे भी मिले थे। पिछली बार 1 लाख 6 हजार हज यात्रियों ने आवेदन किया था जबकि 82 हजार के लिए कोटा था, सरकार ने 18 हजार का कोटा बढ़ाया था। इसलिए हज यात्रा के लिए एक लाख लोग गए थे। इस बार 1 लाख 48 हजार लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया है लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब सरकार से बात नहीं की। पिछली सरकारों के समय में जितने भी आवेदन आते रहे हैं, उसी के मुताबिक सरकारें कोटा बढ़ाती रही हैं लेकिन बार–बार कहने के बावजूद इस सरकार ने सऊदी अरब सरकार से बात नहीं की जो चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, 15 मई, 2002 को जब हज एक्ट पास हो रहा था, उस समय मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि किसी जमाने में लोग पानी के जहाज से हज यात्रा के लिए जाते थे, उस समय हज कमेटी का दफ्तर मुंबई में था लेकिन हवाई यात्रा उपलब्ध रहने से कम से कम 100 सांसदों ने इस बात की मांग की कि इसका दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए लेकिन सरकार ने इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया है। हज कमेटी को संवैधानिक अधिकार मिले, इस बात की मांग बार–बार होती रही है लेकिन सरकार मौन है। हज जाने वाले यात्रियों की सेवा के लिए हज वालॉटियर जाते हैं, राज्यों की हज कमेटी से बराबर यह मांग की जाती रही है कि इस मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि उनकी इच्छा से लोग जाएं लेकिन भारत सरकार ने यह पैगाम जारी कर दिया कि सरकारी कर्मचारी ही जाएंगे। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि उन लोगों को हज यात्रा पर जाने में दिक्कतें होती हैं... *(व्यवधान)* बनारस से जाने के लिए हज यात्रियों को सुविधा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पिछली बार मीना में हादसा हुआ था जिसमें 62 हज यात्री शहीद हो गए थे। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हज यात्रा में शहीद हुए लोगों को 5–5 लाख रुपए देने का काम किया लेकिन मेरे द्वारा बार–बार आग्रह करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने एक पैसा आज तक नहीं दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने वह पहले ही कह दिया है। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हज यात्रियों की जो समस्या है, संसदीय कार्य मंत्री यहां

[श्री रामजीलाल सुमन]

बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समस्या को सुलझाने में वह पहल करें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री अलियास आजमी, श्री इन्नान मोल्लाह, डा. शफीकुर्रहमान वर्क और श्री अब्दुल रशीद शाहीन इस निवेदन का समर्थन करते हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : अध्यक्ष महोदय, सं.प्र.ग. सरकार भी हज यात्रियों की स्थिति को लेकर उतनी ही चिंतित है। गत वर्ष सभी संभव उपाय किए गए थे। इस वर्ष भी सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार न तो इसकी अनदेखी कर रही है और न ही उपेक्षा। पिछले वर्ष की गलतियों को देखते हुए संबद्ध मंत्रालयों द्वारा समुचित कदम उठाए जाएंगे।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने उत्तर प्राप्त कर लिया है। कृपया सहयोग करें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गंगवार, आपको सूचना देनी है। आपको नियम का पालन करना है। मैं दूसरे मामले के संबंध में अनुमति नहीं दे सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : तब मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा मामला आरोपों से संबंधित है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप नियम अच्छी तरह जानते हैं।

*[हिन्दी]*

गंगवार जी, आप महमूदाबाद वाला मामला बोलिए। दूसरा मामला अगले दिन नोटिस देकर उठाइए।

**श्री संतोष गंगवार (बरेली)** : अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय मैं आपके सामने ला रहा हूं, यह मैं पहले भी एक बार उठा चुका हूं। उत्तर प्रदेश में महमूदाबाद स्टेट की एक संपत्ति लखनऊ और सीतापुर में है। इस संपत्ति के मालिक देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए और वे उस समय तत्कालीन मुस्लिम के कोषाध्यक्ष थे। उनकी संपत्ति सरकार में निहित हो गई। सरकार ने उनकी संपत्ति को बेचकर उनको पैसा दे दिया और स्थानीय लोगों को आवंटित कर दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी 15–20 वर्ष पहले वह इस देश में आ गए, एक दल से जुड़ गए, दल से विधायक बन गए और न्यायालय में रिप्रजेंट करके फिर से उस संपत्ति को पा लिया। इस कारण करोड़ों–अरबों रुपये की संपत्ति जो लखनऊ और सीतापुर के मुख्य स्थानों पर स्थित है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग रह रहे हैं और सरकारी दफ्तर हैं, उनको खाली कराने की कार्रवाई हो रही है। मैंने गृह मंत्री जी से आग्रह किया था कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। मैंने लिखकर दिया था कि सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* माननीय मोहन सिंह जी उस समय आसन पर बैठे थे और उन्होंने इस बात को समझा था और इसके बारे में दिशा–निर्देश भी दिए थे। मैं दोबारा आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और उचित निर्णय दें।

**अध्यक्ष महोदय** : मोहन सिंह जी फिर आपकी मदद करेंगे।

**अपराह्न 1.06 बजे**

## (चार) 'लिब्राहन जांच आयोग' की रिपोर्ट सभा पटल पर शीघ्र रखे जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक राष्ट्रीय महत्त्व के अति संवेदनशील विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और खासकर गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1992 में अयोध्या में इस देश की बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने का और हमारे धर्मनिरपेक्ष देश की एक ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने का असफल या सफल प्रयास हुआ। उसके द्वारा हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने पर हमला किया गया। 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना की जांच हेतु 16 दिसंबर, 1992 को लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग गठित किया गया। इसके कार्यकाल की अजीब स्थिति रही है। 39 बार इस जांच आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया जो अनप्रिसिडेंटेड है। इस तरह की परंपरा कभी इतिहास में नहीं थी। मैं

सरकार से जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* इसमें लगभग पौने दो सौ नेताओं और नौकरशाहों की गवाही पूरी हो चुकी है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह केन्द्र सरकार का आयोग है और वे इसके प्रतिवेदन की मांग कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : 1992 से आज तक लगभग 14 वर्ष बीतने वाले हैं और इतने समय में भी लिब्राहन जांच आयोग की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई है।...*(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग की रिपोर्ट कब सदन में प्रस्तुत होगी और आगे इसकी कोई समय–सीमा नहीं बढ़ाई जाए इस पर मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। देश के करोड़ों धर्मनिरपेक्ष और शांतिप्रिय लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, लोगों को जानने की उत्सुकता है लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए देश को अंधकार में नहीं रखा जाए। इस आयोग के संबंध में गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है और उनके नाम इससे संबद्ध हैं :

डा. शफीकुर्रहमान बर्क;

श्री अधीर चौधरी;

श्री असादूद्दीन ओवेसी;

श्रीमती कृष्णा तीरथ;

श्री मदन लाल शर्मा;

श्री फुरकान अंसारी;

डा. राजेश मिश्री;

श्री जे. एम. आरून रशीद;

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : कमीशन के बारे में इनको जानने का हक है।

**डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट) : **अध्यक्ष महोदय**, हम कहते हैं कि ऐसे जितने भी कमीशन हैं, उनके लिए समय मर्यादा तय की जाए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी का नाम कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाता है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : इन्हें कमीशन के बारे में जानने का हक है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील)** : महोदय, यहां माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों का उत्तर देने की मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं अन्य तीन मुद्दों का भी उत्तर देने की अनुमति आपसे चाहूंगा क्योंकि अब मैं सभा में हूं और ये विषय भी महत्वपूर्ण हैं। मैं संक्षेप में इनका उत्तर दूंगा।

एक गुजरात की स्थिति के बारे में है। हम वहां गए थे; हमने पाया कि परिस्थिति अत्यंत गंभीर थी। उन्हें राहत देने के लिए हमने उन्हें 500 करोड़ रुपए दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने मुझसे यह देखने को कहा है कि क्या उन्हें और मदद की आवश्यकता है और यदि हुई तो यह दी जाएगी।

दूसरी बात रघुनाथ झा द्वारा उठाई गई थी। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष महोदय** : कई अन्य सदस्यों द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया था।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : हां, कई अन्य सदस्यों द्वारा भी

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

उठाया गया है। प्रत्येक वर्ष, कुछ क्षेत्रों में सूखा होता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में लोग वर्षा से प्रभावित होते हैं। इस वर्ष दुर्भाग्यवश, बिहार और इससे सटे कुछ अन्य राज्य सूखे से प्रभावित हैं... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : फिर मैं माननीय मंत्री से नहीं बोलने का अनुरोध करूंगा।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैंने पहले ही कहा है कि बिहार और कुछ सटे राज्य प्रभावित हैं, यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग, इत्यादि...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। अन्यथा, मैं चुप रहूंगा...*(व्यवधान)* महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार निश्चित रूप से बिहार और अन्य स्थानों पर एक दल भेजेगी, जहां कहीं भी कदम उठाने की आवश्यकता हो यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इत्यादि, हम पता लगाएंगे और ऐसा करेंगे।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भद्रता होनी चाहिए। जब माननीय मंत्री स्वयं उत्तर दे रहे हैं आप उन्हें बाधित कर रहे हैं। क्या सभा का संचालन इस प्रकार होना चाहिए।

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : महाराष्ट्र के बारे में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : महोदय, हमने महाराष्ट्र का भी दौरा किया था। माननीय प्रधानमंत्री और मैं स्वयं महाराष्ट्र गए थे। श्रीमती गांधी उत्तर प्रदेश गई थीं और हमने अन्य राज्यों का भी दौरा किया था। आपदा राहत कोष से महाराष्ट्र को भी 400 करोड़ रु. दिए गए थे। विभिन्न राज्यों की स्थिति पर हम निगरानी रख रहे हैं और जहां कहीं भी यह जरूरी और संभव होगा हम निश्चय ही राज्यों की सहायता करेंगे। इस बारे में मैं यह कहना चाहता था।

यहां श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दूसरी बात उठाई गई थी। यह निश्चय ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट प्राप्त करने संबंधी माननीय सदस्य की चिंता की मैं प्रशंसा करता हूं ताकि इस पर सभा में विचार किया जा सके। यह सच है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में लंबा समय लिया है। किन्तु आयोग को कुछ अन्य कारणों से प्रतीक्षा करनी पड़ी यथा इस विषय को न्यायालय ले जाया गया था और कुछ साक्षियों ने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के विषय में स्थगन आदेश हासिल कर लिए थे। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। किन्तु हम इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आयोग को लंबा समय उपलब्ध कराया गया है और हम सब रिपोर्ट प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं...*(व्यवधान)* अनौपचारिक तौर पर हमें बताया गया है कि 31 दिसंबर, 2006 तक रिपोर्ट दी जा सकती है। अनौपचारिक तौर पर यह बताया गया है।...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम** (कोलकाता–उत्तर पूर्व) : क्या आप उनके कार्यकाल को एक बार और बढ़ा रहे हैं? सभा की मांग है कि कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए किंतु मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वे कार्यकाल बढ़ाने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : आप इसे नहीं समझ रहे हैं। यह कार्यकाल बढ़ाने का प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम** : मैं अच्छी तरह से समझता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सलीम, मुझे बहुत खेद है। माननीय मंत्री, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। माननीय मंत्री जो कह रहे हैं उनके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री शिवराज वि. पाटील** : महोदय, सदस्यगण उद्वेलित हैं, किंतु पहले उन्हें यह सुनना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। यह उनके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। आयोग 31 दिसंबर, 2006 तक कार्य करता रहेगा। उसने कहा है कि इस अवधि के समाप्त होने से पहले रिपोर्ट दी जा सकती है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम देखेंगे कि रिपोर्ट आ पाती है अथवा नहीं। उन्हें इतना समय दिए जाने के बाद जब वे रिपोर्ट लिखने और हमें देने की कगार पर हैं तब इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए कि कोई रिपोर्ट ही न आ सके। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है। आपको इतना जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है और हम जो कह रहे हैं उसका अनावश्यक गलत अर्थ नहीं निकालें। यह कार्यकाल बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। वे 31 दिसंबर, 2006 तक कार्य करते रहेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे रिपोर्ट दे देंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आपने यहां जो कुछ कहा उसे भी उन तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि वे इसे ध्यान में रखें।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : विशेष उल्लेख के रूप में उठाए जाने वाले अन्य विषय दिन के अंत में लिए जाएंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपका नाम बुलाया था। आप उपस्थित नहीं थे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं यहां नहीं था।

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपकी गलती है मेरी नहीं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है, परंतु तब आपको यहां उपस्थित रहना चाहिए था।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको इस सभा से माफी मांगनी चाहिए। आप सभा से क्षमा–याचना कर सकते हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं क्षमा–याचना करता हूं। मैं मात्र एक मिनट का समय लूंगा।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी संघ, भारतीय राज्य शिक्षक संघ, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ तथा अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ नई पेंशन योजना, पेंशन का निजीकरण, कर्मचारियों की संख्या घटाना, सरकारी कार्य बाहर से करवाना, भर्ती पर रोक तथा निजीकरण संबंधी निर्णयों को वापस लेने की मांग करते हुए संसद तक एक संयुक्त रूप से मार्च आयोजित कर रहे हैं।

महोदय, सरकार ने छठे वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। पिछली बार, जब पांचवें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी तो सरकार ने अंतरिम राहत की भी घोषणा की थी, परंतु इस बार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के बावजूद, सरकार ने अंतरिम राहत के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अब वे अंतरिम राहत के रूप में 1000 रु. अपने लंबित वेतन संशोधन को निपटाने तथा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार छठे वेतन की आयोग की प्रभावी तिथि 1.1.2006 मानने की मांग कर रहे हैं।

मैं मांग करता हूं कि सरकार वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र सामाजिक सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा अपने देश के अन्य कर्मचारियों और कामगारों की उचित मांगों पर विचार करे और नई पेंशन योजना को वापस ले...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सलीम, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

*[हिन्दी]*

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : अध्यक्ष गहोदय, एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

**श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आज के लिए काफी देर हो चुकी है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी** : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी भी मांग चुका हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप एसोसिएट कर दीजिए। आपका विषय हो चुका है क्योंकि आपका नाम आपकी अनुपस्थिति में बोल दिया गया है।

*...(व्यवधान)*

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में श्वेत जलधारा योजना पर काफी रकम खर्च की जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा धनराशि न दिए जाने से इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि योजना की पूर्ति हेतु धनराशि दिए जाने के लिए जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर किया जाए और उसके लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाए ताकि यह योजना पूरी हो सके। कई लोगों ने इसके लिए पैसे जमा करवा दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग न मिलने से यह योजना अटकी पड़ी है। इस योजना के लिए पैसा मिले, आपके माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से यही मांग है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों मैं 20 मामलों को उठाने

की अनुमति पहले ही दे चुका हूं। अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सर्टिफिकेट भी हमको दे दिया कीजिए। सामान्य कार्यवाही के अंत में अब अन्य मामले उठाए जाएंगे।

**अपराह्न 1.20 बजे**

## छावनी विधेयक, 2006

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मद सं. 14—छावनी विधेयक, 2006 पर चर्चा को शुरू करेगी तथा श्री संतोष गंगवार अपना भाषण जारी रखेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार (बरेली)** : अध्यक्ष महोदय, छावनी बिल 2006 के संदर्भ में मैंने कल बोलना प्रारंभ किया था और मैं आज अपनी बात को जारी रखते हुए कहना चाहता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण बिल है। स्थायी समिति ने इस बिल पर काफी विस्तार से चर्चा करने के बाद सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार द्वारा उसके और सुझावों को भी स्वीकार नहीं कया गया है। मुझे याद है कि राज्य सभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी और वहां कुछ संशोधन भी दिए गए थे, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने उन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया था। मैं यहां भी कुछ संशोधन देना चाहता हूं, जो वास्तव में उचित हैं और उन्हें माना जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री जी उन संशोधनों को फिर स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदय, मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक समय था जब छावनियां नगरों और शहरों से दूर हुआ करती थीं और वहां आना-जाना भी दूभर होता था। लेकिन आज देश की जो 62 छावनियां हैं, उनमें से अधिकांश शहरों के मध्य में आ गई हैं। इसलिए अब उनकी समस्याएं अलग हो गई हैं। अगर उन समस्याओं को विस्तृत रूप से नहीं देखा गया तो समस्याएं और परेशानियां बनी रहेंगी और इस बिल से वास्तव में जो हल निकलना चाहिए, वह नहीं निकल पाएगा।

**अपराह्न 1.22 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं और सुझाव दिए थे। इन्हें सुनने के बाद लगता है कि मंत्री जी केवल अधिकारियों के कहने में आ गए हैं और उनके अनुसार ही इन्होंने फैसले लिए हैं। मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं आपने इसमें श्रेणी को तीन से चार कर दिया है, लेकिन इसे करने से क्या फायदा है? आप तीन श्रेणी में भी उतना ही कर सकते थे, जितना कि चार श्रेणी में कर सकते हैं। सीईओ यानी कैंट एग्जीक्यूटीव आफीसर तो समझ में आता है, लेकिन इस पद को चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर करने से लगता है कि वह कोई बड़ा आदमी बन गया है। आपने बहुत से अधिकार सीईओ को दे दिए हैं, उसे सर्वेसर्वा बना दिया है और ऊपर से आपने सदस्य भी बना दिया है। जब आप सीईओ को अध्यक्ष बना रहे हैं और सदस्य भी बना रहे हैं तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे, उनका वहां क्या काम होगा? मुझे लगता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्टेटस ऐसा रहेगा कि वे सीईओ के मातहत काम कर रहे हैं। सांसद और विधायकों को आपने पदेन सदस्य बनाया है, लेकिन उसे वोटिंग का राइट नहीं दिया है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वोटिंग राइट न हाने से शायद ही कोई सांसद या विधायक छावनी की मीटिंगों में जाए। यह हो सकता है कि उनका प्रतिनिधि चला जाए। सीईओ जो आप बना रहे हैं, क्या हम उसके मातहत जाकर बैठें, जबकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद आप छावनियों को नगर पालिकाओं के स्वरूप में ले रहे हैं। आज नगर पालिकाओं के स्तर में भी परिवर्तन आ चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष, टाउन एरिया अध्यक्ष और मेयर का चुनाव निर्वाचन से होता है। यहां पर आप निर्वाचित लोगों को पदेन सदस्य बना रहे हैं। संख्या बराबर है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में मरिवर्तन हो रहा है या इससे परिवर्तन हो जाएगा।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरा लोक सभा क्षेत्र बरेली है और बरेली के अंदर सांसद कोष में पैसा खर्च न करने के बाद भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके 62 कैंटोनमेंट्स में सबसे ज्यादा पैसा अगर बाहर कहीं से आया है, तो मैंने खर्च करवाया है। मैं रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक लाइब्रेरी मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ऐसी बनवाई है, जो देश की 10 प्रमुख लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी होगी। अब दुर्भाग्य यह है कि आफिसर बदलने के बाद वह व्यवस्था भी खराब हो रही है, जिस लाइब्रेरी में सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई सांसद या विधायक कोई काम वहां कर दे, पता नहीं कितने पार्क, कितने ऐसे स्थानों पर पैसा खर्च किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसकी देख-रेख का कोई हिसाब-किताब नहीं है। मै। आग्रह करना चाहूंगा कि आप उस लाइब्रेरी को देखकर आइए। उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, वीडियो कांफ्रेंसिंग और इंटरनेट की सारी सुविधाएं वहां

पर हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका लाभ नहीं उठाया जा रहा है। जो काम सांसद विधायक अगर वहां पर करवाएं, जैसा अभी बहुत से सांसदों ने यहां बोलते हुए कहा कि हम लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, पर हमने व्यवस्था निकाली, उसमें पैसा खर्च भी किया, पर खर्च करने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है।

एक बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं, जो मैंने देखी है कि अगर मैं किसी सम्पत्ति या भूमि को वहां लेना चाहूं और राजनैतिक दबाव अगर उसमें है, तो वह उसे हस्तांतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल–दो साल में ऐसी कितनी संपत्तियां डिफेंस एस्टेट की ट्रांसफर की गई हैं, उनके नाम मुझे मालूम हैं, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। शहर के अंदर जमीन है, हम तो लिखते–लिखते थक गए कि साहब, इस कस्बे के अंदर बिल्कुल प्राइम लाकेशन पर जमीन है और कोई जरूरत नहीं है कि डिफेंस उसे अपने पास रखे, उसका कोई डिस्पोजल करिए। साल दो साल के बाद डिफेंस के लोग वहां जाते हैं और बिल्डिंग तोड़ आते हैं। बाद में फिर लीपा–पोती होती है और हम भी लिखते हैं कि यह काम इतना होना चाहिए, इस हिसाब से विचार करना चाहिए।

मैं दोहराना नहीं चाहता, लोग कह चुके हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि सी.ई.ओ. को किसी भी रूप में सदस्य नहीं होना चाहिए, अब आपने सदस्य बनाया, यह तो आप ज्यादा उचित समझते हैं कि उसमें सदस्य की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, कैसे उसे इसमें लिया जाए, इस बोर में तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट हर साल क्यों बनेगी? एक निर्वाचन प्रक्रिया विधान सभा और लोक सभा के लिए बनी है। हर साल जनवरी में जो बच्चे 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, उनकी वोट बनेगी। अब हर साल आप नई वोटर लिस्ट बनाएं, जब चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं तो अगर वोटर लिस्ट बनानी है तो पांच साल में एक बार ही बनाइए। हमारा सुझाव यह है कि बाद में, अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें हम बाद में लाएंगे, मेरा कहना है कि कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। आपने इसमें असेसमेंट की टैक्स की लिमिट 10 से 30 परसेंट कर दी,–मुझे नहीं लगता कि यह उपयुक्त है, इस पर आप सोचिए। बाद में इसमें आप चाहे परिवर्तन करिए या विचार करिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप दुरुस्त करेंगे। मैं यह समझता हूं कि आप इसके हिसाब से फैसला करेंगे।

मेरा आग्रह यह है कि आवासों के आवंटन में या भूमि के आवंटन के बारे में आप एक स्पष्ट राय बनाइए। आपने शायद राज्य सभा में अपने भाषण में यह कहा था कि छावनी क्षेत्र की भूमि का उपयोग विकास कार्यों के लिए प्रमोटर्स को नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग सैन्य कल्याण के लिए ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो छावनी क्षेत्र की भूमि है, किस प्रकार से लोगों ने उसे ट्रांसफर कराकर उस पर करोड़ों रुपये की बिल्डिंग बना ली हैं, मैं उनके नाम जानता हूं, लेकिन मैं नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा कि किस किसको आवंटित हुई हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इसके प्रति जवाबदेह हैं, कैसे हम जागरूक हैं कि डिफेंस लैंड का हम क्या करें। मैं खुद अपना उदाहरण बताता हूं कि आज व्यवस्था क्या है। मैं परसों रात को जन्माष्टमी के दिन बरेली कैंट में जाना चाहता था, मुझे सिपाही ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, हमने कहा कि हम आई कार्ड नहीं रखते हैं। हम तो वापस आ गए, हम नहीं गए। बाद में टेलीफोन आया कि आ जाइए, मैंने कहा कि क्या मतलब है। एक शहर के अंदर डीम्ड म्युनिसिपैलिटी की आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो आने–जाने के कोई रास्ता तो आप देंगे। हम निरंतर वर्षों से, जब से हम सांसद बने हैं, चिट्ठी लिखते रहे हैं कि यह रास्ता आज बंद कर दिया, वह रास्ता आज बंद कर दिया। एक क्षेत्र के अंदर यही लड़ाई लड़ते हैं। हमारे क्षेत्र में एक गांव ऐसा है, जो तीन ओर से मिलिट्री से घिरा हुआ है। संयोग से फायरिंग रेंज बराबर में है, आधे लोग उसमें सेना के रहते हैं। वहां रास्ता बनाने की बात आई तो इत्तेफाक से किसी अंग्रेज ने लिख दिया–मैंगो रोड–तो किसी ने कह दिया कि यह तो आम रास्ता है। उन्होंने समझ लिया कि यह फ्रूट है। उनसे कहा कि भाई अंग्रेजों को आम समझ में नहीं आया था, इसलिए आम रास्ते को उन्होंने मैंगो रोड लिख दिया। उस समय ब्रिगेडियर महोदय मान गए, जो वहां थे और रास्ता बन गया। अब वह कहते हैं कि यहां पर पानी के निकास के लिए थोड़े ही लिखा है।

महोदय, एक भरतौल गांव है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां 5000 की आबादी है और उसमें आधे से अधिक सेना के लोग रहते हैं। वे कहते हैं कि यहां से आदमी तो निकल सकता है, लेकिन सीवरेज का निकास नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि पानी कहां जाएगा? आपने बहुत विस्तार से इसे बनाकर प्रस्तुत किया है, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि वहां जाकर आप देखिए कि प्रैक्टिकल जमीनी समस्या क्या है? इसको आप कैसे हल करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे? इसके लिए जरूरी है कि लंबे समय तक बातचीत हो, सारे काम हों, यह बात हमारी भी समझ में आती है। मैं कहना चाहता हूं कि सभी 62 कैंटोनमेंट शहरों के मध्य में आ गए। मैं बरेली के कैंट को आइडियल मानता हूं। दूर–दूर से लोग

[श्री संतोष गंगवार]

उसे देखने के लिए आते हैं। उसे देखकर लगता है कि हर कैंटोनमेंट क्षेत्र को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। आप आम आदमी के साथ जुड़ें। अगर आप यह माने कि सेना का आदमी ईमानदार है और आम आदमी ईमानदार नहीं है, हमारी विश्वसनीयता पर संदेह हो और आप कहें कि जो सेना के अफसर कह रहे हैं, वही सही है, तो यह विचार करने का विषय होना चाहिए। जब छावनी क्षेत्र शहरों के मध्य में हैं, तो उनको चलाने की व्यवस्था को शहरों की व्यवस्था के अनुसार आपने नहीं जोड़ा, तो आप भले ही कोई विधेयक ले आइए और उसे पास कर लीजिए, पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, वे निश्चित रूप से बनी रहेंगी, मेरा ऐसा मानना है। मेरा आग्रह है कि आप इस ओर ध्यान दें।

बहुत से ऐसे छावनी क्षेत्र हैं, जो प्रिजर्व करने लायक हैं और उनकी बिल्डिंग्स प्रिजर्व करने लायक हैं। हमारे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी कहा है कि चाहे कौसानी हो, लैंड्सडाउन हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो या मऊ हो, ये बहुत वर्षों पुरानी कैंट हैं। जैसा कि आपने भी बताया था कि ये बैरकपुर के समय के इतिहास से चले आ रहे हैं। मेरे विचार में आता है कि ऐसे जो हमारे मान्यूमेंट्स हैं, उनको मेंटेन किया जाए। हमने बरेली के अंदर कोशिश की और वृक्ष कैंट का पुरस्कार, जो कि इंदिरा गांधी जी के नाम का था, वह बरेली छावनी को मिला। हम जानना चाहते हैं कि उसका फौलोअप क्या हुआ? सन् 2002–03 का वृक्ष मित्र पुरस्कार भी इसे ही मिला था। हमने काम करना चाहा, वहां के मौजूद अफसर ने भी काम करना चाहा, यह बात समझ में भी आई। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि काम करने वाले के लिए कोई रास्ता आड़े नहीं आता है, पर यह अलग बात है कि जो काम करता है, उसी की जांच होती है। अधिक काम अधिक समस्या। अगर कोई काम नहीं करेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी और जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी ज्यादा प्राब्लम रहेगी, यह बात हमारी भी समझ में आती है। हमने जो 9 संशोधन दिए हैं, उनमें एक यह है कि निर्वाचित सदस्यों के लिए क्या रोल रहेगा? जनप्रतिनिधि सदस्य रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? जिस प्रकार से आपने यहां वोटर लिस्ट की बात कही है, उसके बारे में भी आपको राय बनानी पड़ेगी। सीइओ के अधिकार कैसे रहेंगे, यह भी समझना होगा। अगर इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिल तो पास हो ही जाएगा, आप हमारे संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहने के लिए हमने संशोधन दिए थे, इनके ऊपर आप विचार करें, इनको आप दुरुस्त करें। भविष्य में यदि आपको आवश्यकता लगे, तो इसके अनुसार आप कार्य करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस चर्चा को अपराह्न 2.30 बजे से पहले समाप्त करना चाहता हूं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अपनी बात संक्षेप में समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : महोदय, क्या इसमें उत्तर शामिल है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर देने का समय अपराह्न 3 बजे होगा।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : इस विधेयक पर चर्चा हेतु तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है। अब तक कितना समय खर्च हो चुका है?

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि हमें अपराह्न 2.30 बजे तक चर्चा का उत्तर भी पूरा कर लेना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** : महोदय, तीन घंटे का समय दिया गया था और यह तय हुआ था कि बातचीत में थोड़ा–बहुत टाइम बढ़ सकता है। सदस्यों को पांच–सात मिनट बोलने का अवसर दीजिए। अभी तो यह साढ़े तीन बजे तक चल सकता है।

*[अनुवाद]*

**श्री खारवेल स्वाईं** (बालासोर) : महोदय, मेरे दल से सात वक्ता हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास भी कुछ सीमाएं हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (घाटल) : महोदय, संख्या के हिसाब से हमारे दल का समय काफी बाकी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो वहां तय हो जाता है, उसके बारे में आप मत कहा कीजिए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे छावनी विधेयक 2006 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम 80 वर्ष पुराना कानून बदलने जा रहे हैं। सन्

1924 में अंग्रेजों ने छावनी एक्ट को बनाया था। मैं इस विधेयक को बल भी देता हूं और इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां कहा गया है कि देश भर में 62 छावनियां हैं और उनके अंतर्गत 15 लाख एकड़ जमीन है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो 15 लाख एकड़ जमीन है, छावनी परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में रहने वाले लोगों को, चाहे भूतपूर्व सैनिक हों या वहां के बाशिंदे हों, कम से कम उन्हें उस जमीन पर रोजगार करने का अवसर दिया जाए।

कैंटोनमेंट बोर्ड की बस्तियों में छोटे तबके, अनुसूचित जाति के लोग और स्लम बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। आपने संचालन बोर्ड बनाकर कार्यप्रणाली को आगे विकास के लिए दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्लम बस्तियों में कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार होने चाहिए क्योंकि पहले बोर्ड के जो अधिकारी थे, उनका पूरा एकाधिकार था।

आपने इस एक्ट में 8 मनोनयन और 8 निर्वाचित सदस्यों को रखने का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वे एमएलएज़ हों या एमपीज़ हों, कम से कम उन्हें वोट ऑफ राइट होना चाहिए। हमें नगर निगम में भी वोट ऑफ राइट मिला हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड की जब भी मीटिंग हो, उन्हें आप पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित करें, ताकि वे भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के बारे में सुझाव दे सकें।

जैसे आपने नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने का अधिकार दिया है, वैसे ही बोर्ड को भी अधिकार दिया है, जिसमें वे कम से कम 10 प्रतिशत टैक्स और अधिक से अधिक 30 प्रतिशत टैक्स लगा सकते हैं। यह अपने आप में ठीक है। इस एक्ट में आपने लगभग 60 संशोधन की प्रक्रिया रखी है।

आपने इसमें अभी भी कमांडिंग ऑफिसर को चेयरमैन बनाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का तकाजा है, भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, इसलिए आप चुने हुए प्रतिनिधियों में से चेयरमैन बनाइए ओर उप–चेयरमैन कमांडिंग ऑफिसर को बनाएं तो मेरे ख्याल से वह ज्यादा अच्छा होगा।

इलाहाबाद में, माननीय मोहन सिंह जी ने छावनी विधेयक पर बोलते हुए एक समस्या रखी थी कि किले में, जहां संगम है, वहां एक अक्षयवट वृक्ष है। उस वृक्ष का काफी महत्व है। आदिकाल से धार्मिक दृष्टिकोण से भी जो लोग संगम में स्नान करने आते हैं, वे जब तक उस वृक्ष के दर्शन नहीं करते, वह स्नान सही मायने में पूरा नहीं माना पाता। पुराण और वेदों में भी कहा गया है कि अक्षयवट वृक्ष के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्व में तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने उसे खुलवाया था और बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने जाकर उस अक्षयवट वृक्ष को देखा था।

सम्मानित सदस्यों ने अपने–अपने क्षेत्रों की शिकायत की। इलाहाबाद के बारे में मेरी आपसे गुजारिश है कि कैंट एरिया में वीआईपीज़ को जाने देते हैं, उत्तर प्रदेश में अब बोर्ड, हूटर, लाल बत्ती आदि सब निकाल दिए गए हैं, पता नहीं लगता कि कौन से प्रतिनिधि जा रहे हैं या आ रहे हैं, उसे भी पनिशमेंट मिलती है।

हमारे क्षेत्र में एक नीवां गांव है, जो कैंट एरिया में आता है। दूसरा, कभी–कभी जब जाम लग जाता है तो हम लोग करिअप्पा रोड से गुजरना चाहते हैं, लेकिन वहां रोक लगा दी जाती है। मैं चाहता हूं कि नीवां गांव, करिअप्पा रोड को पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। जब वार टाइम हो, तब सुरक्षा की दृष्टि से उसे बंद कर दीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब वार पीरियड नहीं है या कोई और बात नहीं है, तो कम से कम उस रास्ते को खोल दिया जाए।

हमारे यहां रनवे है, एयरफोर्स का पूरा एरिया है। उमरी गांव की ज्यादातर जमीनें एयरफोर्स ने कब्जे में कर रखी हैं। वह मेन रास्ता है और बड़े प्रयास के बाद वह रास्ता खोला गया है। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र से गुजरते हैं। मैं चाहूंगा कि आप या तो उमरी गांव को कहीं और बसा दें या उमरी गांव के भगवतपुर के रास्ते को खोल दिया जाए, जिससे तमाम लोगों को आने–जाने में सुविधा हो जाए। यह बिल कहता है कि हम यहां जो भी काम कर रहे हैं, वह जनमानस में जनता के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि उमरी गांव या भगवतपुर के रास्ते खोल दिए जाएं, तो मेरे ख्याल से आम जनता को इससे सुविधा होगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री नवीन जिन्दल** (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में इस विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका कृतज्ञ हूं। मैं छावनी विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

[श्री नवीन जिन्दल]

जैसा कि सदस्यों को पता है, सभी छावनियां केन्द्र के अधीन हैं और उन क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय निकाय छावनी अधिनियम, 1924 के अनुसार राज्य नगरपालिका कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब सभी छावनी बोर्डों का नगरपालिका जैसा दर्जा प्राप्त होगा। छावनी बोर्डों के सदस्यों के चुनाव में महिला तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा।

छावनी बोर्डों को कर लगाने और अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होगा। बोर्डों को सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वे लाभ भी उपलब्ध होंगे जो वर्तमान में नगरपालिकाओं को उपलब्ध हैं। अब छावनी बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्वामित्व वाली संपत्तियों पर सेवा प्रभार वसूलने के हकदार होंगे।

विधेयक के अनुसार, छावनी बोर्डों का लोकतंत्रीकरण किया जाएगा। सभी छावनी बोर्डों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या छावनी बोर्डों की श्रेणी के अनुरूप दो से आठ तक बढ़ाई गई है।

बोर्डों की सभी बैठकों में संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे। वर्तमान विधेयक में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। यह मुद्दा अन्य अनेक सदस्यों द्वारा भी उठाया गया है। मेरा निवेदन है कि यह अधिकार संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को अवश्य दिया जाए, तभी उनका इन बैठकों में जाना अधिक अर्थपूर्ण होगा।

इन सभी उपायों के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जाएगा।

रक्षा भूमि के प्रबंधन हेतु एक नया अध्याय पंद्रह इस विधेयक में अंतर्विष्ट किया गया है। वर्तमान में, 17 लाख एकड़ जमीन में से मात्र दो लाख एकड़ जमीन का प्रबंधन किया जा रहा है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् केन्द्र सरकार रक्षा भूमि को अधिसूचित करने तथा भूमि प्रबंधन नीतियों और अभिलेखों को सुदृढ़ बनाने में समर्थ होगी। सरकार भूमि के दुरुपयोग का और बेहतर तरीके से पता लगाने में भी समर्थ होगी।

पूरे देश में स्थित रक्षा भूमि के अतिक्रमण की समस्या को भी इस विधेयक के अंतर्गत शीघ्रतापूर्वक निपटाया जा सकेगा। उपर्युक्त प्रावधान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अभिगोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सरकार को प्राप्त वर्तमान शक्तियों के अलावा हैं।

मैं माननीय रक्षा मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि चूंकि छावनियों में खेलकूद का माहौल होता है, वे यदि खुले मैदान रखें और आम नागरिकों के लिए स्टेडियम एवं खेल सुविधाएं यथा स्वीमिंग पूल, एथलेटिक स्टेडियम, फुटबाल मैदान, हॉकी ग्राउंड इत्यादि तैयार कर सकें तो कल सेना व रक्षा सेवाएं पूरे देश में खेलकूद को बढ़ावा देने में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ होंगी।

विकासात्मक गतिविधियों को आवश्यक बढ़ावा देने हेतु शहर योजना तथा भवन नियंत्रण के लिए एक नया अध्याय दस इस विधेयक में जोड़ा गया है। इससे छावनी बोर्ड शहर योजना, वृद्धाश्रम, अपंग व निराश्रय व्यक्तियों हेतु आवास, नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल, वर्षा जल संचयन, अपारंपरिक ऊर्जा तथा पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण अन्य विविध क्रियाकलाप जैसी विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने में सक्षम होंगे।

सभी भारतीयों को हमारी छावनियों पर गर्व है। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है जब हम इन छावनियों में जाते हैं और यह देखते हैं कि कैसे योजनाबद्ध ढंग से क्रियाकलाप किए जा सकते हैं और कितनी अच्छी तरह से लोग यहां रहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री और सरकार को रक्षा भूमि के प्रभावी प्रबंधन करने और छावनी क्षेत्रों के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे मेरे क्षेत्र में दो छावनियां हैं—अजमेर और नसीराबाद। नसीराबाद की छावनी बहुत पुरानी है। हालांकि अजमेर छावनी में कैंटोनमेंट एरिया बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपने जो 62 कैंटोनमेंट एरियाज की लिस्ट दी है, उसमें अजमेर और नसीराबाद भी शामिल है। वैसे यह छावनी एक्ट 1924 में बना था। उसके बाद इसमें 25 बार संशोधन भी हुए हैं और समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें बराबर संशोधन होते रहे। इसी तरह जब संविधान में 74वां संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से नगरपालिकाओं को विशेष अधिकार दिए गए और विकास के कई नए आयाम खुले, तो उसके बाद यह स्वाभाविक ही था कि कैंटोनमेंट कानून में भी संशोधन हो। जब श्री जार्ज फर्नांडीज जी एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री थे, उस समय यह बिल वर्ष 2003 में तैयार किया गया और स्टैण्डिंग कमेटी के पास भेजा

गया। उसके बाद बीच में लोकसभा भंग हो गई। जब यूपीए सरकार आई तो उसने इसे पुनः स्टेंडिंग कमेटी के पास भेजा। इस तरह लगभग ढाई वर्ष पश्चात् यह बिल हमारे सामने आया। अगर यह थोड़ा जल्दी आता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है कि देर आए पर दुरुस्त आए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, खासकर मेरे क्षेत्र की नसीराबाद छावनी के बारे में, कि वहां पर कैंटोनमेंट एरिया में आर्मी के लोगों के मांस वगैरह की सप्लाई करने हेतु बूचड़खाने खोले गए हैं। इसके बारे में वहां के नगारिकों ने सैकड़ों बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलेक्टर, वहां आर्मी के स्टेशन ऑफिसर और आर्मी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है—जीओसी—के पास अपनी शिकायतें भेजी हैं। सभी ने इसकी जांच-पड़ताल की और सभी ने माना कि इनसे काफी गंदगी और प्रदूषण फैल रहा है। हालत यह है वहां जो आबादी है, उसमें कुछ लोगों के घरों में यह काम हो रहा है, जो गंदगी का बाहर फेंक देते हैं। इसके पास में ही स्कूल हैं, जहां मिलिटरी वालों के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। मिलिटरी वालों के मकान भी सिविलियन आबादी में बने हुए हैं, जहां वे लोग किराए पर रहते हैं। इससे वहां गंदगी का वातावरण बना रहता है, लेकिन वहां कैंटोनमेंट बोर्ड में कोई इस बारे में सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार की मानवीय और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सैनिकों के लिए पानी वहीं से भरते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है। विसलपुर का पानी नसीराबाद में आता है। वहां एक स्थान तय कर रखा है जहां आर्मी की गाड़ियां—टैंकर्स भरकर जाते हैं, लेकिन उस स्थान के पास ही गंदगी का ऐसा वातावरण है। इसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार, पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा गांवों इत्यादि में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनाए गए, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया में इससे मना कर दिया। राज्य सरकार ने मना कर दिया कि यह तो कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए हम उनके बीपीएल कार्ड नहीं बनाएंगे। कैंटोनमेंट एरिया में जो स्टेशन ऑफिसर या सीईओ आदि अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया कि यह हमारा काम नहीं है, यह राज्य सरकार का काम है। इसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन सके। पिछले दो साल से मैं लगातार रक्षा मंत्री जी को लिखता आ रहा हूं और बाद में आपके कहने पर मैंने राज्य सरकार को लिखा तो अब जाकर राज्य सरकार ने इसके लिए आर्डर दिया है। कैंटोनमेंट एरिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को न तो राशन मिलता था, न मिट्टी का तेल मिलता था और न ही कोई अन्य सुविधा मिलती थी क्योंकि राज्य सरकार और कैंटोनमेंट बोर्ड, दोनों एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते थे। इसलिए आप कैंटोनमेंट एरिया में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की विकास की योजनाएं वहां पर सरलता से क्रियान्वित की जा सकें। इसके लिए वहां के स्टेशन ऑफिसर या सीईओ को आदेश प्रदान किया जाए ताकि कैंटोनमेंट एरिया में रहने वली जो सिविलियन पॉपलेशन है, वह वंचित और उपेक्षित नहीं अपितु राज्य की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मेरे क्षेत्र में जो कैंटोनमेंट हैं, मैं उनकी समस्याओं से परिचित हूं और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं।

महोदय, तीसरी समस्या यह है कि ब्रिटिश टाइम में कैंटोनमेंट के लिए बहुत सारी जगह घेर दी गई, जिसमें से बहुत सारी जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है। वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन बहुत बस गई है, जिनको मकान बनाने के लिए जगह चाहिए और आपकी जगह खाली पड़ी हुई है। उस भूमि के प्रयोग में आर्मी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यदि वह जगह आर्मी के काम नहीं आ रही है और कई वर्षों से खाली पड़ी है, तो सिविलयन पॉपुलेशन के लिए एरिया बढ़ाया जाए ताकि सिविल एरिया में रहने वालों को मकान वगैरह बनाने की सुविधा वहां प्राप्त हो सके।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कई जगह राज्य सरकार हमें सूचित करती है या केन्द्र सरकार सूचित करती है कि आपके क्षेत्र में ये-ये विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में न तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से, न ही पुणे में जो डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स हैं, उनकी तरफ से और न ही दिल्ली के आर.के. पुरम ऑफिस की तरफ से हम लोगों को कोई सूचना मिलती है कि इतने करोड़ रुपए आपके यहां विकास के लिए भेजे गए हैं, जिससे नालियों, सड़कों आदि का निर्माण और मरम्मत होगी। यह जानकारी वहां के सांसद को मिलनी चाहिए, क्योंकि वह एक तरह से केंद्रीय सरकार का, जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उसे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। आपने व्यवस्था की है कि समिति में इतने सदस्य मनोनीत होंगे, लेकिन यदि सारी पावर्स सीईओ को दे देंगे और वही सर्वेसर्वा रहे तो तानाशाही चलेगी। यह ठीक है कि

[प्रो. रासा सिंह रावत]

वही मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। इसलिए जो आपने लोकतंत्रीकरण किया है, उसे पूरा करें और वहां के विधायक और सांसद को वोट देने का अधिकार हो, साथ ही उसे अपनी राय देने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा जब भी मीटिंग हो, उसे अवश्य बुलाया जाना चाहिए, ताकि वह सही प्रकार से जनता की समस्याओं के बारे में अपना पक्ष रख सके।

कैंटोनमेंट इतना बड़ा बोर्ड होता है कि वहां बंदरों और लंगूरों को पकड़ने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे नसीराबाद छावनी क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय है, जिसमें फौजियों और अधिकारियों के 500 बच्चे पढ़ते हैं। उस विद्यालय में एक बार बंदर आ गया और पांच दिन तक वह स्कूल बंद रहा। कैंटोनमेंट एरिया के अधिकारियो के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि उसे पकड़ा जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि उसेन कई बच्चों को काटा। इस बारे में वहां के अखबारों में भी काफी चर्चा हुई थी। बात बहुत छोटी है और हंसने लायक है, लेकिन इस पर गौर किया जाना चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया के अधिकारियों में लगता है कि संवेदनशीलता नहीं रही। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जो केन्द्रीय विद्यालय वहां खोला गया है, वह उन्हीं के बच्चों के लिए खोला गया है। इस तरह की समस्याओं का समाना वहां के लोगों को करना पड़ता है।

कैंटोनमेंट एरिया में अंग्रेजों के जमाने के जो एनशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी व्यवस्था और देखभाल भली प्रकार से की जाए। जब तक आर्मी वहां रहती है, तब तक व्यवस्था ठीक रहती है। लेकिन जब कोई आर्डर आ जाता है, आर्मी बोर्डर या आपरेशनल एरिया में चली जाती है, पीस एरिया में नहीं रहती, तो उसके पीछे जो अधिकारी वहां रहते हैं, देखा गया है कि कैंटोनमेंट एरिया की मेनटेनेंस ठीक से नहीं हो पाती है। मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न आए, भले ही बड़े-बड़े अधिकारी आपरेशनल एरिया में चले जाएं।

कैंटोनमेंट एरिया में जहां चांदमारी का क्षेत्र होता है, जहां मिलिटरी वाले गोली चलाना सीखते हैं, वह एरिया जंगल होता है या गांव के पास होता है। इससे होता यह है कि आसपास के गांवों के जानवर गाय, बकरियां आदि चरते-चरते उस एरिया में चले जाते हैं। वहां पर कई बार देखा गया है कि बिना फटे हुए कारतूस पड़े रहते हैं या आधे बुझे हुए होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार उनमें विस्फोट हो जाता है और वे जानवर तथा उन्हें चराने वाले लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बात न हो और जो चांदमारी का क्षेत्र है, वहां सख्ती होनी चाहिए, ताकि अनयूज्ड मेटीरियल वहां न पड़ा रहे। इसके अलावा वहां ऑक्ट्राय कम करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री तरित बरण तोपदार** (बैरकपुर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक की मौलिक विषय-वस्तु छावनी बोर्डों का लोकतंत्रीकरण और बोर्ड को कुछ उत्तरदायित्व सौंपना है।

इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायकों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे अन्य लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। मैं संसद सदस्यों को मत देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। साथ ही, संसद सदस्यों को छावनी बोर्ड की बैठकों में सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए, मतदाता के रूप में नहीं।

दूसरे, मैं छावनियों के वर्गीकरण की बात करता हूं जिसका यहां उल्लेख किया गया है। यह जनसंख्या पर आधारित है। उदाहरणार्थ, 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाली छावनी को श्रेणी-I के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे ऐसा ही वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण की इस प्रक्रिया में छावनियों में रह रहे सैन्य कर्मियों की संख्या के महत्व पर विचार किया जाना चाहिए।

कुल संख्या की जनसंख्या के रूप में गणना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वर्गीकरण के लिए छावनी में रह रहे सैन्य कर्मियों की संख्या को महत्व दिया जाना चाहिए।

फिर भू-प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों एवं कारणों के वक्तव्य में यह कहा गया है कि छावनी क्षेत्र के अंदर और बाहर की सैन्य भूमि की छावनी बोर्ड द्वारा निगरानी अथवा समायोजन अथवा नियंत्रण किया जाएगा, परन्तु मैं पाता हूं कि इस आशय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यहां यह कहा गया है कि केंद्र सरकार पूरे भारत के सीमा क्षेत्र में स्थित किसी भी सैन्य भूमि का विनियमन, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु उपर्युक्त प्रावधान करेगी। उप-खंड (क), (ख), (ग) और (ङ) में निहित उपबंधों को पढ़ने के पश्चात् मैं ऐसा कुछ भी नहीं पाता कि छावनी बोर्ड कुल भूमि के प्रबंधन के लिए कहां से शक्ति प्राप्त करेगी। लेकिन उन शर्तों जिनके अधीन छावनी से बाहर की केंद्र सरकार से संबंधी सैन्य भूमि पर कब्जा करने की

किसी अनुमति का निर्धारण किया गया है, परन्तु किसी विशिष्ट शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है और यह भी वर्णन नहीं किया गया है कि भूमि धारण इत्यादि में छावनी बोर्ड की शक्तियां क्या होंगी।

फिर, यह रक्षा भूमि की बात करता है जिस पर किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन द्वारा पट्टे के अधीन अथवा किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत कब्जा किया गया है और यह बताता है कि उक्त भूमि रक्षा भूमि रहेगी। अंततः, यह प्रावधान किया गया है कि रक्षा संपदा महानिदेशक के अधिकार सर्वोपरि हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि छावनी बोर्ड भू-प्रबंधन के अभिलेखों का रख-रखाव करेंगे। मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। परंतु इस विधेयक के 'रक्षा भूमि प्रबंध' संबंधी अध्याय का सारांश यह है कि छावनी बोर्ड अभिलेखों का रख-रखाव करेगा और कुछ नहीं। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम कुछ शक्तियां, असाधारण शक्तियां नहीं, छावनी बोर्ड को रक्षा भूमि के उपयोग के प्रश्न पर दी जानी चाहिए।

महोदय, कई स्थानों पर रक्षा भूमि बेकार पड़ी है और ये सदियों तक बिना किसी प्रयोजन के बेकार पड़ी रहेगी और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकेगा। परंतु मैं चाहता हूं कि उक्त भूमि का लाभ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में रक्षा संपदा के महानिदेशक के विचार अंतिम होंगे। यह ठीक है, परंतु उन्हें छावनी बोर्ड के सुझावों पर गौर करना चाहिए। विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए। अन्यथा, छावनी के अंदर और बाहर की भूमि का समुचित ढंग से उपयोग नहीं हो सकेगा।

**अपराह्न 2.00 बजे**

अब छावनी अपने छावनी क्षेत्र के बाहर भी भू-प्रबंधन करेगी। परंतु अधिनियम के प्रावधान इस विधेयक के उद्देश्य में प्रज्ञापित विचार को संपुष्ट नहीं करते हैं।

अंततः मेरा निर्वाचन बैरकपुर है। बैरकपुर देश की पहली और सबसे पुरानी छावनी है। बैरकपुर भारतीयों के प्रथम सवतंत्रता संग्राम का विशेषकर सिपाही मंगल पांडेय और अन्य का शहीद-स्थल है।

अतएव, इस विधेयक को पारित करने के दौरान मैं माननीय रक्षा मंत्री से बैरकपुर को विरासत एवं ऐतिहासिक स्थान घोषित करने का अनुरोध करता हूं। यह भी उपबंध किया जाना चाहिए कि इस देश के और विश्व के लोग भी यह जान सकें कि बैरकपुर सबसे पुरानी छावनी है और यह एक ऐतिहासिक स्थल है।

**प्रो. चन्द्र कुमार** (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, छावनी विधेयक 2006 काफी व्यापक विधेयक है और सभी छावनियों की समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस विधेयक का अधिनियमन छाविनयों के प्रशासन से संबंधित कानून का समेकन और संशोधन करके किया गया है जिसका उद्देश्य अधिक प्रजातंत्रीकरण करना, उनके विकासात्मक कार्यकलापों और उनसे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु उनके वित्तीय आधार में सुधार करना है।

*[हिन्दी]*

महोदय, इस बिल में कैंटोनमेंट एरिया के रखरखाव के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए काफी बातें कही गई हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से सांसद हूं और कांगड़ा-चंबा मेरा संसदीय क्षेत्र है। यहां सबसे पुराना कैंटोनमेंट योल कैंप है। इसके साथ डलहौजी कैंटोनमेंट है और इसी तरह से दो-तीन कैंटोनमेंट उस एरिया में हैं। जब ये कैंटोनमेंट बने थे, उस वकत कोई शहर इनके नजदीक नहीं था। ये ऐसी जगह पर बनाए गए थे जो पहाड़ी थे, वहां का ड्रेनेज पैटर्न ठीक था, भौगोलिक स्थिति ठीक थी। लेकिन 25-30 साल में इतना परिवर्तन हुआ है कि इन कैंटोनमेंट एरियाज में नेशनल हाईवे बीच में बन गए। जैसे पालमपुर का एरिया है, होटा का एरिया है, उसके बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग मनाली को जाते हैं। उसके नजदीक जो गांव के रास्ते हैं, वे सारे बंद कर दिए गए हैं। मेरी रक्षा मंत्री से मांग है कि जब यह एक्ट इनेक्ट किया गया था तो कम से कम वहां के लोकल लोगों की मुश्किलों को मद्देनजर रखना चाहिए था, क्योंकि जब 1924-25 में ये कैंटोनमेंट बने, वहां पर मिलिटरी के लोग ठहरते थे और उस जगह का विकास उसी तरह से हुआ। वहां जो सिविलियंस साथ के इलाकों में रहते थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के संदर्भ में जहां-जहां कैंटोनमेंट बने हुए हैं उनकी चारदीवारी कर दी गई है। गांवों का पानी कैंटोनमेंट को जाता है, उसके लिए लोगों के अपने राइट्स हैं। जैसे योल कैंप का कैंटोनमेंट था, उसके नजदीक बहुत सी सार्वजनिक कूलें थीं, जिनसे कैंटोनमेंट वालों को पानी दिया जाता था। लेकिन बाद में कैंटोनमेंट वालों ने उन कूलों का नियंत्रण अपने पास रख लिया और वहां के बहुत से इलाके सिंचाई से वंचित हो गए। बहुत सी सड़कें बीच में से गांवों को जाती थी, लेकिन अब उन गांवों में जाना हो तो 10-12 किलोमीटर अलग रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है। इसलिए मेरा रक्षा मंत्री से निवेदन है कि जब एक्ट एनेक्ट

[प्रो. चन्द्र कुमार]

किया गया था तो कम से कम लोकल कैंटोनमेंट के लोगों की बेसिक समस्याएं थीं, एमेनिटीज ऑफ लाइफ अवेलेबल थी—चाहे पीने के पानी की समस्या थी, चाहे खेती—बाड़ी करने का ढंग था, उसे भी मद्देनजर रखना चाहिए था। कैंटोनमेंट में अंग्रेजों के जमाने का कार्यक्रम है। अगर किसी ने कैंटोनमेंट से गुजरना है तो वह रात को दस बजे वहां से गुजर नहीं सकता है, उसे परमिट लेना होगा, किसी किसान या मरीज ने जाना है, किसी ने हॉस्पिटल दूर—दराज जाना है तो सड़क बीच में से गुजरती है, वह वहां से गुजर नहीं सकता है। इसमें प्रपोज किया गया है कि कैंटोनमेंट कमेटी बनेगी, वह वहां बैरेज भी लगा सकती है और टॉल टैक्स भी लगा सकती है। किसी कैंटोनमेंट से नेशनल हाईवे जा रहा है,या वहां विलेज की सड़क जा रही है तो टैक्सेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई साधारण आदमी अपने व्हिकल्स से गुजरेगा तो उसे समस्या का सम्मना करना पड़ेगा। मैं यह पोल कैंप की बात कह रहा हूं। इसी तरह से वहां म्युनिसिपल कार्पोरेशन और कैंटोनमेंट साथ—साथ है—जैसे धर्मशाला का कैंट है, मकरौन कैंट का म्युनिसिपल कार्पोरेशन और कैंटोनमेंट साथ—साथ है—जैसे धर्मशाला का कैंट है, मकरौन कैंट का म्युनिसपल कापोरेशन है, धर्मशाला का म्युनिसिपल कार्पोरेशन है, बैरेज पर टैक्सेशन ज्यादा होगा तो एक ही व्हिकल को कितनी बार टैक्स देना होगा? इससे वहां के टूरिज्म को धक्का लगेगा और टूरिस्ट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन वहां के लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं, 20–25 साल से वे समस्याएं वैसी की वैसी बनी हैं, उनको दूर करने का इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन कैंटोनमेंट्स के एमएलएज हैं, उनके लिए वोट ऑफ राइट का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे हम बाहर के लोगों को आने का इनविटेशन देंगे। वे वहां बैठेंगे और कैंटोनमेंट का कमांडिंग ऑफिसर चेयर करेगा। मैं चाहता था कि अगर डेमोक्रेटिक सैट आप में इन चीजों को करना चाहते हो तो जैसे जिला परिषद या ब्लॉक समिति में जो बीडीओ है या डिप्टी कमिश्नर मैम्बर सेक्रेटरी होता है, वैसे ही चुने हुए प्रतिनिधि उसे चेयर करने चाहिए और वहां की लोकल प्रॉबलम्स को देखना चाहिए। अगर वही पुराना वातावरण ब्रिटिश जमाने का रखेंगे तो डेमोक्रेटिक सैट अप में छावनियों का उद्देश्य ही विफल हो गया है। मैं चाहता हूं कि कैंटोनमेंट के एडजॉयनिंग एरियाज को लिखा जाए। इसके साथ कैंटोनमेंट के एरियाज को बढ़ाना होगा।

*(व्यवधान)* वहां आठ हफ्ते का नोटिस भी दिया जाएगा यानी आठ हफ्ते में नोटिस भी दिया जाएगा, पूरी प्रक्रिया भी की जाएगी, पेमेंट भी की जाएगी और जमीन भी एक्वायर की जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाता है। जिसकी जमीन जा रही है उसे मौका देते हैं। इसी तरह से एवार्ड एनाउंस होता है उसके बाद दूसरी प्रक्रिया चलती है। इन सभी बातों को रखते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा कॉम्प्रीहैंसिव बिल है। मैंने जो कुछ भी कहा है उन्हें सम्मिलित करके समस्या का समाधान किया जाए। आपने मुझे बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्वाइंट्स ही रखूंगी। मुझे एक मिनट बोलने का समय ज्यादा देना और इसलिए देना कि मेरे अपने क्षेत्र में जो महू कैंटोनमेंट एरिया है, उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं उसकी तरफ थोड़ा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 1821 में जो ट्रीटी हुई थी जिसे मनसौर ट्रीटी कहते हैं जो महाराजा होल्कर और ब्रिटिश शासन के बीच थोड़ा युद्ध में हारने के बाद हुई थी। उसमें होल्कर महाराजा ने केवल ट्रुप्स रखने के लिए थोड़ी सी जगह कैंटोनमेंट महू के आसपास की ब्रिटिश कैंटोनमेंट के लिए दी थी लेकिन परिस्थितियां बदलती गईं। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि 1944 में क्राउन प्रतिनिधि का पत्र क्रमांक 15/45 में स्पष्ट किया है कि जीएलआर 8 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम गलत दर्ज है। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में थोड़ी जानकारी लेने का कष्ट करें। मिलिट्री अथॉरिटी या क्राउन प्रतिनिधि का इस पर अधिकार नहीं है, इसके वास्तविक स्वामी होल्कर दरबार हैं। इसलिए 1947 में होल्करों का जो कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ था, उस प्रस्ताव में कहा गया कि ठीक है सेना को जो कब्जा है, वह अस्थायी तोर पर बना रहेगा और शासन को भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। यह उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ, जब मध्य भारत से मध्य प्रदेश बना तो यह पूरा एरिया स्टेट को जाना चाहिए था, लेकिन यह स्टेट को नहीं गया, बल्कि यह भारत सरकार के आधिपत्य में आ गया। डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं न कहीं इस बारे में कोई गलती है। मैं इस पर अलग से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदय, आज जो बिल आया है, यह बहुत बड़ा बिल है, लेकिन आप मुझे बोलने के लिए केवल पांच मिनट का समय दे रहे हैं, फिर भी मैं प्वाइंट्स रखने की कोशिश करूंगी। आज की तारीख में कैंटोनमेंट का जो सिविल एरिया है, इस सिविल एरिया की जो स्थिति है, उसे आपने बिल में रखा है—फॉर ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन, आपने यह शब्द यूज किया है। यदि आप वास्तव में ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन के लिए यह बिल ला रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि

कैंटोनमेंट बोर्ड का जो प्रेसीडेंट है, उसे इलेक्टिड पर्सन्स में से बनना चाहिए न कि किसी कमांडिंग ऑफिसर को बनाना चाहिए। वास्तव में वहां डेमोक्रेसी की यह पहली शुरुआत हो सकती है। इसके बाद आपने बैटर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट कहा है। आवश्यकतानुसार बैटर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है। अगर सिविल एरिया की पापुलेशन 80 परसेंट हो गई और 20 परसेंट कैंटोनमेंट एरिया की पापुलेशन हो गई और खर्चा करते समय 20 और 80 का रेश्यो हो गया, यानी बीस परसेंट सिविल एरिया पर खर्चा हो रहा है और 80 परसेंट कैंटोनमेंट के अपने एरिया पर खर्चा हो रहा है तो इसमें कौन सा बैटर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट है, कृपया इस बारे में सोचें।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या स्टेट की स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है या अलग-अलग योजनाएं हैं, लेकिन उसमें यह स्थिति हो जाती है। मराठी में एक कहावत है—"आई जेऊ घालीना, बाप भीख मांगू देईना"। इसका मतलब यह है कि मां खाना नहीं खिला रही है और पिता भीख मांगने नहीं दे रहा है। इस तरह दोनों तरफ से बच्चा खाली पेट चल रहा है। ऐसी ही स्थिति आज सिविल एरिया की हो रही है। इसमें चैप्टर-3, क्लाज-235 में कहा गया है—सी.ई.ओ. को आपने पूरी पावर्स दी हैं। इन पावर्स के बाद सी.ई.ओ. का नादिरशाह जैसी मानसिकता बन जाती है। उसे आपने पूरी पावर्स दी हैं। नई कंस्ट्रक्शन की परमीशन देना ठीक बात है। लेकिन इमारत की रिपेयर भी करनी है तो उसकी परमीशन भी सी.ई.ओ. देगा। लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं बने हैं। अब बदलती हुई परिस्थिति में एफ.एस.आई. की थोड़ी ज्यादा गुंजाइश रखने की आवयकता है, क्योंकि पापुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी मुझे एक उत्तर दिया गया था कि बिल्डिंग की परमीशन दी जा रही है, लेकन वह कब दी जा रही है, कोई बात टाइम बाउंड परमीशन के लिए नहीं कही गई है कि यह विदइन टू मंथ्स या विदइन थ्री मंथ्स दी जाएगी। मकान बनाने के लिए सी.ई.ओ. परमीशन दे, वह अलग बात है। लेकिन मकान को रिपेयर कराने की परमीशन भी नहीं दी जाती है। नई बिल्डिंग बनाने की परमीशन नहीं देते हैं, लेकिन रिपेयर कराने की परमीशन भी नहीं देते हैं। मैंने खुद देखा है, हमारे एरिया में कई इमारतें सौ-सौ साल पुरानी हो गई हैं, मकान का आधा हिस्सा गिर गया है, लेकिन छः-छः महीने और साल-साल भर तक भी परमीशन नहीं दी जाती है, आखिर कोई कहां तक दौड़ेगा। इसलिए कोर्ट में केस चलते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं तो गरीब बेचारा वैसा का वैसा ही पड़ा रहे।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि वास्तव में डवलपमेंट की बात उसमें कही गई है। लेकन डवलपमेंट के मामले में सिविलियंस के पूरे अधिकार यदि आपको अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है आप रखिए, मैंने यह सुझाव वहां के कमांडर को दिया था। लेकिन सिटी प्लानिंग होनी चाहिए जिसे टाइम प्लानिंग कहते हैं। आप टाइम प्लानिंग करके दीजिए। आज की तारीख में यह है कि वहां इतना बस्ती बढ़ रही है लेकन सड़कें वैसी की वैसी यानी छोटी ही हैं। जो सड़कें आती हैं, वहां उन पर अधिकार कैंटोनमेंट का है लेकिन ट्रैफिकिंग का काम स्टेट की पुलिस करेगी, बिजली स्टेट का विषय है। दोनों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठता है। इसलिए मैंने जो कहा कि 'आई जेऊ घालीना, बाप भीख मांगू देउ न।' वही स्थिति वहां पर होती है। इस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन वहां पर इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। वास्तव में बंगला एरिया के लिए मैंने कहा था कि पहले जमाने में यह हुआ था कि ब्रिटिशों के जमाने में ब्रिटिशों ने यह एलाउ किया था। अलग-अलग कैंटोनमेंट में अलग-अलग सिटी हैं। उन्होंने कुछ लोगों को, अपने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स को कुछ एरिया देकर कि आप यहां पर बंगला बना दो और आर्मी ऑफिसर्स को ही दो, ऐसा करके रेंटेड जमीन दी थी। उसे बंगला एरिया कहते हैं। हालांकि यह सब महू में लागू नहीं हो सकता। जो शुरू में मैंने कहा, इसलिए डिस्प्यूट तो वहीं से है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है। धन्यवाद।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :** उपाध्यक्ष जी, थोड़ा सा समय मैं और लेना चाहूंगी। फिर भी यह जो बंगला एरिया पांच एकड़ में यह जो बंगला बना हुआ है, आज की तारीख में ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती। यह बहुत पुराना हो गया है। वहां कोई भी स्कीम लानी हो तो मेरा बार-बार निवेदन यही होता है चूंकि वहां के लिए परमिशन नहीं मिलेगी और जब हमने कहा कि आप परमिशन दे दो कि ऐसी स्कीम यहां पर लागू हो सकती है और फिर उकसे अनुसार जो मालिक हैं, उनको परमिशन दे दो। मगर किसी भी प्रकार से वहां नहीं होता है और बेतरतीब तरीके से इललीगल कंस्ट्रक्शन वहां होते हैं, नोटिसेज दिए जाते हैं और कोर्ट का काम हम बढ़ाते जाते हैं। मैं चाहूंगी कि इस पर कोई न कोई प्लानिंग बनाकर सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मेरे दो प्वाइंट हैं, एक तो जनरल लैंड रजिस्टर वहां पर उपलब्ध नहीं होता। अगर आपने उसमें कुछ बदलाव किया है तो यह देखने के लिए नहीं दिया जाता है। कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं कि हर साल कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे दशहरे का उत्सव है और उन्हें मालूम है कि वह कस्टोमरी अफेयर है और वह

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

यहां पर मनाना है। अब ये इतना बड़ा एरिया अनयूजफुल है और यह ऐसे पड़ा हुआ है और भले वह मिलिट्री के ग्राउंड पर है और वहां पर अगर दशहरा मनाना हो तो दशहरा मनाने के लिए परमिशन ढंग से नहीं दी जाएगी। जब मालूम है कि हर साल दशहरे का एक तयशुदा कार्यक्रम रहता है मगर उसमें भी एक घंटे में खाली करो, दो घंटे में खाली करो, और उसके बाद जिस तरीके से व्यवहार होता है, ब्रिटिश इंडिया में जो हमें याद है, उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स 'ब्लडी इंडियन' कहकर बोलते थे या काला आदमी बोलते थे क्योंकि उनके मन में एक हेयता का भाव था। जिस तरीके से वहां के लोगों को दुत्कार दिया जाता है, बाहर किया जाता है कि दो घंटे हो गए हैं, चलो–चलो करके उनहें दुत्कार दिया जाता है। दशहरा एक ट्रेडीशनल फेअर है, उस समय ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए इसके लिए कोई नियमावली बनाई जाए। इसमें कोई भी नियमावली नहीं है। न मकान मोर्टगेज कर सकते हैं, न लोन सुविधा है और न कृषि भूमि के लीज का नवीनीकरण है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में आज वहां के सिविलियन्स रह रहे हैं।

सिविल एरिया बढ़ाने की बात मैं कहना चाहती हूं। महू कैंटोनमेंट की परिस्थिति ऐसी है कि किस तरीके से लोग रहे रहे हैं, वह अगर आप एक सेकेंड देखें कि महू का टोटल एरिया 4190 एकड़ है, सिविलियन्स के लिए 241 एकड़ है। उसमें से सड़क वगैरह जाकर समझिए कि 240 एकड़ है और वहां 80,000 लोग रहते हैं और उधर 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, वह भी हमने मान लिया। अब सिविल एरिया बढ़ाने के लिए जो मैं कहना चाहती हूं कि 80,000 लोग दो सौ एकड़ में हैं यानी एक स्क्वेयर में पांच–पांच लोग रहो। उसमें दंगे होते हैं,वहां मुस्लिम पोपुलेशन भी बहुत है। हमने सिविल एरिया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मगर मनोवृत्ति कैसी है कि वह प्रस्ताव यहां तक आया भी था। अभी–अभी मुझे उत्तर मिला है कि वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है और कब निरस्त हुआ जब चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां नहीं थे और अभी कैंटोनमेंट बोर्ड डिजॉल्व हो गया है और वहां मिलिट्री के अधिकारी बैठे हैं। सिविल ऐरिया बढ़ाएं। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर यही मानसिकता रही तो कैसे होगा? आज तो हमारी आर्मी है, हमारे लोग हैं। मैं जानती हूं कि ये लोग हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं लेकिन अगर उसमें और सिविलियन्स में फर्क रहा तो यह मानसिकता कब तक ऐसे चलेगी? इस प्रकार से तो लोकतंत्र शब्द केवल शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस ओर ध्यान दें।

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे छावनी विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

उपाध्यक्ष जी, आज देश में ऐसे 62 छावनी बोर्ड हैं। आज 80 सालों के बाद इस विधेयक के द्वारा उस कानून में संशोधन किया जा रहा है। यह एक उचित कदम है जिसका मैं समर्थन करता हूं। वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए इस कानून में संशोधन करके आम लोगों को राहत देने का काम किया है, मंत्री जी ने उचित कदम उठाया है। इस विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्य आमंत्रित सदस्य होंगे, विधायक भी सदस्य बनेंगे, इसलिए यह उचित कदम है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में दानापुर छावनी बोर्ड है। मेरी आशंका है कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे कि सरकार की मंशा साफ है लेकिन जिस तरह से कार्यपालक पदाधिकारी को शक्ति प्रदान कर रहे हैं और कमांडिंग ऑफिसर उसका चेयरमैन बनेगा, उससे हमें ऐसा लगता है और महसूस होता है कि अभी जो सिविलियन्स चुनकर वहां जाते हैं, वे केवल रबड़ स्टांप हैं, उन्हें कोई पॉवर नहीं है, सरकार उसी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। मैं यह महसूस करता हूं कि जो सिविलियन्स, पदाधिकारी हों, वे बैठकर छावनी बोर्ड का डेवलेपमेंट कर सकें, लोगों को अधिक सुविधा दे सकें। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से इस बात को स्पष्ट करेंगे। हम लोगों की आशंका है कि इस एक्ट के माध्यम से जो अधिकार देना चाहते हैं, वे शायद नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जो सरकार की मूल भावना है, लोकतांत्रिक ढंग से उसे मजबूत करना चाहते हैं, उस भावना को छावनी बोर्ड से निकालने का काम न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दानापुर छावनी क्षेत्र बड़े पैमाने पर चारों तरफ से सिविलयन ऐरिया से घिरा हुआ है। एक तरफ गंगा का किनारा है तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर गांवों का इलाका है। आज शहरीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, दिन–प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है लेकिन बीच में छावनी बोर्ड बच गया है। उसकी कम सीमा है, आम लोगों का रास्ता बना हुआ है। एक मुख्य सड़क है जिसे हम पार करते हैं, उस सड़क से औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर के इलाके जुड़े हुए हैं। वहां काफी सख्ती बरती जा रही है। चाहे कितनी इमरजेंसी हो, कोई मरीज वहां से निकल नहीं सकता है। 4–5 किलोमीटर की एक सीमा निर्धारित की गई है और कभी–कभी तो मरीज दम तोड़ देता है लेकिन मिलिटरी को नहीं लगता कि इस इमरजेंसी में उस मरीज को आगे निकलने दें क्योंकि रूल ओवरटेक

हो जाएगा। कभी लोगों को ऊठक–बैठ कराई जाती है, कभी पैदल भगाया जाता है। इस प्रकार लोगों को सजा देने का काम किया जाता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि वह सड़क छावनी बोर्ड से अलग हटाई जाए जिससे बस रूट अलग से निकल जाए। इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। इसके लिए माननीय मंत्री जी को पहल करनी चाहिए। इससे आम लोगों को भी तकलीफ से दूर रखा जा सकता है। वहां जो सेना के जवान हैं, उनके जो अपने नियम कानून हैं, वह भी मेनटेन कर सकेंगे और सुरक्षित रहने का काम कर सकेंगे।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मैंने अभी तो शुरू किया है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने पांच मिनट से अधिक समय लिया है।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** : पांच मिनट से ज्यादा तो आपने सब पर कृपा की है। हमारे साथ भी कृपा करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

**श्री राम कृपाल यादव** : महोदय, इसमें कब्रिस्तान के संबंध में भी कहा गया है। इसमें प्रावधान रखा गया है कि नया कब्रिस्तान अनुमति के साथ खुलेगा। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि दो महत्वपूर्ण कब्रिस्तान वहां पर हैं। एक ईसाई भाइयों के लिए है और दूसरा मुसलमान भाइयों के लिए है जो बहुत पुराना है। उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। छावनी बोर्ड के माध्यम से कई कार्य होते हैं। भारत सरकार का नियम भी है कि उन कब्रिस्तानों के घेराव के लिए राशि मुहैया कराई जाती है मगर छावनी बोर्ड के माध्यम से अभी तक किसी प्रकार की राशि मुहैया कराने का प्रावधान नहीं रखा गया है और न कराया गया है। ईसाइयों का कब्रिस्तान और भी जर्जर स्थिति में है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई प्रावधन करना चाहिए कि छावनी बोर्ड के अंतर्गत जो कब्रिस्तान हैं, उनकी स्थिति सुधर सके।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा। मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में दो–तीन पत्र लिखे हैं और व्यक्तिगत रूप से डीएम से भी अनुरोध किया है। वहां एक मस्जिद है।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : बाकी के मुद्दे आप मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बता दें।

**श्री राम कृपाल यादव** : आपने बोर्ड में ऐसा प्रावधान रखा है कि जिससे सभी जाति और धर्म के लोगों को संरक्षण प्राप्त हो। वहां एक मस्जिद है जो बहुत वर्षों पुरानी है। उसको छावनी में ध्वस्त कर दिया गया। उस पर काफी आंदोलन चल रहा है। कई बार मंत्री जी से मिलने का काम लोगों ने किया है लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकल सका है। मैं निवेदन करूंगा कि वह जो विवाद आपके समक्ष है, उसका कोई न कोई निदान निकालिए ताकि माइनारिटीज के लोगों में जो आक्रोश है वह ठंडा हो सके।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक पर हमारे आखिरी वक्ता मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी होंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** : मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए।

**श्री राम कृपाल यादव** : आज आप मुझसे विशेष नाराज लग रहे हैं। आपकी नाराजगी है तो मैं बैठ जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : ढाई बजे मंत्री जी को जवाब देना है।

**श्री राम कृपाल यादव** : मैं पार्टी का दूसरा सदस्य ही बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, वहां एक चांदमारी है। बगल में एक बहुत बड़ा गांव भी है। वहां दिल्ली पब्लिक सकूल की एक ब्रांच भी खुल गई है। वहां कोई हादसा कभी भी हो सकता है। आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आम सिविलियन सुरक्षित रह सकें और चांदमारी का काम भी चले। आप जिस विश्वास के साथ इस बिल को लाए हैं, आप बोर्ड को शक्ति प्रदत्त कीजिए और सिविलियन को भी उतना ही अधिकार दीजिए जितना मिलिट्री अधिकारी को दे रखा है। दोनों के सामंजस्य से छावनी बोर्ड का विकास हो। दानापुर में कई जगह सड़क, पानी और दूसरी दिक्कते हैं। जहां अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मेजर खंडूड़ी बोलेंगे। कृपया केवल पांच मिनट में सुझाव दीजिए।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल)** : धन्यवाद महोदय, मैं छावनी विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि देखा जा सकता है, इसे स्वतंत्रता के 23 वर्ष पहले लाया गया था और अभी हम स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम पर पुनर्विचार करने में हमें 83 वर्ष लगे हैं। मुझे काफी खुशी है कि अंततः ऐसा हुआ और यह इस चरण में है।

महोदय, समय की काफी कमी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस विधेयक पर कुछ अधिक विस्तार से बोलना चाहूंगा। मुझे दोनों पक्षों का अनुभव है। मैंने काफी समय सेना में व्यतीत किया है और इसलिए मुझे यह जानकारी है कि छावनियों में क्या महत्वपूर्ण है और छावनियों के संबंध में सेना के लोग कितने जुड़े हुए हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको अपनी पार्टी का पहला वक्ता होना चाहिए था।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूडी** : मेरा मानना है कि मुझे अंतिम वक्ता चुना गया...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन यह मेरी गलती नहीं है।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : महोदय, मैं अपना भाषण काफी संक्षिप्त रखूंगा। मुझसे पहले काफी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अतः, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा।

महोदय, मुझे समस्या की समझ है। एक ओर तो आज छावनियों का कुछ दर्जा है जिसे एक हद तक बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तदनन्तर, विगत 15 अथवा 16 वर्षों से चुनावी राजनीति में रहा हूं और इसका दूसरा पहलू भी है, दुर्भाग्यवश जिस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। आपने अपने 'उद्देश्य एवं कारण' में...कभी मैं सोचता हूं कि आपने अपने 'उद्देश्य एवं कारण' में यह नहीं दिया होता—आपने प्रजातंत्रीकरण की, अधिक प्राधिकार की और सिविलियन लोगों की आवश्यकताओं की बात की है। इस पहलू पर प्रत्येक सदस्य ने प्रकाश डाला है और यह उचित है। हमें काफी प्रजातंत्रीकरण की उम्मीद थी और हमें उम्मीद थी सिविलियन लोगों की आवश्यकताओं को अन्य लोगों द्वारा अभिकथित उनकी आवश्यकताओं के विशिष्ट संदर्भ में देखा जाएगा। उनमें से कुछ वास्तविक आवश्यकताएं थीं और उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था। उद्देश्य एवं कारण में इसे शामिल करने के बाद आप इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

कुछ मामलों में आप दूसरी ओर भी चले गए हैं। प्रजातंत्रीकरण करने के स्थान पर इसमें कमी की गई है और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। दुर्भाग्यवश अब हम उस चरण में आ गए हैं जहां मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझावों अथवा संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी मैं उन्हें और संगठनात्मक प्रणाली से यह अनुरोध करूंगा कि हमें इसे देखना चाहिए और हमें नियमों को सिविलियनों के प्रति अपेक्षाकृत कम सख्त और कुछ उदार बनाने के लिए यथासंभव व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप छावनियों की अवधारणा एवं महत्व को सर्वथा नजरअंदाज कर दें लेकिन आपको कुछ अधिक स्वतंत्रता एवं प्राधिकार देना चाहिए।

जैसा कि श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि हमें काफी कम समय मिल रहा है और अपने सभी विचारों को प्रस्तुत करना काफी कठिन है। प्रथमतया, हमारे पास मूल विधेयक के 113 पृष्ठ हैं जो हमें 2003 में दिया गया था। तत्पश्चात, 11 पृष्ठों का संशोधन है जो राज्य सभा द्वारा आपको दिया गया था। इसके बाद, वर्तमान विधेयक है जो कि 139 पृष्ठों का है। अतः, इन सभी दस्तावेजों को विशेष रूप से सहसंबंधित करने का प्रयास करना दुःस्वप्न है। यह काफी कठिन रहा है और इसलिए दिए जा रहे कुछ सुझावों को राज्य सभा में स्वीकार किया जा चुका है।

जहां तक 'उद्देश्य एवं कारण' में कुछ चीजों का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि 'उद्देश्य एव कारण' में उन पर प्रकाश डाला गया था, अतः काफी अधिक उम्मीदें थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें पूरा नहीं किया गया है। आप कह सकते हैं कि यह विधेयक ए.डी.ए. सरकार के शासनकाल में तैयार किया गया था। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन यह हमें विधेयक की खामियों की ओर इंगित करने से नहीं रोकता। रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन काफी अच्छा एवं विस्तृत है। उन्होंने काफी समय लिया है और अच्छे सुझाव दिए हैं। दुर्भाग्यवश, सरकार ने इनमें से लगभग कोई सुझाव स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि सरकार ने 90 सुझावों में लगभग 40 सुझावों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे काफी छोटे हैं। कोई बड़ा सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है सिवाय अध्याय पंद्रह का, जो कि रक्षा भूमि से संबंधित है, लोप करने के। आपने वह रास्ता अपनाया है। वे काफी अच्छे सुझाव हैं। रक्षा संबंधी उस स्थायी समिति के उन सुझावों को स्वीकार नहीं करने का कारण मेरी समझ में नहीं आता, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं।

महोदय, आप स्थायी समिति के सभापति रहे हैं और समिति

में आपके अधीन काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है और आपको यह विदित है कि लोग किस तरह इसका पूरा अध्ययन करते हैं। अनेक अच्छे सुझाव हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, लगभग कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया है। उनकी किसी भी बड़ी सिफारिश को सवीकार नहीं किया गया है।

अब, आप लोकतंत्रीकरण की बात करते हैं। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के सारांश के प्रारंभ में ही कहा गया है :

> "...निर्वाचित सदस्यों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। यहां तक कि इस समिति द्वारा विशेषकर नागरिक क्षेत्रों के लिए गए निर्णयों पर बोर्ड के विभिन्न अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है तथा अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता है जिससे इसके उद्देश्य निष्फल हो जाते हैं। समिति आगे नोट करती है कि यहां तक कि पूरे बोर्ड द्वारा किए गए निर्णय बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों जो कि निर्णय में भागीदार होते हैं, द्वारा अवहेलना की जा सकती है।"

वस्तुतः इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों के शासन में लागू किया गया वर्ष 1924 का अधिनियम संभवतया कुछ क्षेत्रों में बेहतर था। वर्तमान विधेयक छावनी–बोर्ड के लोकतंत्रीकरण में किसी भी प्रकार से सहायक नही है।

इसमें यह भी कहा गया है कि :

> "यहां तक कि सरकार का भी दावा है कि विधेयक में निर्वाचित तथा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की परिकल्पना व्यवहारिक नहीं होगी।"

आगे इस दस्तावेज के पैरा सं. 11 में कहा गया है कि जो लोग चुने नहीं गए हैं, लेकिन जो नामनिर्दिष्ट किए गए हैं, उनको व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस विशेष बात का खंड 13 में उल्लेख है।

आगे, छावनियों में चुनाव न होने के बारे में भी उन्होंने कहा है तथा इसके जरिए कतिपय परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। 62 छावनियों में से 61 छावनियों में चुनाव नहीं हुए हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चार छावनियां हैं। उनमें से एक भारतीय सेना अकादमी (आई.एम.ए.) है, दूसरी गढ़वाल रेजिमेंट केंद्र है तथा दो और हैं।

हम चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? यह रोज–रोज की शिकायत हैं। किसी भी मामले में न तो पहले तथा न ही अब इनको अवहेलना के अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसलिए, इस प्रकार की समस्याओं से लोगों को हो रही समस्याओं के अतिरिक्त उनमें बहुत अधिक दुर्भावना पैदा हो जाती है। इसका उल्लेख मेरे कई साथियों ने भी दिया है।

लोकतंत्रीकरण के संबंध में, आप कह रहे हैं कि आपने इसमें संख्याएं बढ़ाकर 6 से 7 या इसके आसपास कर दी है लेकिन समानता है। यह और अधिक लोकतांत्रिक कैसे बने? मेरी समझ में बात आती यदि आप निर्वाचित सदस्यों को एक और मत देते। लेकिन हम, लोकतंत्रीकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बारे में करते कुछ भी नहीं हैं। इस बारे में बातं न करने की तुलना में यह तो और भी अधिक निराशाजनक है।

मुझे पूर्व का अनुभव नही है लेकिन संख्या ऐसी दी गई है कि जैसा कि निर्वाचित तथा गैर–निर्वाचित सदस्यों के बीच कोई सांठगांठ हो, फिर कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या होगा। क्या होगा यदि दोनों पक्षों को बराबर मत मिलते हैं? कई मामलों में संशोधन कहता है कि ड्रॉ होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या यह पूरे बोर्ड में लागू होगा...*(व्यवधान)* संसद सदस्यों को भी इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया सभा में आंखों देखा हाल न सुनाएं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : महोदय, मैं इस विषय का महत्व कम नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उन लोगों के दिमाग में क्या आया होगा जिन्होंने इसे बनाया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि हमने यह नामनिर्दिष्ट सदस्यों की बजाय निर्वाचित सदस्यों को दिया होता, तो शायद संतुलन बिगड़ जाता। लेकिन मुझे नही मालूम कि क्या हम इस तरह की बात कर सकते हैं, और सांसदों तथा विधायकों को इतना महत्व दे सकते हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देहरादून–जहां पर निगम है–मुझे मतदान करने की अनुमति है, लेकिन मुझे इसमें मतदान करने की अनुमति नहीं है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनसे समस्याएं पैदा हुई हैं।

दो और मुख्य मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं सभा में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सी.ई.ओ. के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे यह बात समझ नहीं आती है। आपने सी.ई.ओ. को इतने व्यापक तथा तानाशाही अधिकार क्यों दे रखे हैं। मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी]

नहीं आती है। इसके आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबंध में, आपने उसे कार्यकारी अधिकारी से मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया है। समिति ने इस नाम परिवर्तन पर ही आपत्ति की थी। व्यापक अधिकार अवहेलनात्मक अधिकार तथा निरस्तकारी अधिकार देने के बजाय, इसमें कहीं पर एक बहुत ही हास्यास्पद पैरा है जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने कुछ पारित किया है, उसके बाद इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे। वरिष्ठ अधिकारी की सिफारिश पर कनिष्ठ अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना अब से शुरू हो गए हैं मुझे यह समझ नहीं आता है। यह विचार किसने सोचा? इस विधेयक में यह हास्यास्पद बात किसने बनाई है? इस प्रकार की चीजों से इस विधेयक की गुणवत्ता में गिरावट आई है। पृष्ठ सं. 43 पर खंड 128 में इस बात का उल्लेख है, जिसका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में एक और बात है। लोग मुय कार्यकारी अधिकारी को दिए गए अधिकारों का विरोध कर रहे हैं। आम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। समिति ने भी इस पर घोर आपत्ति जताई थी, लेकिन और भी रोचक बात यह है कि सेना ने भी इस पर आपत्ति जताई है। कृपया समिति की रिपोर्ट का पृष्ठ सं. 113 देखिए। ब्रिगेडियर जे. एस. कोहली, पुणे छावनी के अध्यक्ष—जो कि भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक है, ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबंध में एक सुझाव है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी छावनी बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक सामान्य सचिव से आपने उसे सदस्य बना दिया है तथा आपने उसे व्यापक अधिकार दिए हैं। वह केवल बोर्ड का एक कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि :

"आपातकाल में, कार्य निष्पादन के लिए बोर्ड की अनुमति लिए बिना कतिपय धाराओं के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिकार समाप्त किए जाएं।"

उन्होंने समिति को आगे सुझाव दिया कि :

"अनेक खंडों में उत्तरदायित्व बोर्ड से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का हस्तांतरित कर दिया गया है।"

"वैयक्तिक प्राधिकारी को सामूहिक प्राधिकारी से अधिक महत्व दिया गया है।"

वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ऐसा दृष्टिकोण एक निर्वाचित सदस्य का नहीं होता है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि ऐसा क्यों होने दिया गया। जहां तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिकारों का संबंध है, मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। यद्यपि, यह विधेयक आज पारित हो जाएगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके पारित होने के बाद, एक बार फिर गौर करें तथा देखें कि क्या नियमों में रहकर कुछ काट-छांट की जा सकती है। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होने जा रही हैं। अगले पांच से सात वर्षों में सरकार के लिए समस्याएं पैदा होंगी क्योंकि सेना, नौ सेना तथा वायु सेना को समस्याएं होंगी। तब, गेंद आपके पाले में होगी। सरकार के सामने समस्याएं आएंगी क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं जिन्हें वह संभाल नहीं पाएगा तथा यह निर्वाचित सदस्यों तथा सेना को स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर पुनः गौर करें तथा देखें कि क्या नियमों, विनियमों, निर्देशों का अनुदेशों के द्वारा इसे और बेहतर किया जा सकता है।

मेरी अंतिम बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय दूसरी बार घंटी बजाएं, छावनी बोर्ड में पथ कर भी लगा दिया गया है। इससे पहले ही अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। यह व्यवहार्य नहीं है। एक व्यक्ति तीन से चार बार आता-जाता है। यदि व्यक्ति को रोका जाता है तो झगड़ा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में, तो बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा व्यक्ति दिन में एक बार सीमा पार करता है लेकिन एक व्यक्ति छावनी बोर्ड को एक दिन में तीन से चार बार पार करता है। ऐसी परिस्थिति में पथ कर कैसे संग्रहित किया जाएगा? इससे अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर एक बार फिर गौर करें, अन्यथा आपके पास इस समस्या के बारे में बाढ़ आ जाएगी तथा आने वाले समय में भारी परेशानी होगी। जैसा कि मैंने कहा, अगले पांच से सात वर्षों में कोई विकल्प नहीं होगा लेकिन इस विधेयक में पुनः संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इससे होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कुछ किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे समय देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं तथा यह विधेयक लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, यद्यपि इसमें काफी लंबा समय लगा है। मेरे साथियों द्वारा जो भी कमियां बताई गई हैं, मैं आशा करता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक आप इन पर ध्यान देंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कैंट का एरिया पड़ता है, इसलिए मैं भी दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

बीजेपी के काफी सदस्य बोल चुके हैं।

*[अनुवाद]*

माननीय मंत्री बोल रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री वीरेन्द्र कुमार** : महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आपको केवल दो मिनट मिलेंगे अपनी बात कहने के लिए।

**श्री वीरेन्द्र कुमार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय दिया।

महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही है। मैं सागर से आता हूं। वहां कैंट की 177.66 एकड़ जमीन है। उसकी डेढ़–डेढ़ एकड़ जमीन पर किसान बागवानी का काम करते हैं। वर्ष 1983 के पूर्व से वह यह काम करते आ रहे हैं। वर्ष 1974 से उनकी लीज को खत्म कर दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर भी 30 साल से रेंट लेना बंद कर दिया गया है। मैं पिछले 11 साल से इस समस्या के निराकरण के लिए काम कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकालें। मध्य प्रदेश सरकार ने कैंट के किसानों की भूमि के बदले राजस्व भूमि देने की सहमति दे दी थी। आप इस पर पहल कीजिए ताकि सागर सहित देश के सभी कैंट एरियाज के किसानों पर लटकती तलवार हट सके तथा किसानों को राहत मिल सके। सिर्फ सागर में ही 1400 एकड़ सरप्लस कृषि योग्य भूमि रक्षा विभाग के पास पड़ी है। उसमें से 177.66 एकड़ जमीन देने में आपको कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। यह जमीन देने से किसानों की रोजी–रोटी चल जाएगी, उनके घर बस जाएंगे। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैं बहुत सारी बाते कहना चाहता था...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपनी लिखित बातें मंत्री जी को दे दीजिएगा।

*[अनुवाद]*

**रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : आप इसे मेरे पास भेज सकते हैं या आप इसे मुझे दे सकते हैं।...*(व्यवधान)* सबसे पहले मैं इस वाद–विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यकत करता हूं। इन माननीय सदस्यों ने बहुत उपयोगी और रचनात्मक सुझाव भी दिए। आज सहित लगभग तीन दिन तक चली चर्चा में 21 सदस्यों ने भाग लिया है।

यह स्वाभाविक है कि हमें छावनियों के इतिहास में जाना होगा। पहली छावनी 1765 में स्थापित हुई थी। मेरे राज्य दानापुर का कुछ भाग था और अंतिम छावनी की स्थापना 1962 में की गई। अतः 1765 से 1962 तक, जो कि लगभग 200 वर्षों की अवधि है, में इन छावनियों की स्थापना की गई।

इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विधान 1924 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। वर्तमान विधेयक के अंतिम खंड अर्थात् खंड 360 में उल्लेख है कि इस विधेयक के पारित होने के साथ भी 1924 का विद्यमान छावनी अधिनियम निरसित हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि साम्राज्यवादी शासकों द्वारा बनाए गए कानूनों में से एक का यह अंतिम अध्याय है।

मैं उन माननीय सदस्यों की चिंताओं को समझता हूं जिन्होंने नागरिक क्षेत्रों की समस्याओं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमियों, तथा रक्षा सेनाओं के कब्जे वाली भूमि के प्रभावी उपयोग से संबंधित समस्याओं को उजागर किया है।

इस अधिनियम का इतिहास सब जानते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विधान की प्रक्रिया में 12वीं लोक सभा, 13वीं लोक सभा तथा 14वीं लोक सभा का योगदान है। मैं अमूल्य योगदान देने के लिए रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री बालासाहिब विखे पाटील और समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यदि मैं समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर पाया हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है सिफारिशें प्रासंगिक नहीं हैं अथवा विवेकपूर्ण नहीं हैं, इससे संबंधित तथ्य मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इस विधान में कुछ बाध्यताएं हैं और वे बाध्यताएं क्या हैं।

राज्य सभा में मैंने बताया था कि मैं 'म्युनिसिपल्टी' अथवा 'म्युनिसिपल सर्विसेज' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा हूं और मुझे 'डीम्ड म्युनिसिपल्टी' शब्द का प्रयोग करने के लिए क्यों विवश होना पड़ा। ऐसा इसलिए है कि छावनियों के अधीन स्थित क्षेत्रों में संविधान के 74वें संशोधन के संदर्भ में नागरिक सुविधाओं को प्रदान

[श्री प्रणब मुखर्जी]

किया जाना है, शायद यह विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्युनिसिपल्टी की स्थापना करना अथवा इलाके में म्युनिसिपल सुविधाएं प्रदान करना सामान्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु यहां हमें दो पक्षों के हितों का ध्यान रखना है। यह दो पक्ष हैं—किसी क्षेत्र विशेष में तैनात सैनिकों का हित तथा उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के हित। इसलिए सैनिकों के हित तथा नागरिकों के हितों की रक्षा तथा सिविल जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करने के लिए हमें समझौता करना पड़ा और संतुलन बनाना पड़ा।

माननीय सदस्यों को यह पता होगा कि छावनी मुख्यतः सैनिकों के लिए होती है। छावनी की स्थापना करना कतिपय शहरी इकाइयों का सृजन करना है। सैनिकों को देश के विभिन्न भागों में तैनात किया जाना होता है जबकि 200 वर्ष पहले यह और अधिक प्रासंगिक था। जब सैनिकों को किसी क्षेत्र विशेष में तैनात किया जाना होता है तो उन्हें कतिपय नागरिक सुविधाएं प्रदान की जानी होती हैं क्योंकि उनकी जुझारु भावना को बनाए रखने के लिए सैनिकों का स्वास्थ्य, अनुशासन तथा वहां का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूंकि सैनिक तैनात हैं इसलिए कतिपय संचार तंत्र कार्यालयों की स्थापना की जाती है तथा सुविधाएं प्रदान की गईं, जरा सोचिए 200 वर्ष पहले अथवा 150 वर्ष पहले अथवा 100 वर्ष पहले जब इस देश में औद्योगीकरण तथा शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। छावनी क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाओं के कारण छावनी आकर्षक स्थान बन गई है और सामान्यतः जिन्हें सैनिकों की सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित नहीं था, उन्होंने वहां उपलब्ध बेहतर नागरिक सुविधाओं के कारण वहां रहना शुरू कर दिया। श्री तोपदार, बैरकपुर छावनी के बारे में बात कर रहे थे। मैं वहां कई बार जा चुका हूं। नदी किनारे यह एक सुंदर बंगला है। यह एक छावनी की कहानी नहीं है, यह लगभग उन सभी छावनियों की कहानी है, जहां उन्होंने रहना शुरू किया। मूलतः जब छावनियों की स्थापना की गई थी तो आबादी वाले इलाकों में उनकी स्थापना नहीं की गई थी। इनमें से अधिकतर की स्थापना एकांत वाले क्षेत्रों में की गई थी, परन्तु स्थापना की प्रक्रिया तथा आवास के बदलते पैटर्न के कारण अब हम छावनियों को शहरों के बीचों—बीच पाते हैं। बैरकपुर कोलकाता से 25 अथवा 30 किलोमीटर है। अधिकांश छावनियों की यही कहानी है। मूलतः मुख्य शहर के बाहर के क्षेत्र में इनकी स्थापना की गई थी, उसके आसपास शहरीकरण हुआ तथा असैनिक जनसंख्या ने वहां रहना शुरू कर दिया। छावनी क्षेत्र में असैनिक जनसंख्या इसी कारण प्रभावित रही क्योंकि शहर के सामान्य नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही थीं। सैनिक अधिकारियों से भी उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जैसा कि श्रीमती सुमित्रा महाजन एक मराठी कहावत कह रही थीं कि—मां खाना नहीं दे रही है तथा पिता भीख मांगने नहीं दे रहा है। इसलिए बच्चे को भूखे पेट रहना पड़ेगा। एक सीमा तक यह ठीक भी था। इसलिए यह विचार किया गया कि संविधान के 74वें संशोधन के पारित होने के पश्चात् जो भी संभव हो, जो भी लाभ हम प्रदान कर सकते हैं तथा विशेषकर स्थानीय निकायों को जो कतिपय सामाजिक विकास संबंधी क्रियाकलाप सौंपे गए हैं तथा जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जा रही है, तो छावनी क्षेत्र में रहने वाली असैनिक जनसंख्या को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह पूर्ण लोकतंत्रीकरण नहीं है; यह पूर्ण म्युनिसिपलटीकरण अथवा छावनी क्षेत्र को पूर्ण म्युनिसिपल्टी के रूप में परिवर्तित करना नहीं है। हमने बीच का रास्ता चुना है। परंतु प्रश्न यह है कि स्थानीय निकायों अथवा असैनिक जनसंख्या को पूर्ण अधिकार क्यों न दिया जाए। छावनी सैनिकों के लिए है। इसलिए अनुशासन और सुरक्षा की दृष्टि से छावनियों का समग्र नियंत्रण उनके कमांडिंग ऑफिसर के पास ही होना चाहिए, इसका और कोई रास्ता नहीं है। यदि ये ऐसा करते हैं तो पूर्ण लोकतंत्रीकरण तथा पूर्ण जवाबदेही नहीं हो सकती। रक्षा मंत्रालय के प्रति जवाबदेही होगी तथा संसद के प्रति रक्षा मंत्रालय की जवाबदेही होगी परंतु स्थानीय स्तर पर नहीं। परंतु इस सबके बीच जो कुछ भी हो सकता था, वह हमने किया। हमने कतिपय सुविधाएं प्रदान की हैं।

अतः विधेयक को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह केवल कुछ शहरी इलाकों में म्युनिसिपल सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित नहीं है, इसका संबंध छावनी में रहने वाली असैनिकों के हितों, वहां तैनात सैनिकों के हितों तथा सैनिकों की अभिभावी आवश्यकताओं के बीच समझौता किए बिना एक संतुलन बनाना है। मैं सैनिकों की "बढ़ती हुई आवश्यकता" अथवा "बढ़ती हुई जरूरतों" जैसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि छावनी क्षेत्रों की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए की गई थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए हम कतिपय मूल परिवर्तन करने में कामयाब रहे हैं। हमने छावनी क्षेत्रों को जनसंख्या के अनुसार विभाजित किया है। पहली श्रेणी ऐसी छावनी क्षेत्रों की है जिनकी जनसंख्या 50,000 हजार से अधिक है। 62 छावनी क्षेत्रों में ऐसी छावनी क्षेत्रों की संख्या बहुत कम है जिनकी जनसंख्या एक लाख अथवा एक लाख से अधिक है। शायद सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक है। मऊ भी एक ऐसा छावनी क्षेत्र हो सकता है और कुछ अन्य छावनी क्षेत्र भी हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी छावनी क्षेत्रों की है जिनकी जनसंख्या 10,000 से 50,000 है।

तीसरी श्रेणी ऐसी छावनी क्षेत्रों की है जिनकी जनसंख्या 10,000–25,000 है और चौथी श्रेणी ऐसे छावनी क्षेत्रों की है जिनकी जनसंख्या 2,500 है। नामनिर्दिष्ट और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बराबर अर्थात क्रमशः 8, 7, 6 और 2 होगी। प्रश्न यह है कि निर्वाचित सदस्यों को अध्यक्ष (चीफ) क्यों नहीं बनाया गया। मैं इसे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। जब भी रक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है तो इन बोर्डों में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर इन्हें निलम्बित किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है और पूछा है कि ऐसा कब तक जारी रहेगा, क्या हम इस संबंध में कोई समय–सीमा निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा। जब देश युद्ध का सामना कर रहा होगा केवल तभी संकट माना जाएगा। कुछ समय पूर्व हम आपरेशन विजय और आपरेशन पराक्रम को अंजाम दे रहे थे। आपरेशन पराक्रम वास्तव में एक युद्ध नहीं था लेकिन यह एक व्यापक रूप से सैनिकों को एकत्र किया जाना था जो हमें करना पड़ा था। पूरी सेना को सतर्क कर दिया गया था हालांकि वास्तव में युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन उस समय सरकार ने सोचा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब सेना को सतर्क कर देना चाहिए। अतः सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर सभी चीजों में सामंजस्य स्थापित करना होगा।

इसलिए छावनी क्षेत्र में सभी उत्तरदायित्व उस क्षेत्र के कमांडिंग आफिसर के पास होंगे। वे विशेषताएं क्या हैं जो हम लाने जा रहे हैं? पहली हमने संख्या में बढ़ोत्तरी की है यद्यपि यह बहुत अधिक नहीं है लेकिन यदि आप छावनी क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या के आकार पर प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी नगरपालिकाओं अथवा बड़े महानगरों की तुलना में मतदाता और निर्वाचित सदस्य का अनुपात बहुत कम नहीं है। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची क्यों बनाते हैं?

**अपराह्न 3.00 बजे**

प्रत्येक वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार करना एक प्रगतिशील उपाय है। यह कोई प्रतिगामी उपाय नहीं है। आपका मुद्दा यह है कि चुनाव नियमित समय पर क्यों नहीं होते, ठीक है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि चुनाव हमेशा निर्धारित समय पर होने चाहिए और मतदान प्रक्रिया लम्बे समय तक नहीं चलनी चाहिए। मतदाता सूचियों को अद्यतन करना एक प्रगतिशील उपाय है। छावनी क्षेत्र के संबंध में आपके पास पूरे पांच वर्ष नहीं होते। सैनिकों को लामबंद भी करना होता है। वे न केवल छावनी बोर्डों के मतदाता हैं बल्कि वे आम चुनावों के भी मतदाता हैं। इसलिए यदि हमारे पास यह है तो यह एक प्रगतिशील उपाय है।

हमने आरक्षण की भी व्यवस्था की है। कुछ सदस्य पूछ सकते हैं आरक्षण कहां है। नियमानुसार विधेयक के खंड 31 में आरक्षण का उपबंध किया गया है। जब परिसीमन होगा तब इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएगी और कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएगी तथा कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित की जाएगी। इनकी संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुसार किया जाएगा।

बड़ी संख्या में सदस्यों ने विशेषकर श्री सुरेश प्रभु और श्रीमती मेनका गांधी ने विरासत वाली संपत्तियों के संरक्षण और परिरक्षण का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उन्होंने इस विषय पर काफी बोला है। जैसा कि मैंने बताया है कि खंड 340(क) के उपखंड 43 में छावनी क्षेत्रों में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों, लोक महत्व के सभी स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण किया जाएगा।

न केवल यही जनरल खंडूडी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह सारी अचल चीजें हैं। यहां कुछ अच्छी पेंटिंग्स जैसी चल चीजें भी हैं। पुराने छावनी क्षेत्रों में कुछ बहुत ही दुर्लभ पेंटिंग्स और फर्नीचर भी है। इनका भी परिरक्षण किया जाना चाहिए। हमारी उपेक्षा के कारण इनमें से कुछ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अतः मैंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में गौर करने के लिए कहा है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उचित समय पर आवश्यक नियम को और अन्य उपाय किए जाएंगे।

एक प्रश्न पूछा गया है कि सरकार ने सदस्यों की संख्या समान रखी है लेकिन यदि मतदान में दोनों पक्षों को बराबर मत मिलते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में भी व्यवस्था की गई है। यदि दोनों पक्षों को बराबर मत मिलते हैं तो उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी को मत डालने का अधिकार है। यह आवश्यक नहीं है कि पीठासीन अधिकारी सेना का अफसर ही होगा क्योंकि निर्वाचित उपाध्यक्ष भी वहां है।

एक प्रश्न पूछा गया है कि ठेके के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर क्यों लिए जा रहे हैं? आपको मालूम है कि

[श्री प्रणब मुखर्जी]

ठेके के उपबंधों के अनुसार इस पर ब्रिटिश शासनकाल से प्रतिहस्ताक्षर लेने की परम्परा रही है। हमने भी इसे अपनाया है। 50,000 रुपये मूल्य से अधिक के सभी ठेकों के संबंध में दो सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और इनमें से एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष एक निर्वाचित सदस्य होता है। यही कारण है कि हमने ही उसे वहां रखा है।

एक प्रश्न पूछा गया है कि सरकार छावनी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करेगी। श्री महताब इसके बारे में जानना चाहते हैं। वर्ष 2004–05 में छावनी क्षेत्रों को 20 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी और वर्ष 2005–06 में यह सहायता राशि 40 करोड़ रुपये है। लगभग 50 प्रतिशत छावनी क्षेत्रों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार द्वारा इन्हें सहायता दी जाती है। सरकार इनको सहायता देती है। सरकार यह सहायता जारी रखेगी लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि "प्रति राजसहायता" के लिए कोई तंत्र विकसित किया जाए ताकि इस बात की आवश्यकता न रहे कि सरकार को बजटीय सहायता देनी पड़े। लेकिन जब कभी भी आवश्यकता होगी तब बजट से सहायता दी जाएगी।

आवाजाही के बारे में भी एक बात और कही गई है विशेषकर तब जब कोई राजमार्ग छावनी क्षेत्र से होकर जाता है अथवा सेना प्राधिकारियों द्वारा असैनिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दानापुर छावनी क्षेत्र से होकर जाने वाली सड़क के बारे में भी एक बात कही गई है। कतिपय अन्य विशिष्ट क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। इस बारे में कहा गया है कि इन सड़कों को तुरन्त खोला जाना चाहिए। जहां तक प्रत्येक छावनी क्षेत्र से संबंधित उस छावनी क्षेत्र की समस्या का संबंध है तो मेरे लिए 62 छावनी क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में बताना सम्भव नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि चर्चा में भाग लेने वाले अनेक सदस्य भी छावनी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संबंध में, एक प्रश्न यह भी उठा है कि हम संसद सदस्यों और विधायकों को बोर्ड में केवल सहायक दर्जा क्यों दे रहे हैं और हम उन्हें मताधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में, हम एनडीएमसी का मामला लें। संसद सदस्य एनडीएमसी के सदस्य होते हैं और वे चर्चा में भाग लेते हैं लेकिन वे मतदान नहीं करते। कुछेक राज्यों में, इस संबंध में कुछेक प्रावधान हैं। उदाहरणस्वरूप, पश्चिम बंगाल राज्य में, एक मंत्री स्थानीय निकाय का सदस्य नहीं हो सकता किन्तु संसद सदस्य बिना मताधिकार के स्थानीय निकायों के सदस्य होते हैं। इस मामले में भी यही कहानी है क्योंकि मूल सिद्धान्त बहुत ही तर्कपूर्ण है। संसद सदस्यों और विधायकों को उस निकाय में मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जिसका अध्यक्ष, जो कि सभा का चुना हुआ प्रतिनिधि है, द्वारा अध्यक्षता की जाती है। छावनी बोर्ड की अध्यक्षता ब्रिगेडियर द्वारा की जाती है। यहां तक कि वरीयता के क्रम में भी संसद सदस्य उनसे ऊपर हैं। मूल सिद्धान्त यह है कि यह पूर्ण लोकतांत्रिकरण नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा है कि यह पूर्ण लोकतांत्रिकरण है। सैन्य टुकड़ियों और सैनिकों की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कुछेक अतिरिक्त शहरी पाकेटों अथवा क्षेत्रों का सृजन करना नहीं है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए, यह सोचा गया कि उन्हें मताधिकार दिया जाना आवश्यक नहीं है।

जहां तक वित्तीय व्यवस्था का संबंध है, इसका श्रीमती सुमित्रा जी द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 80 प्रतिशत सिविलियन जनसंख्या को वित्तीय संसाधनों का मात्र 20 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। मैं नहीं जानता कि प्रत्येक छावनी का वास्तविक अनुपात क्या है। मऊ छावनी में ऐसा हो सकता है। उन्होंने हमें ब्यौरा दिया है।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : इस 80 : 20 अनुपात का स्थायी समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : यह एक औसत है किन्तु प्रत्येक छावनी में ऐसा नहीं है। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के साथ की गई संधि के अनुसार, कुछेक भूमि स्थानान्तरित की गई थी और वर्ष 1944 और 1947 में इसे दोहराया गया। निश्चित रूप से, वे सभी ऐतिहासिक दस्तावेज मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उन पर विचार करूंगा। मरम्मत के संबंध में, उनकी मऊ छावनी से एक विशिष्ट समस्या उठाई गई थी। वस्तुतः, मैंने उन्हें जवाब लिखा था। एक निर्णय लिया गया था और अतिरिक्त भूमि दी गई थी। लेकिन क्या हम यह मानें कि उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी और इसीलिए उस निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि नियम मौजूद नहीं है। मैं रक्षा भूमि के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि जब कभी भी सड़क निर्माण हेतु अथवा धावनपट्टी के निर्माण हेतु अथवा मेट्रो रेल के निर्माण हेतु अथवा इसी सिलसिले में, रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भूमि मुहैया कराने की आवश्यकता हुई, तो रक्षा भूमि उपलब्ध कराई गई है। लेकिन किस समय, थल सेना की क्या आवश्यकता होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आजकल, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी काफी जटिल हो गई है।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन** (इंदौर) : अब उन्होंने इन चीजों को निरस्त कर दिया है लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधि से इस पर चर्चा नहीं की।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : यह व्यक्तिगत मामला है। मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, वह यह है कि कोई सामान्य नियम नहीं है कि हम अथवा छावनी बोर्ड पुराने और जर्जर भवनों की मरम्मत की अनुमति नहीं देते। छावनी क्षेत्र और राज्यों में भवन निर्माण संबंधी उपनियमों के अन्तर्गत अनुमति दी जा रही है।

अभी सेना के पास छावनी क्षेत्र में दो लाख एकड़ भूमि है और छावनी क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में 15 लाख एकड़ भूमि है। इन भूमियों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा? अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। एक सुझाव था कि सागर और कुछेक अन्य जगहों पर अतिरिक्त और अधिशेष भूमि उपलब्ध है। आज जो भूमि अधिशेष है, वह जरूरी नहीं की कल भी अधिशेष रहे। जिस प्रकार के विस्तार से हम गुजर रहे हैं, हमें भूमि की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को एक बात के विषय में आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब कभी भी सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई मांग आई है, हमने रक्षा भूमि से भूमि उपलब्ध कराई है और चूंकि हम ईमानदार हैं, इसलिए हम उस भूमि की पर्याप्त सीमा तक रक्षा कर पाए हैं। कोई भी भूमि किस प्रकार एक प्रमुख भूमि बनती है? ऐसा ऐतिहासिक विकास के कारण होता है। जब हमने आरम्भ में यह भूमि प्राप्त की, तो यह प्रमुख भूमि नहीं थी, किन्तु अनेक वर्षों से इस क्षेत्र के विकास के कारण यह प्रमुख भूमि बन गई है।

महोदय कतिपय विशिष्ट मुद्दे उठाए गए थे। कुछेक विशेष छावनियों के संबंध में कुछेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। मैं एक मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, चूंकि मैं इलाहाबाद में उस प्रसिद्ध पुरातन वृक्ष का इतिहास जानता हूं। निश्चित तौर पर, मैं इसकी जांच करूंगा कि जिसकी पहले अनुमति दी जाती थी, उसकी अनुमति अब क्यों नहीं दी जाती। मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए, मैं श्री मोहन सिंह और श्री शैलेन्द्र कुमार, जिन्होंने इसका उल्लेख किया है, को यह जानकारी नहीं दे सकता... *(व्यवधान)* मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। मैं इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि यदि कोई समस्या नहीं है तो यह क्यों नहीं खोला जा सकता। कभी-कभार, वास्तव में हम उसे बन्द कर देते हैं। दानापुर का मामला लें। हमें एक राजमार्ग का निर्माण करना होगा। इसके अलावा, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। आजकल, सुरक्षा के संबंध में अतिरिक्त संवेदनशीलता के चलते हमें थोड़ा और सावधान होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने सभी सामान्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। लेकिन मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) खंडूड़ी द्वारा उठाए गए एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने खंड 128 में कतिपय अनियमितता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं उनके साथ यह जानकारी बांटना चाहता हूं। वास्तव में मुद्रण में एक गलती हुई थी। खंड 128 में एक संशोधन किया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश वह संशोधन खंड 129 के अन्तर्गत मुद्रित हो गया। हमने एक शुद्धि पत्र जारी किया है और लोक सभा सचिवालय द्वारा भी शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

जनरल खंडूडी ने उल्लेख किया है कि हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इतनी शक्ति क्यों दी है और क्या इसकी मांग की गई है अथवा नहीं। एक कारण कि उन्हें इतनी शक्ति क्यों दी गई है, वह यह है। सैन्य टुकड़ियों और सेनाओं के हितों को देखते हुए, उनके पास छावनी क्षेत्र का सम्पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं, जब ऐसा भी समय आ सकता है कि दुरुपयोग की आशंका हो सकती है। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि इस विधान में जो कुछ भी किया गया है, वह सौ प्रतिशत सही होगा। लेकिन इसके बारे में हमें तभी पता चल पाएगा जब हम इसको कार्यान्वित करेंगे। तत्पश्चात् ही हम कमियों और खामियों वाले क्षेत्रों की पहचान कर पाएंगे।

एक प्रश्न उठाया गया है कि हमने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं किया है। ऐसा करना संभव नहीं है।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : मैंने कहा है कि प्रमुख सिफारिशें मानी नहीं गई हैं जैसे कि सीईओ और सेना अधिकारी कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : ठीक है। मैं सहमत हूं कि सेना अधिकारी ने भी यह कहा है। परन्तु जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि सार्वजनिक जीवन तथा चुनावी राजनीति में प्रवेश करने से पहले आपको दूसरे पक्ष का पूरा ज्ञान था। अतः मैंने अपनी बात इस आधारभूत मान्यता के साथ शुरू की कि छावनी क्षेत्र मुख्य रूप से सेनाओं के लिए होता है। उस विशेष क्षेत्र में सेनाओं का अनुशासन, स्वास्थ्य, मनोबल और उनकी गतिशीलता हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन बातों के मद्देनजर छावनी क्षेत्र को म्यूनिसिपल क्षेत्र नहीं समझा जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारें हैं। वे बड़ी संख्या में नगरपालिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है तथा इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। परन्तु मुझे सेना को कहीं तो रखना

[श्री प्रणब मुखर्जी]

है और यह बहस का विषय नहीं हो सकता कि मैंने रक्षा क्षेत्रों का विकास कर दिया है और इसलिए उस भूमि के मूल्य बढ़ जाते हैं। कोई और भी वहां आकर ऊंची इमारतें बना कर और निर्माण करके वाणिज्यिक उपयोग द्वारा लाभ कमा सकता है। यह स्वीकार्य बात नहीं है। हमें एक सन्तुलन बनाना होगा और हमने यह सन्तुलन बनाने का प्रयास किया है। हमें यह देखना होगा कि क्या यह सन्तुलन सही है। हमें इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करूंगा। मैं श्री गंगवार तथा अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधनों पर जोर न दें क्योंकि जिस भावना के साथ हमने इस विधेयक पर चर्चा की है, यदि हमें पूरी सभा का अनुमोदन मिलता है तो इससे विधेयक को पारित करवाने में आसानी होगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, सभा विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव को लेगी।

प्रश्न यह है :

"कि छावनियों के प्रशासन से संबंधित विधि का और अधिक लोकतंत्रीकरण करने, विकास संबंधी क्रियाकलापों के उपबंधों के लिए उसके वित्तीय आधार का सुधार करने की दृष्टि से समेकन और संशोधन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 12 छावनी बोर्डों का गठन**

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज 12 पर मेरे द्वारा तीन संशोधन प्रस्तावित हैं—संख्या-एक, दो और तीन। यहां अधिक लोकतंत्र प्रधान करने की बात कही गई है, लेकिन है नहीं। हमने संख्या बढ़ाने की बात कही है। आठ सदस्यों की जगह नौ सदस्य और सात सदस्यों की जगह आठ सदस्य होने चाहिए। जो तीसरा संशोधन है, उसमें मेरी मांग है कि सभी माननीय संसद सदस्यों और विधायकों को जैसे नगर पालिका में मतदान का अधिकार है, ऐसे ही वहां हम न केवल उपस्थित रहें या अपने विचार प्रकट करें बल्कि वहां मतदान भी कर सकें, ताकि जनहित में निर्णय सामने आ सके इसलिए मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : मैंने पहले ही इन सब बातों का उत्तर दे दिया है। यह हर जगह एक जैसा नहीं है। मैंने कुछ राज्यों के उदाहरण दिए हैं।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस बिल को मूव कर रहे हैं या नहीं?

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : महोदय, मैं मूव कर रहा हूं। अगर मंत्री जी मान जाते तो अच्छा होता। सब लोग स्वीकृति दें और स्वीकार कर लें।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 23, –

"आठ सदस्य" के स्थान पर "नौ सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 8, पंक्ति 35, –

"सात सदस्य" के स्थान पर "आठ सदस्य" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 9, पंक्ति 21–22, –

"किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा" के स्थान पर "किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार भी होगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा

प्रस्तुत खंड 12 के संशोधन सं. 1, 2 और 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 13 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

*[हिन्दी]*

**खंड 19** **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष**

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : महोदय, मेरे द्वारा संशोधन दिया गया है कि बोर्ड का जो अध्यक्ष है, क्योंकि यहां लोकतंत्र की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, इसलिए जो निर्वाचित 7 या 8 सदस्य हैं, उन्हीं में से अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। यहां स्टेशन आफिसर कमांडिंग हैं, वे अध्यक्ष हैं, जो कि पदेन सदस्य हैं, वे तो चेयरमैन हैं और जनता से चुने हुए वाइस प्रेजिडेंट हैं। इसलिए यह सबको स्वीकार होना चाहिए जहां हम डीम्ड म्यूनिसिपेलिटी की बात कर रहे हैं, तो मेरा संशोधन है कि बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाएगा, तब हम वास्तव में कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना केंटोनमेंट के भीतर हुई है, इसलिए मैं इस संशोधन को मूव करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,–

पंक्ति 1 के स्थान पर "बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : महोदय, श्री बची सिंह रावत कह रहे हैं कि सेना में भी लोकतंत्र आ जाए।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा प्रस्तुत खंड 19 के संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 20 से 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

*[हिन्दी]*

**खंड 67** **प्रभारों/फीस का प्रभारित किया जाना**

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : महोदय, यह 67 में अलग अमेंडमेंट है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपकी प्रमुख बात तो हो गई है।

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : महोदय, नहीं, अभी प्रमुख बात बाकी है। यह डबल टैक्सेशन के मामले में है। मुझे लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसमें आया है कि मुख्य रूप से यानी मतलब मोटर वैहिकल्स और एनिमल्स पर लाइसेंस फी कैंटोनमेंट पर लगाई जाएगी। जबकि गाड़ियों की लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आरटीओ ले लेते हैं, यहां डबल टैक्सेशन न लेकर, पार्किंग फीस ले ली जाए। हमारा कहना है कि जब गाड़ी को कैंटोनमेंट के भीतर पार्क करें तो हम में से तमाम लोग जो वहां रहते हैं और इसके अलावा बाहर से टूरिस्ट आएगा तो उनको एक तो लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी और अलग से पार्किंग की फीस आदि देनी है। टोल टैक्स और लाइसेंस फीस इससे सबको तकलीफ रहती है, और सभी माननीय वक्ताओं ने कहा है कि माननीय मंत्री जी और सदन यदि सहमति दे तो कम से कम यह संशोधन तो स्वीकार हो जाना चाहिए। क्लॉज 67 में इतना स्वीकार हो जाए तो मैं बाकी के संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : महोदय, यह मुश्किल है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि बहुत कम छावनियों में पार्किंग फीस है। अधिकांश छावनियों में पार्किंग फीस नहीं है। इसीलिए अनुज्ञप्ति फीस की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : रानीखेत में टोल टैक्स भी है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : *यह एक छावनी में हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि यह वहां नहीं है परन्तु यह हर छावनी में नहीं है।*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रावत जी, क्या आप मूव कर रहे हैं या नहीं?

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : मैं इसे मूव करता हूं जिससे आप बाद में ध्यान रखेंगे।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : हम जरूर ध्यान रखेंगे।

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 30, पंक्ति 12,–

"यानों और पशुओं पर अनुज्ञप्ति फीस" के स्थान पर "यानों पर पार्किंग फीस और पशुओं पर अनुज्ञप्ति फीस" प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

*संशोधन मतदान के लिया रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 67 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 67 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 68 संपत्ति कर का माप मान**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बची सिंह रावत 'बचदा', क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव ला रहे हैं?

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : नहीं, महोदय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री संतोष गंगवार, क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव ला रहे हैं?

**श्री संतोष गंगवार (बरेली)** : नहीं, महोदय।

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रक्षा मंत्री जी इसके लिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने अमेंडमेंट वापस ले लिया।

*[अनुवाद]*

प्रश्न यह है :

"कि खंड 68 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 68 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 69 से 80 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 81 अन्तरणों की सूचना**

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : मेरा क्लॉज 244 में भी अमेंडमेंट है। यहां जुर्माने की राशि एक लाख रुपये रखी है और जब तक ऑफेंस है वह 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगा रहेगा। यह बहुत अधिक एमाउंट है। वह एक लाख रुपये के स्थान पर 10 हजार होना चाहिए। यह संशोधन मेरी ओर से है। मैं मांग करता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और अमेंडमेंट मूव करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 34, पंक्ति 22,–

"दस" के स्थान पर "एक" प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री बची सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 81 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 81 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 82 से 239 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 240** **अति संकुलन आदि की साधारण स्कीम की मंजूरी के लिए शक्ति**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रीमती मेनका गांधी–प्रस्तुत संशोधन संख्या 20–उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 240 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 240 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 241 से 243 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 244** **उपयोग निर्बंधन**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बची सिंह रावत, क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव ला रहे हैं?

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : नहीं, महोदय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 244 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 244 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 245 से 246 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 247** **इमारत का अवैध रूप से बनाया जाना और पुनः बनाया जाना**

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : उपाध्यक्ष महोदय, यह लास्ट अमेंडमेंट क्लॉज 249 पर है। चूंकि इसमें अनअथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन को सील करने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। लेकिन इसमें निर्माण के अपराध के लिए कोई अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जो नेचुरल जस्टिस में न्यायिक प्रूडेन्स है, उसके मुताबिक अपील करने का अधिकार होना चाहिए था। इसलिए मेरा एक संशोधन यह है और दूसरा संशोधन इसी के क्लॉज 4 में दिया है कि इसमें छः माह की सजा का प्रावधान है। अगर बच्चा भी सील तोड़ दे तो छः महीने की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मैंने इसे घटाने को कहा है कि सजा को छः महीने से घटाकर दो महीने और जुर्माना बीस हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये किया जाए। मेरे द्वारा ऐसे दो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। जिनका एक लॉजिस है। यदि इन पर सहमति होती है तो सदन को इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इसमें अपील करने का अधिकार होना चाहिए तथा सजा का प्रावधान भी कम से कम होना चाहिए।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 80, पंक्ति 26,–

"पचास" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

*[अनुवाद]*

**श्री प्रणब मुखर्जी** : महोदय, यह सुझाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब की प्रथा बन गई है। वे इसी प्रकार इसे लेते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपील में न्यायालय में जाना चाहिए। यह रास्ता उनके पास उपलब्ध है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड 247 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 247 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 248 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 249** **अप्राधिकृत संरचनाओं को सील करने की शक्ति**

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 249 के बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। यह सील करने के बारे में तथा सजा को छः महीने से घटाकर दो महीने करने के बारे में तथा जुर्माने को बीस हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये करने के बारे में है। यह अंतिम है।

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 81, पंक्ति 19 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए।

"परन्तु यह कि अनधिकृत निर्माण को सील करने और शास्ति लगाने का अधिकार केवल छावनी बोर्ड को होगा और प्रभावित पक्षकार को बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा।" (6)

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

*संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

*[हिन्दी]*

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : उपाध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट नम्बर 18 और 19 दोनों साथ में हैं। ये भी क्लॉज 249 से रिलेटिड हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : फिर आप इन्हें वापस ले लीजिए।

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : मैं इन्हें वापस ले लेता हूं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 249 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 249 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

खंड 250 से 360 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची एक से पांच विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 3.35 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

### देश के सभी भागों के संतुलित और समान विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम मद संख्या 17 लेंगे।

श्री जे. एम. आरून रशीद–उपस्थित नहीं।

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेत** (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हमारे माननीय सहयोगी श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करके देश में विभिन्न भागों में संतुलित और साम्यापूर्ण विकास के लिए कदम उठाने हेतु वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

**अपराह्न 3.37 बजे**

*(डा. सत्यनारायण जटिया पीठासीन हुए)*

महोदय, हम संघीय ढांचे में रहते हैं जिसमें भौगोलिक संरचना, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक संपदा और जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य समान विकास का हकदार है। बिना उसकी जनसंख्या पर विचार किए हम एक नीति द्वारा भारत के प्रत्येक भाग को साम्य नहीं बना सकते हैं।

भारत के उत्तर में महान हिमालय है, हमारे देश के दक्षिणी भाग में समुद्र तट हैं और केन्द्रीय भारत में विन्ध्य और अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं। भौगोलिक संरचना और पारिस्थितिकी के अनुसार हमें अपने देश के विकास के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे हमारे 100 करोड़ लोगों को लाभ हो। आज, बुनियादी जरूरतें हमारे अधिकार हैं। हम अपने देश में स्पष्टत: भारत के दो वर्ग देख सकते हैं, पिछड़ा भारत और अग्रणी भारत अथवा ग्रामीण भारत और शहरी भारत। ग्रामीण भारत में यद्यपि हमारे लोगों को समान विकास का मौलिक अधिकार प्राप्त है फिर भी हमारे अधिकांश लोग जो ग्रामीण

क्षेत्रों में रहने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोग समान विकास से वंचित हैं।

निधियों के आवंटन को देखें। मैं देश को विभाजित करना नहीं चाहती, मैं जिन आंकड़ों का उल्लेख करने जा रही हूं उससे मैं राजनीतिज्ञों को बांटना नहीं चाहती, किन्तु मैं अपने देश में कृषि की दुर्दशा के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहती हूं। अपने बजट में हम आज कृषि के लिए कितनी राशि का आवंटन कर रहे हैं? देश की 80 प्रतिशत आबादी के लिए हमारे बजट में हम मात्र 2 प्रतिशत का आवंटन कर रहे हैं जबकि शेष राशि बाकी की आबादी के लिए व्यय होती है। यह चिन्ताजनक बात है। कृषि के लिए 2 प्रतिशत का आवंटन करके हम किस प्रकार का भारत बनाना चाह रहे हैं।

हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए बहुत सारी धनराशि का आवंटन कर रहे हैं और उत्तरोत्तर सरकारें, चाहे वे राजग सरकार हो या संप्रग सरकार–ग्रामीण भारत में रह रहे लोगों के बुनियादी जीवन में सुधार लाने के लिए कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं, किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामीण लोग आज शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। मुम्बई, चेन्नई और बंगलौर को देखिए। ये शहर लोगों से क्यों अटे पड़े हैं?

महोदय, वर्ष 1947 में हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी। आज हमारी आबादी 100 करोड़ पार कर गई है। किन्तु ग्रामीण भारत के प्रति धनराशि का हमारा आवंटन क्या है? इसके अनुसार हमने ग्रामीण भारत के लिए अपना आवंटन नहीं बढ़ाया है। मेरा आशय है कि ग्रामीण भारत अत्यधिक ध्यान दिए जाने और उसकी अवसंरचना के विकास के लिए और अधिक धनराशि का पात्र है।

महोदय, हमारे युवा बेरोजगार हैं क्योंकि भूमि अथवा उचित आवास की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वे कृषि कार्यों में नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम इस सभा में कई विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। कितने भारतीय है जो आवास से वंचित हैं? आवास बुनियादी आवश्यकता है, पेयजल लोगों की बुनियादी जरूरत है।

एक तरफ भारत बाढ़ से पीड़ित है और दूसरी तरफ यह सूखे से पीड़ित है जिसके परिणामतः किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हम भारत में ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में भू–कटाव के कारण किसान अपनी जमीन गंवा रहे हैं, मछुआरे पीड़ित हैं तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाएं और इसी तरह की बाते हैं। यह अद्भुत दृश्य है तो पर्वतीय क्षेत्र में भूकम्प है और तटीय क्षेत्र में सुनामी है। आम आदमी के कष्ट एक जैसे हैं। मैं भारत को उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटना नहीं चाहती। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि भारत के सभी लोगों के समान विकास के लिए अधिक ध्यान दे।

लोग बड़े शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं? एक तरफ हम मॉल, बंगले, बहुमंजिली इमारतें देखते हैं और उसके पास ही हम नाले देखते हैं और उसके आसपास आम लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। यह बहुत पीड़ादायक है। हम देख सकते हैं कि मुम्बई की 55 प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रह रही है। यह क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है। बंगलौर में भी ऐसा ही है। मेरे विचार से इससे भाषा और संस्कृति जैसी प्रमुख क्षेत्रीय समस्याएं बढ़ेंगी।

बंगलौर में, मेरे विचार से स्थानीय निवासी कन्नड़ों का प्रतिशत घट कर मात्र 28 प्रतिशत रह गया है। मेरे साथी भारतीयों की अपनी मातृभूमि में कहीं भी रहने का अधिकार है किन्तु इससे किसी के अपनी भूमि में रहने के मूल अधिकार में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। आज हमारे स्थानीय लोग बंगलौर शहर के 25 किलोमीटर के दायरे में रहना वहन नहीं कर सकते हैं। अमीर लोग आते हैं, करोड़ों रुपये देकर मॉल, फ्लैट खरीदते हैं। वे बड़े शहरों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके क्षेत्रों में व्यवसाय और अन्य अवसरों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़क, उचित अवसंरचना उपलब्ध करा कर हम लोगों के बड़े शहरों में पलायन को रोक सकते हैं।

हमें पंचायती राज संस्थानों को विश्वास में लेना चाहिए। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गांव में जाती हूं तो मेरा अनुभव है और शायद हम सबका यही अनुभव है कि निचले स्तर पर लोग अधिकाधिक धनराशि की मांग करते हैं। वे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से अधिक से अधिक धनराशि की मांग करते हैं ताकि उचित जल–मल व्ययन सुविधाएं और उचित सड़कें इत्यादि हों। इन बुनियादी अवसंरचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए हम भारी धनराशि कहां से ला पाएंगे? यह संसद सदस्य का कर्तव्य नहीं है कि वह मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित जिला पंचायतों, संबंधित ग्राम पंचायतों और अन्यों का है।

मैं पंचायती राज संस्थाओं को काफी महत्व देने हेतु संप्रग सरकार की प्रशंसा करती हूं और उन्हें बधाई देती हूं। गांव हमारी इकाई होनी चाहिए। हमें उन्हें प्रत्येक अवसर मुहैया करा कर बड़े शहरों की ओर उनके पलायन को रोकना चाहिए। जब तक हम हथकरघा और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार को

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

मजबूती प्रदान नहीं करते हैं, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, हम बड़े नगरों की ओर पलायन को रोक नहीं सकते।

रेशम कीट पालन और पशुपालन जैसे कार्य हमारे गांवों में जीविकोपार्जन के साधन हैं। परन्तु उनका ज्ञान सीमित है क्योंकि लोग समुचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य से वंचित हैं। हाल ही में, कर्नाटक में 'चिकुनगुनिया' नामक महामारी ने लोगों को बुरी तरह अपने चपेट में ले लिया है। वस्तुतः इसने पड़ोसी राज्यों को भी अपने चपेट में ले लिया है। परन्तु गरीब लोगों की दुर्दशा यह है कि वे चिकित्सा शुल्क और मंहगी दवाओं की कीमतों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेक विधायकों ने अपने पाकेट से पैसों का भुगतान किया ताकि ये लोग 'चिकुनगुनिया' से मुक्ति पाने के लिए उचित चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर सकें। इसलिए स्वास्थ्य हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। यह सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए और तभी जाकर हम अपने देश की जनता के लिए स्वास्थ्यकर वातावरण मुहैया करा सकते हैं। अन्यथा, अस्वास्थ्यकर स्थिति में, किस प्रकार के नागरिक होंगे? इसे ग्रामीण लोगों का मूल अधिकार होना चाहिए। वर्तमान में धनी व्यक्ति ही उत्तम शिक्षा का लाभ उठा सकता है। यद्यपि कि ग्रामीण लड़के और लड़कियां समान रूप से कुशाग्र होते हैं, परन्तु उन्हें अपने सीमित संसाधनों के साथ अच्छे पर्यावरण में रहने और सर्वोत्तम ज्ञान हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। आज हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और किसानों के बच्चे कम्प्यूटर और इंटरनेट देखने में सक्षम हैं। हम अपने बचपन में इन सुविधाओं से वंचित थे। हम आज जो भी दावा करें, स्वतन्त्र भारत का फल ग्रामीण भारत के कोने–कोने में पहुंचना चाहिए। जब तक हम इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम राष्ट्र में समानता नहीं देख सकते। एक दिन इससे देश का शांत वातावरण भंग हो सकता है। हम देश में इतनी अशांति क्यों पा रहे हैं? हमारे युवा हथियार क्यों उठा रहे हैं? आज भारत का पांचवां हिस्सा नक्सल प्रभावित है। यह एक संकटपूर्ण स्थिति है। ऐसा क्यों है? ये होनहार लड़के और लड़कियां हथियार क्यों उठा रहे हैं? इसका अर्थ है कि वे शिक्षा के मूल अधिकार, रोजगार के अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवनयापन के अधिकार से वंचित हैं। इसी वजह से मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह शिक्षा हेतु और अधिक निधियां आवंटित करे।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हाल ही में बाढ़ राहत निधि का आवंटन करते समय मेरे राज्य को इससे वंचित रखा गया है? यह तकनीकी त्रुटि हो सकती है, मुझे पता नहीं है। उत्तरी कर्नाटक बाढ़ के प्रकोप से काफी प्रभावित रहा है। भीमा नदी ने उत्तरी कर्नाटक में काफी समस्याएं पैदा की हैं। मैं कर्नाटक में बाढ़ के प्रकोप से पैदा हुई समस्याओं के समाधान हेतु सरकार से अनुरोध करती हूं।

मैं वित्त मंत्री जी से सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने का अनुरोध करती हूं। मात्र सहकारी बैंक देश में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आवश्यकताओं का समाधान कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन बैंकों को सरकार से पर्याप्त रियायतें नहीं मिलती हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से इस क्षेत्र की ओर भी ध्यान देने का अनुरोध करती हूं। हमें पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तरी–पूर्वी राज्य, तटीय क्षेत्र जैसे केरल, मंगलौर और तमिलनाडु को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी असंतुलन को भी कम किया जाना चाहिए। अन्यथा, हमें अपने स्वतन्त्र भारत में और अधिक अपराधी, और अधिक भिखारी तथा और अधिक अनाथ देखने पड़ेंगे। इसलिए हमें एक अच्छी नीति, जो ग्रामोन्मुखी हो, अपनाकर इस असमानता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है जबकि वे इन सुविधओं से वंचित हैं। यदि वे अन्न उपजाना छोड़ दें तो हम क्या खाएंगे? उनमें से अधिकांश ने खेती करना बंद कर दिया है क्योंकि अब यह अर्थक्षम और लाभकारी कार्य नहीं रहा। हम पैसे नहीं चबा सकते, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आवश्यक रूप से अपने अन्नदाता और अपने किसानों के बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, हमें गरीबोन्मुख नीतियों के माध्यम से गरीब लोगों की रक्षा करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करती हूं। मेरी सरकार पहले से ही यह कार्य कर रही है तथा मेरी सरकार जनोन्मुखी है। मैं शत–प्रतिशत आश्वस्त हूं कि मेरी सरकार इन समस्याओं पर ध्यान देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री कैलाश मेघवाल** (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, जिस संकल्प पर आज यहां चर्चा हो रही है, यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से चिन्तन करना चाहिए। मैं इस संकल्प को एक बार पढ़ देता हूं और इसलिए

पढ़ देता हूं कि यही आदेश भारत के संविधान में 26 जनवरी, 1950 को इस देश के शासनकर्ताओं को दिया गया था।

संकल्प यह है कि :

"यह सभा देश के विभिन्न भागों में विकास के अभाव से उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संतुलित और साम्यापूर्ण विकास के लिए तत्काल कदम उठाए।"

माननीय सभापति महोदय, हमने एक संविधान लागू किया और उस संविधान में जिस शब्द पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं, वह है नागरिक, नागरिक को आधार बनाया। हमारा जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में जब न्याय की बात की गई तो यह कहा गया कि हम इस लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रत्येक नागरिक को न्याय देंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उपासना की स्वतन्त्रता भी है। इसमें प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि सारे देश की अखंडता को सुनिश्चित रखते हुए बंधुत्व को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। यह उद्देश्य संविधान को लागू करने का था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 395, शेड्यूल 12 में दिया है। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जो फेडरल करेक्टर है, राजनीति शास्त्र में फेडरल करेक्टर को जिस रूप में लिया जाता है, हमारे यहां का फेडरल करेक्टर उस तरह का नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम दुनिया में अमेरिका का उदाहरण ले तो अमेरिका में फेडरल स्टेट की दोहरी नागरिकता है, यूएसए की एक नागरिकता है और वहां के राज्य की एक नागरिकता है। उन्होंने अपनी कुछ सर्वोच्चता सोवरेंटी को सरंडर किया, कुछ विषयों में फेडरल स्टेट को और बाकी सारे स्टेट्स की आटोनोमी भी कायम है। यहां हमने एक संघ का निर्माण किया, लेकिन इसका निर्माण ऊपर से हुआ। हमारे यहां स्वतन्त्रता का आंदोलन चला। हमारे देश का हजारों साल का इतिहास है और यह इतिहास एक राज्य की इकाई के अन्तर्गत भी शासन आता है और उस शासन को हमने यह कहा है कि हम नए राज्यों का भी निर्माण करेंगे, भारत का एक संघ होगा ओर उस संघ में राज्यों का निर्माण करेंगे। हम राज्यों के निर्माण को बदल भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं तथा कम भी कर सकते हैं। आर्टिकल एक, दो और तीन, ये सब इस बात को व्यक्त करते हैं कि यह जो हिन्दुस्तान है, इस हिन्दुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम राज्यों की स्थापना करेंगे और उनकी स्थापना करने के बाद उनकी सीमाएं भी तय करेंगे तथा अभिवृद्धि भी करेंगे, यहां हिन्दुस्तान की एक नागरिकता होगी। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर दुनिया में जिस रूप में समझा जाता है, हमारे यहां इस फेडरल स्ट्रक्चार का एक विशेष स्थान है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में अनुच्छेद 38 में राज्य की नीति निदेशक तत्व के बारे में कहा है—"राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य की ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेंगे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा। राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।" यह जो संकल्प है, 1950 में ही इसके आधार पर संविधान में प्रावधान कर दिए गए। अनुच्छेद 39 कहता है कि—"राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।"

सभापति महोदय, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है :

"समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तमरूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पाद के साधनों में सभी का हित समन्वित हो।"

संविधान के ये निर्देश थे। दुर्भाग्य है कि हमने अपने यहां जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था बनाई और जिस तरह की राजनीति विकसित की, उसमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति की बजाय, ठीक इसके विपरीत काम हुआ।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राज्यों की इकाई बनाई, लेकिन मेरी अपनी राय में, ऐसा करते समय एक सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना की जिसके कारण देश में दो ऐतिहासिक भूलें हुईं। इतिहासकार यदि कभी इसका आकलन करेंगे, तो लम्बे समय तक आजादी के आन्दोलन में भारत एक रहा। उसमें भारतीयता और देश

[श्री कैलाश मेघवाल]

की राष्ट्रीयता रही। इस प्रकार की एक जो भावना पृथक होकर आई, वह भावना हमने आजादी की बाद 50 साल में खो दी। आज भारतीयता पीछे रह गई, प्रादेशिकता और प्रान्तीयता आगे आ गई।

महोदय, इसके साथ–साथ देश की राजनीति के सिद्धान्तों में परिवर्तन हो गया। हम कई प्रकार के राजनीतिक विचार करते हैं। सारी दुनिया में राजनीति चल रही है और अलग–अलग राजनीतिक दर्शन के आधार पर चल रही है, लेकिन इस देश में हमारा दुर्भाग्य है कि हम सैद्धान्तिक राजनीति को, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसीपल्स को कायम नहीं रख सके। उसके कारण राष्ट्रीयतावाद का रिप्लेसमेंट आया प्रदेशवाद और हम जो सैद्धान्तिक राजनीति को कायम नहीं रख सके, उसका रिप्लेसमेंट आया जातिवाद। अगर सारे देश में देखा जाए, तो कुल मिलाकर आज की सारी राजनीति जातिवाद के आधार पर चल रही है। इसके बड़े खतरनाक नतीजे होंगे।

महोदय, हम जिस दिशा में चल रहे हैं, वह ठीक दिशा नहीं है। इसलिए आज हमें पूरे देश में प्रान्तीयता देखने को मिलती है। तमिलनाडु चले जाओ, तो तमिलों के लिए तमिल भाषा। असम में चले जाओ, तो असमियों को असमी भाषा। महाराष्ट्र में चले जाओ तो मराठों के लिए मराठी भाषा, पंजाब में चले जाओ, तो पंजाबी भाषा फॉर सिख्स, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, तो तेलुगू भाषा आंध्र प्रदेश वासि.. के लिए। इसका नतीजा हुआ कि जो प्रान्तीय दल विकसित हुए, वे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। इनके ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण हमारी केन्द्रीय सत्ता धीरे–धीरे कमजोर होती गई, राजनीतिक कम्प्रोमाइज होते गए जिनका नतीजा यह निकला कि आज किसी प्रदेशों से संबंधित किसी समस्या का निदान नहीं हो पाता है। जहां देश के भौतिक संसाधन, सारे राष्ट्र के स्वामित्व के होने चाहिए, वहां आज राज्यों का बोलबाला है। दुर्भाग्य से आज स्थिति यह है कि जो राज्य अपना जितना राजनीतिक अस्तित्व रखता है, आज की राजसत्ता में उसका जितना दबाव है, वह उतनी ही अधिक प्रान्तीयता के स्वामित्व की राजनीति कर रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज पंजाब ने हमारे राजस्थान का पानी रोक रखा है। पानी के बंटवारे के फैसले 1984 में हो गए, लेकिन आज तक पंजाब उसे मानने को तैयार नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने उस फैसले को कराया। सादे देश में बिजली के फैसले बहुत पहले हो गए, लेकिन उन्हें नहीं माना जा रहा है। सारे देश में पानी के झगड़े, इंटरस्टेट रिवर्स के झगड़े, बिजली के झगड़े और दूसरे किस्म के झगड़े चल रहे हैं। आज कोयले का मालिक बिहार हो गया है। तेल का मालिक असम हो गया है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, यह बहुत खतरनाक स्थिति है। यदि यह मजबूत होती गई और इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की बहुत बुरी हालत हो जाएगी।

महोदय, जहां सिद्धान्तों की राजनीति चली वहां यह बात देखने में नहीं आई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कम्यूनिस्ट भाइयों को, जिन्होंने कम से कम केरल, त्रिपुरा और वैस्ट बंगाल में सिद्धान्तों की राजनीति को कायम रखा। इसलिए वहां पर कोई कट्टरवादी आन्दोलन खड़ा नहीं हुआ। हिन्दी बोलने वाले जो हिन्दी प्रदेश हैं, वहां भी कोई कट्टरवादी आन्दोलन पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जातिवादी राजनीति चल रही है, जो प्रदेशवाद की राजनीति चल रही है, वह बहुत खतरनाक है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, भारती की साक्षरता 64.8 प्रतिशत है। इसमें पुरुषों का 75.3 प्रतिशत और महिलाओं का 53.7 प्रतिशत है। इसमें अधिकतम साक्षरता केरल की है, जो 90.9 प्रतिशत है। वहां पुरुषों की साक्षरता 93.2 प्रतिशत और महिलाओं की 87.7 प्रतिशत है। न्यूनतम औसत साक्षरता बिहार राज्य की है, जो 47 प्रतिशत है। पुरुषों की 49.7 प्रतिशत और महिलाओं की 33.1 प्रतिशत है। 53.7 प्रतिशत और 33.1 प्रतिशत साक्षरता के बीच में जो बड़ा अन्तर है, यह हमारी आंखें खोलने वाला होना चाहिए। शिक्षा का सबको अधिकार है। शिक्षा में एक राज्य नीचे और बाकी राज्य बीच में, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। पुरुषों की अधिकतम साक्षरता 75.3 प्रतिशत है, जिसमें 23 प्रदेश हैं और 11 प्रदेश इससे नीचे हैं। महिलाओं का अधिकतम प्रतिशत 53.7 प्रतिशत है, जिसमें 23 प्रदेश हैं और 11 प्रदेश इससे नीचे हैं। यह ऊपर और नीचे के बीच में जो असमानता है, इसका जिक्र संकल्प में किया गया है।

महोदय, जीवन जीने के लिए, रोटी–कपड़ा और मकान के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि आदमी की आर्थिक स्थिति ठीक हो। भारती की पर–कैपिटा इन्कम 2003–04 के आंकड़े के अनुसार 11799 रुपये है। सबसे कम पर–कैपिटा इन्कम बिहार राज्य की है, जो कि 3557 रुपये है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 5975 रुपेय, असम की 6466 रुपये, उड़ीसा की 6885 रुपये है। सबसे ज्यादा पर–कैपिटा इन्कम गोवा राज्य की है, जो कि 30506 रुपये है। इसके बाद गुजरात की 16779 रुपये है। इस तरह भारत की औसत आय से 15 राज्य ऊपर हैं और 14

राज्य नीचे हैं। अगर हमने ठीक ढंग से पालिसी विकसित की होती तो ऐसा न होता। आर्थिक व्यवस्थाओं को नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में और प्रिएम्बल में प्रतिपादित किया गया है, उसके हिसाब से देश का विकास करते तो यह पर–कैपिटा इन्कम बराबर की होती। पर–कैपिटा इन्कम जब तक बराबर नहीं होगी, तब तक ये सारी बातें उठती रहेंगी। इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि यदि हमको इस देश को विकसित बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करना होगा और उन्हें आर्थिक न्याय देना होगा।

महोदय, इन असमानताओं का कारण क्या है? हमारी राजनीति इस तरह की विकसित हुई है कि जो ताकतवर लोग हैं, जैसे कि केन्द्र में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनकी किसी प्रदेश के प्रति अधिक कृपा है या किसी नेता से उनका लगाव है, वही केन्द्र से अधिक से अधिक पैसा ले जाने में सफल रहे हैं। गाडगिल फार्मुला गरीब प्रदेशों के प्रतिकूल है और अमीर प्रदेशों के पक्ष में है। इस फार्मूले को बदलने की मांग लगातार चली आ रही है।

जो विकसित प्रदेश हैं, वे कहते हैं कि हमारी परफोरमेंस, हमारी आय, हमारे काम को देखकर हमको पैसा दो और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वे कहते हैं कि हमारी बैकवर्डनैस को देखकर पैसा दो, इसलिए गाडगिल फार्मुले में परिवर्तन आना चाहिए। दूसरे आजकल एक नई परिपाटी और आ गई है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त करिए। कारण यह है कि उतना समय नहीं है और सबको एलाऊ करना है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : राज्यों की सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, ये भी पक्षपात का बहुत बड़ा कारण बन रही हैं और इनमें मैचिंग ग्रांट के बारे में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स में जो मैचिंग ग्रांट रखी है, जो विकास की स्कीम्स हैं, जो राज्य पैसा दे सकते हैं, जो धनवान राज्य हैं, वे मैचिंग ग्रांट दे सकते हैं और जो पैसा नहीं दे सकते, उनको सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स में हिस्सा नहीं मिलता है और इसलिए यह बड़ा खतरनाक है। जहां जिस तरह की विकास की स्कीम की आवश्यकता है, उसका पूरा पैसा भारत सरकार को देना चाहिए और भारत सरकार ने यह जो मैचिंग ग्रांट का नियम बनाया है, इनको तुरन्त खत्म करना चाहिए, यह तो सार्वजनिक रूप से, सामान्य रूप से आपको एक निवेदन किया। लेकिन प्रत्येक प्रदेश की हालत खराब है, उस प्रदेश में अलग–अलग वर्ग हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, नोमेडिक ट्राइब्स हैं, दूसरे ट्राइब्स हैं, दूसरे गरीब तबके हैं। आज उनके साथ यह सब औसत आ गया, लेकिन इस औसत में एक धनाड्य करोड़पति को और एक गाड़ी चलाने वाले को, दोनों को शामिल किया गया है। यह असमानता भी प्रत्येक प्रदेश में बहुत बड़ी असमानता है। इसलिए प्रत्येक प्रदेश की नीति, प्रत्येक प्रदेश के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि वहां पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी लाभान्वित हो और धनवानों पर थोड़ा अंकुश लगे।

अब आप समय की कमी बता रहे हैं, वरना मैं सारे प्रदेशों के आंकड़े आपके सामने रखता। आपके प्रदेश में तो शैड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा हैं और जब शैड्यूल्ड ट्राइब्स आपके यहां सबसे ज्यादा हैं तो आपको तो सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन सौतेला व्यवहार हो रहा है। राजस्थान की स्थिति भी वही है, कहीं शैड्यूल्ड कास्ट्स ज्यादा हैं, कहीं शैड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा हैं, गरीब ज्यादा हैं, कहीं हिली एरियाज हैं। हिली एरियाज में विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए बहुत पैसा लगता है। रेगिस्तानी एरिया में भी और हिली एरियाज में भी जो डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन है, वह कम है। जहां डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन ज्यादा है, वहां कम पैसे से ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं और कम डेन्सिटी वाले इलाकों में ज्यादा पैसे से कम लोग लाभान्वित होते हैं तो हमारी योजनाओं में जो एक विरोधाभास इस देश में आया है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और तभी हमारे माननीय सांसद श्री सोनवाल ने जो यह प्रस्ताव रखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर गम्भीरता से विचार करके इस पार्लियामेंट को अपनी राय रखनी चाहिए।

यही निवेदन करते हुए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार प्रदर्शित करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर)** : धन्यवाद सभापति महोदय। यह सभा एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही है। भारत ने अपनी आजादी के गत 60 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यहां पर अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं तथा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं। यहां अलग–अलग भौगोलिक स्थितियां हैं तथा अलग–अलग स्थानों की आर्थिक स्थितियां अलग–अलग हैं। इसलिए इतनी विविधताओं वाले इस देश को देश के सभी राज्यों, देश के सभी क्षेत्रों तथा इस देश के सभी लोगों का विकास हुए बिना इसका उचित रूप से विकास नहीं हो सकता क्योंकि यह देश बहुत विशाल है।

[श्री प्रसन्न आचार्य]

इसमें कोई शक नहीं है कि विकास के स्तर पर व्यापक क्षेत्रीय असमानताएं हैं जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं। आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है अर्थात उच्च आय वाले राज्य, मध्यम आय वाले राज्य तथा निम्न आय वाले राज्य। इस प्रकार, हमारे संघ के सभी 30 राज्यों को विकास के अनुरूप इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में क्षेत्रीय असमानताएं हैं।

विभिन्न राज्यों के बीच विकास में व्यापक असमानताएं हैं। यह भी सत्य है कि राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय असन्तुलन है। यह भी एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए।

महोदय, हमारी आजादी के गत 60 वर्षों के दौरान अनेक योजनाएं बनाई गई हैं तथा उनमें से कुछ अब क्रियान्वयनाधीन हैं। इन योजनाओं में अधिकांश गरीबी उपशमन योजनाएं हैं लेकिन अभी भी हम विकस में असन्तुलन को पूरी तरह से हटाने में नाकाम रहे हैं। हम विकास में असन्तुलन, आर्थिक विकास में असन्तुलन तथा प्रति व्यक्ति आय में असन्तुलन को पूर्णतया मिटाने में असफल रहे हैं। दोषपूर्ण क्रियान्वयन जैसे इसके कई कारण हैं। योजनाएं तो अच्छी होती हैं, इरादे भी नेक होते हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन दोषपूर्ण होता है।

दूसरा कारण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रों का गलत चयन होना है। यहां अनेक अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन जब हम क्षेत्रों का चयन करते हैं, जब हम लोगों का विनिश्चय करते हैं, जब क्षेत्रों को अन्तिम रूप देते हैं, जहां अच्छी योजनाएं क्रियान्वित की जानी हैं, तो हम गलती करते हैं। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह विभिन्न कारणों में से एक है जो राज्यों के बीच बढ़ते हुए अन्तर में सहायक होता है।

एक और बात है जिससे हम सहमत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते कि अल्पविकसित राज्यों या अल्पविकसित क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणाओं में राजनीतिक दखलअंदाजी होती है। अब भी हम आदर्शों की बात करते हैं, हम पूरे देश में समान आर्थिक विकास की बात करते हैं, लेकिन चाहे जो भी सरकार हो, चाहे जो भी नेता हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, कई अवसर ऐसे आते हैं जब निर्णय करने वाले लोग अपने आपको राजनीतिक दखलअंदाजी तथा दखल से मुक्त नहीं कर पाते हैं। कारणों में से एक यह भी कारण है कि इस देश में क्षेत्रीय असन्तुलन क्यों बढ़ रहा है।

महोदय, विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटन में गलत मानकों का चयन भी एक कारण होता है। पूर्ववर्ती वक्ताओं ने गाडगिल सूत्र का उल्लेख किया था। इस सूत्र में आवश्यक परिवर्तन की लगातार मांग चल रही है लेकिन अब तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटन में विभिन्न गलत मानकों का चयन भी बेशक एक कारण होता है।

जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, यहां अनेक कारण हैं जिनसे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है तथा राज्यों और क्षेत्रों के बीच अन्तर बढ़ रहा है। मैं एक उदारहण दूंगा। स्वतन्त्रता के बाद, बेशक, हमें यह मानना पड़ेगा कि देश में औद्योगिक विकास हुआ है। उद्योगों का विकास हुआ है। औद्योगिक वृद्धि से हमारी आय काफी अधिक है और इसके बारे में कोई शक नहीं है। यद्यपि यह वृद्धि समान नहीं है। इस औद्योगिक वृद्धि में पूर्ण असन्तुलन रहा है। जहां तक औद्योगिक वृद्धि का संबंध है, एक क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में शानदार विकास हुआ है। जहां तक औद्योगिक वृद्धि का संबंध है देश में ऐसे राज्य हैं, देश में ऐसे क्षेत्र हैं तथा देश में ऐसी अनेक जगह हैं जो इससे कोसों दूर हैं। देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे अल्पविकसित क्षेत्र हैं जहां पर एक भी उद्योग स्थित नहीं है। हम कैसे मानें कि इस देश में समान आर्थिक विकास होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2005 में देश के औद्योगिकीकरण की यह टेढ़ी प्रकृति उजागर हो गई है जिसमें देश के केवल पांच राज्यों में 50 प्रतिशत उद्योग लगे हुए हैं।

मुझे इन राज्यों का नाम लेने में कोई झिझक नहीं है। मुझे किसी राज्य से जलन नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि किसी राज्य विशेष में उद्योगों का विकास नहीं होना चाहिए। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पचास प्रतिशत उद्योग देश में 30 राज्यों में से केवल पांच ही राज्यों में लगे हैं। ये राज्य कौन से हैं? ये हैं : तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। यह मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है देश में पांच या छह राज्यों में औद्योगिक प्रगति अधिक है। बाकी राज्यों का क्या होगा? इन परिस्थितियों में, क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ेगा ही और कोई भी इस पर अंकुश नहीं लगा सकता जब तक कि इस बात पर गौर न किया जाए और इसे समाप्त न किया जाए।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि हमारे पास बहुत सी अच्छी

योजनाएं हैं। स्वतन्त्रता के बाद एक के बाद एक आई सरकारें अच्छी–अच्छी योजनाएं लेकर आईं तथा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन दोषपूर्ण रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों का चयन गलत हुआ है। यह क्षेत्रीय असन्तुलन होने के मुख्य कारणों में से एक है। मैं हाल ही का एक उदाहरण दूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) एक बहुत ही नामी एवं नई योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) नामक दो योजनाएं हैं। मैं इन योजनाओं का स्वागत करता हूं। देश में बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं जहां विकास की आवश्यकता है। सरकार ने देश से वादा किया था कि काफी अधिक धनराशि निर्धारित की जाएगी तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों की सहायता के लिए अधिक निधि की स्थापना की जाएगी। फिर भी, हमें यह देखना है कि इन दोनों अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असन्तुलन उत्पन्न हो रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से विभिन्न क्षेत्रों के विकास में अन्तर पैदा हो रहा है तथा क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है।

इस वर्ष एनआरईजीपी के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, और यदि मैं सही हूं तो बीआरजीएफ के लिए इस वर्ष का आवंटन 3500 करोड़ रुपये है। एनआरईजीपी के क्रियान्वयन हेतु दो सौ जिलों को चुना गया है तथा बीआरजीएफ के क्रियान्वयन के लिए 250 जिलों का चयन किया गया है। इन 450 जिलों में से 200 जिले ऐसे हैं जो दोनों ही सूचियों में हैं। इसका अर्थ हुआ कि 450 में से 200 जिलों को इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चुना गया है, जिसके अन्तर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु धनराशि आवंटित की जाती है। इसके परिणामस्वरूप एक जिला ऐसा है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसे दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा जबकि पड़ोसी जिला, जो कि समान रूप से गरीब है वह दोनों ही योजनाओं के लाभ से वंचित है। क्या यह न्याय है? क्या इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त करना है? क्या देश के सभी पिछड़े क्षेत्रों में समान आर्थिक विकास की यही हमारी योजना है? योजनाएं तो अच्छी हैं परन्तु उनका क्रियान्वयन गलत ढंग से हो रहा है। मैं यही बात कहना चाहता हूं। हमें विश्लेषण करना होगा तथा इन कमियों को दूर करना होगा। हमें इन खामियों को दूर करना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हमारे ईमानदार प्रयासों के बावजूद, देश में चल रही अच्छी योजनाओं के बावजूद क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त नहीं किया जा सकता।

देश के सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र कौन से हैं? देश के सबसे अल्प–विकसित क्षेत्र कौन से हैं? विडम्बना यह है कि देश के अधिकांश सबसे अल्प–विकसित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। ईश्वर ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है। ईश्वर ने उनके साथ पर्याप्त न्याय किया है। ईश्वर ने इन क्षेत्रों अथवा राज्यों को बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का उपहार दिया है।

लेकिन सरकार अन्याय कर रही है। मैं कुछ राज्यों का नाम ले सकता हूं–मेरा स्वयं का राज्य उड़ीसा है तथा मेरे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ तथा बिहार हैं। झारखंड तथा पूर्वोत्तर जैसे कुछ राज्यों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं, परन्तु स्वतन्त्रता के 60 वर्ष के बाद भी हम उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए पर्याप्त अवसंरचना विकसित नहीं कर पाए हैं तथा अवसंरचना निर्माण हेतु पर्याप्त निवेश नहीं कर पाए हैं। इसलिए, उन राज्यों को अब भी सबसे गरीब राज्य कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वोत्तर राज्य जैसे खनिज सम्पदा वाले राज्य सबसे पिछड़े राज्य हैं। ये राज्य जनजातीय बहुलता वाले राज्य हैं। इस देश की अधिकांश जनजातीय आबादी इन अल्प–विकसित राज्यों में रहती है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है परन्तु इसके बावजूद भी वे अल्प–विकसित हैं तथा गरीबी, भुखमरी से जूझ रहे हैं। इन राज्यों से पलायन अब भी जारी है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इन राज्यों से भुखमरी के कारण मौतें होने की खबर है। गलती कहां हो रही है? ईश्वर ने तो अन्याय नहीं किया है, लेकिन इन सभी अल्प–विकसित क्षेत्रों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। पिछड़े राज्यों से लोग देश के अन्य भागों में जा रहे हैं। मैं प्राकृतिक संसाधनों तथा खनिजों की बात कर रहा था। मैं कोयले का उदाहरण देना चाहूंगा। केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण कोयला रायल्टी नीति के कारण कोयला उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसा प्रावधान है कि हर तीन वर्ष के बाद कोयला रायल्टी नीति में संशोधन किया जाएगा, परन्तु सरकार ऐसा करने से इंकार कर रही है। अतः कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों को उनके वास्तविक दावे से वंचित रखा जा रहा है। इन अल्प–विकसित राज्यों का विकास कैसे होगा?...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय :** प्रसन्न आचार्य जी, आपकी पार्टी से अभी एक और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इस तरह उनका समय कम हो जाएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य :** मेरे राज्य के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार

[श्री प्रसन्न आचार्य]

को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि ऐसे राज्यों में अवसंरचना विकास, रेल, सड़क, पोत निर्माण आदि परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए विशेष कार्यिक निधि की स्थापना की जानी चाहिए। हमारा प्रस्ताव है कि इन राज्यों में अल्प–विकसित क्षेत्रों के विकास हेतु न्यूनतम 3000 करोड़ रुपये की सार्थक निधि होनी चाहिए।

विकास में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम रेलवे का इतिहास देखें तो अल्प–विकसित राज्यों में कितने किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है? हम अवसंरचना निर्माण करने से मना कर रहे हैं। इस देश में क्षेत्रीय सन्तुलन लाने तथा आर्थिक विकास का सपना हम कैसे साकार कर सकते हैं?

आज सुबह, ध्यानाकर्षण में हम कालाहांडी–बोलंगीर–कोरापुट (केबीके) की चर्चा कर रहे थे, जो कि देश के सबसे अल्प–विकसित क्षेत्र हैं। श्री त्रिपाठी आज सुबह अपने भाषण में सभी आंकड़े बता रहे थे। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। वहां निरक्षरता सबसे अधिक है, वहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, वहां अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, वहां से पलायन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद वहां भुखमरी है। इन क्षेत्रों से गरीबी हटाने के लिए एक योजना थी, जिसे केबीके योजना कहा जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उस योजना को बन्द करने का निर्णय लिया। जब भारत सरकार की नीति ऐसी हो, तो आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त हो जाएगा? मैं तेलंगाना का उदाहरण देना चाहता हूं..*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : इस संकल्प के लिए जितना समय एलॉट किया गया था, वह पूरा हो गया है। अभी दस मैम्बर्स और बोलने वाले हैं। अगर सदन की राय हो, तो इस संकल्प पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए।

**कई माननीय सदस्य** : ठीक है।

**सभापति महोदय** : आचार्य जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : मैं केवल दो प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं..*(व्यवधान)*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : सभापति महोदय, आप कोशिश कीजिए कि अगला विषय आज ही प्रस्तुत हो जाए।

**सभापति महोदय** : हम जरूर कोशिश करेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि राज्यों के बीच क्षेत्रीय असन्तुलन है, राज्य के भीतर क्षेत्रीय असन्तुलन है। कई राज्यों से नए राज्यों को बनाने की मांग की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार की मानसिकता क्यों बन रही है? लोग और राज्य बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं? मेरे राज्य उड़ीसा में नए राज्य कोशल की मांग की जा रही है। ऐसी मांग क्यों उठ रही है? जब तक राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह मांग की जाती रहेगी। क्या इसमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे निर्धन राज्य बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं।

**सभापति महोदय** : ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री प्रसन्न आचार्य** : इसलिए केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए ऐसे निर्धन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक कायिक निधि की स्थापना करे।

मेरी आखिरी बात यह है कि भाषा हर किसी के जीवन में और देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : श्री प्रसन्न आचार्य जी, आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य को बोलना है, अब उनके लिए समय नहीं बचेगा।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : इसलिए, यहां अनेक राज्यों की यही मांग है। जैसा कि आपको पता है कि भाषा के आधार पर ही बांग्लादेश का सृजन हुआ है। भोजपुरी को भी सम्मिलित किए जाने की मांग की जा रही है।..*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

..*(व्यवधान)*

**श्री प्रसन्न आचार्य** : यह मांग की जा रही है कि उड़ीसा में बोली जाने वाली कौशाली भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। इसलिए यदि आप लोगों की भावनाओं का आदर करेंगे तो लोगों का घटता हुआ असंतोष और आक्रोश इत्यादि समाप्त हो जाएगा।

इसलिए, केन्द्र सरकार को इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए। क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए केन्द्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : श्री प्रसन्नाचार्य जी, आपकी पार्टी के दूसरे सदस्य के लिए समय कम रह गया है।

*[अनुवाद]*

**श्री किरिप चालिहा** (गुवाहाटी) : महोदय, मैं इस सभा में चर्चा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लाने के लिए अपने सहयोगी श्री सर्वानन्द सोनोवाल का आभार व्यक्त करता हूं। देश के सभी भागों के सन्तुलित और समान विकास के संबंध में संकल्प है। इसमें जो लिखा गया है मैं उसे संक्षेप में पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि "यह सभा क्षेत्रीय असन्तुलन के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त करती है और देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इसे दूर किया जाना आवश्यक है।"

अनेक वक्ताओं ने देश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन किया है। बहुत कम लोगों का यह मानना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तक यह देश वास्तव में एक संगठित देश नहीं था।

**अपराह्न 4.28 बजे**

*(श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए)*

जब हम भारत की संकल्पना के बारे में बात करते हैं तो केवल कुछ ही लोग यह मानते हैं कि सच्चे अर्थों में वर्तमान भारत का उदय केवल स्वतन्त्रता संग्राम के कारण हुआ था जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी और वास्तव में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।

भारत उससे पहले भी था। जैसा कि आप प्राचीन भारतीय हिन्दू काल के इतिहास में पढ़ सकते हैं कि यहां एक मिथकीय भारत था, यहां मुगल काल के दौरान का भारत था और स्वर्णिम हिन्दू काल का स्वर्णिम भारत था। लेकिन आज हमारे समक्ष जो भारत है वह वास्तव में महात्मा गांधी के स्वतन्त्रता आन्दोलन और विभाजन की ब्रिटिश योजना का परिणाम है।

जब हम क्षेत्रीय विषमता की बात करते हैं, जब हम क्षेत्रीय असन्तुलन की बात करते हैं, जब हम इससे संबंधित समस्याओं की बात करते हैं और जब हम इन सभी समस्याओं के साथ आगे जाने की बात करते हैं तो हमें इन दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। हमें एक–दूसरे का अपमान किए बगैर, किसी भी पार्टी की सरकार को दोष दिए बिना हमें इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि जब 1947 में वर्तमान भारत का उदय हुआ था उस समय भारत न केवल भाषाई और धर्म के आधार पर बंटा हुआ था अपितु वह विकास के स्तर पर भी बंटा हुआ था। क्योंकि ऐतिहासिक कारण से, भौगोलिक कारण से और अकेलेपन के मनोवैज्ञानिक कारणों से ऐसा था। देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों के बीच असमानता की बड़ी खाइयां थीं। और अब आपसे क्या...?

राज्यों की अवधारणा भी राज्यों के भाषाई गठन के आधार पर आई थी। राज्यों का गठन मुगल अथवा हिन्दू काल के दौरान वहां पर शासन करने वाले राजघरानों के नाम पर नहीं किया गया था अपितु भाषाई आधार पर किया गया था। स्वतन्त्रता के समय भारतीय एकता की अवधारणा अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी। पार्टियों को तो वहां होना ही था। लेकिन क्षेत्रों, राज्यों, शहरों और ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच असमानता थी। हम सभी को यह बहुत अच्छी तरह याद है कि महात्मा गांधी किस प्रकार ग्रामीण और शहरी भारत के बारे में बात किया करते थे। यहां पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र भी हैं जहां का मैं रहने वाला हूं। यहां दक्षिणी राज्य भी हैं जहां पर लोग हिन्दी बोलना पसन्द नहीं करते। हमारी हिन्दी पट्टी भी है अर्थात हिन्दी बोलने वाले क्षेत्र भी हैं जो यह महसूस करते हैं कि बहुसंख्यक लोग हिन्दी बोलते हैं इसलिए यही असली भारत है। यहां पश्चिम भी था जो यह सोचता था कि वह सबसे समृद्ध है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। अतः शायद इसलिए वह भारत के आर्थिक उत्थान करने की दावेदारी करता है। अतः हमारे यहां विभिन्न प्रकार के लोग जिनकी अपने–अपने अभिमान और अपनी–अपनी पूर्व धारणा थी।

यहां पर विभिन्न भौगोलिक स्थितियों और विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा विचारधाराओं के कारण क्षेत्रीय असन्तुलन है। भारतीय सभ्यता को सदियों से जाति, धर्म, जातीय विभाजन जैसी अन्य बुराइयों से और इस जैसी अन्य बुराइयों से नुकसान का सामना करना पड़ा है। जब से यह देश अस्तित्व में आया है तभी से ये सभी बुराइयां विद्यमान हैं। सौभाग्यवश और दुर्भाग्यवश उस समय देश में व्याप्त

[श्री किरिप चालिहा]

क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने संबंधी कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई थी बल्कि भारत में एकता को बनाए रखने के कार्य को प्राथमिकता दी गई थी। 1950 में हमारे संविधान को ऐसे ही तैयार किया गया था।

हमारे संविधान में अमरीकी संघीय ढांचे को आत्मसात नहीं किया गया। इसमें एकात्म और संघीय ढांचे के मिश्रण को अपनाया गया है। अपनी प्रकृति में यह एकात्म है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संकल्प में संघीय ढांचे के बारे में बताया गया है और यह कहा गया है कि हमें अपने देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करना होगा। मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें "देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने" के स्थान पर "देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने" संबंधी शब्द प्रयोग करने चाहिए।

मैंने पिछले वक्ताओं द्वारा दिए गए कुछेक भाषणों को सुना है राजनीतिक प्रणाली में विभिन्न संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया गया है। मेरी नजर में, अभी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अत्यधिक सावधानी और समयबद्ध रूपरेखा के साथ आर्थिक उपाय करना है और यह देखना है कि विभिन्न क्षेत्रों में एकता रहे और वे समान रूप से प्रगति करें। हमें देखना पड़ेगा कि पिछड़ेपन को दूर किया जाए और देश यथासंभव सीमा तक एकजुट होकर प्रगति करना शुरू करे। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है?

मेरे एक मित्र ने वर्ष 1950 के संविधान का संदर्भ दिया है और कहा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार क्षेत्रीय असमानता को महत्व दिया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी बहुत ही प्रबल ढंग से क्षेत्रीय असमानताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में वस्तुतः सभी संकतेकों में बढ़ती क्षेत्रीय असमानताओं पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।"

ये संकेतक हैं : प्रति व्यक्ति आय, विकास, उद्योग, अवसंरचना आदि।

तत्पश्चात इसमें कहा गया है :

> "विगत दशकों मे न केवल संघ के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय का शीघ्रता से अपसरण शुरू हो गया, अपितु सामाजिक उपलब्धियों में असमानता भी लगातार बनी हुई नजर आती है। जैसा कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में उल्लेख किया गया है।"

यह बहुत ही गंभीर बात है। अब, दसवीं पंचवर्षीय योजना–रणनीतिक चिन्ताओं में कहा गया है :

> "ये रूझान देश में बढ़ते ध्रुवीकरण को दर्शाते हैं, जिसका राष्ट्रीय एकता पर नितान्त हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, यह साक्ष्य भी मौजूद हैं कि राज्यों में संरक्षणवादी और पड़ोसी की कीमत पर समृद्ध होने वाला व्यवहार वृद्धिकारी रूप से अधिक प्रचलित होता जा रहा है। कुल मिलाकर एक देश के संदर्भ में, यह विश्व के दूसरे देशों के साथ बड़े पैमान पर एकीकरण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में है। ऐसा व्यवहार गंभीर खतरों से भरा हुआ है।

भारत के माननीय राष्ट्रापति ने भी क्षेत्रीय असमानताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, जब उन्होंने कहा :

> "क्षेत्रीय असन्तुलन में न केवल ऐतिहासिक अनदेखी अपितु योजना आवंटन में असन्तुलन से भी बढ़ोत्तरी हुई है।"

ऐसा देश के राष्ट्रपति ने कहा है। मैं अपने उस महान नेता का स्मरण करता हूं, जिनके साथ मुझे काम करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। वे एक महान द्रष्टा थे यानि कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय राजीव गांधी। जब कभी भी उन्होंने पूर्वोत्तर अथवा उड़ीसा या झारखंड जैसे किसी भी पिछड़े क्षेत्र अथवा किसी अन्य जनजातीय क्षेत्र का दौरा किया, उन्होंने सदैव विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अलग–अलग स्तरों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कहा :

> "क्षेत्रों और क्षेत्रों तथा राज्यों और राज्यों के बीच समानता बनाए जाने की आवश्यकता है।"

माननीय वित्त मंत्री के गत बजट भाषण के दौरान, जब वे ग्रामीण और शहरी भारत के बीच भारी अन्तराल के संबंध में वाक्पटुता से बोल रहे थे, मैंने उनसे न केवल ग्रामीण और शहरी भारत के बीच भारी अन्तराल के बारे में बोलने के लिए कहा, बल्कि विकसित और अल्प–विकसित भारतीय क्षेत्रों और पूर्व, पूर्वोत्तर आदि जैसे क्षेत्रों के बारे में भी बोलने के लिए कहा।

मुझे वास्तव में स्मरण नहीं है कि यह मैंने कहां पढ़ा है, लेकिन एक महान अर्थशास्त्री द्वारा एक पूर्वानुमान लगाया गया था कि कदाचित आज से 20 वर्ष पश्चात् समृद्ध भारत तटीय क्षेत्र और बड़े शहरों में सिमट जाएगा और सबसे गरीब भारत पूर्व में कहीं

सीमित रह जाएगा। यह तटीय जिलों को छोड़कर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का ऊपरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग और कदाचित कश्मीर तक पूरा उत्तरी भाग हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का विकास होना है, तो उसका संपूर्ण शरीर भी साथ–साथ विकसित होना चाहिए। आपके पास बिना मस्तिष्क के बहुत अच्छे हाथ नहीं हो सकते। आपके पास बहुत अच्छे नेत्र नहीं हो सकते, यदि आपके पैरों में लंगड़ाहट है। हमारे अर्थशास्त्रियों ने इस पहलू को वाजिब महत्व दिया है या नहीं? क्या गठित की गई विभिन्न समितियों और आयोगों ने इस पर ध्यान दिया है जैसे कि सरकारिया आयोग जिसने राजनीतिक पहलू पर विचार किया अथवा गाडगिल फार्मुला जिसमें आर्थिक पहलू पर ध्यान दिया गया? क्या ये वायदे के अनुरूप कार्य कर पाए हैं अथवा नहीं?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेष रूप से उदारीकरण के पश्चात् अब एक नए तंत्र की आवश्यकता है। जब उदारीकरण हुआ और जब हम उदीयमान भारत का निर्माण करने की घोर आशा के साथ इस देश में विदेशी निवेश लाने के बारे में बात कर रहे थे, मैं उस समय एक नौजवान सदस्य था। मैंने अपनी आशंका व्यक्त की थी कि विदेशी निवेश केवल बंगलौर, मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता जैसी उत्कृष्ट जगहों पर ही आएगा। क्या एक विदेशी निवेशक गुवाहाटी अथवा मेरे गृहनगर जैसी जगह पर आएगा? क्या वे केरल अथवा कदाचित उड़ीसा के दूरवर्ती गांव में आएंगे? वहां विदेशी निवेश नहीं होगा। वहां विदेशियों को आकर्षित करने के लिए उनके पास कोई पांच सितारा होटल नहीं है। तो क्या होगा? मैंने कहा कि हो सकता है कि बंगलौर, दिल्ली और मुम्बई का विकास हो किन्तु अन्य शहर अथवा छोटे राज्य भारतीय सभ्यता के अविकसित क्षेत्र रह जाएंगे।

**सभापति महोदय** : कृपया अब समाप्त करें।

**श्री किरिप चालिहा** : महोदय, मैं एक या दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं एक ऐसे राज्य से हूं, मैं मनोवैज्ञानिक पहलू पर नहीं जाऊंगा, जिसके बारे में मेरे मित्रों ने कहा है कि एक खनिज समृद्ध राज्य है और एक ऐसा राज्य जहां पहले तेल निकाला गया था। क्या आपको पता है कि एक विद्यार्थी के रूप में मुझे असम में एक रिफाइनरी का निर्माण करने के लिए आन्दोलन करना पड़ा? क्या आपको मालूम है कि एक नौजवान छात्र के रूप में मुझे ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा? मैं उस पृष्ठभूमि के आधार पर एक राष्ट्रवादी बन गया लेकिन अनेक दूसरे लोग हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए बंदूक उठा ली। गैर–विकास और क्षेत्रीय असमानता अलगाववाद और आतंकवाद के पनपने का आधार बनते जा रहे हैं। मैं इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि यदि हम इस प्रक्रिया पर अभी से लगाम नहीं लगाते, तो हो सकता है कि 20 से 30 वर्ष के पश्चात् हम वो भारत नहीं बना सकते, जिसका गांधी जी ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण नहीं कर सकते, जो कि आज शेष विश्व के लिए अनेकता में एकता का एक प्रतीक है। हम क्षेत्रीय असमानताओं को इसके आगे अनदेखा करना वहन नहीं कर सकते।

मैं एक या दो और बातें कहना चाहता हूं और फिर बात समाप्त करूंगा। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के साथ एक बहुत छोटी भूमि के टुकड़े के द्वारा जुड़ा है और बंगाल में इसे चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक को मनोवैज्ञानिक नेक न बनने दें। पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र और उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य–ऐसा कहना उचित नहीं है, किन्तु यह वास्तविकता है–समृद्ध पड़ोसी राज्यों के कारण भुगत रहे हैं। जब आपके पास एक ओर समृद्ध संस्कृति हो और दूसरी ओर गरीब संस्कृति हो, जब आपके पास एक ओर तो समृद्ध राज्य हो और दूसरी ओर गरीब राज्य हो, तो समृद्ध संस्कृति सहित वह समृद्ध राज्य गरीब संस्कृति वाले गरीब राज्य पर हावी रहता है। यह प्रभुत्व समाप्त होना चाहिए। सभी को सम–मूल्य पर सहायता दी जानी चाहिए। वास्तव में इस महान भारतीय तंत्र को कमजोरों की सहायता करनी चाहिए। यदि हम तंग करेंगे, यदि हम शक्ति दिखाने का प्रयास करेंगे और यदि जनसंख्या के कारण हम प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति होने में मदद नहीं मिलेगी। मैं जनसंख्या के इस पक्ष पर एक बात कहनी चाहूंगा।

विकास केवल जनसंख्या पर ही आधारित क्यों होना चाहिए? एक तरफ तो हम कहते हैं कि परिवार नियोजन करना होगा ताकि हमारी जनसंख्या न बढ़े, दूसरी ओर हम निधियों के आवंटन में जनसंख्या को एक अकेला मानदण्ड मानते हैं। क्या ऐसा ही चलता रहेगा। अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक निधियां तथा कम जनसंख्या वाले राज्य को कम निधियां मिलती हैं। जनजाति बहुल राज्यों की जनसंख्या कम होगी। क्या हम उन्हें निधियों से केवल उस लिए वंचित रखेंगे कि उनकी जनसंख्या कम है? क्या हम उन्हें ऐसी स्थिति में धकेल रहे हैं जहां हम अप्रत्यक्ष रूप से उनसे ज्यादा बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं? क्या इससे हमें मदद मिलेगी? क्या ये असंगत बातें, ये अन्तर्विरोध तथा आज के युग में अमान्य और एक उदीयमान भारत के निर्माण में निरर्थक हो चुकी उन संकल्पनाओं से हमें कोई मदद मिलेगी? क्या इन नीतियों पर पुनः

[श्री किरिप चालिहा]

विचार नहीं किया जाना चाहिए? मुझे आशा है कि यह सभा मेरी बात का समर्थन करेगी।

**सभापति महोदय** : आप 15 मिनट ले चुके हैं। आप अच्छा भाषण दे रहे हैं परन्तु अब कृपया करके इसे समाप्त करें।

**श्री किरिप चालिहा** : महोदय, मैं एक अत्यन्त अनुशासित सदस्य हूं। मैं आपका आदर करता हूं। कृपया मुझे दो से तीन मिनट और बोलने का अवसर दें।

महोदय, मेरी आखिरी बात यह है कि हाल ही में हमने देखा कि क्षेत्रीय विसंगतियां दूर करने के लिए किए जा रहे कुछ विशेष उपायों पर कम बल दिया जा रहा है। कुछ विशेष योजनाएं, जो कि कुछ सालों से अत्यन्त पिछड़े राज्यों के विकास के लिए विकसित हुई थीं, अब लगभग सभी राज्यों को दी जा रही हैं। हर राज्य इनकी मांग कर रहा है तथा इसके कारण वे राज्य जिनके लिए वास्तव में ये बनाई गई थीं प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिए बनाए गए विशेष उपायों का अल्पीकरण धीमापन है। विशेष पैकेजों का महत्व गौण नहीं होना चाहिए तथा सरकार को अत्यन्त पिछड़े राज्यों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि राजनैतिक संरचना में परिवर्तन का संकल्प पारित करने की अपेक्षा हमें एकजुट होकर सरकार से यह कहते हुए अनुरोध करना चाहिए, वह समय आ गया है कि यह सभा देश में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या की छानबीन के लिए एक नई आर्थिक अथवा राजनीतिक समिति अथवा आयोग के गठन की सिफारिश करे। हमें गाडगिल आयोग की तरह एक आयोग बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर अपना फैसला देंगे। हमें एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए जो एक और दूसरे राज्यों के बीच तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच की क्षेत्रीय असमानताओं के सभी पहलुओं पर विचार करे। ये एक समाधान देगा ताकि हम एक समयबद्ध कार्यक्रम बना सकें।

*[हिन्दी]*

**श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम)** : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां संविधान के पन्नों को उलटना नहीं चाहता और न ही कोई थ्योरिटिकल आर्गुमेन्ट देना चाहता हूं। मेरा भाषण प्रैक्टिकल चीजों पर ही केन्द्रित रहेगा। यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं और माननीय सदस्य श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने हाउस में जो रेजोल्यूशन मूव किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। एक सांसद होने के नाते अगर मुझे दिल्ली से लन्दन या जर्मनी जाना है, तो मैं आराम से एयरपोर्ट जाता हूं और वहां छः–सात घंटे में पहुंच जाता हूं। लेकिन जब मैं दिल्ली से अपने गांव की ओर रवाना होता हूं तो पहले मैं गुवाहाटी पहुंचता हूं, गुवाहाटी के बाद दो दिन का सफर गाड़ी से शुरू होता है और चार दिन पैदल चलकर मैं अपने गांव पहुंचता हूं। आजादी के 60 सालों के बाद आज भी हिन्दुस्तान में यह हालत है। इसके बाद प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी जब मुस्करा कर कहते हैं कि हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो यह उन लाखों की तौहीन है, जिनके पास आज भी गाड़ी नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं हैं और रहने के लिए मकान नहीं है। यह सब देखने के बाद अपने आपको हिन्दुस्तानी कहने में तब फख्र महसूस नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को इस भावना को समझना पड़ेगा। मैं अपने दर्द को यहां प्रकट कर रहा हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके बाद हम पूर्व और पश्चिम से अपनी तुलना करते हैं। यह हिन्दुस्तान की विडम्बना है कि जो राज्य सबसे ज्यादा अमीर हैं, जिन्हें प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जहां मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन जगहों पर गरीबी क्यों है? गरीबी उन्हीं जगहों पर क्यों है, जहां कुदरत ने भरपूर खजाना दिया है। मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं। भारत की 50 प्रतिशत हाइड्रो पावर मेरे राज्य में है। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा जंगल हैं। वहां कुदरत ने सब कुछ दिया है। अगर नहीं दिया है तो भारत सरकार ने अपना ध्यान वहां कभी नहीं दिया है। यह बहुत दुख की बात है। हम लोग बार–बार यह कहते आए हैं कि कभी हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। हम कभी–कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं सदन में बार–बार कहता हूं कि आज राष्ट्रवाद की जमीन में राष्ट्रवाद कैसा है, यदि यह देखना है तो आप अरुणाचल प्रदेश के जंगलों और गांवों में जाइए। यदि आज भी वहां बाहर से कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत जय हिन्द के नारे से किया जाता है। यह हमें महसूस क्यों नहीं होता है। जब हम यहां कहते हैं कि हमारे यहां बहुत सी समस्याएं हैं तो कहा जाता है कि आपका गरीब इलाका है, दूरदराज का इलाका है।

महोदय, समस्याएं समझने से कुछ नहीं होता है, समस्याओं को समझकर उन्हें दिल से महसूस करना पड़ेगा, तब कहीं उनका इलाज हो सकता है। कई अधिकारी कहते हैं कि हमने असम, अरुणाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट को इतनी स्कीम्स दी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम भीख मांग रहे हैं? हम इस देश के नागरिक

हैं, यह हमारा हक है। आप किस प्रकार कहते हैं कि हमने इतनी स्कीम्स आपको दे दी हैं और बाकी राज्यों के मुकाबले में आपको इतना दे दिया है। यदि आप राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखेंगे तो यह कोई नहीं पूछता कि करगिल में एक भी आदमी नहीं रहता है, तब भी भारत सरकार वहां पर दस करोड़ रुपये प्रति दिन क्यों खर्च कर रही है, जबकि वहां जनसंख्या नहीं है। लेकिन यह सब देश के हित में खर्च करना पड़ता है, देश की सिक्युरिटी के लिए खर्च करना पड़ता है।

सभापति महोदय, 1962 में अरुणाचल प्रदेश दो महीने चीन के कब्जे में रहा है।...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको बहुत ज्यादा दे देंगे।

**श्री किरेन रिजीजू** : आठवले जी मुझे न्यौता दे रहे हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि दो महीने जो हम चीन के कब्जे में रहे और आज तक आप इतिहास का पन्ना खोल कर देखिए कि एक भी अरुणाचल प्रदेश का आदमी भी नहीं मिलेगा जो यह कहता हो कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम टैरेरिज्म का नाम सुनते हैं लेकिन आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का एक भी युवा जो यह कहता हो कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। अगर आप राष्ट्रवाद की झलक देखना चाहते हैं और मैं सभी माननीय सदस्यों को न्यौता देना चाहूंगा कि आप मेरे प्रदेश में चलिए, राष्ट्रवाद का खून आपको सबमें दौड़ता हुआ नजर आएगा। मैं सांसद हूं और मैं अपने गांव पैदल जाता हूं। मैं यहा पर एक छोटी सी छोटी स्कीम के लिए भटकता हूं। लेकिन मेरी बात सुनी नहीं जाती। पिछली बार जब बजट के समय में ग्रामीण विकास मंत्री जी ने कहा था कि हम नार्थ ईस्ट को स्पेशल नजर से देखते हैं, उस वादे का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर यह ग्रामीण रोजगार योजना का बिल सर्वसम्मति से सदन में पास हुआ और जो रूरल एम्पलायमेंट एक्ट के मुताबिक 200 जिलों को इंक्लूड करना था, हमारे प्रदेश के 16 जिले हैं, उनमें से सिर्फ एक छोटे से जिले को इंक्लूड किया गया है। इस सरकार को आए हुए दो साल से ज्यादा हो गया है और उस योजना के तहत सिर्फ पांच प्रतिशत टार्गेट बनाया गया है और जब अभी दो प्रतिशत भी अचीव नहीं किया है तो आने वाले दो साल में कैसे अचीव करेंगे? कपिल सिब्बल जी आप कैबिनेट में हैं, आप यह बात कैबिनेट में बोलिएगा और हमारे वहां से विजय हान्डिक जी हैं, आप भी बोलिएगा कि 16 जिलों में से केवल एक छोटे से जिले को इंक्लूड किया गया है–यह किस तरह का इंसाफ है? या तो आप बोल दीजिए कि हम नार्थ–ईस्ट को नहीं देखेंगे लेकिन यह मत कहिए कि हम देखना चाहते हैं लेकिन आप काम उसके विपरीत करते हैं। आप खुद सोचिए कि इससे कितनी चोट पहुंचती है? आप नेशनल यूनिटी की बात करते हैं और जो इतना पिछड़ा इलाका है, आप चाहते हैं कि वह पिछड़ा ही रहे, उसका उत्थान न हो। नीति तो आप यही अपना रहे हैं। आप बात को समझते क्यों नहीं हैं? सरकार में जो लोग बैठे हैं और हम भी सांसद होने के नाते अपना कर्तव्य जानते हैं लेकिन जानते हुए भी अगर लोगों तक आपका कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि चाहे कोई भी भारत सरकार हो, कभी भी हमारी तरफ सही मन से काम नहीं किया गया है, यह मुझे दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है।

आप जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने वाले कौन लोग होते हैं? बन्द कमरे में एयरकंडीशंड कमरे में बैठकर प्लानिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक साल में छह महीने तो बारिश होती है और बाकी समय में हमारे वहां इलाका बर्फ से ढका रहता है। निचले इलाके में बारिश होती है और तीन–चार महीने आप काम कर सकते हैं लेकिन जब नीति तय करते हैं तो 27500 रुपये में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे वहां आप 27500 रुपये से मकान बनाकर देखिए। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आप इस सदन में बताइएगा। आप ऐसी नीति क्यों बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है? गांवों से जुड़ी हुई बातों को लेकर आप कागज में प्लानिंग कीजिए तब जाकर मतलब होता है। जो आप सड़क बनाने का कार्यक्रम बनाते हैं, हमारे वहां आप फरवरी महीने में फंड रिलीज करते हैं और मार्च में काम पूरा करना होता है तो समय ही कहां है क्योंकि बारिश या बर्फ रहती है। उसके बाद हमारे पास काम करने का समय नहीं है। यहां पर आप एक करोड़ रुपये से दो कि.मी. सड़क बना सकते हैं लेकिन हमारे वहां दस करोड़ रुपये से कभी–कभी बीस मीटर सड़क भी नहीं बना सकते हैं। यह हकीकत है। हकीकत से जुड़कर अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो कुछ कागज के पन्ने पर रह जाता है, उसका कोई मायना नहीं रह जाता है। भारत को अगर अखंड भारत रखना है तो हर वह क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, उनको भी आप साथ में लेकर आइए। उनका दर्द हमें समझना पड़ेगा। मैं नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कहना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट तब कहते हैं जब उसके विकास के लिए हम लिबरल फंडिंग करते हैं लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? बोडोलैंड

[श्री कीरेन रिजीजू]

टैरिटोरियल कौंसिल का गठन हुआ। भारत सरकार ने कहा कि हम पैसे देंगे लेकिन बाद में प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं कि बोडोलैंड टैरिटोरियल कौंसिल के लिए 100 करोड़ रुपया सैंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज में से खर्च कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जिसका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं। उसके लिए 92 करोड़ रुपया दिया गया। इस सब का क्या मतलब है, यह कौन सी पौलिसी है? अगर आप नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो कहिए कि नहीं दे सकते हैं, तब हम कुछ नहीं कहेंगे। जब उसे स्पेशल कैटेगरी नाम दिया है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी दीजिए।

सभापति महोदय, मेरे पास बहुत से पाइंट्स हैं लेकिन समय की कमी के कारण उन्हें शार्ट कर रहा हूं क्योंकि आप बार–बार घंटी बजाते जा रहे हैं। नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टैक्स हालिडे के संबंध में इंडस्ट्रियल पौलिसी लानी पड़ेगी, उसे सपोर्ट करना है। उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जो हम से बहुत आगे हैं, वहां उसी टैक्स हालिडे की पौलिसी का अडाप्ट कर लिया गया है लेकिन नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन जाकर इंडस्ट्रीज लगाएगा?

**सभापति महोदय** : अब आप कनक्लूड कीजिए।

**श्री कीरेन रिजीजू** : सभापति जी, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह कैसा ट्रीटमेंट है। इसके लिए सरकार को आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना होगा। आपने जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बनाया हुआ है, वे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भीख के हिसाब से पैसा देते हैं, उसे सरकार बंद करे।

सभापति महोदय, हिमालयन बैल्ट के लिए हम लोगों ने सरकार से बार–बार कहा है कि वहां स्पेशल रूप से काम करना चाहिए। चीन के साथ हमारा हिमालयन बैल्ट सटा हुआ है। हमने मैकमोहन लाइन को और दूसरी जगह भी देखा है, जैसे ही हम चीन का इंटरनैशनल बार्डर क्रॉस करते हैं तो वहां का इनफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास का है जबकि हमारी आर्मी पैदल जाती है। हमें खुद वहां जाने के लिए मना किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने यह पौलिसी बनाई थी कि हमारा चीन के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, वहां इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। चाहे एनडीए की सरकार रही हो या यूपीए की सरकार हो, सब ने एक पौलिसी बना रखी है कि अरुणाचल प्रदेश का डेवलेपमेंट नहीं होना चाहिए। यह सब प्रधान मंत्री जानते हैं। यह कौन सी फाइल में लिखा हुआ है कि वहां सड़क नहीं बनेगी, चीन उसका यूज कर लेगा। इस तरह के निगेटिव एटीच्यूड को बदलना होगा। आज कहते हैं कि एमपी वहां नहीं जा सकते हैं लेकिन जब हम सब चीजें सैटेलाइट पर देख रहे हैं तब भी आप कहते हैं कि हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं। क्या अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए एक हिन्दुस्तानी को पास चाहिए। एक विदेशी को अरुणाचल में कैसे भटकना पड़ता है, वह होम मिनिस्ट्री में आएसी लेने के लिए जाता है। आज के जमाने में और खासकर 21वीं सैंचुरी में जब टैक्नौलौजी हाई तो हो, सैटेलाइट का जमाना है, तब कहते हैं कि टूरिज्म का डेवलेपमेंट अरुणाचल प्रदेश में करेंगे? दूसरी तरफ एक टूरिस्ट को जाने के लिए हजारों ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्या यह आपकी पौलिसी है? सरकार को एक सही पौलिसी अपनानी होगी, एक यूनीफौर्म पौलिसी अपनानी होगी जिसे देखकर लोगों को लगे कि सरकार कुछ करना चाहती है, उसे लागू करना चाहती है।

सभापति जी, मेरे पास और भी बहुत सारे पाइंट्स थे लेकिन समय की कमी के कारण मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*[अनुवाद]*

**अपराह्न 5.00 बजे**

***श्रीमती परनजीत कौर गुलशन (भटिंडा)** : महोदय, "पिछड़े क्षेत्रों में विकास की कमी" जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी मातृभाषा पंजाबी में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय हमने कुछ दिनों पहले ही आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। ऐसे अवसर पर सत्तारूढ़ सरकार अक्सर अपनी उपलब्धियों का बढ़ा–चढ़ा कर बखान करती है। तथापि वास्तविक तथ्य इन उपलब्धियों के संबंध में किए गए दावों से काफी परे हैं। हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों ने उन तथाकथित उपलब्धियों का स्वाद अभी चखा नहीं है।

इस सम्माननीय सभा में हम अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के संबंध में बड़े–बड़े दावे करते हैं। सरकार का दावा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 7 से 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है लेकिन सुदूरवर्ती और पिछड़े क्षेत्रों की जनता आंकड़ों को नहीं समझती है। वास्तविक तथ्य यह है कि हम इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में भी विफल रहे हैं।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हम सभी दावा करते हैं कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है लेकिन पंजाब में भी पिछड़े और सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो समृद्ध नहीं हैं। पंजाब के ऐसे क्षेत्रों में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा एक स्वप्न मात्र है। या तो वहां विद्यालय नहीं हैं। यदि वहां विद्यालय हैं तो अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। अवसंरचना छिन्न-भिन्न है। पढ़ाई छोड़ने वाले स्कूली बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं खेदपूर्वक यह बात कह रही हूं कि देश में सुदृढ़ प्राथमिक शिक्षा नीति नहीं है। सरकार बदलने के साथ-साथ हमारी शिक्षा नीति भी बदलती रहती है। इसके फलस्वरूप हमारे देश के 70 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों से कोई भी बच्चा डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी या अध्यापक तक भी नहीं बनता। यह हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों की दुखद स्थिति है।

इन पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अस्त-व्यस्त है। इन क्षेत्र के औषधालयों में कोई दवाई नहीं है। चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वस्तुतः विद्यमान नहीं है।

पंजाब में कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां बस सेवा प्राप्त नहीं है। इन क्षेत्रों के लोगों को निकटवर्ती शहर तक पहुंचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पंजाब के इन क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। जिन क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है वहां लंबे-लंबे समय तक बिजली नहीं रहती है। पंजाब के इन पिछड़े क्षेत्रों में बिजली के अभाव में मच्छरों का बोलबाला है तथा लोगों की पीड़ा और बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न बीमारियों ने घेर रखा है।

इन पिछड़े क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास आवास नहीं है। अनेक लोगों को मजबूर होकर उन घरों में रहना पड़ता है जो अस्थायी प्रकार के हैं। सरकार उन्हें स्थायी मकान बनाने के लिए पचीस हजार रुपये की छोटी राशि देती है। यह इन लोगों के साथ क्रूर मजाक है।

इन क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति काफी खराब है। वहां बने घरों में कोई फ्लश प्रणाली या शौचालय नहीं है। शौचालय बनाने के लिए सरकार द्वारा 600 रुपये की एक छोटी राशि दी जाती है। यह एक मजाक है।

इन क्षेत्रों में वृद्ध लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए हमारे पास कोई नीति नहीं है। इन क्षेत्रों में वृद्ध लोग बदहाली की स्थिति में जी रहे हैं।

इन पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में कोई विद्यालय नहीं है। यहां यदि कोई पढ़ लेता है तो उसका कोई भविष्य नहीं है क्योंकि कोई नौकरी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, बेरोजगार युवक सामाजिक बुराइयों की तरफ आकृष्ट होते हैं। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। अतएव, सरकार को इन क्षेत्रों के युवकों के लिए रोजगार सृजन हेतु अभियान चलाना चाहिए। तभी हम इन क्षेत्रों के विकास की बात सोच सकते हैं।

महोदय, इन क्षेत्रों के लोगों के लिए कोई पेयजल सुविधा नहीं है। हम इन लोगों को पेयजल प्रदान करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। इन क्षेत्रों की महिलाओं को पेयजल की तलाश में सिर पर घड़ों का सन्तुलन बनाए हुए लंबी दूरी तक पैदल जाना पड़ता है।

पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने सदियों से विकास कार्य नहीं देखा है। वे निकटवर्ती शहर से पूरी तरह कटे हुए हैं। कोई सरकारी अधिकारी इन गांवों के दौरे पर नहीं आता है। वहां पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।

इन पिछड़े क्षेत्रों के किसान भी दयनीय स्थिति में हैं। किसान अपने उत्पादन को शहर तक नहीं ले जा सकते हैं। इन गरीब तथा बेसहारा किसानों की कोई क्रय शक्ति नहीं है। अतएव, मैं इस महान सभा से अपील करूंगी कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं। सरकार को ठोस योजनाएं बनानी चाहिए तथा इन पिछड़े क्षेत्र के लोगों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। जब इन सुदूर तथा पिछड़े क्षेत्रों के लोग वास्तविक प्रगति करते हैं तभी हम देश के संस्थापकों के सपनों को वास्तविकता में बदल पाएंगे।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यगण, मेरे पास 12 सदस्यों की सूची है जो इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। हमें इस पर आज चर्चा समाप्त करनी है। यह अनुरोध मुझे माननीय मंत्री जी से प्राप्त हुआ है। अतएव, मैं अब बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण पांच-पांच मिनट तक सीमित रखें। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही नियंत्रित करने में मदद करें।

**श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक** (नागालैंड) : सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा देश के सभी भागों के संतुलित तथा समान विकास के संबंध में लाए गए संकल्प में भाग लेने के लिए समय प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह काफी महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, हमारे देश में नक्सलवादी तथा अन्य अतिवादी ताकतों जैसे कई अतिवादी तथा भूमिगत समूह हैं। इस तरह के कई

[श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक]

समूह हमारे देश में क्यों बन रहे हैं? इसका क्या कारण है? भारत सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में नक्सलबाड़ी हैं। कुछ राज्यों में, राज्य सरकार ने तथा कुछ राज्यों में केन्द्र सरकार ने इनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। ये अतिवादी समूह क्षेत्रीय असन्तुलन की वजह से स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। अतएव, मैं अपने मित्र श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा लाए गए संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं। उत्तर पूर्व से मेरे दो मित्र श्री किरिप चालिहा तथा श्री कीरेन रिजीजू इस संकल्प पर पहले ही बोल चुके हैं।

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास विभाग सितम्बर, 2001 में बनाया गया तथा इसने 1 नवम्बर, 2001 से काम करना शुरू किया। इसे 27 मई, 2004 में जारी भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय का दर्जा दिया गया। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश से मेरे मित्र श्री कीरेन रिजीजू ने कहा था, राजग सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय उत्तर पूर्व के विकास के लिए अभ्यपगत सांझा पूल में अपने बजटीय आवंटन का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे। यह निर्णय भास्त सरकार द्वारा लिया गया था परन्तु 18 मंत्रालयों को उत्तर पूर्व के विकास हेतु 10 प्रतिशत अंशदान से छूट दे दी गई। यहां तक कि अब भी कई मंत्रालय 10 प्रतिशत अंशदान करने से छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, बोडोलैंड के संबंध में बोडोलैंड क्षेत्रीय समझौता नामक एक विशेष समझौता किया गया था तथा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बनी। भारत सरकार बोडोलैंड को पांच वर्षों तक अवसंरचना विकास के लिए 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने के लिए प्रतिबद्ध है। तत्पश्चात, समूचे उत्तर पूर्व के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि देना नियत किया गया। इस राशि में से, 100 करोड़ रुपये की राशि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए आवंटित की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास पर्याप्त राशि है तथा सभी राज्यों को इससे धन नहीं मिल रहा है तथा वे सर्व शिक्षा अभियान के लिए एनएलसीपी से 90 लाख रुपये ले रहे हैं। यह उत्तर पूर्व के लोगों के साथ अन्याय है। इस पर, गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार से अलग से विशेष राशि दी जाए तथा उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय से किसी राशि को नहीं निकाला जाए। गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी।

महोदय, उत्तर पूर्व परिषद बनाई गई थी और परिषद ने वर्ष 2006–07 के लिए 1337 करोड़ रुपये की मांग की थी और उत्तर पूर्व परिषद ने यह अनुमान लगाया था। 1337 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बंगलादेश की सीमा पर बाड़ लगाने पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मंत्रालय और भारत सरकार ने ही यह असन्तुलन पैदा किया है।

हम न्याय की बात करते हैं किन्तु हम भारत के लोगों विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लोग एक पृथक तेलंगाना राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं? वे एक स्वायत्त परिषद की मांग क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के कुछ भागों में असन्तुलन पैदा हो गया है।

महोदय, 1927 में नागालैंड में नागनीमोरा में एक रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत के आजाद होने के बाद, इस रेलवे स्टेशन को खत्म कर दिया गया। नई परियोजनाओं पर काम करने की बजाय इस रेलवे स्टेशन को खत्म कर दिया गया। नागालैंड सरकार और मैंने इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय के साथ कई बार बात की है किन्तु रेल मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला है।

महोदय, हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्य में कोई मेडिकल कालेज नहीं है। गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। फिर, उन्होंने इसमें बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को शामिल किया क्योंकि ऊपरी असम में तीन मेडिकल कालेज हैं। सरकार इस संबंध में कोई रुचि नहीं ले रही है। अतः कहां पर न्याय हो रहा है और क्षेत्रीय असन्तुलन कहां पर है?

महोदय, अब मैं उद्योगों के लिए कर छूट की बात पर आता हूं। नागालैंड राज्य में कोई उद्योग नहीं है। वहां पर केवल एक रुग्ण इकाई है। हमने हजारों बार राजग सरकार और संप्रग सरकार को लिखा है किन्तु हमें कुछ भी नहीं मिला। सरकार उद्योगों को कर से छूट देने की बात कर रही है किन्तु यदि क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं होगा तो हम कर छूट का लाभ कैसे उठा पाएंगे।

**अपराह्न 5.14 बजे**

*(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)*

अंत में, यहां तक कि लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों में भी भेदभाव हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। नागालैंड, मिजोरम आदि जैसे राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में एक से अधिक संसद

सदस्य हैं। महोदय, मैं नागालैंड का प्रतिनिधित्व करता हूं और राज्य में लगभग 11 जिले हैं। मुझे 11 जिलों और सारे राज्य का ध्यान रखना होता है। मुझे एमपी लैड कोष से अन्य माननीय सदस्यों की तरह ही 2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। दिल्ली में, जिसके 7 लोक सभा सदस्य हैं, एक सदस्य को एक या दो जिलों के लिए इतनी ही राशि मिल रही है। बड़े राज्यों के एक जिले में दो–तीन संसद सदस्य होते हैं। वे भी दो करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हैं। अतः इस सभा से ही अन्याय की शुरूआत हो रही है। क्या दो करोड़ रुपये की इतनी कम राशि से मैं अकेला सारे राज्य की देखभाल कर सकता हूं? उत्तर प्रदेश के 80 संसद सदस्य हैं। एक जिले में, पांच या छह संसद सदस्य हैं। इसलिए हमने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है कि ऐसे राज्यों जिनका एक संसद सदस्य है, को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमने यह कहा कि कम से कम हमारा कोटा बढ़ाया जाए किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसा भेदभाव हो रहा है और यह भेदभाव इस सभा से शुरू होता है। दूसरे राज्यों की तुलना में जिसमें अधिक संसद सदस्य हैं हम छोटे और एक संसद–सदस्य वाले राज्य नुकसान उठा रहे हैं। ऐसा भेदभाव हो रहा है।

मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि देश में क्षेत्रीय असन्तुलन है क्योंकि कोई राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार लोगों के साथ न्याय नहीं कर ही है। इसलिए, उन्होंने एक पृथकवादी समूह बना लिया है चाहे वह यह समूह हो अथवा वह समूह और हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम लोग कमजोर वर्ग की देखभाल करने की बात करते रहे हैं किन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार एक समिति बनाए जो राज्यवार गहराई से अध्ययन करे और पता लगाए कि लोग दूसरे ओर क्यों चले गए हैं और हम किस प्रकार सन्तुलन बना सकते हैं। समिति को इस सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा किसी राज्य या क्षेत्र के प्रति घोषित की गई योजना को, समुचित प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। केवल तभी हम देश के सभी भागों के संतुलित और समान विकास की बात कर सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. करन सिंह यादव** (अलवर) : महोदय, मैं श्री सर्वानन्द सोनोवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को एक संकल्प के माध्यम से सदन के सामने प्रस्तुत किया है। पूरा सदन इस बात पर एकमत है कि चाहे जो भी कारण रहे हों, आजादी के पहले के कारण हों या ऐतिहासिक कारण रहे हों, राजे–रजवाड़ों से जुड़े कारण रहे हों, यह तथ्य है कि इस देश में अभी भी बहुत ज्यादा असन्तुलन है। शहरों में हम देखते हैं कि बड़ी–बड़ी अट्टालिकाएं रोजाना खड़ी हो रही हैं, दिनों–दिन विकास हो रहा है। जितने भी सुख–सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन हैं, वे सभी शहरों में दिखाई देते हैं। सुदूर गांव इस विकास के रास्ते से दूर पड़े हैं। भारत के सभी राज्यों को देखें, तो कुछ राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, अच्छी उत्पादन क्षमता के कारण, आजादी से पूर्व अच्छे शिक्षा संस्थानों के कारण आगे बढ़ गए हैं। दक्षिण के राज्यों में आजादी से पहले आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई। वहां उन्होंने समाज के दबे–कुचले लोगों को शिक्षा देकर इस लायक बनाया कि वे अपने ज्ञान के बल पर देश और विदेश में गए और साधन कमाकर अपने क्षेत्रों का विकास किया। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य को किसी भी मानदण्ड पर देखें, चाहे शिक्षा का मानदण्ड हो, जनसंख्या स्थायीकरण का मानदण्ड हो, रोजगार की उपलब्धता का मानदण्ड हो, विदेशों में नौकरी करने वालों की संख्या को देखें, उससे यह बात सत्यापित होती है। उत्तर भारत में बहुत सारे लोग जो अपने आपको प्रबुद्ध मानते हैं और आरक्षण की खिलाफत करते हैं, यह उनके लिए उदाहरण है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग शिक्षा के माध्यम से इन 50 सालों में आगे बढ़कर के आए हैं।

महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं। देश के बहुत से राज्यों की तुलना में यह बहुत पिछड़ा हुआ है। जितने विकास के पैमाने हैं, उन सब में यह पिछड़ा हुआ है। एक भी बड़ा उद्योग राजस्थान में नहीं है। कोई ऑयल रिफाइनरी यहां नहीं है, कोई बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं है। अब आल इंडिया इन्स्टीट्यूट खोलने की बात की जा रही है। राजस्थान में भी, जब हम राजस्थान को अलग–अलग बांटकर देखते हैं, तो जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझनूं, इस क्षेत्र में शिक्षा का ज्यादा प्रादुर्भाव रहा, खेती–बाड़ी भी यहां ठीक होती रही, इसलिए यह क्षेत्र राजस्थान का कुछ विकसित क्षेत्र है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम जैसलमेर, बाडमेर, नागौर, चुरू, बीकानेर की ओर देखें, जहां दूर–दूर तक रेगिस्तान है, रेत है, हरी पत्ती भी दिखाई नहीं देती, वे इलाके आज भी शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, सड़क यातायात की दृष्टि से, स्कूल कालेजों की दृष्टि से, मेडिकल–इंजीनियरिंग कालेज की दृष्टि से, इंडस्ट्रीज की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और इस असन्तुलन का सामाजिक समरसता के ऊपर बराबर प्रभाव पड़ता जा रहा है। सौभाग्य है कि आज राजस्थान के उन इलाकों में आतंकवाद या इन्सरजेंसी तो नहीं है,

[श्री करण सिंह यादव]

लेकिन इस बात का लोगों के मन में मलाल अवश्य है कि जब भी कोई नौकरियां दी जाती हैं, तो शहरों का शिक्षित वर्ग उन नौकरियों पर कब्जा करके बैठ जाता है और अगर उनसे कहें कि अब आप बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके में या जैसलमेर के सीमावर्ती गांव में जाकर पढ़ाइए, उनका आरपीएस के जरिए सलैक्शन तो हो जाता है, लेकिन उस पिछड़े इलाके में जाकर काम करने को वे तैयार नहीं होते। दूसरे दिन से ही अर्जी लेकर आपके और हमारे पीछे आ जाते हैं कि साहब, वहां तो जंगल है, रहने की जगह भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, पास में अस्पताल भी नहीं है, पैदल बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ऐसी जगह पर हम अपने लड़के और लड़की को कैसे रख सकते हैं, डाक्टर साहब, बच्चे का ट्रांसफर जयपुर करवाइए, अलवर करवाइए। पिछले कांग्रेस के शासन के दौरान राजस्थान में वहां की तत्कालीन सरकार ने इस बात की कोशिश की थी, रीजनल रिजर्वेशन देने की बात की थी कि जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, वहां के रोजगारों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, वहां के लोगों को कुछ ऐसे बोनस अंक दिए जाएं, जिससे वहां का सन ऑफ दि सोइल वहां बैठकर पढ़ा सके, वहां का बच्चा मास्टर सलैक्ट हो सके, वहां का बच्चा कम्पाउण्डर सलैक्ट हो सके, वहां का बच्चा पटवारी सलैक्ट हो सके, वहां का बच्चा सरकारी नौकरियों में जाए, वरना आज यह स्थिति है कि कल मेरे पास कोई सज्जन आए, दिल्ली के रहने वाले थे, उनका ट्रांसफर लेह हो गया और लेह कोई नहीं जाना चाहता। मैंने पूछा कि कोई लेह साइड का इंजीनियर नहीं है, जो दूरदर्शन में काम कर सके। बाड़मेर किसी का ट्रांसफर हो गया, वह कहता है कि कालापानी भेज दिया। कोई बाड़मेर साइड का इंजीनियर नहीं है, जिसे वहां लगा सकें। इसलिए आज जहां हम बैकवर्ड एरियाज को स्पेशल पैकेज देने और अधिक आर्थिक संसाधन देने की वकालत करते हैं, वहां कहीं न कहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि

*[अनुवाद]*

उस क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि उत्तर भारत अथवा दक्षिण भारत के लोग मणिपुर रेडियो स्टेशन अथवा मणिपुर में केन्द्रीय सरकार की सेवा में काम नहीं करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा हल खोजना होगा जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों को वहां पर समायोजित किया जा सके।

*[हिन्दी]*

सभापति जी, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा। राजस्थान के मामले में, जहां इतना बड़ा लम्बा–चौड़ा क्षेत्र है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जैसलमेर का इलाका ही समूचे इंग्लैंड से ज्यादा क्षेत्रफल का है, लेकिन जब पैसे बांटने की बात आती है तो वही गाडगिल फार्मूला लागू होता है। उसमें इस बात का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता कि उस क्षेत्र का घनत्व कितना है, आबादी कितनी है, वहां सर्विसेज ले जाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों को स्पेशल पैकेजेज दिए जा रहे हैं, स्पेशल ग्रांट मिलती है तो राजस्थान में जहां पूरा रेतीला इलाका है, उसे भी ध्यान में रखते हुए, जो फाइनेंशियल डैवोल्यूशन किया जा रहा है, उसके बारे में विचार करें और राजस्थान में जितनी ज्यादा आबादी शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, गरीब लोगों की है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, उसे ध्यान में रखकर आर्थिक संसाधन जुटाए जाएं।

अपनी बातें यहीं समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देकर मैं बैठना चाहूंगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्यगण, इस संकल्प के लिए बढ़ाया गया समय समाप्त हो गया है। अभी भी इस संकल्प पर सात और सदस्यों को बोलना है। यदि सभा सहमत हो तो हम इस संकल्प के लिए समय को एक घंटे और बढ़ा सकते हैं।

**अनेक माननीय सदस्य :** हां।

**सभापति महोदय :** ठीक है, इस संकल्प के लिए समय को और एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

अब डा. एच. टी. संगलिआना बोलेंगे।

**डा. एच. टी. संगलिआना** (बंगलौर उत्तर) : माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, अनुशासित पृष्ठभूमि से आने के कारण, मैं अपने लिए नियम किए गए समय का उल्लंघन नहीं करूंगा किन्तु मुझे आशा है कि आप इतना सहयोग करेंगे कि मैं अपने सहयोगी श्री सर्बानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में आज कुछ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पूरा कर सकूंगा।

यद्यपि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर उत्तर है किन्तु इस विशेष संकल्प द्वारा जो त्राहिमाम संदेश दिया गया है उसकी गंभीरता को समझ सकता हूं क्योंकि मैं मूलतः पूर्वोत्तर का रहने वाला हूं, मुझे अनुभव है, मैंने महसूस किया है, मैं गत 64 वर्षों में पूर्वोत्तर के लोगों के सारे अनुभवों–बुरे अनुभव या दुखद अनुभवों में साझीदार रहा हूं।

आज हमारी समस्या असन्तुलित विकास में और असन्तुलित विकास का होना है। आम बात करें तो जहां कहीं भी उचित विकास नहीं हुआ है वहां उग्रवाद, नक्सलवाद और अन्य प्रकार के अपराध समस्या का रूप लेते हैं। राज्यों में जहां असन्तुलन है, जहां कतिपय क्षेत्र उचित ढंग से विकसित नहीं हैं वहां नक्सलवाद है यथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में।

महोदय सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर लगातार निगरानी रखे ताकि देश में लोगों का समान विकास सुनिश्चित हो सके। अब, मेरे राज्य कर्नाटक में राज्य सरकार ने अपने विकास के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस समय भी, भारत सरकार के पास 200 से अधिक प्रस्ताव लम्बित हैं। मेरे विचार से, मामलों को निपटाने के लिए समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। आप इसे अस्वीकार कीजिए या प्रदान कीजिए। किन्तु केन्द्र से स्वीकृति मिलने के लिए राज्यों को प्रतीक्षा कराने से असंतोष हो रहा है जिससे कड़वाहट पैदा होगी। यदि संसद में किए गए शोर–शराबे के आधार पर विकास होने वाला है तो पूर्वोत्तर के लोग सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण हैं क्योंकि हम स्वभावतः शर्मीले हैं, हम शांत रहने वाले हैं, हम चिल्लाना या अनुचित आचरण करना नहीं चाहते तथा हमारी संख्या भी कम है। यदि लोकतंत्र संख्या का खेल है तो हमारी जनसंख्या कम है और वर्षों से आप देख रहे हैं, हम कहीं नहीं ठहरते।

पूर्व वक्ताओं द्वारा उठाई गई बातें, (खासकर) युवा सांसदों श्री कीरेन रिजीजू जो अरुणाचल प्रदेश के संसद सदस्य हैं, द्वारा कही गई बातें जमीनी हकीकत से जुड़ाव का नतीजा थीं। उन्होंने सीमित दायरे में अपनी आवाजें उठाई हैं किन्तु इसका तुरन्त ही बुद्धिमत्तापूर्वक उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा उठाए गए त्राहिमाम संदेश की गंभीरता को नहीं देखा तो मैं आपको शत–प्रतिशत शांति की गारंटी नहीं दे सकता हूं। आप हमें भलीभांति जानते हैं कि हमें अधिक ध्यान दिए जाने, बेहतर समझदारी और विकासात्मक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है। हम पूर्वोत्तर परिषद की बात करते हैं। नागालैंड के हमारे मित्र ने उल्लेख किया था कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए कुछ प्रतिशत का योगदान करने में कतिपय मंत्रालय विफल रहे हैं। उनसे योगदान दिलाए जाने के लिए आपके पास कौन–सा बाध्यकारी तंत्र है? बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपको बुद्धिमत्तापूर्वक उत्तर देना होगा।

मैं विशेषज्ञों की समिति के गठन की सिफारिश करता हूं, एक समिति जिसमें अर्थशास्त्री और प्रबंधन विशेषज्ञ होने चाहिए जिनके निष्कर्ष और अधिक अर्थपूर्ण व स्वीकार्य होंगे। अतः बेहतर होगा यदि ऐसी समिति बनाई जा सके। यह दौरा कर सकती है और देश के सभी राज्यों में विशेषतः पूर्वोत्तर में विकास के विभिन्न चरणों का मौके पर सत्यापन कर सकती है।

जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्वोत्तर राज्यों के पास जल विद्युत उत्पादन की असीम क्षमता है। इसकी भी उपेक्षा की जाती है। आज तक तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना जिसको स्वीकृति दी गई थी और वर्ष 1984 में शुरू किया गया था, आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसके क्या कारण हैं? हमें पता नहीं है। यदि इसके वाजिब कारण हों तो हमें बताया जाए तो इस विलम्ब को हम स्वीकार कर सकें।

हमारे असंतुलित विकास की दुरस्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में तो निशुल्क टी.वी. और साइकिलें लोगों में बांटी जा रही हैं जबकि पूर्वोत्तर में हमारे लोगों के पास दो जून की रोटी भी सुनिश्चित नहीं है। केवल टी.वी. और साइकिल ही वे नहीं बांट रहे हैं बल्कि 2 रुपये प्रति किलो की दर से अच्छी गुणवत्ता वाले चावल भी बांट रहे हैं। हमारे देश में ऐसा असन्तुलन है। वित्त मंत्री जी ने भी यह कहा था कि तमिलनाडु राज्य में टी.वी., साइकिल और चावल का मुफ्त वितरा करने की संभावना है। हम कहां पर हैं? हमारी वृद्धि और विकास कितनी असन्तुलित है?

मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि देश भर में हो रहे असंतुलित विकास पर ध्यान दे। कृपया यह याद रखें कि यदि आप जनसंख्या के आधार पर अनुदान देने का निर्णय करने जा रहे हैं तो पूर्वोत्तर में हमारी कहीं भी गिनती नहीं होती है। यदि आप संसद में अथवा अन्यत्र शोर मचाने अथवा समाचार–पत्रों में लिखने को आधार बना रहे हैं तो हम कहीं नहीं आते हैं क्योंकि हमारी संख्या काफी कम है। इसलिए, असन्तुलित विकास के महत्व को नजरअंदाज मत करिए खास तौर पर पूर्वोत्तर के सन्दर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं ताकि उग्रवाद जारी न रहे, लोग कानून को अपने हाथों में न लें और सारे देश में शांति कायम रहे।

**श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत "देश के सभी भागों के संतुलित और समान विकास हेतु कदम उठाने संबंधी संकल्प" पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद एक यह कहता है कि "भारत

[श्रीमती अर्चना नायक]

राज्यों का एक संघ होगा।" मानव शरीर के अंगों की तरह कोई राष्ट्र केवल तभी मजबूत बन सकता है यदि इसके सभी घटक भागों का आर्थिक रूप से समान विकास हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सारा भारत एक है। असंतुलित और संकुचित विकास से लोगों में असंतोष तथा भेदभाव की प्रकृति पनपती है। देश के सभी भागों के सर्वांगीण विकास से देश आर्थिक रूप से मजबूत बनता है और विश्व की आर्थिक महाशक्तियों का मुकाबला कर सकता है।

हमारे देश में सैंकड़ों गांव हैं जहां पर गांव का शेष देश से जोड़ने हेतु समुचित सड़कों और रेल अवसंरचना का अभाव है।

मेरा संबंध उड़ीसा से है जहां बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। राज्य में सूखा और बाढ़ बार-बार आती हैं। महोदय राज्य के 47.13 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। फिर भी वहां पर खनिज, घने जंगल, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं। उड़ीसा गरीबी से जूझ रहा है। राज्य को जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इसे केन्द्र से कोयले की रायल्टी में से उचित हिस्सा नहीं मिलता है।

राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की चिरलंबित मांग अभी भी एक सपना है। हमारे देश में कृषक समुदाय को न तो कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है और न ही उसे सिंचाई सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल अथवा आधुनिक कृषि सामग्री प्राप्त होती है।

वे अत्यधिक दुख और घोर गरीबी में जीते हैं। फसल बर्बाद होने पर वे आत्महत्या कर लेते हैं। केन्द्र सरकार उड़ीसा को एक राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान घोषित करने की मांग को विलंबित रखकर उसे इससे वंचित रख रही है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के केबीके जिलों हेतु संशोधित दीर्घकालीन कार्य योजना को रोकने का प्रस्ताव किया है इस योजना को गरीबी और दुख में रहने वाले लोगों हेतु जारी रखा जाना चाहिए।

खारेपन के कारण हजारों एकड़ भूमि लगातार खराब हो रही है और राज्य में केन्द्रपाड़ा जैसे तटीय क्षेत्र की भूमि अनुपजाऊ बन गई है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि उड़ीसा की उपेक्षा नहीं की जाए और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। यह देश इतना विशाल है कि एक भाग में सूखा पड़ रहा है और दूसरा भाग बाढ़ का सामना कर रहा है। एक ओर लोग शान-शौकत से जी रहे हैं और दूसरी ओर लोग भूख से मर रहे हैं।

देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानवीय संभावनाएं हैं। सरकार को देश में उपलब्ध विभिन्न संभावनाओं की पहचान करनी चाहिए और उसका समुचित दोहन करना चाहिए। तदनुसार उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। अपार मानवीय संभावना का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। देश के सभी भागों के संतुलित और समान विकास की निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने की जरूरत है और उसे यह काम सौंपा जाना चाहिए।

महोदय, चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

**श्री सान्सुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार) : सम्माननीय सभापति महोदय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तावित इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गंभीर संकल्प पर बोलने के लिए समय प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्री सोनोवाल के गैर-सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं बोडोलैंड क्षेत्र का हूं जो असम के सबसे पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। मैं बोडो जनजाति से संबंध रखता हूं। बोडो असम के सर्वाधिक प्राचीन अथवा मूल आदिवासी हैं। पूरे देश में बोडो जनजाति की कुल जनसंख्या करीब दस मिलियन होगी। असम राज्य में ही बोडो जनजाति की कुल जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में 30 लाख जनसंख्या है और इस 30 लाख में स्थानीय बोडो जनजाति की जनसंख्या 70 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने इस सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र हेतु कुछ विकासात्मक अवसंरचना के निर्माण की खातिर पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये देने का वचन दिया है जो कि इस प्रयोजनार्थ अत्यल्प राशि है। 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की इस मामूली धनराशि से उपेक्षित अवसंरचना का निर्माण बिल्कुल संभव नहीं है।

मैं बोडोलैंड क्षेत्र के साथ हो रहे स्पष्ट भेदभाव व असमानता का उदाहरण दूंगा। हम बोडोलैंड वासियों के पास एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे पास एक भी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है। हमारे पास एक भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। यहां तक कि हमारे पास एक भी पोलीटेकनीक संस्थान नहीं है। हमारे पास यहां तक कि एक घरेलू विमानपत्तन भी नहीं है। हमारे पास कोई प्रबंधन संस्थान नहीं है।

हमारे पास अच्छा सड़क-तंत्र नहीं है। हमारे पास अपेक्षित स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा सुविधाएं और अच्छे अस्पताल नहीं हैं।

गांवों में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है। अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं हैं। औद्योगीकरण नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उत्तम अवसंरचना नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 59 वर्षों से अधिक समय से देश की मूल जनजाति, बोडो जनजाति अपने वाजिब हक से वंचित रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इस महान राष्ट्र के विभिन्न नेताओं द्वारा जो भी वादे किए गए तथा भारत के संविधान में जो भी प्रावधान किए गए उन्हें अभी भी पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं किया गया है। जिद्दी मानसिकता व संकीर्ण प्रवृति की वजह से, सत्तासीन व्यक्तियों तथा दलों द्वारा मूल जनजातीय लोगों के विरुद्ध भेदभावमूलक नीति अपनाने की वजह से क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के सभी आयामों में हो रही इन सभी क्षेत्रीय असमानताओं की जांच करने हेतु एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय आयोग गठित करे। क्षेत्रीय असमानताओं के समाधान के उपाय के रूप में, संबंधित राज्यों और पूरे देश के सभी पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों को वर्तमान प्रान्तीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत वास्तविक संघीय योजना के आधार पर अर्थक्षम और कारगर स्वायत्तशासी राज्यों या उप–राज्यों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए जैसा कि चीन का तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र तथा आंतरिक मंगोलिया स्वायत्तशासी क्षेत्र बने हुए हैं।

सभी जनजातीय लोगों को पर्याप्त राजनीतिक शक्ति दी जानी चाहिए। इस संबंध में, मैं डा. अम्बेडकर को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि "राजनीतिक शक्ति ही वह मुख्य कुंजी है जिससे आप बड़ा अथवा छोटा ताला खोल सकते हैं।" भारत के हम जनजातीय लोगों को पर्याप्त राजनीतिक शक्ति नहीं दी गई है। इस असमानता की वजह से, भारत ने जनजातीय लोग जनजातीय क्षेत्रों के विकास के प्रति उचित न्याय प्राप्त करने से वंचित रहे हैं। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी बातों की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित करे तथा देश के संबंधित राज्यों के सभी पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों को वास्तविक संघीय योजना के आधार पर स्वायत्तशासी राज्यों, उप राज्यों, स्वायत्तशासी प्रदेश और स्वायत्तशासी क्षेत्रों में पुनर्गठित करने हेतु व्यवहार्य सिफारिशें करें। तभी जाकर हम प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के लिए उचित न्याय की उम्मीद कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर भारत तथा असम राज्य की युवा पीढ़ी क्यों अतिवादी बन गई? मूल कारण अवहेलना, भेदभावपूर्ण नीति तथा क्षेत्रीय असन्तुलन है। यदि भारत को अक्षुण्ण रहना है तो इन असमानताओं को यथाशीघ्र समाप्त करना होगा। अन्यथा, अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का दिल एवं दिमाग एवं भावनाएं केवल धन से नहीं जीत सकते। न यह कार्य आप केवल लोकप्रिय नारों से कर सकते हैं कि एक विशेष पैकेज के रूप में 1000 करोड़ रुपये से अधिक प्रति वर्ष दिए जाएंगे। क्रियान्वयन भी सही प्रकार से नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं भारत सरकार तथा पूरे देश से अपील करना चाहूंगा कि

*[हिन्दी]*

दिल से, मुहब्बत से बात कीजिए, सिर्फ मुंह से नहीं, रुपये से हमारे नार्थ ईस्ट के लोगों को आप खरीद नहीं पाएंगे। अगर हिन्दुस्तान में हम सभी को रखना है, तो दिल से, प्यार से हमारी भी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल होगी।

*[अनुवाद]*

हम पूर्वोत्तर राज्यों के सभी आतंकवादी समूहों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सकारात्मक राजनीतिक समझ के साथ भारत सरकार से पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बोडोलैंड क्षेत्र के लिए कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा एक भारतीय प्रबंध संस्थान होना चाहिए। बोडोलैंड क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए यह अनिवार्य शर्त है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : सरकार को भारत–भूटान सीमा के विकास के लिए भी कार्य योजना शुरू करनी चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा उपेक्षा की गई है। क्या यह हमारे स्वतन्त्र भारत का हिस्सा नहीं है? भारत–चीन सीमा से संबंधित विकास परियोजनाओं तथा नीतियों के बारे में क्या विचार हैं?

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : महोदय, समयाभाव के कारण मैं सभी मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उन सभी बातों पर ध्यान दे जिनके बारे में मैंने सभा में बोला है।

अन्त में, मैं अपने साथी सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं।

अपराह्न 5.47 बजे

## विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

*[अनुवाद]*

**महासचिव** : महोदय, मैं 25 जुलाई, 2006 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पुनः पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

---

अपराह्न 5.47½ बजे

## गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प–*जारी*

### देश के सभी भागों के संतुलित और समान विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में

*[अनुवाद]*

**श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ)** : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अपने माननीय साथी श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से इस संकल्प का बहुत महत्व है। हमारी स्वतन्त्रता के 59 वर्ष पूरे होने के बाद देश के कई क्षेत्र तो बहुत विकसित हो गए हैं तथा बहुत से अन्य क्षेत्र विकास के मामले में अब भी पीछे हैं। दक्षिणी क्षेत्र, विशेषकर शहरी क्षेत्र तथा बड़े शहर काफी विकसित हैं, क्योंकि वहां शिक्षा, जल, बिजली, अच्छी सड़कें, परिवहन जैसी सभी प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अपनी आजीविका अर्जित करने और अन्य कार्य करने के व्यापक अवसर हैं। दूसरी ओर, कतिपय क्षेत्रों में आज भी बिजली, सड़क संपर्क परिवहन आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।

गुजरात जैसे विकसित राज्यों के कतिपय भागों में भी बहुत असंतुलित विकास हो रहा है। हम गुजरात को एक विकसित राज्य हैं तथा यह एक अग्रणी राज्य है। परन्तु यदि हम संपूर्ण गुजरात राज्य पर विचार करें तो उस राज्य के बहुत से भाग विकास के क्षेत्र में अब भी पीछे हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मेरे मित्रों ने उल्लेख किया था कि वे देश की पूर्वी सीमा पर हैं और उनके यहां बहुत सी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं। यही स्थिति पश्चिमी भाग विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र कच्छ की भी है। कच्छ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आदि के मामलों में हर प्रकार से अल्प–विकसित है। कच्छ, संपूर्ण गुजरात का 24 प्रतिशत क्षेत्र है परन्तु दुर्भाग्य से यहां की जनसंख्या केवल 3 प्रतिशत है। धनराशि का आवंटन प्रति व्यक्ति के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इस वृहत क्षेत्र को गुजरात का 24 प्रतिशत भाग होने के बावजूद पर्याप्त धनराशि नहीं मिल सकती क्योंकि इसकी जनसंख्या केवल तीन प्रतिशत है।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रकृति इस क्षेत्र के प्रति उदार नहीं रही। पिछले 50 वर्षों में यहां 35 बार से भी अधिक सूखा पड़ा। पांच वर्ष के प्रत्येक चक्र में तीन वर्ष तक लगातार सूखा पड़ा तथा एक वर्ष में वर्षा हुई। वर्षा भी हुई तो केवल 10" अथवा 12" प्रति वर्ष होती है। उस क्षेत्र में 1998 तथा 1999 में दो भयानक चक्रवात भी आ चुके हैं। वर्ष 1998 के चक्रवात में फलों का उत्पादन करने वाले तीन लाख से अधिक पेड़ नष्ट हो गए, जिनकी पिछले 40 वर्षों से किसान देखभाल कर रहे थे। एक ही चक्रवात में वे सभी नष्ट हो गए तथा हमें 3000 से ज्यादा लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 1999 के चक्रवात ने कच्छ के पश्चिमी भाग को प्रभावित किया। वर्ष 2001 में विश्व का सबसे विनाशकारी भूकम्प आया जिसमें 18000 लोग मारे गए, इसमें दो लाख से अधिक मकान नष्ट हो गए तथा उस क्षेत्र में संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई।

इस अभागे क्षेत्र में भी विकास की अच्छी संभाव्यता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हमारे पास बॉक्साइट, बैंटोनाइट, लिग्नाइट तथा चाइना क्ले आदि जैसी प्रचुर खनिज सम्पदा है। हालांकि, इसका उचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।

कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए एनडीए सरकार ने कुछ कर लाभ प्रदान किए थे और उसके परिणामस्वरूप उस भाग में कुछ उद्योगों की स्थापना हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसने उस क्षेत्र के एक छोटे भाग को ही दायरे में लिया है।

यदि हम कच्छ के पश्चिमी भाग में जाएं तो वहां विकास की बहुत संभावनाएं हैं। वहां एक जखाऊ पत्तन है। यदि आप वहां कुछ अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करें तो उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। कच्छ के उत्तरी भाग में अखाद्य नमक के रूप में वहां प्रचुर संभाव्यता उपलब्ध है। वहां 10000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की दलदली भूमि है और वहां

प्रचुर मात्रा में नमक उपलब्ध है। उसका कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। मैं यहां माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र की सहायता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। कच्छ के रण में पोटाश, कैल्सियम जैसे खनिज और ऐसी ही अनेक चीजें मिलती हैं जिनका उपयोग रसायन के विनिर्माण में किया जा सकता है। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें केवल भुज से खावड़ा तक 100 किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी होगी। पूर्व में हम विदेश से ब्रोमाइन का आयात कर रहे थे। हाल ही में यहां दो कारखानों का निर्माण किया गया है और ये कारखाने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्रोमाइन का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

हमारे माननीय और दूरदृष्टा राष्ट्रपति ने उस क्षेत्र के लिए विकास की योजना तैयार की है। जब वह राजस्थान के रण पोखरण में थे, उस समय उन्होंने सपना देखा था कि यदि राजस्थान के रण को विकसित किया जा सकता है तो इसी तर्ज पर कच्छ के रण को भी विकसित किया जा सकता है। कच्छ एक भिन्न प्रकार का रण है। यह रण रेगिस्तानी अथवा रेतीला नहीं है। कच्छ के रण में दलदली भूमि है और इसके विकास की अपार संभावना है। मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा इसका ध्यान विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा रखा जाएगा।

जैसा कि उत्तर–पूर्वी राज्यों के माननीय सदस्यों ने सरकार से कहा है कि सरकार को इन राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए केवल तभी इन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है।

यहां पर अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं होने के बावजूद अभी तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। यह हाल इस राज्य की अनुसूचित जनजाति पट्टी का है। गुजरात के पूर्वी सीमा पर पंचमहल और दाहोद में अनेक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। यहां भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि गुजरात के एक विकसित राज्य होने के कारण केन्द्र द्वारा इन क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा सकता। मेरा सरकार से यह विनम्र अनुरोध है कि एक विकसित राज्य के अन्दर यदि कोई अल्प–विकसित क्षेत्र है तो सरकार को उस क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : सभापति महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं ऐसा मानता हूं और यह मेरा व्यक्तिगत मत है कि हालांकि अनेक लोग मेरी इस बात से असहमत हो सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के केन्द्रित बिन्दु हैं। कोई भी राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं इस सरकार में एक मंत्री हूं साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय को अभी तक किसी भी संसद सदस्य से किसी विशेष राज्य के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें यह कहा गया हो कि मेरा मंत्रालय कैसे किसी विशेष राज्य की मदद कर सकता है। आज कीरेन ने बहुत अच्छी बात कही है कि चाहे यह उत्तर–पूर्वी रात्य अरुणाचल प्रदेश हो या उड़ीसा, अथवा कोई अन्य राज्य, किसी भी राज्य के संबंध में प्रस्ताव देना आपका कर्तव्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उसे कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो बिना किसी राजनैतिक पूर्वाग्रह के मैं वह सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं क्योंकि यह आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु हैं।

मैं इस सभा के सदस्यों से एक छोटा–सा अनुरोध करना चाहता हूं और मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आगामी सत्र में इस मुद्दे पर पूरे दिन की चर्चा होनी चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे इस देश को आगे ले जा सकती है। उस चर्चा के दौरान बहुत–सी चीजें हमारे समाने आएंगी जिससे इस देश के आम आदमी को लाभ होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम पर्यावरणीय और खनिज संसाधनों के लाभों को आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है। आप मेरी मदद कीजिए और मैं आपकी मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाऊंगा।

**श्री पी. एस. गढवी (कच्छ)** : हम इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।

**श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर)** : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में मैंने अनुदान की मांगों संबंधी चर्चा में इस विषय पर चर्चा करने की अपील की थी और माननीय अध्यक्ष भी इस बात से सहमत थे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। हम इस पर चर्चा करनी चाहेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री मणि चारेन्गबै (बाहरी मणिपुर)** : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस महत्वपूर्ण संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए श्री सर्वानन्द सोनोवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा।

[श्री मणि चारेनामी]

पूरे भारतवर्ष, चाहे दक्षिण, उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम कोई भी क्षेत्र, जहां जनजातीय लोग रहते हैं वे क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। तथापि ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि राज्यों में जनजातीय लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूरे देश, विशेष रूप से उन राज्यों के शासन एवं प्रशासन की गुणवत्ता की द्योतक होती है। केन्द्र का कोई भी अधिकारी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहता।

आज हम देश के विकास के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन की बात करते हैं। देश का पूर्वोत्तर भाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुख्यतः विभिन्न जाति-समूह वाले जनजातीय लोग रहते हैं। देश ने चार पूर्णतः जनजातीय-बहुल राज्यों का सृजन करके पूर्वोत्तर के विकास में समानता लाने के लिए पहल की है। वास्तव में यह स्वदेशी जनजातीय लोगों के मन में आत्म विश्वास तथा सम्मान पैदा करने के लिए एक अच्छा कदम है। परन्तु और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर में राज्यों का सृजन सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे जनजातीय लोगों की जानकारी तथा मर्जी के बिना किया गया। इसीलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यन्त आक्रोश है क्योंकि लोग अपने अधिकारों, पहचान, न्याय तथा स्थायी शांति की मांग कर रहे हैं।

**सायं 6.00 बजे**

पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुन्दरता तथा समृद्ध प्राकृतिक संसाधन के लिए जाना जाता है। तथापि, अतीत की दोषपूर्ण योजना के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि योजनाकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की जटिल और विशिष्ट स्थिति को समझने में असफल रहे हैं। आज हम भूमण्डलीयकरण की बात कर रहे है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण रोक दें। अब 6 बज चुके हैं। आप अपनी बात अगली बार इस विषय पर चर्चा होने पर जारी रख सकते हैं।

अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाई** : महोदय, प्रो. रासा सिंह रावत के प्रस्ताव का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : अभी यह रैजोल्यूशन कनक्लूड नहीं हुआ है। उसके बाद ही रावत जी का रैजोल्यूशन आ सकता है। अब वह नैकस्ट सैशन में ही आएगा

*[अनुवाद]*

इसका निर्णय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री खारबेल स्वाई** : पिछली तीन दफा से इनका रैजोल्यूशन नहीं आ रहा है।

**सभापति महोदय** : जो रैजोल्यूशन चल रहा था, वहीं पूरा नहीं हुआ है।

**श्री खारबेल स्वाई** : यह फरवरी से ऐसे ही चल रहा है।

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : इस विषय पर चर्चा सात घंटे से हो रही है।

**श्री खारबेल स्वाई** : आप रावत जी के रैजोल्यूशन पर अभी चर्चा शुरू करवा दें।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अभी पांच और वक्ता हैं और माननीय मंत्री जी को उत्तर भी देना है। इसके अतिरिक्त, उनका प्रस्ताव लेना कैसे संभव है जब तक इस पर वाद-विवाद पूर्ण नहीं हो जाता?

...*(व्यवधान)*

---

*[अनुवाद]*

**श्री टी. के. हमजा** (मंजेरी) : महोदय, बाहर जाकर काम करने वाले प्रवासी भारतीयों को उत्प्रवास अनुमति लेने के लिए एक राशि जमा करवानी पड़ती है। पिछले 30 सालों से लाखों लोग विदेश गए हैं। एक नियम है कि यह राशि उन्हें तब वापस मिल जाएगी जब वे वापस आएंगे। परन्तु वे जमा संबंधी पावती तथा दस्तावेज संभाल कर नहीं रखते और इसलिए यह राशि वापस नहीं मिल पाती।

अब यह राशि जमा होकर भारी रकम बन गई है। मेरे विचार से यह भारत सरकार के खजाने में 5000 करोड़ की निष्क्रिय राशि के रूप में पड़ी है। मेरा यह सुझाव है कि हम प्रवासियों, विशेष रूप से जब वे विदेश से बेरोजगार लौटते हैं, की प्रगति के लिए लाभप्रद योजनाएं बना सकते हैं।

अतः मैं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

**श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं देश में हानि पहुंचाने वाले पान मसालों के बेरोकटोक तथा अनियंत्रित उत्पादन एवं बिक्री से छात्रों सहित युवा लोगों तथा आम लोगों की परेशानी, कष्ट तथा यन्त्रणा की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

युवा लोग तथा निर्माण से जुड़े कामगार सामान्यतः इस आदत के शिकार हो जाते हैं। पान मसालों के संघटक अत्यन्त खतरनाक होते हैं और इससे कैंसर जैसे भीषण रोग हो जाते हैं। केरल जैसे छोटे राज्य में हर महीने 370 क्विंटल पान मसाला बिक जाता है। यह चिन्ता की बात है।

पान मसाले को खाद्य सामग्री माना जाता है। 'ग्रीन डॉट' के निशान बिस्कुट के पैकेट पर तथा पान मसाला पर लगाने की अनुमति है।

मैं सरकार से देश में पान मसाले के उत्पादन तथा वितरण को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री गणेश सिंह** (सतना) : सभापति महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 वर्ष पहले बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास हुआ था। इसका शिलान्यास माननीय मोरारजी भाई देसाई, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने किया था। वह परियोजना अब पूरी हो गई है। इसकी सूचना मैं सदन को दे रहा हूं और उस सर्किल को टूरिस्ट सर्किट में शामिल करने की मांग करता हूं।

महोदय, मध्य प्रदेश के सतना, शहडोल जिले की सीमा में सोन नदी पर बहुउद्देशीय बाणसागर परियोजना, जिसका शिलान्यास 14 मई, 1978 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने किया था। वह परियोजना 28 वर्ष बाद 1265 सौ करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हो गई है। उक्त परियोजना से 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा 154887 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का कार्य होगा। उक्त परियोजना का कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से पूरा हुआ है और तीन राज्यों को इस बहुउद्देशीय बाणसागर परियोजना से लाभ मिलेगा। उक्त परियोजना में 336 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें 79 गांव पूरी तरह से डूब गए तथा 36421 परिवार इस परियोजना से प्रभावित हुए। इस परियोजना में 98408 हैक्टेयर भूमि डूबी हुई है, जहां पानी भरा हुआ है। इस परियोजना में मेरे संसदीय क्षेत्र के सतना के 175 गांव, जिनमें 48 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं, कटनी जिले के 55 गांव, जिनमें छः पूरी तरह से डूब गए हैं, शेष शहडोल जिले के 69 गांव, जिनमें से 22 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं और उमरिया जिले के 37 गांव, जिनमें 3 गांव पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इस परियोजना से सीधी जिले की 21714 हैक्टेयर, सतना जिले की 26370 हैक्टेयर तथा रीवा जिले की 102556 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

उक्त क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। चारों तरफ से बाणसागर के पानी को पहाड़ों ने रोक रखा है और बीचोंबीच में कई पहाड़ियां हैं, जो बहुत ही आकर्षक बनी हुई हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के समस्त पर्यटक एजेंसियों से तथा भारत सरकार के पर्यटन विभाग से अपील करता हूं कि उक्त स्थल का निरीक्षण करें तथा उसे टूरिस्ट मैप में जोड़ने का काम करें। उक्त स्थल नेशनल हाइवे क्रमांक-7 रीवा से 58 किलोमीटर की दूरी पर, सतना से 100 किलोमीटर, शहडोल से 105 किलोमीटर, रीवा-शहडोल रोड पर देवलोंद नामक स्थान पर उक्त बांध का निर्माण हुआ है। यहां से बांधवगढ़, जो दुनिया में सफेद शेर पाए जाने का एकमात्र स्थान है, खजुराहो, चित्रकूट, सतना, भरहुत, पन्ना, राष्ट्रीय उद्यान मैहर, गिद्धघाट रामनगर, रामवन, बाणसागर, अमरकंटक होते हुए बनारस को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उक्त परियोजना का कार्य कठिन परिस्थितियों में पूरा कराने में योगदान किया है। इसके लिए मैं वहां के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।

---

**सायं 6.06 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

### (पांच) पूर्व सैनिकों के लिए 'समान रैंक, समान पेंशन' नीति क्रियान्वित करने की आवश्यकता के बारे में

*[हिन्दी]*

**श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बहुत पुरानी मांग वन रैंक, वन पेंशन, जो लाखों-लाख पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है, की ओर सदन का ध्यान

[श्री किशन सिंह सांगवान]

आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे सामने मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने ही इस हाउस में ऐलान किया था कि यह फैसला ले लिया गया है। इससे पहले सैशन में भी इन्होंने यह एश्योरेन्स दिया था कि इसके लिए कमेटी बन गई है। पिछले सैशन में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इसका फैसला हो गया है।

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : फैसला हो गया है।

**श्री किशन सिंह सांगवान** : लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में आपका एश्योरेन्स है, फिर भी आज तक यह इम्पलीमैंट नहीं हुआ है। लाखों-लाख पूर्व सैनिक इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बीस साल से इस हाउस में इसके लिए मांग उठ रही है। हर सैशन में मैं भी कह रहा हूं, लेकिन कहीं भी यह इम्पलीमैंट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफैन्स मिनिस्ट्री में कोई न कोई ऐसा शक्तिशाली अधिकारी बैठा है, जो इस फैसले के लागू होने में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। इसी विषय पर संसद में डिफैन्स की स्टैन्डिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि वन रैंक, वन पेंशन मिलना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में सिविल अपील नम्बर 5346 के द्वारा उनकी पेंशन के बारे में निर्णय दिया कि जब भी कोई पेंशन का हकदार होता है और उसमें कोई बढोत्तरी होती है तो इन पर वह लागू होना चाहिए तथा लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद 1968 में सिविल अपील हुई, अपील नम्बर 3048 में यह निर्णय हुआ कि यदि कोई पेंशन का हकदार है और उसकी दरों में यदि कोई संशोधन होता है तो उसके ऊपर यह लागू होना चाहिए। डिफैन्स कमेटी ने भी यह कह दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तथा संसद में मंत्री जी के एश्योरेन्स के बाद भी फील्ड में आज तक प्रैक्टिकली यह एप्लीकेबल नहीं हुआ है।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि 'एक पेंशन एक आदमी' का जो यह फैसला हुआ है, जैसा बोल रहे हैं इसे तुरन्त 1.1.1998 से लागू करें।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप केवल एक मामला उठा सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री किशन सिंह सांगवान** : सर, यह दूसरा भी शहीदों पर ही है। देश के लिए जो लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वे कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए हों या उसके बाद की लड़ाई में हो रहे हों या पैरा-मिलिट्री फोर्सेज के हों, मेरा कहना यह है कि शहीदों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो सहूलियतें कारगिल के शहीदों को मिली थीं, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज के लोगों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए और लगातार दो-चार-पांच लोग आतंकवादी घटनाओं की वजह से मर रहे हैं, वे लोग भी देश के लिए शहीद हो रहे हैं। शहीद तो शहीद हैं चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स का व्यक्ति हो या पुलिस का हो, ये सभी देश की रक्षा में मर रहे हैं, इसलिए सभी शहीदों को समान समझा जाए और समान सुविधाएं दी जाएं और उनके बच्चों को एक्स-ग्रेशिया के तहत नौकरी दी जाए। आज तक कभी किसी के बच्चे को एम्पलॉय नहीं किया गया। कारगिल की लड़ाई में भी ऐलान होता था कि उनके बच्चों को नौकरी देंगे लेकिन हमें विस्तार में बताइए कि कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी? सेन्ट्रल गवर्नमैंट की भी यही हालत है और मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में डिटेल चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री विजय हान्डिक** : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। जहां तक 'समान रैंक समान पेंशन' का सवाल है, मंत्री समूह द्वारा पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है और मैंने इस बारे में सभा को जानकारी दे दी थी। मैंने यह जानकारी पूरे अधिकार के साथ दी थी। इसके बाद, यह सेवा अधिकारियों को सूचित किया गया था। अब सम्भवतः मामला प्रगति पर है। इसे भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या संबंध रखती है। अब मुझे इसका ब्यौरा याद नहीं क्योंकि मैं यह मंत्रालय छोड़ चुका हूं। इसकी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। निर्णय की घोषणा उन्हें की जा चुकी थी और उन्होंने इसकी खुशी मनाई और एक-दूसरे को बधाई भी दी।

*[हिन्दी]*

**श्री किशन सिंह सांगवान** : कितने साल हो गए हैं। ये बेचारे भगवान को प्यारे हो जाएंगे, क्या तब उनके लिए कुछ किया जाएगा?

*[अनुवाद]*

**श्री विजय हान्डिक** : इससे बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक जुड़े हैं और इसलिए इसमें समय लग रहा है।

---

**अपराह्न 6.13 बजे**

*(श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए)*

*[हिन्दी]*

**श्री हरिभाऊ राठौड़** (यवतमाल) : सभापति महोदय, पांच अगस्त को महाराष्ट्र में भारी बरसात हुई, बाढ़ आई और इसी बीच मेरे इलाके के 108 गांव इस बाढ़ की चपेट में बह गए। यह केवल बाढ़ से नहीं हुआ बल्कि यह जो डैम का पानी है और डैम से जो पानी छोड़ा गया, इसकी सूचना लोगों को नहीं दी गई और जो आधी रात को लोग नींद में सोए हुए थे, ऐसी परिस्थिति में मेरे इलाके के पूरे 108 गांव पानी में डूब गए। अगर डैम का पानी छोड़ना था तो इसके बारे में नदी के किनारे बसे लोगों को पहले से क्यों नहीं सूचित किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग बाढ़ में बह गए, उनकी खेती के औजार, इलैक्ट्रानिक पाइप, मोटर पाइप सारे खेती के सामान इस पानी में बह चुके हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने महाराष्ट्र का दौरा किया था और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री भी आए लेकिन आज भी बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के बारे में सरकार ने अच्छा कदम उठाया है लेकिन महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन वाले अभी नहीं पहुंचे हैं।

**सभापति महोदय** : आपकी मांग क्या है, यह बताइए। आपका समय लिमिटेड है।

**श्री हरिभाऊ राठौड़** : हैलीकॉप्टर की मांग होती रही है, स्टीमर की मांग होती रही है लेकिन ये दो दिन तक नहीं पहुंचे। प्रभु की कृपा हुई और बरसात कम हुई तो ये लोग बच गए। मेरी मांग है कि जो पुनर्वास का काम चालू है, उसे केवल घर देने से काम नहीं चलेगा। 108 गांव हैं जिनके मन में यह डर बस गया है कि कभी भी डैम का पानी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लोगों को ऐसी जगह पर बसाना है जैसे कोई प्रोजैक्ट बनाते हैं और उसके बाद पुनर्वास का कानून होता है, उसके तहत इसका पुनर्वास होना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री हंसराज जी. अहीर तथा श्री रामदास आठवले स्वयं को श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा उठाए गए मामले से अपने आपको संबद्ध करते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में कानपुर से मुम्बई के लिए हाईवे–25 पर स्थित बारा से झांसी के बीच में घंटों जाम लगा रहता है क्योंकि बीच में गड्ढे हो गए हैं। जब भी वाहन निकलते हैं तो 8–10 घंटे तक जाम लगा रहता है। जब उत्तर प्रदेश सरकार से बात की गई तो उनका कहना है कि क्वाडिलेटरल स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार ने अपने अंडर कार्य ले लिया है, इसलिए उसका रख–रखाव केन्द्र सरकार करेगी। एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि जोलुपुर से भोगनीपुर के बीच का मार्ग 20 किलोमीटर है जिसे पार करने में लोगों को ढाई से तीन घंटे लग जाते हैं क्योंकि बेतवा नदी का पथरीला इलाका है जहां से बालू की ढुलाई होती है। दिन में कम से कम 500–700 ट्रक निकलते हैं जिससे रोड जाम हो जाता है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपकी डिमांड क्या है?

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : सभापति जी, मेरी मांग है कि जो रोड बुरी तरह से खराब हो गई है और जो केन्द्र सरकार के अधीन है उसे जल्दी ठीक कराया जाए जालौन और कालपी में ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी, जनप्रतिनिधि आक्रमक आन्दोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके पूर्व कि यह घटना घटे, मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि शीघ्र ही इस रोड को बनाया जाए ताकि जो वाहन मुम्बई के लिए निकलते हैं, वे सही समय पर निकल सकें।

*[अनुवाद]*

**श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री का ध्यान बागवानी मिशन में कर्नाटक के हावेरी जिले को शामिल करने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हावेरी जिले को बागवानी मिशन में शामिल नहीं किया गया है तथा कर्नाटक के केवल 13 जिलों की पहचान की गई है। हावेरी जिला पुणे–बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पश्चिमी घाट से बिल्कुल सटा हुआ है। हावेरी जिले में सात तालुका हैं जिनमें से चार तालुकों को मालानाद क्षेत्रीय विकास बोर्ड में शामिल किया गया है जहां आम बहुतायत में पैदा होता है। मिर्च की फसल भी इस क्षेत्र में बहुतायत में होती है। ब्यादगी मिर्च जो हावेरी जिले में उपजाई जाती है, का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है। विश्व के अन्य देशों से लोग ब्यादगी मिर्च खरीदने आते हैं। यहां तक कि एमडीएच मसाला ब्यादगी से मसाला तैयार करने के लिए मिर्च लेते हैं तथा इनका निर्यात किया जाता है। केरल से लोगों ने केरल तथा कर्नाटक के हावेरी जिले में ओलियो रेजीन तेल कारखाना लगाया है क्योंकि इसकी मांग देश के अन्दर ही नहीं वरन् देश के बाहर भी है। इस क्षेत्र के किसान नारियल, सुपारी, कॉफी, अंगूर तथा सभी सब्जियां इत्यादि उगा रहे हैं।

अतएव, इस परिस्थिति में, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हावेरी जिले को बागवानी मिशन में शामिल करना अत्यावश्यक है।

*[हिन्दी]*

**डा. करण सिंह यादव** (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग दो वर्ष पूर्व प्रदूषण से बचाव हेतु छोटे यात्री वाहनों को एलपीजी द्वारा चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके अन्तर्गत वाहन मालिक को सरकार द्वारा अधिकृत कंपनियों के एलपीजी किट लगाकर समकक्ष परिवहन अधिकारी से वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पंजीकृत करवाने के पश्चात् एलपीजी द्वारा वाहन चलाने की अनुमति मिल जाती है। इसके पश्चात् अनेक वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा स्वयं के नए वाहनों में इस प्रकार के एलपीजी संचालित वाहनों का विक्रय करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में एलपीजी से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है। मेरे स्वयं के लोक सभा क्षेत्र अलवर में भी इस प्रकार के सैकड़ों वाहनों को पंजीकृत किया गया है परन्तु इन वाहनों में एलपीजी रीफिलिंग हेतु सम्पूर्ण शहर में अभी तक एक भी एलपीजी रीफिलिंग सैन्टर नहीं है। ऐसी अवस्था में वाहन चालक घरेलू गैस सिलेन्डरों को अपने वाहनों में गैस किटों में रीफिल करके अपने वाहन संचालित करते हैं। ऐसी अवस्था में न केवल घरेलू गैस सिलेन्डरों की किल्लत होती है बल्कि भारत सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अलवर जिले में, विशेषकर अलवर शहर में, वहां की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बहरोड़ में एलपीजी रीफिलिंग पंप तथा सीएनजी रीफिलिंग स्टेशन्स शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करें। अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अंग है और यहां भी वाहनों के वही नियम लागू हैं जो दिल्ली में हैं। इसलिए एलपीजी और सीएनजी के पंप शीघ्र आवंटित किए जाएं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (पायल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख के तहत सरकार का ध्यान भारत की राजधानी दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून–व्यवस्था की स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में प्रतिदिन 40 से 50 लोग लापता होते हैं जिनका नाम गुमशुदगी की रिपोर्ट में लिखा जाता है। प्रति वर्ष 15000 लोगों का अता–पता नहीं रहता है। यह जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थानों में दर्ज होती है, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े देखे जाएं तो 20000 लोगों का पता नहीं चला कि वे कहां गए। 2003 में 11231 लोग लापता हुए, 2004 में 13062 लोग लापता हुए, 2005 में 14983 लोग लापता हुए जिसमें 4222 केवल बच्चे थे, 5827 महिलाएं थीं और 3300 का पता लगा है। इस वर्ष 15 अगस्त तक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 9772 लोग लापता हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। प्रति वर्ष 3000 अज्ञात शव दिल्ली में बरामद होते हैं, यह मैं थानों के आंकड़े बता रहा हूं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली पुलिस के लिए तो यह बहुत टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है। सरकार इसका पता लगाए कि कहीं मानवों की तस्करी हो रही है या मानव आपराधिक वारदातों में लिप्त हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बात है, क्या नहीं है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

**सभापति महोदय** : आपकी डिमांड क्या है?

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : मेरी मांग है कि पुलिस रिकार्ड में जो लोग लापता हो रहे हैं, उनके लिए सरकार पता लगाए कि ऐसे लोग कहां जा रहे हैं जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरकार में दर्ज हो रही है। यह चिन्ता का विषय है। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे।

**श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मैं लोक महत्व का एक अति महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। भारत के तटवर्तीय राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में हर साल बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण भारी वर्षा होती है। तटवर्तीय प्रांत जलमग्न होने से लोगों को असुविधा होती है। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा पीड़ित मत्स्यकर वर्ग है। जब तक खाड़ी तूफान से शांत नहीं हो जाए, तब तक मछुआरे अपने काम पर लौट नहीं सकते हैं, अर्थात काम नहीं है तो कमाई नहीं और कमाई नहीं है तो भोजन भी नहीं। आसपास का आवरण जलमग्न होने के कारण जल संबंधित बीमारियों की परेशानी से भी अलग से भुगतना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, मेरा अनुरोध है कि उक्त परिस्थितियों में मछुआरों को भूख व बीमारियों से निपटने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बना दी जाएं, जिसकी मदद से उनके जीवन पर खराब मौसम से उत्पन्न समस्याओं से विमुक्ति मिले।

**श्री पुन्नूलाल मोहले** (बिलासपुर) : सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में चक्रमाठा नवीन हवाई पट्टी बन गई है। मैं बिलासपुर जिले में चक्रमाठा हवाई पट्टी में हवाई जहाज की नई सेवा प्रारम्भ करने की केन्द्र सरकार से मांग करता हूं। इस

विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि बिलासपुर मेरा संसदीय क्षेत्र है और वहां एनटीपीसी का कारखाना भी है। बिलासपुर हाईकोर्ट है और बिलासपुर औद्योगिक नगरी भी है। बिसपुर राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है, कोल माइंस का मुख्यालय है और वहां रेलवे जौन का आफिस भी है। कोरबा में विद्युत तापगृह है। इन सब को देखते हुए, आवागमन सुविधा का ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा की आवश्यकता है। लोगों की मांग पहले से है। आठ–दस साल पहले 16 सीटर वायुदूत प्रारम्भ की गई थी, उसे अचानक बन्द कर दिया गया। यात्रियों में भीड़ बढ़ रही है। राजधानी रायपुर में हवाई जहाज सेवा प्रारम्भ है और वहां दो जहाज चलते हैं–एक आठ बजे चलता है और एक 8.55 पर एयरलाइंस का चलता है। वहां एयरडेकर भी चल रहा है, किन्तु बिलासपुर सेवा प्रारम्भ नहीं है। बिलासपुर में पूर्णतः हवाई पट्टी बन चुकी है और वहां बहुत से हवाई जहाज आते–जाते हैं–चाहे प्रधानमंत्री जी आए हों, राज्यपाल जी या राष्ट्रपति जी या अन्य कोई। व्यापारिक दृष्टिकोण से हवाई सेवा बिलासपुर के चक्रभाठा हवाई पट्टे से प्रारम्भ की जाए।

सभापमि महोदय, मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि इस काम को यथाशीघ्र किया जाए। रायपुर में जो दो हवाई सेवा एक घंटे के गेप में दी जा रही है, उसमें से एक भुवनेश्वर होकर आती है और दूसरी विशाखापटनम और बॉम्बे होकर जाती है, उस सेवा को बिलासपुर में भी प्रारम्भ करके दोनों लिंक जुड़ सकते हैं, इससे हवाई सेवा में पूरे सहभागी बनेंगे, जिससे वहां के लोगों को आवागमन की हवाई सुविधा प्राप्त हो। बिलासपुर चकरभाठा हवाई पट्टी में हवाई सेवा प्रारम्भ करने की केन्द्र सरकार से मांग करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डा. सी. कृष्णन** (पोल्लाची) : महोदय, मैं श्री वैको, जो तमिलों के प्यारे नेता हैं, के मारुमालाराची द्रविड़ मुनेत्र कजगम की ओर से बोल रहा हूं।

मेरे भाषण का विषय 14 अगस्त, 2006 को निर्दोष तमिल स्कूल विद्यार्थियों पर श्रीलंका वायु सेना द्वारा की गई बमबारी है। श्रीलंका वायु सेना ने मुल्लाई धीवू क्षेत्र में स्कूल भवन पर बमबारी की जहां निर्दोष स्कूली बच्चे दो दिवसीय प्राथमिक उपचार का कोर्स कर रहे थे। इस स्कूल पर बमबारी के चलते लगभग 61 बच्चे, लड़के और लड़कियां 15 से 18 वर्ष के उम्र समूह के, मारे गए तथा 150 व्यक्ति घायल हुए। यह मीडिया तथा प्रेस, यथा 16 अगस्त 2006 के 'दि हिन्दू' द्वारा रिपोर्ट की गई समाचार पर आधारित है। श्रीलंका सरकार की यह अमानवीय हिंसापूर्ण कार्य की यूनीसेफ द्वारा तथा श्रीलंका सरकार निगरानी मिशन द्वारा भी भर्त्सना की गई जिसने श्रीलंका सरकार के वक्तव्य को अस्वीकार कर दिया है। इसने कहा कि थल सेना उपलब्ध थी तथा थल सेना प्रशिक्षण स्कूल परिसर में दिया जा रहा था।

इसे यूनीसेफ तथा श्रीलंका निगरानी मिशन द्वारा इंकार कर दिया गया। यूनीसेफ के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि ये निर्दोष बच्चे हिंसा के शिकार हैं।

**सभापति महोदय** : आपकी क्या मांग है?

**डा. सी. कृष्णन** : मारुमालारची द्रविड़ मुनेत्र कजगम की तरफ से मैं हमारी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीलंका सरकार पर मानवीय कानून का आदर करने तथा बच्चे जहां खेलते, रहते तथा अध्ययन करते हैं उनको संरक्षण देने के लिए दबाव डालें।

मैं भारत सरकार से अनुरोध, करूंगा कि वह श्रीलंका में तमिलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा जनसंहार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। वे हमारे लोगों को लगातार मार रहे हैं तथा तमिलों को शांतिपूर्वक नहीं रहने दे रहे हैं। हजारों तमिल भारत में शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं।

इस प्रकार की सहायता जैसे (एक) लड़ाकू पोत को संरक्षण प्रदान करना, तथा (दो) भारत में उनके थल सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण देना जैसा कि कोयंबटूर में दस दिन पूर्व हुआ था, अब पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए।–*(व्यवधान)* यह वृहत्तर तमिल हितों के खिलाफ है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश की आबादी वर्तमान में लगभग 110 करोड़ है। वर्ष 1931, 1951, 1961 और अन्तिम जनगणना का कार्य वर्ष 2001 में सम्पन्न हुआ था। हमारे देश में जो जनगणना होती है, वह प्रायः शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या कितनी है, यह जानने के लिए होती है। इसी आधार पर वर्ष 2001 की जनगणना हुई थी। वर्ष 2001 की गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 16.02 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.02 प्रतिशत पाई गई और इस प्रकार हमारे देश में इन जातियों की कुल जनसंख्या लगभग 24.04 प्रतिशत हो गई है।

महोदय, देश में कौन–सी जाति की कितनी संख्या है, इसका

अनुमान हमारी जनगणना से नहीं होता है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि देश की जो अगली जनगणना वर्ष 2011 में होने वाली है, उसमें कौन–सी जाति की कितनी संख्या है, इसकी जानकारी करने की व्यवस्था की जाए ताकि जाति के आधार पर जनगणना हो सके और देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इस बारे में जानकारी मिल सके। यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दें।

*[अनुवाद]*

*श्री पी. मोहन (मदुरै) : माननीय सभापति महोदय, मदुरै शहर भारत में एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जिसे दक्षिण के एथेंस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वाणिज्य, तीर्थ यात्रा, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरने की असीम संभावनाएं तथा संसाधन हैं। यहां पर पर्यटकों को प्रकृति की ओर आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण पर्वतीय पर्यटन स्थल और कोडैकनाल तथा तेक्कडी जैसे अभयारण्य हैं। कोडैकनाल मदुरै शहर से लगभग 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तेक्कड़ी शहर से लगभग 150 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। देवी–देवताओं के लिए प्रसिद्ध छह धर्म–स्थलों में से एक भगवान गुरूगव का महत्वपूर्ण धर्म स्थल पलमी सैंकड़ों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूरे देश से हजारों तीर्थयात्री पौराणिक समय से तीर्थयात्रा नगर रामेश्वरम के दर्शन के लिए आते हैं। यह नगर मदुरै शहर से 150 मील की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार, मदूरै शहर पूरे विश्व से विभिन्न वर्णों के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ है। अतः मैं नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि मदुरै शहर में तथा इसके आसपास इन सभी पर्यटन केन्द्रों को हैलीकॉप्टर सेवा जैसी विकसित अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करे। हमें ज्ञात है कि जम्मू–कश्मीर में तीर्थयात्रियों को वैष्णों देवी तक ले जाने के लिए हैलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। इसी प्रकार, मदुरै के पास इन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हैलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे उन लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी जो इन स्थानों पर सड़क मार्ग से यात्रा करने में तीन से छह घंटे बचा सकते हैं। हैलीकॉप्टर सेवा से पूरे देश और विश्व के विभिन्न भागों से दोनों स्थानों के पर्यटकों को मदुरै शहर से एक घंटे के भीतर इन स्थानों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। यह सुविधा मदुरै शहर को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में पर्याप्त सहायता देगी जिससे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने का उत्साह मिलेगा। अतः, मैं पर्यटन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि मदुरै शहर को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के इस पहलू की जांच करें।

*[हिन्दी]*

**श्री गुहाराम अजगल्ले** (सारंगढ़) : सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल की मोबाइल के सिमकार्ड का अभाव है। इन कार्डों के नहीं मिलने के कारण जनता मजबूरी में निजी मोबाइल कंपनियों के सिमकार्ड खरीदती है जिसके कारण लोगों को अधिक धनराशि देनी पड़ती है।

महोदय, मुझे लगता है कि बीएसएनएल के ऊंचे अधिकारी निजी कंपनियों की मोबाइल सेवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी कारण से जान–बूझकर बीएसएनएल के सिम कार्डों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे जनता के पास निजी कंपनियों के सिम कार्डों को खरीदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। निजी कंपनियों की मोबाइल सेवा नगर और कस्बों में जैसे ही प्रारम्भ की जाती है, वहां बीएसएनएल की लाइनों और नेटवर्कों में खराबी आ जाती है ताकि मजबूरी में जनता निजी कंपनियों की मोबाइल सेवा लेने के लिए बाध्य हो सके। ऐसे गलत तरीकों से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बीएसएनएल के ऊंचे अधिकारियों पर विशेष नियंत्रण रखा जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक जनता बीएसएनएल की मोबाइल सेवा से लाभान्वित हो सके।

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर) : महोदय, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम है, में वर्ष 2001 बैच के लगभग 300 इंजीनियर्स को नियमानुसार 1 अप्रैल, 2006 से सहायक प्रबंधक के पद पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है।

अभी तक वर्ष 2001 के पहले सभी इंजीनियर्स के बैचों को सहायक प्रबंधक के पद पर 5 साल में प्रमोशन दिया जाता रहा है। इस बार लगभग 300 इंजीनियर्स, जो 30 जून 2001 तक सर्विस ज्वाइन किए थे, इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तथा उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में एनएचपीसी के सीएमडी का व्यवहार भी सकारात्मक नहीं है।

जब एक ही कंपनी के अभी तक के सभी इंजीनियरों को

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

1 अप्रैल, 2006 के पहले तक सहायक प्रबंधक के पद पर प्रमोशन दिया गया है, तो फिर 1 अप्रैल, 2006 को 2001 के बैच के लिए क्यों प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है।

राइट आफ इंफोरमेशन एक्ट के अन्तर्गत एनएचपीसी के पास उपर्युक्त सारी जानकारी उपलब्ध है, जिससे यह साबित होता है। वर्ष 2001 बैच के पहले सभी इंजीनियर्स को प्रमोशन दिया गया है एवं वर्ष 2001 के बैच के लिए प्रमोशन ड्यू है तथा नियमों को अनदेखा करके वर्ष 2001 बैच के इंजीनियर्स का डासमैंट किया जा रहा है।

ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली अन्य कंपनियां जैसे एनटीपीसी पावर ग्रिड में समयानुसार प्रमोशन दिया जाता रहा है।

अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एनएचपीसी के वर्ष 2001 के बैच के इंजीनियरों को प्रमोशन दिलाने की शीघ्र कार्यवाही करे।

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : महोदय, राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति, सीमित प्राकृतिक संसाधन, औद्योगीकरण की सीमित संभावनाएं, आर्थिक पिछड़ेपन, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वृष्टि तथा कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सूखे की स्थिति, विगत पांच–छः वर्षों से निरन्तर सूखे और अकाल की स्थिति से उत्पन्न संकट, सीमावर्ती राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने एवं वर्तमान सरकार द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन के करने के कारण राजस्थान को भी अन्य राज्यों की भांति विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है।

बढ़ते हुए कर्जों से किसानों को मुक्ति दिलाने, पशुधन को विकसित करने और बढ़ते हुए थार मरुस्थल को रोकने, अरावली में पाए जाने वाले खनिजों का दोहन करने, निरन्तर बढ़ रहे पेयजल संकट का निवारण करने और ऊर्जा संकट से निजात पाने हेतु संसाधनों की वृद्धि के लिए आर्थिक पैकेज की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए वीर बांकुरों की धरती राजस्थान को अविलम्ब विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने राज्य कर्नाटक सहित भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रत्येक गांव में 5 लाख की लागत से देशभर में 'स्त्री शक्ति भवनों' का निर्माण करने की आवश्यकता की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगी।

मैं जानती हूं कि इस संप्रग सरकार में महिला सशक्तीकरण प्राथमिकतापूर्ण एजेंडा है। इस देश में स्वयं सहायता समूहों को कार्यालय भवन जैसी आधारभूत अवसंरचना प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। स्वयं सहायता समूह अपनी सत्यनिष्ठ और अनुशासित आर्थिक, सामाजिक तथा विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौन क्रांति कर रहे हैं।

मेरे कर्नाटक राज्य में इन स्वयं सहायता समूहों ने 400 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। वे बिचौलियों द्वारा उधार दी गई धनराशि पर भारी ब्याज वसूल करके ग्रामीण किसानों का शोषण करने से भी रोकते हैं। वे शराब की लत जैसी सामाजिक समस्या के विरुद्ध भी संघर्ष कर रहे हैं। अतः हम पूरी सावधानी के साथ स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाना चाहेंगे।

वर्तमान में, वे बैठकें और अपने कार्यों का संचालन करने के लिए स्वयं अपने कार्यालय की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार उन्हें अपनी बैठक करने के लिए स्कूलों, आंगनवाड़ी और पंचायत भवनों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों की अपनी गतिविधियों के कारण इन्हें स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि देश भर में 5 लाख रुपये की लागत से प्रत्येक गांव में सभी सुविधाओं से संपन्न स्त्री शक्ति भवन नामक कार्यालय बनाया जाए जो सामान्य जनजीवन में उनके आत्म सम्मान और मनोबल को बढ़ाएगा। यह कार्य करने की तत्काल आवश्यकता है। अतः, मैं आशा करती हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री इस अनुरोध पर विचार करेंगे। यदि यह कार्य किया जाता है तो पूरा देश विशेष कर ग्रामीण महिलाएं इस सरकार को सदैव याद करेंगी। वे हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी को आदरपूर्वक धन्यवाद देंगी।

**श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक गंभीर मुद्दे के बारे में आकृष्ट कराना चाहूंगी।

उड़ीसा में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा के महाकालपाड़ा में बंगाल की खाड़ी की तटीय रेखा पर होने के कारण समुद्र का पानी भर जाता है। यद्यपि यहां पर एक पुराना तटबंध है, यह लगातार समुद्रक्षरण के कारण कमजोर पड़ गया महाकालपाड़ा खंड

का आखादसली (बरकंडा जीपी) स्थित जलद्वार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है। परिणामतः, लगभग 1500 एकड़ भूमि की फसलें खारेपन और पानी भरने के कारण नष्ट हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, खारेपन से भूमि की उर्वरता नष्ट होती है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगी कि फसलों को बचाने के लिए तत्काल जलद्वार का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लगातार क्षरण के कारण बहुत कमजोर हो चुके तटबंध को 15000 एकड़ कृषि भूमि को खारेपन और जलमराव से बचाने के लिए यथाशीघ्र मजबूत किया जाए।

**डा. के. एस. मनोज** (अलेप्पी) : महोदय, इसाई संस्थान और इसाई धार्मिक समूह ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्धनों की सेवा और एचआईवी/एड्स रोगियों की सुश्रुषा में महत् कार्य कर रहे हैं। स्वर्गीय मदर टेरेसा को असहायों की सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह मिशनरीज ऑफ चेरिटिज नामक धार्मिक समूह की प्रवर्तक थीं। इसी प्रकार, देश में कई कैथोलिक एवं गैर–कैथोलिक संस्थान हैं। किन्तु महोदय, देश में इसाई मिशनरियों का उत्पीड़न अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। पेस्टर वी.पी. पोलोस और उनके परिवार के सदस्यों पर कर्नाटक में ईस्टर संडे को हमला किया गया, तथा मैंगलोर गिरिजाघर को लूट लिया गया। उड़ीसा के जिमिन्दा डिगल को इसाई धर्म अपनाने पर अपना जीवन खोना पड़ा। सम्माननीय राना पर राजस्थान में हमला किया गया। 103 अनाथालयों, 140 विद्यालयों और राष्ट्रव्यापी एक अस्पताल चलाने वाले इमे–यूल मिशन के कार्य में राजस्थान में बाधा डाली जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही शान्ति कायम हो पाई है। अभी भी उन्हें हमले का भय रहता है।

संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतन्त्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इन सभी मामलों में इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

इसलिए, मैं सरकार से अल्पसंख्यक इसाई समुदाय के सदस्यों में इन संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि उनमें संरक्षा और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके।

**श्रीमती पी. सती देवी** (बंडारा) : सभापति महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय का ध्यान खाड़ी देशों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा अपनाई गई अनैतिक पद्धतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया खाड़ी देशों में ग्रीष्म अवकाश हेतु प्रति टिकट 3000 रुपये से ज्यादा वसूल कर रही है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग इन्हीं अवकाशों के दौरान अपने परिवारों से मिल पाते हैं। यह वृद्धित मूल्य आमतौर पर ग्रीष्म अवकाश में निर्धन परिवारों द्वारा आने–जाने के लिहाज से अधिक है। एक प्रकार से विमान कंपनियों की यह नीति निर्धन श्रमिकों की खून–पसीने की कमाई को चूसना है।

इसके अलावा, इस दौरान कालिकट विमान पत्तन से खाड़ी देशों की सभी उड़ाने सीमा से अधिक आरक्षित होती है जिसके परिणामस्वरूप कई दिनों तक यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई यात्रियों को नौकरी छूट जाने की आशंका बनी रहती है क्योंकि वे वीजा की अवधि पूरी होने से पहले वापस नहीं जा पाते हैं।

इसलिए, मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से मुद्दे पर गौर करने और हवाई शुल्क में कटौती करके यात्रियों के बोझ में कमी लाने और कालिकट से खाड़ी देशों तक आने–जाने के लिए अधिक वायुयानों की व्यवस्था के लिए तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तुमकुर में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी व्याप्त है। वहां मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और कई शैक्षिक संस्थान हैं किन्तु इन शैक्षिक संस्थानों से पढ़कर आने वालों के लिए रोजगार नहीं है। इसलिए, केन्द्र सरकार को तुमकुर जिले की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहिए।

तुमकुर शहर की सड़कें बहुत संकरी हैं। इसलिए सभी सड़कों को चौड़ा किया जाए और दो दोहरी सड़कों का निर्माण तत्काल किया जाए। इस सम्बन्ध में, मैं पहले ही भारत सरकार को अपनी मांग भेज चुका हूं।

मैं आशा करता हूं कि केन्द्र इस सम्बन्ध में गहन रुचि लेगा और तुमकुर शहर में सड़कों को चौड़ा करने तथा दोहरी सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगा। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*[हिन्दी]*

**श्री अशोक अर्गल** (मुरैना) : महोदय, मध्य प्रदेश के बीस जिलों में जो बाढ़ आई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ से 1375 पशुओं की मौत हुई। 100 के करीब लोगों की मौत हुई है। 30717 मकानों को नुकसान हुआ है, जो प्रारंभिक परीक्षण वहां सरकार ने कराया है, उससे यह पता लगा है। वहां 38595 लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। सेना के हेलीकाप्टर से गुना जिले के शोढ़ा गांव से 179 लोगों को सकुशल बचाया गया। मध्य प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर 650 करोड़ रुपये की मांग की है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को उदारतापूर्वक सहायता के तौर पर राशि दी गई है, उसी तरह मध्य प्रदेश को भी दी जाए। जिससे मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को राहत मिले। मेरे चंबल क्षेत्र में सूखे की स्थिति है। मैं चाहता हूं कि उसकी भी जांच कराई जाए, क्योंकि कहीं तो लोग बाढ़ से परेशान है और कहीं सूखे से। सूखे के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इसकी जांच कराए और मध्य प्रदेश को जो राशि चाहिए, वह उसे प्रदान की जाए, जिससे राहत शिविरों में लोगों को राहत दी जा सके। धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : सभा सोमवार पूर्वाह्न ग्यारह बजें तक के लिए स्थगित होती है।

**सायं 6.49 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 21 अगस्त, 2006/ 30 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

## अनुबंध-I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री सुग्रीव सिंह<br>श्री जीवाभाई ए. पटेल | 321 |
| 2. | श्री रूपचन्द मुर्मू | 322 |
| 3. | श्री श्रीचन्द कृपलानी<br>श्री कृष्णा मुरारी मोघे | 323 |
| 4. | श्री के. फ्रांसिस जार्ज<br>डा. राम लखन सिंह | 324 |
| 5. | श्री बालासाहिब विखे पाटील | 325 |
| 6. | श्री के. एस. राव | 326 |
| 7. | श्री एम. राजामोहन रेड्डी<br>श्री सुखदेव सिंह ढींढसा | 327 |
| 8. | श्री राकेश सिंह | 328 |
| 9. | श्री हरिश्चंद्र चव्हाण<br>श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम | 329 |
| 10. | श्री रघुनाथ झा<br>श्री एम. अंजनकुमार यादव | 330 |
| 11. | श्री टेक लाल महतो | 331 |
| 12. | श्री ब्रजेश पाठक<br>श्री अर्जुन सेठी | 332 |
| 13. | श्री निखिल कुमार<br>श्री अधीर चौधरी | 333 |
| 14. | श्री हितेन बर्मन | 334 |
| 15. | श्री बी. विनोद कुमार | 335 |
| 16. | श्री बृज किशोर त्रिपाठी | 336 |
| 17. | श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव<br>श्री रवि प्रकाश वर्मा | 337 |
| 18. | श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया | 338 |
| 19. | श्री सीताराम सिंह | 339 |
| 20. | श्री आनंदराव विठोबा अडसूल | 340 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आरून रशीद, श्री जे. एम. | 2562 |
| 2. | आचार्य, श्री वसुदेव | 2541 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 2609, 2616, 2632, 2636 |
| 4. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 2618 |
| 5. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 2530, 2615, 2634, 2641, 2652 |
| 6. | अजय कुमार, श्री एस. | 2574 |
| 7. | आठवले, श्री रामदास | 2538, 2606, 2631, 2650 |
| 8. | "बाबा", श्री के. सी. सिंह | 2608 |
| 9. | "बघदा", श्री बची सिंह रावत | 2531 |
| 10. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 2526, 2555, 2617 |
| 11. | बर्मन, श्री हितेन | 2592, 2623 |
| 12. | बर्मन, श्री रनेन | 2516, 2591 |
| 13. | बखला, श्री जोवाकिम | 2523, 2605 |
| 14. | भडाना, श्री अवतार सिंह | 2546, 2552 |
| 15. | भक्त, श्री मनोरंजन | 2526, 2646 |
| 16. | बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह | 2610 |
| 17. | बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र | 2528 |
| 18. | बोस, श्री सुव्रत | 2571 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | चन्द्रप्पन, श्री सी. के. | 2559 |
| 20. | चारेनामै, श्री मणि | 2578 |
| 21. | चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र | 2599 |
| 22. | चावडा, श्री हरिसिंह | 2544 |
| 23. | चौधरी, श्री बंसगोपाल | 2550, 2602, 2629 |
| 24. | चौधरी, श्री पंकज | 2546 |
| 25. | चौधरी, श्री अधीर | 2543, 2601 |
| 26. | दरबार, श्री छत्तर सिंह | 2564, 2610 |
| 27. | देवरा, श्री मिलिन्द | 2517, 2593 |
| 28. | गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव | 2545, 2551, 2620 |
| 29. | गमांग, श्री गिरिधर | 2529 |
| 30. | जगन्नाथ, डा. एम. | 2570 |
| 31. | जयाप्रदा, श्रीमती | 2567, 2610 |
| 32. | झा, श्री रघुनाथ | 2586, 2649, 2651 |
| 33. | जोशी, श्री प्रहलाद | 2575 |
| 34. | कनोडीया, श्री महेश | 2555 |
| 35. | करूणाकरन, श्री पी. | 2539 |
| 36. | कथीरिया, श्री वल्लभभाई | 2555 |
| 37. | खां, श्री सुनील | 2648 |
| 38. | खारवेनथन, श्री एस. के. | 2521, 2587, 2610, 2621 |
| 39. | कृष्ण, श्री विजय | 2547 |
| 40. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 2518 |
| 41. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 2557 |
| 42. | महताब, श्री भर्तृहरि | 2581, 2618 |
| 43. | माझी, श्री परसुराम | 2582, 2619, 2635 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 44. | माने, श्रीमती निवेदिता | 2545, 2551, 2620 |
| 45. | मसूद, श्री रशीद | 2579 |
| 46. | मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड | 2532 |
| 47. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 2548 |
| 48. | मैन्या, डा. टोकचोम | 2645 |
| 49. | मिश्रा, डा. राजेश | 2569 |
| 50. | मोघे, श्री कृष्ण मुरारी | 2603, 2630 |
| 51. | मो. ताहिर, श्री | 2568, 2644 |
| 52. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 2534 |
| 53. | नायक, श्रीमती अर्चना | 2519 |
| 54. | निखिल कुमार, श्री | 2601 |
| 55. | निमाजुद्दीन, श्री गुंडलूर | 2577 |
| 56. | ओराम, श्री जुएल | 2535, 2595 |
| 57. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 2644 |
| 58. | पल्लानी शामी, श्री के. सी. | 2524, 2530, 2589, 2622, 2648 |
| 59. | पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण | 2561 |
| 60. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 2638, 2642, 2648 |
| 61. | पाठक, श्री ब्रजेश | 2600, 2628 |
| 62. | पाटील, श्री बालासाहिब विखे | 2598 |
| 63. | पटले, श्री शिशुपाल | 2568, 2644 |
| 64. | प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर | 2540 |
| 65. | राजगोपाल, श्री एल. | 2607 |
| 66. | रामदास, प्रो. एम. | 2533, 2594, 2624 |
| 67. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 2527 |
| 68. | राणा, श्री काशीराम | 2560 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 69. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 2536, 2608, 2648 |
| 70. | राव, श्री डी. विट्टल | 2565 |
| 71. | रावले, श्री मोहन | 2549, 2647 |
| 72. | रावत, श्री अशोक कुमार | 2568 |
| 73. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 2520, 2585, 2610, 2627 |
| 74. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 2573 |
| 75. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 2560, 2610 |
| 76. | रिजीजू, श्री कीरेन | 2563 |
| 77. | सत्यनारायण, श्री सर्वे | 2580 |
| 78. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 2608, 2612, 2640 |
| 79. | सैलेन्द्र कुमार, श्री | 2584, 2620 |
| 80. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 2609, 2616, 2632, 2639 |
| 81. | शिवन्ना, श्री एम. | 2566, 2611 |
| 82. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 2568, 2644 |
| 83. | सिद्दीश्वर, श्री जी. एम. | 2564 |
| 84. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 2557 |
| 85. | सिंह, श्री चन्द्र भूषण | 2572, 2613 |
| 86. | सिंह, श्री लक्ष्मण | 2558 |
| 87 | सिंह, श्री दुष्यंत | 2583, 2635 |
| 88. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 2537, 2610 |
| 89. | सिंह, श्री रेवती रमन | 2546 |
| 90. | सिंह, श्री सीताराम | 2614 |
| 91. | सिंह, श्री सुग्रीव | 2597, 2626, 2638, 2642 |
| 92. | सिंह, श्री उदय | 2543, 2648 |
| 93. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह | 2555 |
| 94. | सुब्बा, श्री मणी कुमार | 2522, 2588, 2608 |
| 95. | सुगावनम्, श्री ई. जी. | 2525, 2590 |
| 96. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 2542 |
| 97. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 2555, 2556, 2633 |
| 98. | थामस, श्री पी. सी. | 2554 |
| 99. | तुम्मर, श्री वी. के. | 2544 |
| 100. | थुपस्तन, श्री छेवांग | 2553 |
| 101. | त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि | 2561 |
| 102. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 2596, 2625, 2637, 2643 |
| 103. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 2536, 2608, 2613, 2644 |
| 104. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी. | 2519 |
| 105. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 2609, 2616, 2632, 2639 |
| 106. | विजयशंकर, श्री सी. एच. | 2576 |
| 107. | विनोद कुमार, श्री वी. | 2604 |
| 108. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 2568, 2644 |
| 109. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 2644, 2648 |

## अनुबंध-II

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका*


| | |
|---|---|
| कंपनी कार्य | |
| पृथ्वी विज्ञान | |
| वित्त | 321, 327, 328, 333, 336, 337, 339 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | 326, 329, 330 |
| विधि और न्याय | 325 |
| अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत | 338 |
| विद्युत | 324, 332 |
| ग्रामीण विकास | 322, 323, 331, 334, 340 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | |
| शहरी विकास | 335 |


*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका*


| | |
|---|---|
| कंपनी कार्य | 2518 |
| पृथ्वी विज्ञान | 2525, 2650 |
| वित्त | 2516, 2517, 2521, 2523, 2526, 2529, 2532, 2534, 2537, 2541, 2554, 2556, 2557, 2559, 2561, 2562, 2564, 2565, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2574, 2575, 2577, 2578, 2584, 2586, 2587, 2589, 2596, 2600, 2601, 2602, 2604, 2612, 2615, 2617, 2619, 2620, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2632, 2633, 2634, 2635, 2640, 2641, 2644, 2651, 2652 |
| आवास और शहरी गरीबी उपशमन | 2550, 2582, 2630 |
| विधि और न्याय | 2545, 2572, 2585, 2647 |
| अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत | 2530, 2536, 2542, 2548, 2553, 2560, 2598, 2603, 2608, 2621 |
| विद्युत | 2520, 2522, 2524, 2531, 2535, 2546, 2547, 2555, 2576, 2579, 2581, 2583, 2588, 2594, 2595, 2597, 2610, 2629, 2645, 2648 |
| ग्रामीण विकास | 2533, 2538, 2539, 2544, 2558, 2563, 2566, 2592, 2605, 2609, 2614, 2623, 2631, 2636, 2638, 2642, 2643 |

| | |
|---|---|
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 2519, 2527, 2540, 2573, 2590, 2591, 2607, 2613, 2616, 2622, 2637, 2639, 2649 |
| शहरी विकास | 2528, 2543, 2549, 2551, 2552, 2580, 2593, 2599, 2606, 2611, 2618, 2646 |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली –110006 द्वारा मुद्रित।